

भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक
का
प्रतिवेदन

31 मार्च 2007 को समाप्त हुए वर्ष के लिए

वाणिज्यिक

बिहार सरकार

भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक
का
प्रतिवेदन

31 मार्च 2007 को समाप्त हुए वर्ष के लिए

वाणिज्यिक

बिहार सरकार

www.cag.gov.in.

विषय सूची

विवरण	संदर्भ	
	कंडिका	पृष्ठ
प्रस्तावना		v
विहंगावलोकन		vii-x
अध्याय – I		
सरकारी कम्पनियों एवं सांविधिक निगमों का विहंगावलोकन		
परिचय	1.1	1
कार्यशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	1.2–1.13	1–8
राज्य विद्युत नियामक आयोग	1.14	8
अकार्यशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	1.15–1.19	8–9
लेखापरीक्षा के उल्लेख पर वसूली	1.20	9
सा.क्षे. उपक्रमों को बन्द करने के संबंध में अनुशंसा	1.21	9
सांविधिक निगमों के पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के विधानमंडल में प्रस्तुतीकरण की स्थिति	1.22	9–10
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का विनिवेश, निजीकरण और पुर्नगठन	1.23	10
भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक द्वारा किए गए सा.क्षे.उ. की लेखापरीक्षा के परिणाम	1.24–1.27	10–13
आंतरिक लेखापरीक्षा/आंतरिक नियंत्रण	1.28	13
लोक उपक्रम समिति द्वारा लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (वाणिज्यिक) पर विचार विमर्श की स्थिति	1.29	13–14
619–ब कम्पनियॉं	1.30	14
अध्याय – II		
सरकारी कम्पनियों से संबंधित समीक्षा		
बिहार राज्य जल विद्युत शक्ति निगम लिमिटेड के परियोजना कार्यान्वयन तथा उत्पादन निष्पादन पर समीक्षा	2.1	
मुख्य अंश		15–16
परिचय	2.1.1	16–17
लेखापरीक्षा का क्षेत्र	2.1.2	17
लेखापरीक्षा का उद्देश्य	2.1.3	17
लेखापरीक्षा का मापदण्ड	2.1.4	17–18
लेखापरीक्षा पद्धति	2.1.5	18
लेखापरीक्षा निष्कर्ष	2.1.6	18
परियोजनाओं की योजना बनाना	2.1.7	18
वित्तीय बजट	2.1.8	19
परियोजनाओं का समग्र भौतिक लक्ष्य तथा उपलब्धि	2.1.9	19–20
परियोजना कार्यान्वयन	2.1.10	20
नाबार्ड द्वारा निधि प्रदत्त परियोजनाएँ	2.1.11–2.1.17	20–25
अगनूर एस.एच.पी.पी. (2×500 कि.वा.)	2.1.18–2.1.26	25–28
धेलाबाग एस.एच.पी.पी. (2×500 के.डब्लू.)	2.1.27	28–30

विवरण	संदर्भ	
	कंडिका	पृष्ठ
त्रिवेणी लिंक कैनाल पावर स्टेशन (2×1.5 मे.वा.) वाल्मीकीनगर	2.1.28–2.1.29	30–31
कटैया पनबिजली परियोजना	2.1.30	31–33
झारखण्ड के लघु पन बिजली परियोजना	2.1.31	33–34
पूर्ण परियोजनाओं का उत्पादन निष्पादन	2.1.32–2.1.34	34–39
चालू संयंत्रों की जीर्णोधार और आधुनिकीकरण	2.1.35	39
प्लाटों का संचालन और रख–रखाव	2.1.36	39–40
उर्जा का विक्रय	2.1.37–2.1.38	40–41
बीमा	2.1.39	41–42
आन्तरिक नियंत्रण/आन्तरिक लेखा परीक्षा	2.1.40	42
निष्कर्ष	–	43
अनुशंसाएँ	–	43
बिहार राज्य पाठ्य पुस्तक प्रकाशन निगम लिमिटेड का प्रकाशन एवं बिक्री का कार्यकलाप	**2.2**	
मुख्य अंश	–	44
परिचय	2.2.1	44–45
लेखापरीक्षा का क्षेत्र	2.2.2	45
लेखापरीक्षा का उद्देश्य	2.2.3	45–46
लेखापरीक्षा का मापदण्ड	2.2.4	46
लेखापरीक्षा पद्धति	2.2.5	46
लेखापरीक्षा निष्कर्ष	2.2.6	46
बाजार में पुस्तकों की बिक्री	2.2.7–2.2.12	46–50
बिहार शिक्षा परियोजना परिषद की योजनाओं के अन्तर्गत पुस्तकों की बिक्री	2.2.13–2.2.18	51–55
मंहगे दाम पर कागज का क्रय	2.2.19	55–56
मुद्रण कागजों की अत्यधिक बर्बादी	2.2.20	56
अप्रचलित पुस्तकें	2.2.21	57
प्रेस के आधुनिकीकरण की योजना	2.2.22	57
आन्तरिक नियंत्रण/आन्तरिक लेखापरीक्षा	2.2.23	58–59
निष्कर्ष	–	59
अनुशंसाएँ	–	59
अध्याय – III		
सांविधिक निगमों से संबंधित निष्पादन समीक्षाएँ		
बिहार राज्य विद्युत बोर्ड में ट्रान्सफार्मरों की अधिप्राप्ति, कार्यपालन, रख–रखाव एवं मरम्मति पर निष्पादन समीक्षा	3	
मुख्य अंश	–	60
परिचय	3.1	61
लेखापरीक्षा का क्षेत्र	3.2	61
लेखापरीक्षा का उद्देश्य	3.3	61–62
लेखापरीक्षा का मापदण्ड	3.4	62
लेखापरीक्षा पद्धति	3.5	62
लेखापरीक्षा निष्कर्ष	3.6	62

विवरण		संदर्भ	
		कंडिका	पृष्ठ
आवश्यकता का निर्धारण ट्रॉसफार्मरों की अधिप्राप्ति		3.6.1–3.6.6	62–67
ट्रॉसफार्मरों के कार्यपालन		3.7	67
ट्रॉसफार्मरों का रख–रखाव		3.8	68–69
ट्रान्सफार्मरों की मरम्मत		3.9–3.9.8	69–74
आन्तरिक नियंत्रण		3.10	74–75
निष्कर्ष		–	75
अनुशंसाएँ		–	75
अध्याय – IV			
कार्य सम्पादन पर लेखापरीक्षा प्रेक्षण			
सरकारी कम्पनियॉ			
बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम			
योजना के अनुश्रवण में कम्पनी की विफलता के कारण कोष का अवरोधन		4.1	76–77
ऋण की वसूली नहीं होने के कारण हानि		4.2	77–78
बिहार राज्य इलेक्ट्रोनिक्स विकास निगम लिमिटेड			
अनुबन्ध के कार्यान्वयन में विफलता के कारण हानि		4.3	78–79
एस.टी.पी. के विकास नहीं होने के कारण किराये पर निष्फल व्यय		4.4	79
संविधिक निगम			
बिहार राज्य विद्युत बोर्ड			
कोयला के परिवहन पर परिहार्य व्यय		4.5	80
कोष का गबन		4.6	80–81
सामग्रियों की कमी के कारण हानि		4.7	81–82
दावा से छूट सम्बन्धी नियमों की अवहेलना के कारण हानि		4.8	82–83
राजस्व की परिहार्य हानि		4.9	83–84
राजस्व का कम निर्धारण		4.10	84–85
उच्च विभव उपभोक्ता को अनुचित लाभ		4.11	85
राजस्व की हानि		4.12	86
सामान्य			
निरीक्षण प्रतिवेदनों, प्रारूप कंडिकाओं एवं समीक्षाओं पर प्रतिक्रिया		4.13	87
परिशिष्ट			
1.	31 मार्च 2007 को सरकारी कम्पनियों एवं सांविधिक निगमों के संदर्भ में अद्यतन प्रदत्त पूंजी, बजट से बर्हिगमन, बजट से दिये गए ऋण एवं बकाया ऋणों को दर्शाने वाली विवरणी	1.3, 1.4, 1.5 एवं 1.16	91–98
2.	सरकारी कम्पनियों एवं सांविधिक निगमों, जिनकी लेखाएँ सम्पूर्ण हो गये थे, उनके अद्यतन वर्षो का संक्षिप्त वित्तीय परिणाम	1.6,1.7,1.13, 1.18 एवं 1.19	99–106
3.	वर्ष के दौरान प्राप्त अर्थ साहाय्य, प्राप्त प्रतिभूतियॉ, बकाए की माफी, ऋण जिस पर मोहलत दी गई एवं वर्ष के दौरान ऋणों का अंश पूँजी में रूपान्तरण तथा मार्च 2007 के अंत तक	1.5 एवं 1.16	107–108

विवरण		संदर्भ	
		कंडिका	पृष्ठ
	प्राप्य अर्थ साहाय्य तथा बकाये प्रतिभूतियों को दर्शाने वाली विवरणी		
4.	सांविधिक निगमों की वित्तीय स्थिति को दर्शाने वाली विवरणी	1.7	109–111
5.	सांविधिक निगमों के कार्यचालन परिणाम की विवरणी	1.7	112–114
6.	सांविधिक निगमों के परिचालन निष्पादन को दर्शाने वाली विवरणी	1.12	115–118
7.	बिहार की सरकारी कम्पनियॉं जिनका समापन होना है	1.21	119–120
8.	कम्पनियों जिनके परिसंपत्तियों दायित्वों और प्रबन्धन के बंटवारे के संदर्भ में निर्णय लिया गया है को दर्शाने वाली विवरणी	1.23	121
9.	कम्पनियों के आंतरिक अंकेक्षण/आंतरिक नियंत्रण पर सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा प्रेक्षण	1.28	122
10.	अद्यतन अंतिमीकरण किये हुए लेखाओं के अनुसार 619(ब) कम्पनियों की प्रदत्त पूँजी, निवेश एवं संक्षिप्त कार्यचालन परिणाम को दर्शाने वाली विवरणी	1.30	123–124
11.	बजट किया हुआ तथा वास्तविक राजस्व एवं पूंजीगत प्राप्तियॉं तथा व्यय को दर्शाने वाली विवरणी	2.1.8	125
12.	नाबार्ड परियोजनाओं की स्थिति (31.03.2007 को)	2.1.9, 2.1.11, 2.1.13 एवं 2.1.14	126
13.	झारखण्ड परियोजनाओं की स्थिति (31.03.2007 को)	2.1.9 एवं 2.1.31	127
14.	डी.पी.आर. निविदाओं व नावार्ड परियोजनाओं के अनुबंधों के ब्योरा दर्शाती विवरणी	2.1.14	128
15.	प्राक्कलन, वास्तविक निर्माण लागत, कमिशनिंग की अनुसूचित/वास्तविक तिथि तथा प्रक्षेपित/वास्तविक विद्युत उत्पादन दर्शाती विवरणी	2.1.32	129–130
16.	परिचालन इकाईयों के आउटेज दर्शाती विवरणी	2.1.33	131–132
17.	बिहार राज्य पाठ्य पुस्तक प्रकाशन निगम लिमिटेड का संगठनात्मक ढ़ॉंचा	2.2.1	133
18.	पुस्तकों के कम विपत्रीकरण के कारण कम प्राप्त राशि को दर्शाती विवरणी	2.2.15	134
19.	बिहार राज्य विद्युत बोर्ड का संगठनात्मक ढ़ॉंचा	3.1	135
20.	विभागवार बाकी निरीक्षण प्रतिवेदनों को दर्शाती विवरणी	4.13	136
21.	विभागवार प्रारूप कंडिकाओं/समीक्षाओं जिनके जबाब अप्राप्त हैं को दर्शाती विवरणी	4.13	137

प्रस्तावना

सरकारी वाणिज्यिक संस्थायें जिनकी लेखाओं की लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक द्वारा की जाती है, निम्नलिखित श्रेणियों में आती है :

(i) सरकारी कम्पनियॉ,

(ii) सांविधिक निगमें, एवं

(iii) विभागीय रूप से प्रबंधित वाणिज्यिक उपक्रम।

2. यह प्रतिवेदन सरकारी कम्पनियों और बिहार राज्य विद्युत बोर्ड सहित सांवधिक निगमों की लेखापरीक्षा के परिणामों से संबंध रखता है तथा भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक (सी.ए.जी.) के (कर्त्तव्यों, अधिकारों एवं सेवा शर्त्तों) अधिनियम, 1971, यथा समय–समय पर संशोधित धारा 19–क के अधीन बिहार सरकार के समक्ष प्रस्तुति हेतु तैयार किया गया है। विभागीय रूप से प्रबंधित वाणिज्यिक उपक्रमों की लेखापरीक्षा का परिणाम, 31 मार्च 2007 को समाप्त भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन (सिविल) बिहार सरकार में अन्तर्निष्ट है।

3. कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 के अन्तर्गत सरकारी कम्पनियों की लेखापरीक्षा नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के द्वारा की जाती है।

4. बिहार राज्य पथ परिवहन निगम एवं बिहार राज्य विधुत बोर्ड, जो सांविधिक निगमें हैं, के संबंध में भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक एकमात्र लेखापरीक्षक है। राज्य वित्तीय निगम (संशोधन) अधिनियम, 2000 के अनुरूप बिहार राज्य वित्तीय निगम द्वारा भारतीय रिजर्व बैक से अनुमोदित सूची में से सनदी लेखाकारों को नियुक्त कर लेखापरीक्षा कराने के अतिरिक्त नियंत्रक–महालेखापरीक्षक को उनकी लेखाओं की लेखापरीक्षा करने का अधिकार है। बिहार राज्य भंडारण निगम के संबंध में भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक को उनकी सहमति से राज्य सरकार द्वारा नियुक्त सनदी लेखाकारों द्वारा की गई लेखापरीक्षा के अतिरिक्त उनकी लेखाओं की लेखापरीक्षा करने का अधिकार है। भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक, बिहार विद्युत नियामक आयोग के एकमात्र लेखापरीक्षक है। इन निगमों के वार्षिक लेखाओं का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन अलग से राज्य सरकार को भेजे जातें है।

5. इस प्रतिवेदन में वे मामले उल्लेखित हैं, जो वर्ष 2006–07 के दौरान लेखाओं की लेखापरीक्षा के क्रम में देखने में आये, साथ–साथ वे जो पूर्व के वर्षो में ध्यान मे आए किन्तु पिछले प्रतिवेदनों में सम्मिलत नही किये जा सके। 2006–07 के बाद की अवधि से संबंधित मामले भी जहॉ आवश्यक समझे गये, सम्मिलित कर लिए गये हैं।

6. इस प्रतिवेदन में सन्निहित सामग्रियों के मामले में लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक द्वारा निर्गत लेखापरीक्षा मानक के अनुरूप संचालित की गई हैं।

विहगावलोकन

1. सरकारी कम्पनियों एव सांविधिक निगमों का विहंगावलोकन

31 मार्च 2006 को 50 सरकारी कम्पनियों एवं चार सांविधिक निगमों सहित 54 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (सा.क्षे.उ.) के विरूद्ध 31 मार्च 2007 को राज्य में 51 सरकारी कम्पनियों एवं चार सांविधिक निगमों सहित 55 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम थे। 51 सरकारी कम्पनियों में से 17 सरकारी कम्पनियॉ कार्यशील थीं जबकि 34 सरकारी कम्पनियॉ अकार्यशील थीं। सभी चार सांविधिक निगम कार्यशील थे। इसके अतिरिक्त 31 मार्च 2007 को आठ कम्पनियॉ कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619–ब के अधीन थी।

(कंडिका 1.1 एवं 1.30)

कार्यशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में 31 मार्च 2006 को 7,638.65 करोड़ रूपये का कुल निवेश बढ़कर 31 मार्च 2007 को 7,929.91 करोड़ रूपये हो गया। अकार्यशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कुल निवेश पिछले वर्ष 709.13 करोड़ रूपये के तुलना में 31 मार्च 2007 को 718.03 करोड़ रूपये हो गया।

(कंडिका 1.2 एवं 1.15)

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को पूँजी, ऋण एवं अर्थ साहाय्य/अनुदानों के रूप में दी गई बजट सहायता 2005–06 में 1176.24 करोड़ रूपये से घटकर 2006–07 में 264.84 करोड़ रूपये हो गयी। 31 मार्च 2007 को सरकार द्वारा कार्यशील सा.क्षे.उ. को प्रत्याभूत ऋणों की कुल बकाए की राशि 270.80 करोड़ रूपये थी।

(कंडिका 1.5)

कार्यशील सरकारी कम्पनियों एवं कार्यशील सांविधिक निगमों में से किसी ने वर्ष 2006–07 के लिए अपनी लेखाओं को अनुबंधित अवधि के अन्दर अंतिम रूप नहीं दिया था। 17 कार्यशील सरकारी कम्पनियों एवं चार कार्यशील सांविधिक निगमों की लेखाएँ 30 सितम्बर 2007 को एक से 19 वर्षो के परास में बकाये में थीं। सभी अकार्यशील सरकारी कम्पनियों की लेखाएँ 30 सितम्बर 2007 को 12 से 30 वर्षो के परास में बकाए में थीं।

(कंडिका 1.6 एवं 1.18)

अंतिम रूप दिए गए नवीनतम लेखाओं के अनुसार सात कार्यशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पॉच सरकारी कम्पनियॉ एवं दो सांविधिक निगम) ने कुल 32.93 करोड़ रूपये का लाभ अर्जित किया। इसके विपरीत 12 कार्यशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (10 सरकारी कम्पनियॉ एवं दो सांविधिक निगमों) ने अंतिम रूप दिए गए नवीनतम लेखाओं के अनुसार कुल 154.59 करोड़ रूपये की हानि उठाई। अद्यतन लेखाओं के अनुसार हानि उठाने वाली सात कम्पनियों ने, जिनके लेखे का अंतिमीकरण अक्टूबर 2006 से सितम्बर 2007 के बीच हुआ, कुल 214.57 करोड़ रूपये की संचित हानि उठाई थी जो उनकी कुल प्रदत्त–पूँजी 34.39 करोड़ रूपये से अधिक थी। दो हानि उठाने वाली सांविधिक निगमों ने 865.10 करोड़ रूपये की संचित हानि उठाई थीं जो उनकी 101.27 करोड़ रूपये की प्रदत्त पूँजी से अधिक थी।

(कंडिका 1.7, 1.9 एवं 1.11)

बिहार सरकार ने 17 कम्पनियों (पॉच कार्यशील एवं 12 अकार्यशील), जिनमें सरकार का पूंजी एवं ऋण में कुल निवेश 548.49 करोड़ रूपये था, को बन्द करने का निर्णय लिया।

(कंडिका 1.21)

2 सरकारी कम्पनियों एवं सांविधिक निगमों से संबंधित निष्पादन समीक्षाएँ

बिहार राज्य जल विद्युत शक्ति निगम लिमिटेड के परियोजना कार्यान्वयन तथा उत्पादन निष्पादन, बिहार राज्य पाठ्य पुस्तक प्रकाशन निगम लिमिटेड का प्रकाशन एवं बिक्री कार्यकलाप तथा बिहार राज्य विद्युत बोर्ड में ट्रॉसफार्मरों की अधिप्राप्ति, कार्यपालन, रख–रखाव एवं मरम्मति से संबंधित निष्पादन समीक्षाएँ की गईं। कुछ महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्ष निम्नवत् हैं :

बिहार राज्य जल विद्युत शक्ति निगम लिमिटेड के परियोजना कार्यान्वयन तथा उत्पादन निष्पादन

राज्य में जल विद्युत शक्ति की योजना बनाने, उसे प्रोन्नत करने तथा उसका विकास करने के लिए कम्पनी को मार्च 1982 में निगमित किया गया। कुछ पायी गई महत्वपूर्ण न्यूनताएँ निम्नवत् हैं :

- दशम् पंचवर्षीय योजना की अवधि में प्रस्तावित 23.5 मेगावाट की क्षमता वृद्धि के विरूद्ध, कम्पनी ने छोटी जल विद्युत शक्ति की क्षमता में 2 मेगावाट (0.85 प्रतिशत) की वृद्धि की।

- 17 लघु जल विद्युत शक्ति परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए समय पर अंशदान मुक्त करने में राज्य सरकार की विफलता के कारण, एक भी परियोजना को निर्धारित समय–अनुसूची के भीतर पूरा करने में कम्पनी असमर्थ थी। इस प्रकार, उत्पादन में हुई क्षति के कारण कम्पनी को प्रतिवर्ष 23.64 करोड़ रू. के विचार किये गये सम्भावित राजस्व से वंचित होना पड़ा।

- एस्केप चैनलों का निर्माण नहीं किये जाने के कारण सिंचाई रहित मौसम की अवधि में जल का उपयोग नहीं किया जा सका और उत्पादन ईकाईयॉ बन्द रहीं, जिसके परिणामस्वरूप वर्ष 2002–07 की अवधि में 35.03 करोड़ रू. मूल्य के 175.17 मिलियन यूनिट सम्भावित उत्पादन की क्षति हुई।

(अध्याय–2.1)

बिहार राज्य पाठ्य पुस्तक प्रकाशन निगम लिमिटेड का प्रकाशन एवं बिक्री कार्यकलाप

बिहार राज्य पाठ्य पुस्तक प्रकाशन निगम लिमिटेड (कम्पनी) की स्थापना (अप्रैल 1965) राज्य सरकार के पूर्ण स्वामित्व में हुई। कुछ पायी गई महत्वपूर्ण न्यूनताएँ निम्नवत् हैं :

- कम्पनी द्वारा पुस्तकों के छपाई हेतु आदेश देने में विलम्ब के फलस्वरूप पुस्तकें अबिक्रीत रहीं तथा विद्यार्थियों को शिक्षा सत्र शुरू होने पर भी किताबों से वंचित रहना पड़ा।
- उपलब्ध पुस्तकों की बिक्री करने में कम्पनी के असफल रहने के फलस्वरूप 2003–06 की अवधि में 3.22 करोड़ से 4.94 करोड़ रूपये की धनराशि अवरूद्ध रही।
- उन्मत मूल्य पर बिहार शिक्षा परियोजना परिषद् को पुस्तकों की आपूर्ति के फलस्वरूप कम्पनी ने वास्तविक मूल्य 61 करोड़ रूपये के बजाय 68 करोड़ रूपये का दावा प्रस्तुत किया।
- बिहार शिक्षा परियोजना परिषद् को पुस्तकों की आपूर्ति पर राज्य सरकार से 40.61 करोड़ रूपये का राज्य सहाय्य कम्पनी को होना संभावित नहीं है।

(अध्याय–2.2)

बिहार राज्य विद्युत बोर्ड में ट्रॉसफार्मरों की अधिप्राप्ति, कार्यपालन, रख–रखाव एवं मरम्मति

उपयुक्त योजना एवं अधिप्राप्ति में मितव्ययिता के अभाव में बोर्ड का ट्रॉसफर्मरों की अधिप्राप्ति, रख–रखाव व मरम्मति के मामले में निष्पादन न्यून था। कुछ पाई गई न्यूनताएँ निम्नवत् हैं :

- शक्ति रूपान्तरण क्षमता का उप–शक्ति रूपान्तरण क्षमता के बीच असंतुलन के परिणामस्वरूप ट्रान्सफर्मर अत्यधिक भार युक्त हो गये। वर्ष 2002–07 के दौरान उप–शक्ति रूपान्तरण क्षमता में वृद्धि 53.45 प्रतिशत के विरूद्ध शक्ति रूपान्तरण क्षमता में वृद्धि मात्र 31.06 प्रतिशत ही थी।
- ट्रान्सफर्मर की अधिप्राप्ति पर प्रवेश कर की अनुमति देने के फैसला लेने में विलम्ब के कारण 1.37 करोड़ रूपये का परिहार्य व्यय करना पड़ा।
- 5 एम.वी.ए. ट्रान्सफर्मर अधिप्राप्ति के लिए निविदा को अंतिम रूप देने में विलम्ब के फलस्वरूप 3.47 करोड़ रूपये का अतिरिक्त व्यय करना पड़ा।
- वर्ष 2003–04 से 2005–06 के दौरान मानकों से 8,398 ट्रान्सफर्मरों के अधिक खराब होने के कारण उनकी मरम्मति पर 14.42 करोड़ रूपये अतिरिक्त व्यय किए गए।

(अध्याय – 3)

3. कार्य सम्पादन पर लेखा परीक्षा प्रेक्षण

प्रतिवेदन में सम्मिलित किए गए कार्य सम्पादन पर लेखापरीक्षा प्रेक्षण, लोक उपक्रमों के प्रबन्धन की न्यूनताएँ जिनके परिणामस्वरूप गंभीर वित्तीय प्रभाव पड़े, को मुख्य रूप से दर्शाती है। इंगित की गई मुख्यतः निम्न प्रकार की त्रुटियाँ पाई गईं :

निम्न कारणों से 2.69 करोड़ रूपये के अवरूद्ध निधि, निरर्थक/परिहार्य व्यय के तीन मामले थे :

- निधि के निर्गमन के अनुश्रवण में विफलता,
- किराए पर प्राप्त स्थान को उपयोग में लाने में विफलता,
- मालभाड़ा के अमितव्ययी तरीके से कोयले का परिवहन।

(कंडिका 4.1, 4.4 तथा 4.5)

निम्न कारणों से 16 करोड़ रूपये के राजस्व हानि के सात मामले थे :

- किराया अनुबन्ध का कार्यान्वयन न होना,
- गवन,
- नियमों का पालन न होना,
- टैरिफ प्रावधानों का पालन न होना

(कंडिका 4.3, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10 एवं 4.12)

निम्न कारणों से ऋणियों/उपभोक्ताओं को 1.85 करोड़ रूपये के अनुचित लाभ देने के दो मामले थे :

- योजना का कार्यान्वयन तथा अनुश्रवण न होना,
- त्रुटिपूर्ण अनुबंध।

कुछ महत्वपूर्ण लेखा परीक्षा प्रेक्षाओं का सारांश निम्न प्रकार है :

कोष के निर्गमन के अनुश्रवण में **बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम** की विफलता के कारण तीन वर्ष तक 1.17 करोड़ रूपये का अवरोधन तथा 63.39 लाख रूपये के परिणामी ब्याज की हानि हुई।

(कंडिका 4.1)

बिहार राज्य इलेक्ट्रोनिक विकास निगम लिमिटेड ने सॉफ्टवेयर टेक्नालोजी पार्क के विकास हेतु अधिग्रहीत स्थान के किराये पर 49.91 लाख रूपये का निष्फल व्यय किया।

(कंडिका 4.4)

विद्युत लाइन के विन्यास हेतु प्रभावी कदम नहीं उठाए जाने के कारण **बिहार राज्य विद्युत बोर्ड** को 1.74 करोड़ रूपए की परिहार्य हानि हुई।

(कंडिका 4.9)

टैरिफ प्रावधानों के अनुसार विपत्रीकरण नहीं करने के कारण **बिहार राज्य विद्युत बोर्ड** को 7.17 करोड़ की हानि हुई।

(कंडिका 4.10)

अध्याय – 1

1. सरकारी कम्पनियों एवं सांविधिक निगमों का विहगावलोकन

परिचय

1.1 31 मार्च 2007 को 51 सरकारी कम्पनियों (17 कार्यशील एवं 34 अकार्यशील कम्पनियॉ)[1] तथा चार सांविधिक निगमों (सभी कार्यशील) के तुलना में 31 मार्च 2006 को 50 सरकारी कम्पनियों (16 कार्यशील एवं 34 अकार्यशील कम्पनियॉ) तथा चार सांविधिक निगमों (सभी कार्यशील) राज्य राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन थे। वर्ष 2006.07 में एक नई कम्पनी[2] भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के क्षेत्राधिकार में आई। सरकारी कम्पनियों के लेखाओं की लेखापरीक्षा (कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 617 के अनुसार) सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा किया जाता है, जो नियंत्रक–महालेखापरीक्षक द्वारा कम्पनी अधिनियम, 1956 के धारा 619(2) के प्रावधानों के अन्तर्गत नियुक्त किए जाते है। इन लेखाओं की पूरक लेखापरीक्षा भी नियंत्रक–महालेखापरीक्षक द्वारा (कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 के अन्तर्गत) की जाती है। सांविधिक निगमों की लेखापरीक्षा की व्यवस्था अधोदर्शित है।

क्र0सं.	सांविधिक निगम के नाम	नियंत्रक–महालेखापरीक्षक को लेखा परीक्षण का प्राधिकार	लेखापरीक्षा व्यवस्था
1.	बिहार राज्य विद्युत बोर्ड (बि.रा.वि.बो.)	विद्युत (आपुर्ति) अधिनियम, 1948 की धारा 69(2) के अन्तर्गत।	नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के द्वारा एकमात्र लेखापरीक्षा
2.	बिहार राज्य पथ परिवहन निगम (बि.रा.प.प.नि.)	पथ परिवहन निगम अधिनियम, 1950 की धारा 33(2) के अन्तर्गत।	नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के द्वारा एकमात्र लेखापरीक्षा
3.	बिहार राज्य वित्तीय निगम (बि.रा.वि.नि.)	राज्य वित्तीय निगम अधिनियम 1951 की धारा 37(6) के अन्तर्गत।	सनदी लेखाकारों द्वारा लेखापरीक्षा एवं नियंत्रक–महालेखापरीक्षक द्वारा पूरक लेखापरीक्षा
4.	बिहार राज्य भंडार निगम (बि.रा.भ.नि.)	राज्य भंडार निगम अधिनियम 1962 की धारा 31(8) के अन्तर्गत।	सनदी लेखाकारों द्वारा लेखापरीक्षा एवं नियंत्रक–महालेखापरीक्षक द्वारा पूरक लेखापरीक्षा

राज्य सरकार ने बिहार विद्युत नियामक आयोग का गठन किया है तथा उसकी लेखापरीक्षा विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 104(2) के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक –महालेखापरीक्षक को सौंपी गई है।

कार्यशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (सा.क्षे.उ.)

कार्यशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश

1.2 मार्च 2006 एवं मार्च 2007 के समाप्ति तक क्रमशः 20 कार्यशील सा.क्षे.उ. (16 सरकारी कम्पनियों एवं 4 सांविधिक निगमों) एव 21 कार्यशील सा.क्षे.उ. (17 सरकारी कम्पनियों एवं 4 सांविधिक निगमों) में कुल निवेश निम्न प्रकार थे :–

[1] अकार्यशील कम्पनियॉ वह कम्पनियॉ है जो कि परिसमापन, बंदी, विलयन आदि की प्रक्रिया में हैं।

[2] बिहार राज्य बिवरेज निगम लि0

(राशिः रूपये करोड़ में)

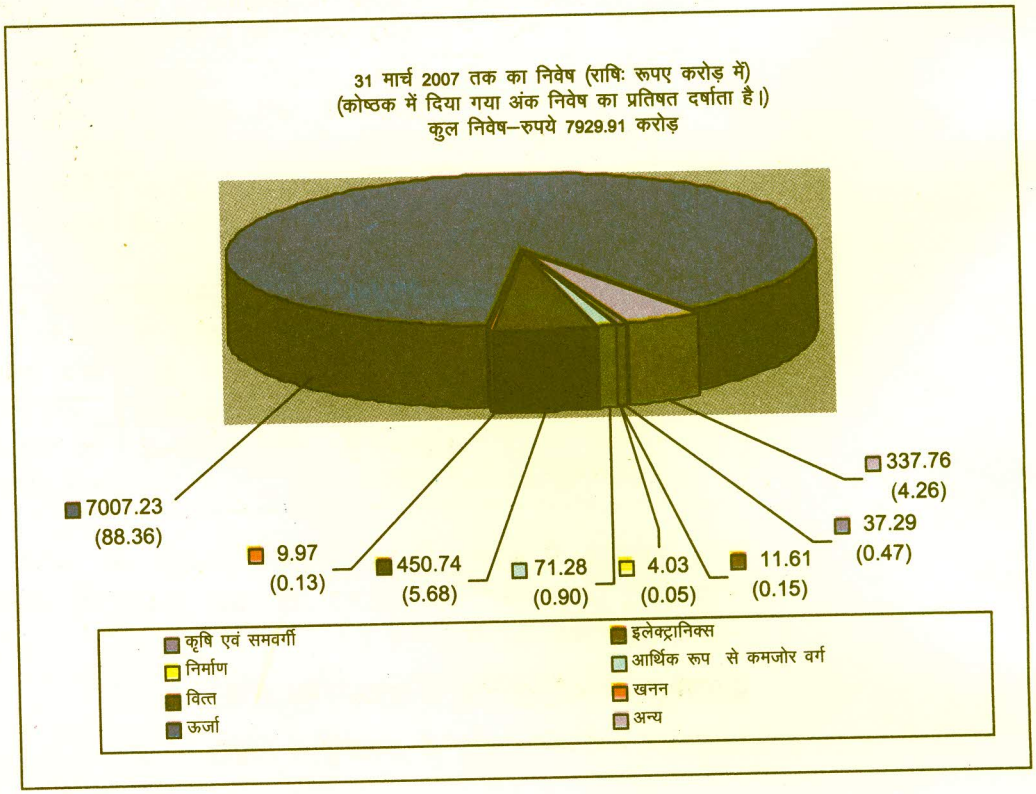
वर्ष	कार्यशील सा.क्षे. उपक्रमों की संख्या	कार्यशील सा.क्षे. उपक्रमों में निवेश			
		अंश पूँजी	अंश आवेदन राशि	ऋण	कुल
2005–06	20	456.08	3.66	7,178.91	7638.65
2006–07	21	463.08	9.86	7456.97	7929.91[1]

स्त्रोत– निगम से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार।

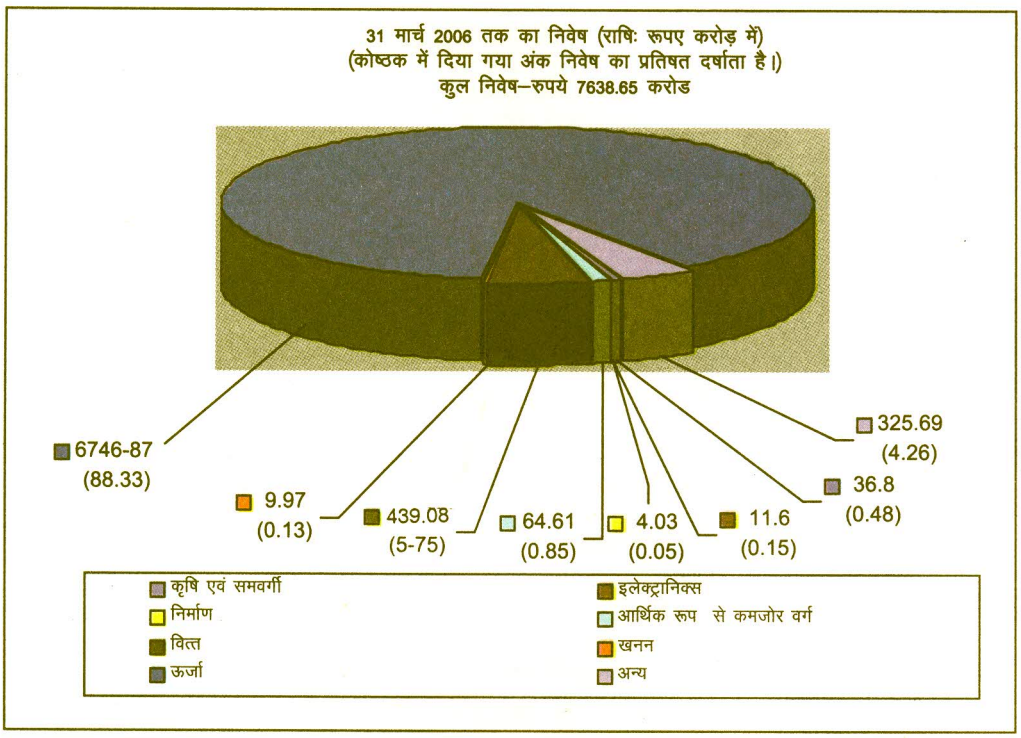
31 मार्च 2006 को कार्यशील सरकारी कम्पनियों एवं सांविधिक निगमों में साधारण पूँजी तथा ऋण में कुल निवेश क्रमशः 6.02एवं 93.98 प्रतिशत की तुलना में 31 मार्च 2007 को 5.96 प्रतिशत साधारण पूँजी एवं 94.04 प्रतिशत ऋण के रूप में था। कार्यशील सा.क्षे.उ. में निवेश का विश्लेषण अधोलिखित कंडिकाओं में दिया गया है।

कार्यशील सरकार कम्पनियों एवं निगमों में प्रक्षेत्रवार निवेश

31 मार्च 2007 एवं 31 मार्च 2006 के अन्त में विभिन्न प्रक्षेत्रों में निवेश (साधारण पूँजी तथा दीर्घ कालीन ऋण) तथा उनका प्रतिशत निम्नांकित पाई चार्ट में दर्शाए गए है :–



[1] कार्यशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में राज्य सरकार का निवेश 7091.48 करोड़ रूपये (अन्य 838.43 करोड़ रूपये) था। वित्त लेखा के अनुसार आंकड़े 12,209.14 करोड़ रूपये है। आंकड़ों के अंतर का सामाधान किया जा रहा है।



कार्यशील सरकारी कम्पनियॉ

1.3 मार्च 2006 एवं मार्च 2007 के अंत में क्रमशः 16 एवं 17 कार्यशील कम्पनियों में कुल निवेश निम्न था :–

(राशि : रूपये करोड़ में)

वर्ष	कार्यशील सरकारी कंपनियो की संख्या	कार्यशील साक्ष उपक्रमो मे निवेश			
		अंश पूँजी	अंश आवेदन राशि	ऋण	कुल
2005–06	16	275.59	3.66	1,039.25	1318.50
2006–07	17	282.60	7.86	1,100.80	1391.26[1]

स्त्रोत– निगम से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार।

वर्ष में निवेश में वृद्धि मुख्यतः उर्जा क्षेत्र की लोक उपक्रमों द्वारा प्राप्त ऋणों के कारण हुई।

कार्यशील सरकारी कंपनियों में साधारण पूँजी एवं ऋण के रूप में सरकारी निवेश की संक्षिप्त विवरणी **परिशिष्ट–1** में दर्शाया गया है।

31 मार्च 2007 तक कार्यशील सरकारी कम्पनियों में साधारण पूँजी तथा ऋण में कुल निवेश क्रमशः 20.88 प्रतिशत एवं 79.12 प्रतिशत की तुलना में 31 मार्च 2006 को 21.18 प्रतिशत साधारण पूँजी एवं 78.82 प्रतिशत ऋण के रूप में था।

कार्यशील सांविधिक निगम

1.4 मार्च 2006 एवं मार्च 2007 के अन्त तक चार कार्यशील सांविधिक निगमों में कुल निवेश निम्नलिखित थे :–

[1] इसमें तेनुघाट विद्युत निगम लिमिटेड में 100 करोड़ रूपये पूँजी तथा 608.89 करोड़ रूपये ऋण का निवेश सम्मिलित है, जिसके स्वामित्व के स्थानांतरण को लेकर बिहार राज्य तथा झारखंड राज्य के बीच एक मुकदमा हाई कोर्ट पटना तथा रांची में लंबित है।

(राशि : रूपये करोड़ में)

निगम के नाम	2005–06		2006–07	
	पूँजी	ऋण	पूँजी	ऋण
बिहार राज्य विद्युत बोर्ड (बि.रा.वि.बो.)	–	5,764.70	–	5969.48
बिहार राज्य पथ परिवहन निगम (बि.रा.प.प.नि.)	101.27	81.02	101.27	81.02
बिहार राज्य वित्तीय निगम (बि.रा.वि.नि.)	77.84	286.68	77.84	299.19
बिहार राज्य भंडार निगम (बि.रा.भ.नि.)	1.37	7.26	3.37	6.48
कुल योग –	**180.48**	**6,139.66**	**182.48**	**6356.17**

स्त्रोत– निगम से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार।

वर्ष में निवेश में वृद्धि मुख्यतः उर्जा क्षेत्र की लोक उपक्रमों द्वारा प्राप्त ऋणों के कारण हुई।

कार्यशील सांविधिक निगमों में साधारण पूँजी तथा ऋण के रूप में सरकारी निवेश का संक्षिप्त विवरणी **परिशिष्ट–1** में दर्शाया गया है।

31 मार्च 2006 को कार्यशील सांविधिक निगमों में साधारण पूँजी तथा ऋण में निवेश कुल निवेश का क्रमशः 2.86 प्रतिशत एवं 97.14 प्रतिशत के विरूद्ध 31 मार्च 2007 की समाप्ति पर यह निवेश कुल निवेश का क्रमशः 2.79 प्रतिशत तथा 97.21 प्रतिशत था।

बजट से बर्हिगमन, अनुदान/आर्थिक सहायता, प्रतिभूतियाँ, देय राशि का अधित्याग तथा ऋणों का साधारण पूँजी में रूपांतरण

1.5 राज्य सरकार द्वारा कार्यशील सरकारी कम्पनियों एवं सांविधिक निगमों को बजट से बर्हिगमन, अनुदान/आर्थिक सहायता, निर्गत प्रतिभूतियाँ, देय राशि का अधित्याग तथा ऋणों का साधारण पूँजी में रूपांतरण की विस्तृत विवरणी **परिशिष्ट–1 एवं 3** में दी गयी है।

मार्च 2007 तक तीन वर्षो की अवधि में, साधारण पूँजी, ऋण एवं अनुदानों/आर्थिक सहायता के रूप में कार्यशील सरकारी कंपनियों एवं कार्यशील सांविधिक निगमों को राज्य सरकार द्वारा बजट में सहायता प्रदान की गई, जिसकी विवरणी अधोदर्शित है :–

(राशि : रूपये करोड़ में)

	2004–05				2005–06				2006–07			
	कंपनियाँ		निगमें		कंपनियाँ		निगमें		कंपनियाँ		निगमें	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
बजट से बर्हिगमन साधारण पूँजी	–	–	–	–	–	–	–	–	2	9.20	1	2.00
बजट से दिया गया ऋण	1	3.02	3	775.23	2	122.78	1	1,053.46	2	51.09	2	202.55
आर्थिक सहाय्य	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
कुल बहिर्गमन	**1**	**3.02**	**3**	**775.23**	**2**	**122.78**	**1**	**1,053.46**	**4**	**60.29**	**3**	**204.55**

स्त्रोत– निगम से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार।

वर्ष 2006–07 में सरकार ने कुल 6.33 करोड़ रूपये के ऋण पर गारंटी दिया जिसे दो कार्यशील सरकारी कम्पनियों[1] ने प्राप्त किया। वर्ष के अंत तक तीन कार्यशील सरकारी कम्पनिओं (44.65 करोड़ रूपये) और दो कार्यशील सांविधिक निगमों (226.15 करोड़ रूपये) के विरूद्ध 270.80 करोड़ रूपये की कुल गारंटी राशि बकाया थी। गारंटी कमीशन सरकारी कम्पनिओं द्वारा सरकार को भुगतान की जाती है। 38.72 लाख रूपये बिहार राज्य पथ परिवहन निगम और बिहार राज्य वित्त निगम द्वारा भुगतेय थे। वर्ष में

[1] बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्त निगम लि. एवं बिहार राज्य टेक्सट बुक प्रकाशन निगम लि.

बिहार राज्य वित्त निगम ऋण और ब्याज का भुगतान करने में विफल रही जिसके फलस्वरुप सरकार ने 127.51 करोड़ रूपये भुगतान किए।

कार्यशील सा.क्षे. उपक्रमों द्वारा लेखाओं का अंतिमीकरण

1.6 कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 166, 210, 230, 619 एवं 619–ब, जो भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक (कर्त्तव्यों, शक्ति एवं सेवा शर्त्ते) अधिनियम, 1971 की धारा 19 के साथ पढ़ा गया, के अनुसार कम्पनियों के प्रत्येक वर्ष की लेखाओं को उस वर्ष की समाप्ति के छः माह के अन्दर अंतिमीकरण कर लेना होता है। उसे वर्ष की समाप्ति के नौ माह के अन्दर ही राज्य की विधायिका के समक्ष प्रस्तुत करना पड़ता है। इसी प्रकार सांविधिक निगमों के मामलो में उनसे सम्बन्धित अधिनियमों के प्रावधानों के अनुसार उनकी लेखाओं का अन्तिमीकरण लेखा परीक्षण तथा विधायिका के समक्ष प्रस्तुत करना पड़ता है।

जैसा **परिशिष्ट–2** से देखा जा सकता है, 16 कार्यशील सरकारी कम्पनियॉ एवं चार सांविधिक निगमों में से किसी ने भी नियत अवधि के अन्दर वर्ष 2006–07 के लेखाओं का अन्तिमीकरण नहीं किया था। अक्टूबर 2006 से सितम्बर 2007 के दौरान छः कार्यशील सरकारी कम्पनियों ने पिछले वर्षो के 12 लेखाओं को अन्तिमीकरण किया। इसी प्रकार, इस अवधि में तीन कार्यशील सांविधिक निगमों ने पिछले वर्ष के छः लेखाओं का अन्तिमीकरण किया।

17 कार्यशील सरकारी कम्पनियों के बकाए लेखाओं के परास एक वर्षो से 19 वर्षो की अवधि में थे। इसके अतिरिक्त 30 सितम्बर, 2007 को चार सांविधिक निगमों के बकाए लेखाओं के परास एक से पाँच वर्षो की अवधि में थे जो अधोलिखित है :–

क्रम सं0	कार्यशील सरकारी कम्पनियों/सांविधिक निगमों की संख्या		वर्ष जिसके लेखे बकाए है	वर्षो की संख्या जिसके लेखे बकाए है	परिशिष्ट–2 का संदर्भित क्रमांक	
	सरकारी कम्पनियां	सांविधिक निगमें			सरकारी कम्पनियां	सांविधिक निगमें
1	2	3	4	5	6	7
1	1	–	1988–89 से 2006–07	19	अ–10	–
2	1	–	1990–91 से 2006–07	17	अ–6	–
3	1	–	1992–93 से 2006–07	15	अ–16	–
4	1	–	1993–94 से 2006–07	14	अ–2	–
5	1	–	1994–95 से 2006–07	13	अ–13	–
6	4	–	1996–97 से 2006–07	11	अ–1,अ–7, अ–11, अ–12,	–
7	1	–	1997–98 से 2006–07	10	अ–15	–
8	1	1	1998–99 से 2006–07	9	अ–9	–
9	1	2	1999–2000 से 2006–07	8	अ–3	–
10	2	1	2001–02 से 2006–07	6	अ–4,अ–5	–

11	2	1	2002–03 से 2006–07	5	अ–8,अ–14	ब–2
12	–	1	2004–05 से 2006–07	3		ब–4
13	–	1	2005–06 से 2006–07	2		ब–1
14	1	1	2006–07	1	अ–17	ब–3
कुल–	17	4				

स्त्रोत : नवीनतम अंतिमीकृत किए गए लेखाओं के अनुसार

प्रशासनिक विभागों को आश्वस्त एवं सुनिश्चित करना है कि निर्धारित अवधि में लेखाओं को अन्तिमीकरण हो जाये और सा.क्षे. उपक्रमों द्वारा उनकों अंगीकृत किया जाये। यद्यपि बकाये लेखाओं के अन्तिमीकरण से सम्बन्धित जानकारी सम्बद्ध प्रशासनिक विभागों तथा सरकारी पदाधिकारियों को प्रत्येक तिमाही में प्रधान महालेखाकार द्वारा दी गई थी पर सरकार द्वारा कोई भी प्रभावी कदम नहीं उठाये गये जिसके फलस्वरूप सा. क्षे. उपक्रमों में निवेश का निर्धारण लेखापरीक्षा में नहीं किया जा सका।

कार्यशील सा.क्षे. उपक्रमों की वित्तीय स्थिति तथा कार्यचालन परिणाम

1.7 कार्यशील सा.क्षे. उपक्रमों (सरकारी कम्पनियों एवं सांविधिक निगमों) के उपलब्ध नवीनतम लेखाओं पर आधारित संक्षिप्त वित्तीय परिणाम **परिशिष्ट–2** में दिए गए है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक कार्यशील सांविधिक निगम की पिछले तीन वर्षो की वित्तीय स्थिति तथा कार्यचालन परिणाम क्रमशः **परिशिष्ट – 4 एवं 5**[1] में वर्णित है।

15[2] कार्यशील सरकारी कम्पनियों तथा चार कार्यशील सांविधिक निगमों के अन्तिम रूप दिये गये नवीनतम लेखाओं के अनुसार 10[3] कम्पनियों तथा दो[4] निगमों को क्रमशः 36.22 करोड़ रूपये एवं 118.37 करोड़ रूपये की कुल हानि हुई। पॉच कम्पनियों[5] एवं दो[6] निगमों ने क्रमशः 15.30 करोड़ रूपये तथा 17.63 करोड़ रूपये का लाभ अर्जित किया।

कार्यशील सरकारी कम्पनियॉ

लाभ अर्जित करने वाली कम्पनियॉ तथा लाभांश

1.8 नवीनतम उपलब्ध लेखाओं के अनुसार (सितम्बर 2007) 17 कार्यशील सरकारी कम्पनियों में से पॉच कम्पनियों ने 15.30 करोड़ रूपये लाभ अर्जित किया। तथापि इन कम्पनियों ने कोई लाभांश घोषित नहीं किया। राज्य सरकार ने न तो न्यूनतम लाभांश के भुगतान हेतु कोई नीति बनाई है और न कम्पनियों को कोई मार्गदर्शन जारी किया है।

[1] निगमों से प्राप्त आंकड़ो के अनुसार

[2] टी.भी.एन.एल. को छोड़कर (व्यावसायिक उत्पादन आरंभ नही) तथा बिहार राज्य विवरेज कॉरपोरेशन (प्रथम लेखा नहीं बना)

[3] बिहार राज्य बीज निगम, बिहार राज्य मत्स्य विकास निगम, बिहार राज्य इलेक्ट्रोनिक्स विकास निगम, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम, बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्त निगम, बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम, बिहार राज्य जल विद्युत निगम, बिहार राज्य साख एवं निवेश निगम, बिहार राज्य पाठ्य पुस्त प्रकाशन निगम।

[4] बिहार राज्य विद्युत बोर्ड एवं बिहार राज्य पथ परिवहन निगम

[5] बिहार राज्य वन विकास निगम, बिहार राज्य खनिज विकास निगम, बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम, बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम, बिहार राज्य फिल्म विकास निगम

[6] बिहार राज्य वित्तीय निगम, बिहार राज्य भंडारण निगम

घाटा देने वाली कम्पनियॉ

1.9 नवीनतम प्राप्त लेखाओं के अनुसार 10 हानिदायी कम्पनियों ने कुल 36.22 करोड़ रूपये की हानि उठाई। सात[1] घाटा देने वाली कम्पनियों की कुल संचित हानि 214.57 करोड़ रूपये थी जो कि इन कम्पनियों की कुल प्रदत्त पूँजी 34.39 करोड़ रूपये से छः गुणा से अधिक थी।

कार्यशील सांविधिक निगम

लाभ अर्जित करने वाली सांविधिक निगमें तथा लाभांश

1.10 चार सांविधिक निगमों (सितम्बर 2006) में से, बिहार राज्य वित्तीय निगम और बिहार राज्य भंडारण निगम ने क्रमशः वित्तीय वर्ष 2005–06 तथा 2003–04 के लिए क्रमशः 17.34 करोड़ और 28.97 लाख रूपये का कुल लाभ अर्जित किया। तथापि सांविधिक निगमों ने वर्ष के दौरान कोई लाभांश घोषित नहीं किया।

घाटा देने वाली सांविधिक निगमें

1.11 बिहार राज्य विद्युत बोर्ड में कुल निवेश (ऋण) 5969.48 करोड़ रूपये (31 मार्च 2007) की तुलना में 240.67 करोड़ रूपये (31 मार्च 2005) की संचित हानि थी।

बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की संचित हानि 624.43 करोड़ रूपये (31 मार्च 2002 को) थी जिससे उसकी प्रदत्त पूँजी 101.27 करोड़ रूपये का अपक्षरण हो गया है।

कार्यशील सांविधिक निगमों का परिचालन निष्पादन

1.12 कार्यशील सांविधिक निगमों का परिचालन निष्पादन **परिशिष्टि–6** में दिया गया है। यद्यपि, निगमों के परिचालन निष्पादन पर कुछ महत्वपूर्ण टिप्पणीयॉ, ऊपर वर्णित परिशिष्ट में दिए गये आंकड़ों पर आधारित है, नीचे दी गयी है :

बिहार राज्य पथ परिवहन निगम

1.12.1 उपयोग में लाई गई वाहनों की प्रतिशतता 77 (2004–05) से घटकर 61 (2006–07) हो गयी।

बिहार राज्य वितीय निगम

1.12.2 वसूली योग्य देय राशि (मूलधन एवं ब्याज) वर्ष 2004–05 में 2764.60 करोड़ रूपये से बढ़कर वर्ष 2006–2007 में 3073.98 करोड़ रूपये हो गई।

नियोजित पूँजी पर प्रतिफल

1.13 अंतिम रूप दिए गये नवीनतम लेखाओं (सितम्बर 2007 तक प्राप्त) के अनुसार 16 कार्यशील कम्पनियों में नियेजित पूँजी[2] की गणना 847.28 करोड़ रूपये की गयी थी तथा नियोजित पूँजी पर कुल प्रतिफल[3] पिछले वर्ष (सितम्बर 2006 तक अन्तिमीकरण किये गये लेखओं) के ऋणात्मक प्रतिफल 10.79 करोड़ की तुलना में 5.22 करोड़ रूपये का प्रतिफल था। इसी प्रकार, कार्यशील सांविधिक निगमों में नवीनतम अन्तिमीकृत लेखाओं (सितम्बर 2007 तक प्राप्त) के अनुसार नियोजित पूँजी एवं उस पर कुल ऋणात्मक प्रतिफल क्रमशः 1689.11 करोड़ रूपये तथा 472.19 करोड़ रूपये था। जबकि पिछले वर्ष (सितम्बर 2006 तक अन्तिमीकरण किये गये लेखाओं के

[1] बिहार राज्य बीज निगम, बिहार राज्य मत्स्य विकास निगम, बिहार राज्य इलेट्रनिक निगम, पुलिस भवन निर्माण निगम, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम, बिहार राज्य खाद एवं असैनिक आपूर्ति निगम एवं बिहार राज्य साख एवं निवेश निगम

[2] वित्तीय कंपनियों एवं निगमों जहॉ नियोजित पूंजी, प्रदत पूँजी, मुक्त संरक्षित बाण्डों, जमा एवं उधारों (पुनर्वित सहित) के समग्र योग के औसत का द्योतक है, को छोड़कर नियोजित पूँजी, निवल अचल परिसंपतियों (पूंजीगत कार्य प्रगति सहित) एवं कार्यचालन पूंजी के योग का द्योतक है।

[3] नियोजित पूँजी पर कुल प्रतिफल की गणना निवल लाभ/हानि (लाभ–हानि लेखानुसार) में उधार ली गयी निधि पर ब्याज को जोड़कर/घटाकर की गयी है।

अनुसार) कुल ऋणात्मक प्रतिफल 88.51 करोड़ रूपये था। कार्यशील सरकारी कंपनियों एवं सांविधिक निगमों से सम्बन्धित नियोजित पूँजी तथा उस पर कुल प्रतिफल का ब्यौरा **परिशिष्ट–2** में दिये गये है।

राज्य विद्युत नियामक आयोग

1.14 बिहार विद्युत नियामक आयोग (आयेाग) का गठन, अप्रैल 2002 में विद्युत नियामक आयोग अधिनियम 1998 के धारा 17(1) के अंतर्गत राज्य में विद्युत उत्पादन, परिषण, वितरण तथा विद्युत की आपूर्ति का विवेकसंगत बनाने, राज्य में विद्युत उद्योग को नियमित करने जिसमें विद्युत का क्रय, वितरण, आपूर्ति एवं उपयोग, सेवा की गुणवता, टैरिफ एवं अन्य भार तथा उपभोक्ताओं की रूचि एवं उपयोगिताओं को ध्यान में रखतें हुए एक ऐसा वातावरण बनाये जो राज्य के विद्युत उद्योग में निजि क्षेत्र के उद्यमियों की सहभागिता को आकर्षित करेगा, के उद्देश्यों के साथ किया गया था। आयोग एक कारपोरेट निकाय है जिसमें अध्यक्ष सहित तीन सदस्य होते हैं, जो राज्य सरकार द्वारा नियुक्त होते है। आयोग के लेखाओं की लेखापरीक्षा विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 104(2) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक को सौंपी गई है। आयोग ने, वर्ष 2006–07 में 140.00 लाख रूपये को अनुदान ग्रहण किया और मार्च 2007 के अन्त तक कुल ग्रहण अनुदान 211.39 लाख रूपये था।

अकार्यशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (सा.क्षे.उ.)

अकार्यशील सा.क्षे. उपक्रमों में निवेश

1.15 कमशः मार्च 2006 और मार्च 2007 के अन्त में 34 अकार्यशील सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (सभी सरकारी कम्पनियॉ) में कुल निवेश निम्न प्रकार था :

(राशि : रूपये करोड़ में)

वर्ष	अकार्यशील सा.क्षे. उपक्रमों की संख्या	अकार्यशील सा.क्षे. उपक्रमों मे निवेश			
		अंश पूँजी	अंश आवेदन राशि	ऋण	कुल
2005–06	34	159.62	6.76	542.75	709.13
2006–07	34	159.62	6.76	551.65	718.03[1]

स्रोत– निगम से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार।

बजट से बहिर्गमन, अनुदान/आर्थिक साहाय्य, प्रतिभूतियॉ बकाये का परित्याग तथा ऋणों का साधारण पूँजी में रूपान्तरण

1.16 अकार्यशील सा.क्षे.उ. को राज्य सरकार द्वारा बजट से बहिर्गमन, आर्थिक साहाय्य/अनुदान, प्रतिभूतियॉ, बकाये का परित्याग तथा ऋणों का साधारण पूँजी में रूपान्तरण की विवरणी **परिशिष्ट–1 तथा 3** में निहित है। वर्ष की समाप्ति पर दो अकार्यशील[2] सा.क्षे. उपक्रमों पर 2.07 करोड़ रूपये की प्रतिभूतियॉ बकाया थी।

अकार्यशील सा.क्षे. उपक्रमों के कुल स्थापना व्यय

1.17 2006–2007 तक विगत तीन वर्षो की अवधि में सम्बन्धित प्रबन्धनों द्वारा दिए गए सूचनाओं के अनुसार अकार्यशील सा.क्षे. उपक्रमों के स्थापना व्यय पर कुल देयताएँ तथा उनके वित्त पोषण के स्रोतो का वर्षवार ब्योरा निम्न है :–

[1] अकार्यशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में राज्य सरकार का निवेश 641.32 करोड़ रूपये (अन्य 76.71 करोड़) था। वित्त लेखा के अनुसार आंकड़े 257.58 करोड़ रूपये है। आंकड़ों के अंतर का सामाधान किया जा रहा है।

[2] बिहार राज्य चर्म उद्योग विकास निगम लि. तथा बिहार राज्य कृषि उद्योग विकास निगम लि.

(राशि : रूपये करोड़ में)

वर्ष	सा.क्षे. उपक्रमों की संख्या	स्थापना व्यय पर कुल देयताएं	नियत्री कम्पनी द्वारा सहायता	बकाया देयताएं
2004–2005	11	14.74	0.07	14.67
2005–2006	12[1]	4.10	0.92	3.18
2006–07	11[2]	2.86	0.44	2.42

स्त्रोत– निगम से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार।

अकार्यशील सा.क्षे.उ. के लेखाओं का अन्तिम रूप दिए जाना

1.18 30 सितम्बर 2007 तक 34 अकार्यशील सा.क्षे. उपक्रमों की लेखाएँ पिछले 12 से 30 वर्षों की अवधि के परास में बकाए में थी जैसा कि **परिशिष्ट–2** में देखा जा सकता है।

अकार्यशील सा.क्षे. उपक्रमों की वितीय स्थिति तथा कार्यचालन परिणाम

1.19 अकार्यशील सरकारी कम्पनियों के अन्तिम रूप दिए गए नवीनतम लेखाओं के आधार पर वित्तीय परिणामों का सार **परिशिष्ट–2** में निहीत है। 34 अकार्यशील सरकारी कम्पनियों प्रदत्त पूँजी 101.04 करोड़ रूपये की तुलना में शुद्ध मूल्य[3] (–) 68.08 करोड़ रूपये था। इन कम्पनियों को 18.34 करोड़ रूपये की नगद हानि[4] एवं 173.48 करोड़ रूपये की संचित हानि हुई।

लेखापरीक्षा के उल्लेख पर वसूली

1.20 वर्ष 2005–06 में बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के अभिलेखों के नमुना जॉच के दौरान पाया गया कि बोर्ड ने पॉच मामलों में कुल 1.54 करोड रूपये टैरिफ का गलत/न्यून उदृग्रहण/कम राजस्व वसूली किया। लेखापरीक्षा द्वारा उठाई गई सभी आपत्तियों को बोर्ड ने स्वीकार किया और न्यून उदृग्रहण की वसूली के लिए पूरक विपत्र जारी किए और न्यून उदृग्रहण को वसूल किया।

सा. क्षे. उपक्रमों को बन्द करने के संबंध में अनुशंसा

1.21 अकार्यशील सा.क्षे. उपक्रमों की संचित हानि, प्रदत पूँजी से करीब 1.7 गुणा ज्यादा थी और प्रत्येक वर्ष हानि हो रही थी, अतः सरकार को इनके कार्यों की सूक्ष्मता से समीक्षा करना चाहिए।

बिहार सरकार ने 17 कम्पनियों (पॉच कार्यशील एवं 12 अकार्यशील), जिनमें सरकार का पूंजी एवं ऋण में कुल निवेश 548.49 करोड़ रूपये था, को बन्द करने का निर्णय लिया। इन 17 कम्पनियों में से 13 निगमों ने पटना उच्च न्यायालय में बन्दी के लिए याचिका दायर की एवं इनमें से दो[5] निगमों के सम्बन्ध में बन्दी के आदेश पारित हो गये। कम्पनियॉ जो बन्द होनी है और कम्पनियॉ जिन्होनें बन्दी के लिए याचिका दायर की है उनकी सूची **परिशिष्ट–7** में निहित है।

सांविधिक निगमों के पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की विधानमंडल में प्रस्तुतीकरण की स्थिति

1.22 सांविधिक निगमों के लेखाओं पर भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक द्वारा निर्गत विभिन्न पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (पृ.ले.प.प्र.) का सरकार द्वारा विधायिका के पटल पर रखने की स्थिति को निम्न तालिका में दर्शाया गया है :

[1] 22 सरकारी कम्पनियों के विषय में सूचना लेखापरीक्षा को नहीं दी गई।
[2] 23 सरकारी कम्पनियों के विषय में सूचना लेखापरीक्षा को नहीं दी गई।
[3] शुद्ध मूल्य अंश पूँजी में निवेश, मुक्त संरक्षित घटे संचित हानि को दर्शाती है।
[4] नगद हानि वर्ष के दौरान अवक्षय से पहले हानि को दर्शाती है।
[5] बिहार राज्य हैण्डलूम एण्ड हैडिक्राफ्टस निगम लि. एवं बिहार पेपर मिल्स लिमिटेड।

क्रमांक	सांविधिक निगमों के नाम	विधायिका में पृ.ले.प.प्र. की प्रस्तुतीकरण की तिथि	विधायिका में पृ.ले.प.प्र. के न प्रस्तुत करने के वर्ष		
			पृ.ले.प.प्र. के वर्ष	सरकार को निर्गत करने की तिथि	विधान सभा में प्रस्तुतीकरण में विलम्ब के कारण
1.	बिहार राज्य विद्युत बोर्ड	1999–2000	2000–2001 2001–02	30.06.2004 12.03.2007	कारण सूचित नहीं किये गये।
2.	बिहार राज्य पथ परिवहन निगम	1973–74	1974–75 से 2000–01	1991–92–9.6.97 1992–93–2.9.98 1993–94--2.9.98 1994–95–4.12.98 1995–96–18.4.2000 1996–97–19.3.04 1997–98–19.10.04 1998–99–12.04.05 1999–00–07.10.05 2000–01–24.09.07	निगमों द्वारा प्रतिवेदनों की प्रतियाँ विधायिका को प्रस्तुतीकरण के लिए उपलब्ध नहीं करायी गयी।
3.	बिहार राज्य वित्तीय निगम	2002–03	––	––	––
4.	बिहार राज्य भंडारण निगम	2000–01	2001–02 2002–03 2003–04	21.09.2004 20.03.2007 03.09.2007	कारण सूचित नहीं किये गये।

स्त्रोत– विधान सभा सचिवालय से प्राप्त सूचना एवं प्र.म.ले. कार्यालय में स्थित सूचना के अनुसार।

उपरोक्त तालिका से देखा जा सकता हे कि तीन सांविधिक निगमों के 32 पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को दो वर्षो से 27 वर्षो तक विधायिका के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया जिसमें बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के दो पृ.ले.प.प्र., बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के 27 पृ.ले.प.प्र. और बिहार राज्य भंडारण निगम के तीन पृ.ले.प.प्र. अभी तक (सितम्बर 2007) पटल पर नहीं रखा गया है। पृ.ले.प.प्र. को पटल पर नहीं रखे जाने के कारण विधायिका इन निगमों पर वित्तीय नियंत्रण रखने में वंचित रही।

सम्बन्धित अधिनियमों के आवश्यकतानुसार राज्य सरकार को पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को विधायिका के समक्ष समय पर प्रस्तुतीकरण हेतु ठोस कदम उठाने चाहिए।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का विनिवेश, निजीकरण और पुर्नगठन

1.23 वर्ष 2006–07 में राज्य सरकार ने अपने किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के विनिवेश, निजीकरण और पुर्नगठन कार्य शुरू नहीं किया। झारखंड राज्य बनने पर सभी सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों/निगमों के पुर्नगठन का कार्य शुरू किया गया। 12 कम्पनियों/निगमों के परिसंपतियों एवं दायित्वों के बंटवारे के साथ–साथ प्रबंधन के बंटवारे का निर्णय सितम्बर 2005 में लिया गया। तथापि केवल चार[1] कम्पनियों/निगमों के संदर्भ में ही इसका कार्यान्वयन किया गया (सितम्बर 2007) जिसका विवरण **परिशिष्ट–8** में निहित है।

भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक द्वारा किए गए सा.क्षे.उ. की लेखापरीक्षा के परिणाम

1.24 अक्टूबर 2006 से सितम्बर 2007 की अवधि में 10 सरकारी कम्पनियों के 16 और तीन सांविधिक निगमों (बि.रा.प.प.नि. बि.रा.वि.नि और बि.रा.भं.नि.) की चार लेखाओं पर भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक द्वारा टिप्पणी निर्गत कि गई। सा.क्षे.उ. के लेखाओं पर महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा आपत्तियों का शुद्ध प्रभाव निम्न प्रकार है :

[1] बिहार राज्य बीज निगम लि., बिहार राज्य भंडार निगम, बिहार राज्य जल विद्युत उर्जा निगम लि. और बिहार राज्य पाठ्य पुस्तक प्रकाशन निगम लिमिटेड

(राशि: रूपये करोड़ में)

विवरण	सरकारी कम्पनियाँ		सांविधिक निगम	
	लेखाओं की संख्या	राशि	लेखाओं की संख्या	राशि
हानि में बढ़ोतरी	11	7.26	4	580.18
हानि में कमी	–	–	1	18.33
आय/व्यय तथा सम्पत्ति एवं देयताओं का गलत वर्गीकरण	–	–	1	8.96
महत्वूपर्ण तथ्यों का अप्रकटन	7	14.10		

स्रोत– लोक उपक्रम को निर्गत टिप्पणी के अनुसार।

1.25 सरकारी कम्पनियों के मामले में पाए गए भूल–चूक

सरकारी कम्पनियों के मामलों में लेखापरीक्षा के क्रम में अवलोकित कुछ महत्वपूर्ण भूल–चूकों को नीचे सारणीबद्ध किया गया है :

(राशि : रूपये करोड़ में)

क्र. सं.	कम्पनीयां का नाम	लेखा का वर्ष	भूल/चूक	राशि (रूपये करोड़ में)
1.	बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपुर्ति निगम लि.	1984–85	निगम के विभिन्न गोदामों में पड़े सड़े हुए 1.34 करोड़ रू मूल्य के गेहुँ एवं चावलों के रहतियों का निरस्तीकरण न करने के कारण उस सीमा तक चालू सम्पतियॉ ऋण एवं अग्रिम अधिक एवं धारा कम दर्शित	1.34
2.	बिहार राज्य पाठ्य पुस्तक प्रकाशन निगम लि.	1996–97	1994–95 से पहले दिए गए अग्रिम जो कि बिना वसूली/समायोजन के बहुत पहले से लाए जा रहे है, का प्रावधान न करने के कारण, 0.34 करोड़ रू से ऋण एवं अग्रिम अधिक दर्शित एवं घाटा कम दर्शित	0.34
3	बिहार राज्य साख एवं विनियोग निगम लि.	2000–01	(1) 21 बंद या बंदीकरण में रहने वाली निगमों के निवेश के मूल्य में हुई गिरावट का प्रावधान न करने के कारण 1.19 करोड़ रूपये से निवेश अधिक व घाटा कम दिखाया गया। (2) बंद, बिमार या बंदीकरण में पड़ी 12 इकाईयों को दिए गए बीज पूँजी सहायता का प्रावधान न करने से 0.93 करोड़ रू से ऋण एवं अग्रिम अधिक तथा घाटा कम दर्शित।	1.19 0.93
4	बिहार राज्य वन विकास निगम लि.		गबन के कारण हुए अवसूलनीय घाटे को लेखा मे न लेने के कारण लाभ हुआ जो कि अन्यथा 0.25 करोड़ रूपये का घाटा होता।	0.25

स्त्रोत– लोक उपक्रम को निर्गत टिप्पणी के अनुसार।

सांविधिक निगमों के मामले में पाए गए भूल–चूक

1.26 सांविधिक निगम के वार्षिक लेखापरीक्षा के दौरान कुछ महत्वपूर्ण भूल–चूकों को निम्न रूप से सारणीबद्ध किया गया है :

क्रमांक	सांविधिक निगमों का नाम	लेखाओं का वर्ष	भूल–चूक	राशि (रूपय करोड़ में)
1.	बिहार राज्य विद्युत बोर्ड	2001–02	1. बिहार राज्य जल विद्युत शक्ति निगम को भुगतेय उर्जा (चालु सत्र 3.27 करोड़ रूपये एवं 2.77 करोड़ रूपये पिछले सत्र) की खरीद के दायित्व को लेखा में न लेने से उर्जा की खरीद तथा घाटा दोनों 6.04 करोड़ रू से कम दर्शित	6.04
			2. नियम के विरूद्ध कोयले के रहतिये में कमी जो कि एम.टी.पी.एस. में जॉच में है को लेखा मे न लेने से 6.34 करोड़ रू से ईंधन रहतिये अधिक तथा घाटा कम दर्शित	6.34
			3. बि.रा.वि.बो. के विभिन्न आपूर्ति अंचल तथा वितरण अंचल में चोरी हुए सामग्रियों को लेखे में न लेने के कारण 1.29 करोड़ रू से अन्य डेविट अधिक तथा घाटा कम दर्शित	1.29
			4. अप्रैल 1983 से मार्च 2002 की अवधि में रूपये 51.83 करोड़ रूपये का नगद लेखा में अधिक क्रेडिट करने से नगद तथा बैंक बैलेंस अधिक तथा परिणमस्वरूप घाटा रूपये 51.83 करोड़ से कम दर्शित ।	51.83
2.	बिहार राज्य पथ परिवहन निगम	2000–01	1. सेवानिवृत/मृत/मार्च 2001 तक अलग हुए कर्मचारी को उपादान, छुट्टी का नगद भुगतान आदि देयों के लिए प्रावधान न करने से 45.30 करोड़ रू की सीमा तक उपादान व हानि राशि कम दर्शाई गई।	45.30
			2. वाणिज्यक विभाग द्वारा अवसूलनीय स्रोत पर कर की कटौती का प्रावधान न करने से हानि कम दर्शाई गई।	7.22
			3. निगम के विरूद्ध पड़े तीसरी पार्टी के 137 दावों के मुआवजे का प्रावधान न करने से प्रावधान तथा घाटा कम दर्शित	3.67

स्त्रोत– लोक उपक्रम को निर्गत टिप्पणी के अनुसार।

बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के कार्यचालन परिणामों का लेखापरीक्षा द्वारा मूल्यांकन

1.27 2003–2004 तक तीन वर्षो के लिए बि.रा.वि.बो. के कार्यचालन परिणामों का लेखापरीक्षा द्वारा किए गए मूल्यांकन पर आधारित तथा बोर्ड के 2002–03 तक वार्षिक लेखाओं पर पृ.ले.प.प्र. में इंगित बड़ी अनियमितताओं तथा भूल–चूक को ध्यान में रखते हुए और सरकार से प्राप्य अर्थ साहाय्य को छोड़कर, बोर्ड का शुद्ध अधिशेष घाटा एवं नियोजित पूँजी के प्रतिफल की प्रतिशत वापसी निम्नलिखित है :

(राशि : रूपये करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	2001–02	2002–03	2003–04
1.	लेखा–पुस्तिका के अनुसार निवल घाटा	12.63	117.73	45.27
2.	राज्य सरकार से सहायिकी	471.80	541.30	668.40
3.	राज्य सरकार से सहायिकी के पूर्व निवल घाटा (1+2)	484.43	659.03	713.67
4.	बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के वार्षिक लेखा पर लेखापरीक्षा की टिप्पणी के फलस्वरूप निवल बचत/(–) घाटा में निवल वृद्धि/ह्रास (–)	521.27	524.38	लेखा परीक्षा समाप्त, टिप्पणियॉं अंतिमिकरण में है।
5.	राज्य सरकार से सहायिकी के पूर्व तथा लेखापरीक्षा की टिप्पणी के अभिघट्टन को लेते हुए विल बचत/(–) घटा (3–4)	1005.70	1183.41	लेखा परीक्षा समाप्त, टिप्पणियॉं अंतिमिकरण में है।
6.	नियोजित पूँजी पर कुल प्रतिफल[1]	(–)2,629.85	93.09	354.81

स्त्रोत– बि.रा.वि.बो. को निर्गत पृ.ले.प.प्र. के अनुसार

आंतरिक अंकेक्षण/आंतरिक नियंत्रण

1.28 सांविधिक लेखापरीक्षकों (सनदी लेखाकारों) को कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 227(4) के अर्न्तगत यह प्रतिवेदन देना है कि निगम के आकार और कार्य की प्रकृति के अनुसार पर्याप्त आन्तरिक नियंत्रण प्रक्रिया लागू है कि नहीं। इसके अतिरिक्त उन्हें कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(3)(क) के प्रावधानों के अर्न्तगत भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक द्वारा जारी निर्देशों के अनुपालन में आंतरिक लेखापरीक्षा/आंतरिक नियंत्रण सहित विभिन्न पहलुओं पर पूरक प्रतिवेदन प्रस्तुत करना है और जिन क्षेत्रों में सुधार की आवश्यकता है उसकी पहचान करनी है। आगे इसी अधिनियम की धारा 292 अ, जो कम्पनी (संशोधन) विधेयक, 2000 के अर्न्तगत संशोधित की गई है, के अनुसार प्रत्येक सार्वजनिक निगम जिसकी प्रदत्त पूँजी पॉंच करोड़ रूपये से कम नहीं है, को आन्तरिक नियंत्रण के अनुपालन, इसकी पर्याप्तता और निदेशक मंडल के समक्ष वित्तीय प्रतिवेदनों को प्रस्तुत करने के पूर्व उसकी समीक्षा को सुनिश्चित करने के लिए लेखापरीक्षा समिति का गठन करना है।

सांविधिक लेखापरीक्षकों में प्राप्त किए गए छः सरकारी कम्पनियों के ऐसे 12 प्रतिवेदनों, जो कि अक्टूबर 2006 से सितम्बर 2007 में अंतिम रूप दिए गए लेखाओं से सम्बन्धित है, के विश्लेषण से प्रकटित हुआ कि पॉंच कम्पनिओं में आंतरिक नियंत्रण प्रणाली अपर्याप्त थी। सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा पाई गई कमियॉं **परिशिष्ट–9** में निहित है।

लोक उपक्रम समिति द्वारा लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (वाणिज्यिक) पर विचार विमर्श की स्थिति

1.29 लोक उपक्रम समिति द्वारा लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (वाणिजियक) पर विचार विमर्श, लोक उपक्रम समिति में समीक्षाओं एवं कंडिकाओं पर विचार विमर्श की सितम्बर 2007 तक की स्थिति निम्नलिखित है :

[1] नियोजित पूँजी पर कुल प्रतिफल निवल अधिशेष/हानि तथा लाभ एवं हानि लेखे पर प्रभारित ब्याज (पूँजीकृत ब्याज को घटाकर) के योग का द्योतक है।

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की अवधि	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में वर्णित समीक्षाओं एवं कंडिकाओं की संख्या		विचार विमर्श के किए गए समीक्षाओं एवं कंडिकाओं की संख्या	
	समीक्षायें	कंडिकायें	समीक्षायें	कंडिकायें
1981–82	5	8	1	8
1982–93	8	18	4	18
1983–84	4	34	2	30
1984–85	3	9	2	8
1985–86	3	21	–	18
1986–87	6	29	–	24
1987–88	5	23	2	17
1988–89	4	44	–	44
1989–90	6	48	–	38
1990–91	4	39	–	36
1991–92	4	49	1	34
1992–93	5	31	–	23
1993–94	3	32	–	28
1994–95	3	19	1	13
1995–96	3	21	1	14
1996–97	3	21	1	4
1997–98	2	25	–	2
1998–99	6	15	–	–
1999–2000	3	15	1	–
2000–01	2	13	–	–
2001–02	3	9	–	–
2002–03	3	7	–	–
2003–04	3	10	–	–
2004–05	3	9	1	6
2005.06	3	9	–	–
कुल –	97	558	17	365

स्त्रोत : प्र0 म0 ले0 कार्यालय में स्थित सूचनाओं के अनुसार

619–बी कम्पनियॉं

1.30 कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा–(बी) के अर्न्तगत आठ कम्पनियॉं थी, जिनमें से छः कम्पनियों ने प्रारम्भ से ही अपने लेखाओं का अन्तिमीकरण नहीं किया तथा सोन कमाण्ड एरिया डेवलपमेंट एजेन्सी (स्काडा) ने बंदी हेतु सितम्बर 2000 में माननीय उच्च न्यायाल, पटना में आवेदन दाखिल किया। इन कम्पनियों के नवीनतम लेखाओं के आधार पर प्रदत्त पूँजी, अंश पूँजी के रूप में निवेश, ऋण एवं अनुदानों तथा संक्षिप्त कार्यचालन प्रणाली की विस्तृत विवरणी **परिशिष्ट–10** में निहित है।

अध्याय – II

सरकारी कम्पनियों से सम्बन्धित निष्पादन समीक्षा

2.1 बिहार राज्य जल विद्युत शक्ति निगम लि. के परियोजना कार्यान्वयन तथा उत्पादन कार्य पर निष्पादन समीक्षा।

मुख्य अंश

राज्य में जल विद्युत शक्ति की योजना बनाने, उसे प्रोन्नत करने तथा उसका विकास करने के लिये कम्पनी को मार्च 1982 में निगमित किया गया। दशम् पंचवर्षीय योजना की अवधि में प्रस्तावित 23.5 मेगावाट की क्षमता वृद्धि के विरूद्ध, कम्पनी ने छोटी जल विद्युत शक्ति की क्षमता में 2 मेगावाट (0.85 प्रतिशत) की वृद्धि की।

(कंडिका 2.1.1 एवं 2.1.9)

राजस्व प्राप्ति तथा राजस्व व्यय, पूंजीगत प्राप्ति तथा पूँजीगत व्यय के अन्तर्गत वार्षिक वित्तीय बजट आकलन वास्तविक नहीं था जिसके फलस्वरूप संसाधन गतिशीलता न्यून रही और चालू परियोजनाओं के कार्यान्वयन में विलम्ब हुआ।

(कंडिका 2.1.8)

17 लघु जल विद्युत शक्ति परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए समय पर अंशदान मुक्त करने में राज्य सरकार की विफलता के कारण, एक भी परियोजना को निर्धारित समय–अनुसूची के भीतर पूरा करने में कम्पनी असमर्थ थी। इस प्रकार, उत्पादन में हुई क्षति के कारण कम्पनी को प्रतिवर्ष 23.64 करोड़ रू. के विचार किये गये सम्भावित राजस्व से वंचित होना पड़ा।

(कंडिका 2.1.15)

अगनूर (61 महीने) और ढ़ेलाबाग (25 महीने) लघु जल विद्युत शक्ति परियोजनाओं के कार्यान्वयन में हुए समय आधिक्य के कारण अगनूर में 5.43 करोड़ रू. का तथा ढ़ेलाबाग में 2.94 करोड़ रूपये का लागत अधिव्यय हुआ।

(कंडिका 2.1.18, 2.1.19 और 2.1.27)

पूर्णता की छोटी अवधि, अर्थात् 48 महीनों के बदले 27 महीने, की उपेक्षा किये जाने के कारण, त्रिवेणी लिंग कैनाल पावर स्टेशन, वाल्मीकिनगर का कार्य आवंटन किये जाने से 4.61 करोड़ रू. का अतिरिक्त व्यय हुआ।

(कंडिका 2.1.28)

एस्केप चैनलों का निर्माण नहीं किये जाने के कारण सिंचाई रहित मौसम की अवधि में जल का उपयोग नहीं किया सका और उत्पादन इकाइयों बन्द रहीं, जिसके परिणामस्वरूप वर्ष 2002–07 की अवधि में 35.03 करोड़ रू. मूल्य के 175.17 मिलियन यूनिट सम्भावित उत्पादन की क्षति हुई।

(कंडिका 2.1.33)

क्रास रेगुलेटरों पर लगे कपाट स्वचालित नहीं रहने के कारण, इस आशंका के अधीन कि आपातकाल में बहुत कम समय में कपाट का संचालन हाथों से नहीं किया जा सकेगा और इसके कारण नहर में दरार पड़ सकती है, परियोजनाओं को कभी भी वांछित रूप से पानी से नहीं भरा गया। इसके परिणामस्वरूप वर्ष 2002–07 की अवधि में 62.87 करोड़ रू. मूल्य के 314.37 मिलियन यूनिट सम्भाव्य उत्पादन की क्षति हुई।

(कंडिक 2.1.33)

परियोजनाओं में पूरक खपत, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा निर्धारित मानकों से अधिक होने के परिणामस्वरूप 1.75 करोड़ रू. मूल्य के 8.76 मिलियन यूनिट का अधिक पूरक खपत हुआ।

(कंडिका 2.1.34)

ऊर्जा विपत्रों के भुगतान के लिए शर्तों और उपबन्धों के सम्बन्ध में बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के साथ किसी एकरारनामा के अभाव में लम्बित राजस्व 3.65 करोड़ रू. और 28.24 करोड़ रू. के बीच चलता रहा जिसके परिणामस्वरूप वर्ष 2002–07 की अवधि में 2.40 करोड़ रू. के ब्याज की हानि हुई।

(कंडिका 2.1.37)

परिचय

2.1.1 बिहार राज्य जल विद्युत शक्ति निगम लि. (कम्पनी) को, कम्पनी अधिनियम 1956 के अन्तर्गत राज्य सरकार की एक्नम पूर्णतया स्वामित्व प्राप्त कम्पनी के रूप में निगमित किया गया (मार्च 1982)। राज्य में जल विद्युत शक्ति के विकास के लिए ऊर्जा परियोजनाओं से सम्बन्धित सभी गतिविधियों की योजनाएँ बनाना, उन्हें प्रोन्नत करना तथा उनका संचालन करना कम्पनी का मुख्य उद्देश्य था। कंपनी का गठन किये जाने के समय जल विद्युत शक्ति की सम्भाव्य क्षमता 1,890 मेगावाट ऑकी गयी थी (बड़े हाईडल 1,700 मेगावाट और छोटे हाईडल 190 मेगावाट)। बिहार राज्य में से झारखण्ड राज्य का गठन (नवम्बर 2000)किये जाने के साथ बिहार एवं झारखण्ड के बीच उपलब्ध सम्भाव्य जल विद्युत क्षमता निम्नलिखित रूप में थी :–

(मेगावाट में)

श्रेणी	बिहार	झारखण्ड	कुल
बड़ा	450	1,250	1,700
छोटा	150	40	190
कुल	**600**	**1,290**	**1,890**

स्त्रोत : कम्पनी का वार्षिक प्रतिवेदन।

बिहार राज्य के लिए निर्धारित (150 मेगावाट) छोटी जल विद्युत शक्ति परियोजनाओं में कटैया स्थित 20 मेगावाट शक्ति परियोजना सम्मिलित है, जिसका प्रशासनिक एवं तकनीकी नियन्त्रण बिहार राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा जून 2003 में कम्पनी को हस्तान्तरित किया गया।

कम्पनी का प्रबन्धन निदेशक मंडल (बोर्ड आफ डयरेक्टर्स) में निहित है जिसमें राज्य सरकार द्वारा नियुक्त प्रबन्ध निदेशक को सम्मिलित करते हुए चार से अधिक और सात से कम निदेशक होते हैं। 31 मार्च 2007 को इसमें प्रबन्ध निदेशक सहित पॉच निदेशक थे। प्रबन्ध निदेशक कम्पनी का मुख्य कार्यपालक होता है जिसकी सहायता मुख्य

अभियंता (विद्युत) अधीक्षण अभियन्ता (सिविल), वित्तीय परामर्शी तथा निदेशक (कार्मिक एवं प्रशासन) द्वारा की जाती हैं।

इससे पहले कम्पनी के निष्पादन कार्यो की समीक्षा की गयी थी उसे 31 मार्च 2002 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लेखा परीक्षा प्रतिवेदन (वाणिज्यिक), बिहार सरकार में प्रतिवेदित किया गया था। तथापि, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की समिति ने प्रतिवेदन पर अभी तक विचार विमर्श नहीं किया है (सितम्बर 2007)।

लेखा परीक्षा का क्षेत्र

2.1.2 वर्तमान समीक्षा, पूर्ण हो चुकी/चल रही परियोजनाओं के कार्यान्वयन तथा 31 मार्च 2007 को समाप्त हुए पॉच वर्षो की अवधि में कार्यरत छः[1] परियोजनाओं के उत्पादन निष्पादनों का विवरण प्रस्तुत करती है। कम्पनी की गतिविधियों की समीक्षा फरवरी 2007 से मई 2007 की अवधि में की गई जिसमें मुख्यालय कार्यालय, काम कर रही सभी छः परियोजनाओं तथा पॉच[2] निर्माणाधीन परियोजनाओं (24[3] में से) को सम्मिलित किया गया जिनका चयन लेखांकित व्यय तथा परियोजनाओं को पूरा किये जाने की सीमा के आधार पर किया गया।

लेखापरीक्षा उद्देश्य

2.1.3 बिहार राज्य जल विद्युत शक्ति निगम लि. के परियोजना कार्यान्वयन एवं उत्पादन क्रिया कलापों की निष्पादन लेखा परीक्षा यह आंकने के लिए की गई कि क्याः–

- उत्पादन करने वाले स्टेशनों का परिचालन और संधारण मितव्ययिता पूर्वक और दक्षतापूर्वक किया जा रहा है;
- उत्पादन करने वाले स्टेशनों और उत्पादित उर्जा को हटाये जाने से सम्बन्धित कार्यो का परिचालन और संधारण दक्ष है;
- जल विद्युत शक्ति परियोजनाओं का कार्यान्वयन प्रभावकारिता, दक्षता और मितव्ययितापूर्वक किया गया है;
- जल विद्युत शक्ति परियोजनाओं के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में एक उचित और प्रभावकारी निदेशन प्रणाली तैयार की गई है और उसका अनुसरण किया गया है;
- आन्तरिक नियंत्रण यंत्रावलि कार्य कुशल और प्रभावकारी था।

लेखापरीक्षा मापदण्ड

2.1.4 लेखा परीक्षा उद्देश्यों की उपलब्धियों का आकलन करने के लिए विचारित मापदण्ड निम्नलिखित थे :–

- विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनों में दिये गये सिद्धान्त;
- कम्पनी की निर्धारित क्रय कार्यविधियॉ;

[1] अगनूर, बरूण, डेहरी आन सोन, धेलाबाग, कटैया और बाल्मीकिनगर
[2] चान्डिल, जयनगर, नासरीगंज, तेनू बोकारो और त्रिवेणी
[3] (17 नाबार्ड परियोजनाएँ – एक चालू किया गया + झारखण्ड स्थित आठ परियोजनाएँ)

- केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सी.ई.ए.), गैर पारम्परिक ऊर्जा श्रोतों (एम.एन.ई.एस.) आदि द्वारा निर्गत तकनीकी मूल्यांकन/दिशा निदेश;
- पर्ट (पी.ई.आर.टी.) चार्ट/पुनरीक्षित पर्ट चार्ट, यदि कोई हो;
- प्रबन्धन द्वारा निर्धारित उत्पादन लक्ष्य;
- ऊर्जा विक्रय के लिए बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के साथ अनुबन्ध की शर्ते और उपबन्ध।

2.1.5 लेखापरीक्षा पद्धति

2.1.5 लेखा परीक्षा उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित छः कार्य पद्धतियॉ अपनायी गयी थी और इनमें निम्नांकित की जॉच सम्मिलित थी :–

- विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डी.पी.आर.), संविदाकार के साथ हुए अनुबन्ध, क्रय समितियों का कार्यवृत्त;
- बोर्ड की बैठकों की कार्यसूची एवं कार्यवृत और निधि देने वाली एजेन्सियों की निगरानी (अवलोकन);
- मासिक उत्पादन प्रतिवेदन, त्रुटियों की पंजी, अनुरक्षण (देख–रेख) करने की संविदाऍ, और उर्जा की बिक्री के लिए बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के साथ अनुबन्ध;
- लेखा परीक्षा पृच्छाओं का प्रेषण और विभिन्न स्तरों पर प्रबन्धन के साथ पारस्परिक क्रिया।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

2.1.6 कम्पनी के परियोजना कार्यान्वयन तथा उत्पादन निष्पादन पर प्राप्त लेखा परीक्षा निष्कर्ष सरकार/प्रबन्धन को मई 2007 में प्रतिवेदित किये गये थे और इस पर 27 अगस्त 2007 को सम्पन्न, राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए लेखा परीक्षा समीक्षा समिति (ए.आर.सी.पी.एस.ई.) की बैठक में विचार–विमर्श किया गया, जिसमें कम्पनी के प्रबन्ध निदेशक ने भाग लिया। समीक्षा को अन्तिम रूप देते समय प्रबन्धन द्वारा व्यक्त दृष्टिकोणों पर विचार किया गया है।

लेखा परीक्षा निष्कर्षो की चर्चा उत्तरवर्ती कंडिकाओं में की गई हैं।

परियोजनाओं की योजना बनाना

2.1.7 सर्वेक्षण तथा जॉच पड़ताल के आधार पर कम्पनी बाहर की एजेन्सियों से विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार करवाती है। निविदाऍ आमंत्रित करने के पश्चात् बोली लगाने वालें द्वारा दर उद्धृत किये जाने से पूर्व उन्हें आधारभूत वास्तविकताओं का अध्ययन करने के लिये कहा गया। दर प्राप्त होने के बाद, अल्टरनेट हाईड्रों एनर्जी सेन्टर (ए.एच.ए.सी.), आई.आई.टी. रूड़की (कम्पनी का परामर्शी होने के नाते) इन दरों का मूल्यांकन तकनीकी एवं वित्तीय दोनों प्रकार से, करता हैं। इसके बाद कम्पनी संविदा का आवंटन करती है। संविदा का आवंटन किये जाने के बाद प्रत्येक गतिविधि के रेखा चित्रों का अनुमोदन भी अल्टरनेट हाईड्रों एनर्जी सेन्टर द्वारा किया जाता हैं।

वित्तीय बजट

2.1.8 राजस्व/पूँजीगत प्राप्तियों और व्ययों पर निगरानी रखने के लिए, कम्पनी ने वार्षिक बजट तैयार किया। मार्च 2007 में समाप्त पॉच वर्षो के लिये परियोजित राजस्व प्राप्तियों, वास्तविक राजस्व प्राप्तियों, परियोजित पूँजीगत व्यय और वास्तविक पूँजीगत व्यय का विवरण **परिशिष्ट–11** में दिया गया हैं।

परिशिष्ट–11 प्रगट करता है कि राजस्व प्राप्ति, राजस्व व्यय, पूँजीगत प्राप्ति और पूंजीगत व्यय के अन्तर्गत बजट आकलन अवास्तविक था।

- राजस्व प्राप्ति का आकलन सभी वर्षो में (–) 60.40 प्रतिशत और 28.91 प्रतिशत के बीच चढ़ता उतरता रहा। पूर्ववर्ती वर्षो के लिये राजस्व प्राप्तियों का आकलन करने के लिये पिछले वर्षो के वास्तविक ऑकड़ों को लेखा में नहीं लिया गया। वास्तविक वसूली 12.88 प्रतिशत से 90.79 प्रतिशत तक बदलती रही। मार्च 2007 के अन्त में लम्बित राजस्व 13.50 करोड़ रू. था। यह दर्शाता है कि राजस्व वसूली कम थी।

- आकलित राजस्व व्यय वर्ष दर वर्ष बदलता रहा तथा (–) 20.51 और 88.08 प्रतिशत के बीच घूमता रहा और पिछले वर्ष के वास्तविक आंकड़ों से सम्बन्धित नहीं था। वास्तविक राजस्व व्यय भी 46.44 और 52.55 प्रतिशत के बीच बदलता रहा जो स्थापना पर हुए व्यय के बाद विद्यमान परिसम्पतियों के अपर्याप्त रख–रखाव को दर्शाता हैं।

- पूंजीगत प्राप्ति आकलन सभी वर्षो में (–) 5.26 और 109.51 प्रतिशत के बीच चढ़ता उतरता रहा। पूर्ववर्ती वर्षो के पूंजीगत प्राप्ति का आकलन करने के लिए पिछले वर्षो के वास्तविक आंकड़ों को लेखा में नहीं लिया गया था। वास्तविक वसूली 6.27 और 61.45 प्रतिशत के बीच बदलती रही। मार्च 2007 के अन्त में लम्बित पूंजीगत प्राप्ति 47.17 करोड़ रू. थी। यह दर्शाता है कि पूंजीगत प्राप्ति अपर्याप्त थी।

- पूंजीगत व्यय आकलन भी सभी वर्षो में (–) 0.98 से लेकर 34.70 प्रतिशत तक चढ़ता उतरता रहा और पिछले वर्ष के वास्तविक आंकड़ों से सम्बन्धित नहीं था। वास्तविक पूंजीगत व्यय भी 11.11 और 26.17 प्रतिशत के बीच बदलता रहा जो असन्तोषजनक योजना के फलस्वरूप चालू परियोजनाओ/पूंजीगत कार्यो में धीमी प्रगति दर्शाता था।

परियोजनाओं का समग्र भौतिक लक्ष्य तथा उपलब्धि

2.1.9 कम्पनी ने, दसवीं पंचवर्षीय योजना (2002–07) की अवधि में छोटी जल विद्युत शक्ति परियोजनाओं (एस.एच.पी.पी.) में परिवर्धन करके/नये संयंत्रों को चालू करके और कार्य कर रही सभी तीन संयंत्रों में सुधार/आधुनिकीकरण करके, क्षमता में 23.5 मेगावाट की वृद्धि का प्रस्ताव रखा किन्तु मार्च 2007 के अन्त तक कम्पनी इसकी क्षमता में केवल 2 मेगावाट (0.85 प्रतिशत) की वृद्धि कर सकी।

प्रबन्धन ने बतलाया (सितम्बर 2007) कि दसवीं योजना अवधि में कम्पनी ने उन क्रिया कलापों को आगे बढ़ाया जिनसे सम्बन्धित योजनाओं पर आठवीं और नवमी योजना अवधि में पहल किये गये थे, और क्षमता में कुल 16 मेगावाट की अभिवृद्धि की गयी। यह जवाब तर्क संगत नहीं है, क्योंकि आठवीं और नवमी योजनाओं से आगे की परियोजनाओं को दसवीं योजना के प्रक्षेपित आकलन में सम्मिलित नहीं किया गया था।

तथापि, यह तथ्य है कि दसवीं योजना अवधि में केवल 2 मेगावाट, न कि 16 मेगावाट, क्षमता की वृद्धि की गयी।

- नाबार्ड द्वारा निधि प्रदत्त 17 परियोजनाओं में से एक भी परियोजना को निर्धारित तिथि (मार्च 2005) तक पूरा नहीं किया गया। धेलाबाग परियोजना को अगस्त 2006 में पूरा किया गया। मर्च 2007 में समाप्त पॉच वर्षो के दौरान अन्य परियोजनाओं की भौतिक प्रगति (सिविल तथा विद्युत/यांत्रिक कार्य) 6.06 और 96 प्रतिशत के बीच रही जबकि किया गया व्यय 2.24 और 100 प्रतिशत के बीच रहा, जिसका विवरण **परिशिष्ट–12** में दिया गया है।

झारखण्ड राज्य स्थित परियोजनाओं की भौतिक प्रगति 20 और 90 प्रतिशत के बीच थी जबकि पुनरीक्षित लागत के प्रति किया गया व्यय 6.20 और 83 प्रतिशत के बीच था, जैसा कि **परिशिष्ट–13** में दिया गया हैं। परियोजनाओं को पूरा किये जाने की सबसे पुरानी मूल निर्धारित तिथि दिसम्बर 1992 थी और पूरा किये जाने की सबसे बाद की निर्धारित तिथि मई 2001 थी, तथापि मार्च 2007 तक एक भी परियोजना पूरी नहीं की गयी थी यद्यपि दो परियोजनाओं को पूरा किये जाने की निर्धारित तिथि को दिसम्बर 2001 और मार्च 2002 तक के लिये पुनरीक्षित किया गया था।

परियोजना कार्यान्वयन

2.1.10 विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन की तैयारी, निविदा आमंत्रण उनका मूल्यांकन, कार्यादेश निर्गमन और विभिन्न परियोजनाओं के सम्पादन से परियोजना कार्यान्वयन तक की प्रक्रिया की नमूना जॉच से निम्नलिखित त्रुटियों का पता चला, जिनकी चर्चा आगामी कंडिकाओं में की गई हैं :–

- समय एवं लागत अधिव्यय;
- निविदाओं के प्रक्रियान्वयन और कार्य आवंटन में विलम्ब;
- निविदित मात्राओं का गलत आकलन;
- प्रवृति करण अग्रिम (मोबिलाईजेशन एडवान्स) के समयोजन में असाधारण विलम्ब;
- निविदाओं का त्रुटिपूर्ण मूल्यांकन

नाबार्ड द्वारा निधि प्रदत्त परियोजनाऐं

2.1.11 नाबार्ड ने 90.79 करोड़ रू. की पूंजीगत धन राशि (कम्पनी की अपनी निधि से कम्पनी द्वारा पहले से ही व्यय की जा चुकी 2.10 करोड़ रू. के अतिरिक्त, 60.15 करोड़ रू. नाबार्ड से ऋण, 28.54 करोड़ रू. राज्य सरकार का अंशदान) और 31 मार्च 2005 की पूर्णता तिथि के साथ 17 परियोजनाओं (परिशिष्ट–12 में दिये गये विवरण के अनुसार) को संस्वीकृत किया (मई 2005)।

इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन की लेखा परीक्षा द्वारा की गई संवीक्षा से निम्नलिखित बातों का पता चला :–

परियोजनाओं के लिये निधि व्यवस्था

2.1.12 नाबार्ड ने 60.15 करोड़ रू. का ऋण संस्वीकृत किया (मई 2003), परन्तु राज्य सरकार ने इन 17 परियोजनाओं को प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान करने में विलम्ब किया

(जनवरी 2004)। संस्वीकृति पत्र की शर्तो के विपरीत राज्य सरकार ने अपने बजट में कोई प्रावधान नहीं किया और 28.54 करोड़ रू. का अंशदान मुक्त करने में चूक किया, (2002–03 से 2004–05)। नाबार्ड ने 60.15 करोड़ रू. की वचनबद्ध राशि के विरूद्ध केवल 26.40 करोड़ रू. विमुक्त किये (मार्च 2005 तक)। निम्नलिखित तालिका नाबार्ड/राज्य सरकार द्वारा, नवम्बर 2006 तक विमुक्त ऋण की राशि और कम्पनी द्वारा किये गये व्यय की स्थिति दर्शाती हैं।

राशि : करोड़ रू. में

क्र.सं.	वर्ष	नाबार्ड ऋण	प्राप्त राशि		व्यय
			राज्य सरकार से	नाबार्ड से	
1.	2002–03	6.02	–	–	2.46[1]
2.	2003–04	36.09	–	23.38	2.37
3.	2004–05	18.04	–	3.02	10.31
4.	2005–06	–	8.45	–	11.48
5.	2006–07 (नवम्बर 06)	–	17.75	4.98	11.80
	कुल –	60.15	26.20	31.38	38.42

स्त्रोत : वार्षिक बजट/नाबार्ड संचिकाएँ

ऊपर दी गई तालिका से देखा जायेगा कि पूर्णता की निर्धारित तिथि तक (मार्च 2005) 17 परियोजनाओं के लिये नाबार्ड द्वारा केवल 26.40 करोड़ रू. की राशि विमुक्त की गयी थी जिसके विरूद्ध कम्पनी ने केवल 15.14 करोड़ रू. का व्यय किया। कंपनी ने मार्च 2005 की निर्धारित तिथि के अन्दर 17 परियोजनाओं में से किसी भी परियोजना को पूरा नहीं किया था। केवल धेलाबाग परियोजना को चालू किया गया था (अगस्त 2006)।

चूंकि कम्पनी अपने आन्तरिक संसाधनों से राजस्व का उत्पादन नहीं कर सकी, जैसे कि ऊर्जा की बिक्री के लिये बिहार राज्य विद्युत बोर्ड से वसूली, और राज्य सरकार की वचनबद्धता को पूरा करने के लिये प्रभावपूर्ण ढ़ंग से राज्य सरकार का अनुसरण नहीं कर सकी, चालू परियोजनाओं को समय पर निष्पादित किये जाने में वित्तीय दबाव एक बड़ी रूकावट बनी रही।

इसके अतिरिक्त कम्पनी ने ब्याज की एक भी किश्त का भुगतान नहीं किया थ। नाबार्ड से प्राप्त किये गये ऋण पर मार्च 2007 तक 5.18 करोड़ रूपये का ब्याज बकाया था।

परियोजनाओं की स्थिति

2.1.13 17 परियोजनाओं की भौतिक और वित्तीय प्रगति **परिशिष्ट–12** में दी गयी है। **परिशिष्ट–12** इंगित करता है कि आठ[2] परियोजनाओं को छोड़कर शेष परियोजनाओं की वित्तीय प्रगति बहुत खराब थी और 2.24 और 37.01 प्रतिशत के बीच अस्थिर थी।

हालॉकि कम्पनी ने, इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन में हुए विलम्ब के कारणों का विश्लेषण नहीं किया था, तथापि लेखा परीक्षा संवीक्षा से पता चला कि परियोजनाओं को पूरा किये जाने में हुए विलम्ब में निम्नलिखित कारकों ने योगदान किया था :–

[1] कम्पनी द्वारा 1 अप्रैल 2002 के पहले खर्च किया गया 2.10 करोड़ रू. सम्मिलित था।

[2] अरवल, धेलाबाग, जैनागारा, नासरीगंज, सेलारी, शिरखिन्डा, तेजपुरा और त्रिवेणी छोटी जला विद्युत शक्ति परियोजनाएँ (एस.एच.पी.पी.)।

- प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान करने और नाबार्ड के संस्वीकृति पत्र में निहित शर्तो एवं उपबधों को स्वीकार करने में राजस्व सरकार द्वारा विलम्ब;
- बजट में राज्य के अंश का प्रावधान नहीं किया जाना;
- राज्य सरकार का अंशदान विमुक्त करने में विलम्ब;
- निविदा आमन्त्रित किये जाने और उनका प्रक्रियान्वयन किये जाने में, तथा संविदाकारों के साथ अनुबन्ध को अन्तिम स्वरूप दिये जाने में विलम्ब।

प्रबन्धन ने बताया (सितम्बर 2007) कि राज्य सरकार द्वारा प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान किये जाने में विलम्ब नहीं हुआ था और प्रत्येक माह के द्वितीय शुक्रवार को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति द्वारा इन परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की जाती थी। प्रबन्धन की योजना इन परियोजनाओं को मार्च 2008 तक पूरा करने की हैं। यह उत्तर मान्य नहीं है, क्योंकि नाबार्ड ने 17 परियोजनाओं को मई 2003 में संस्वीकृत किया था और राज्य सरकार ने प्रशासनिक अनुमोदन जनवरी 2004 में प्रदान किया था, अतः परियोजनाओं में विलम्ब होना पूर्व निर्धारित था। इसके अतिरिक्त बैठकों के कार्यवृत की प्रति न तो लेखा परीक्षा को दिखलायी गई और न ही जबाब के साथ संलग्न पाया गया।

समय और लागत अधिव्यय

2.1.14 90.79 करोड़ रू. की प्राक्कलित लागत (मई 2003) के विरूद्ध, पुनरीक्षित लागत (दिसम्बर 2006) 108.39 करोड़ रू. थी **(परिशिष्ट–12)**। इस प्रकार 17.60 करोड़ रू. की वृद्धि का वहन, नाबार्ड द्वारा उल्लिखित शर्तो के अनुसार राज्य सरकार द्वारा इसके बजटीय प्रावधान में से किया जाना था। छः[1] परियोजनाओं से सम्बन्धित प्राक्कलित लागत (31.49 करोड़ रू.) का पुनः पुनरीक्षण किया जा रहा है (मार्च 2007)। इससे परियोजनाओं की पुनरीक्षित लागत में अतिरिक्त वृद्धि होगी।

13 परियोजनाओं में अत्यल्प भौतिक प्रगति के आलोक में **(परिशिष्ट–12)** इनके पूरा होने पर पूंजीगत परिव्य में वृद्धि होना निश्चित था।

परिशिष्ट–14 निविदाओं, अनुबन्धो और परियोजनाओं के कार्यान्वयन में विलम्ब का ब्यौरा प्रस्तुत करता है :–

- **परिशिष्ट–14** प्रगट करता है कि यद्यपि सभी 17 परियोजनाओं के विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन, नाबार्ड द्वारा ऋण संस्वीकृत किये जाने (मई 2003) के पूर्व ही तैयार थे, प्रबन्धन ने आठ[2] परियोजनाओं के सम्बन्ध में 5 और 31 महीनों के बीच हुए विलम्ब के बाद निविदाएँ आमन्त्रित किया। नाबार्ड द्वारा ऋण संस्वीकृत किये जाने के पूर्व 17 परियोजनाओं में से 9[3] परियोजनाओं में निविदाएँ आमन्त्रित की गयी थी। प्रबन्धन ने 15 परियोजनाओं के सम्बन्ध में संविदाकारों के साथ अनुबन्ध पर हस्ताक्षर करने में भी 8 से 68 महीनों का विलम्ब किया। दो संविदाकारों को निर्गत उद्देश्य–पत्र (लेटर आफ इन्टेन्ट) रद्द किये गये और नयी निविदाएँ आमन्त्रित की गई (मार्च 2007)। लेखा परीक्षा ने देखा कि निविदाओं के प्रक्रियान्वयन में हुए विलम्ब में निम्नलिखित विन्दुओं ने योगदान किया था।

[1] अमेठी, देहरा, नटवर, पहरमा, रामपुर और सिपाहा लघु जल विद्युत शक्ति परियोजनाएँ।

[2] अमेठी, अरवल, बेलसर, नटवर, राजापुर, रामपुर, तेजपुर और वलीदाद लघु जल विद्युत शक्ति परियोजनाएँ

[3] ढेहरा, ढेलाबाग, जयनगर, नासरीगंज, पहरमा, सेबारी, शिरखिन्डा, सिपाहा और त्रिवेणी ल.ज.वि.श. परियोजनाएँ

- सिपाहा और ढेहरा के लिये आमन्त्रित निविदाएँ (अप्रील 2001) संशोधित की गई थी और इन्हें अन्ततः मई 2003 में खोले जाने के पहले निविदाएँ खोलने की तिथियों को 14 बार आगे बढ़ाया गया था। इन दो मामलों में पावर विजय लि. (पी.भी.एल.) को उद्देश्य पत्र निर्गत किये गये थे (अगस्त 2004), हालांकि इसने निविदा में भाग नहीं लिया था। इसके सहयोगी प्रतिष्ठान निप्पोन पावर लि. ने निविदाओं में भाग लिया था। इसके अतिरिक्त पावर विजन लि. ने परियोजना का निष्पादन नहीं किया और उसे दंडित भी नहीं किया गया। कम्पनी ने संविदाकार को निर्गत उद्देश्य पत्र (लेटर आफ इन्टेन्ट) रद्द किया (मार्च 2007) और निर्माण पूर्व सर्वेक्षण और जॉच के लिए 6.50 लाख रू0 विमुक्त किया।

- पहाड़मा लघु जल विद्युत शक्ति परियोजना के कार्यान्वयन के लिए निविदाएँ आमंत्रित की गई थी (अप्रैल 2001) और उन्हें खोला गया था (मई 2003) और बियको लावरी लिमिटेड (बी.एल.एल.) (केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम) को उद्देश्य पत्र निर्गत किया गया था (जून 2004)। तथापि, बियकों लावरी लि. ने कार्य निष्पादन करने से इस बहाने से इनकार कर दिया कि कम्पनी ने निविदा प्रक्रियान्वयन मे विलम्ब किया था जिसके फलस्वरूप लागत में वृद्धि हुई थी, जिसके लिये उद्देश्य पत्र (लेटर आफ इन्टेन्ट) में कोई प्रावधान नहीं किया गया था। कम्पनी ने उद्देश्य पत्र रद्द कर दिया (अक्टूबर 2005) और सिविल तथा विद्युत/यांत्रिक कार्यो का निष्पादन करने के लिए अलग–अलग नयी निविदाएँ आमंत्रित की (फरवरी 2006) और कार्य का आवंटन अक्टूबर/नवम्बर 2006 में किया गया। विलम्ब के कारण कार्य की लागत में वृद्धि नहीं हुई थी। तथापि, कार्य का आवंटन किये जाने में हुए 61 महीनों के अत्यधिक विलम्ब के परिणाम स्वरूप लक्ष्यगत जन संख्या को लाभ मिलने में अनुवर्ती विलम्ब होगा।

- चार[1] लघु जल विद्युत शक्ति परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए निविदाएँ आमंत्रित करने में पॉच महीने और उन्हें खोलने तथा कार्य का आवंटन किये जाने में 16 महीनों के विलम्ब के बाद अनुबन्धों पर हस्ताक्षर किये गये (अगस्त 2004 से अक्टूबर 2004)। कार्य के लिये अनुबन्ध/प्रवृतिकरण अग्रिम विमुक्त किये जाने के आठ महीनों के भीतर कार्य पूरा किया जाना था। संविदाकारों ने मार्च 2005 तक प्रवृत्ति करण अग्रिम की मांग नहीं की। यहां यह उल्लेख करना प्रसंगानुकूल है कि राज्य जल संसाधन विभाग (डब्लु.आर.डी.) ने परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए 15 महीनों के विलम्ब के बाद जनवरी 2006 में औपचारिक आदेश निर्गत किया। इन कार्यो को पूरा करने के लिये दिसम्बर 2007 और मार्च 2008 के बीच निर्धारित पूर्णता तिथि के साथ, ये कार्य प्रगति में हैं।

सम्भावित उत्पादन की क्षति

नाबार्ड द्वारा निधि प्रदत्त लघु जल विद्युत शक्ति परियोजनाओं को समय पर पूरा नहीं किये जाने से हुइ संभाव्य उत्पादन क्षति के कारण कम्पनी को 23.64 करोड़ रू. की विचारित वार्षिक राजस्व से वंचित होना पड़ा।

2.1.15 कम्पनी ने मार्च 2005 तक में, 16.75 मेगावाट की हाईडल उत्पादन क्षमता को बढ़ाने तथा इन 17 परियोजनाओं के व्यापारिक प्रचालन के चार वर्षो के भीतर पूंजीगत लागत वसूलने का विचार किया। तथापि कम्पनी इन परियोजनाओं से जुलाई 2006 तक जल विद्युत शक्ति का एक किलोवाट भी बढ़ाने में समर्थ नहीं हुआ। इस प्रकार सम्भावित उत्पादन (118.24 मि.यू.×2 रूपये) की क्षति के कारण कम्पनी को प्रतिवर्ष 23.64 करोड़ रू. के विचारित सम्भावित राजस्व से वंचित होना पड़ा। जनता को एक उपयुक्त दर पर बिजली दिये जाने का सामाजिक लक्ष्य भी विफल हो गया।

[1] बलीदाद, अरवल, सेवारी और तेजपुरा।

पूंजीगत आर्थिक सहायता (गैर पारम्परित ऊर्जा श्रोत मंत्रालय)

2.1.16 लघु विद्युत शक्ति परियोजनाओं के विकास को गतिमान करने के लिये गैर पारम्परिक ऊर्जा श्रोत मंत्रालय (एम.एन.ई.एस.) ने एक योजना बनायी (जुलाई 2003)। एक मेगावाट और 25 मेगावाट के बीच चल रही परियोजनाओं के सम्बन्ध में राज्य के समतल भूमि क्षेत्र एवं अन्य क्षेत्रों के लिए पूंजीगतम आर्थिक सहायता की मात्रा परियोजना की लागत का 40 प्रतिशत था और 1.5 करोड़ रू. तथा 25 लाख रू. प्रति मेगावाट के योग तक सीमित था। पूंजीगत आर्थिक सहायता का उपयोग करने के लिये, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण/केन्द्रीय जल आयोग (सी.ई.ए./सी.डब्ल्यू.सी.) के दिशा निदेशों के अनुरूप परियोजना कार्यान्वयन के विविध पहलुओं को आवरित करते हुए और हाल के लागत प्राक्कलनों को समावेशित करते हुए, कम्पनी द्वारा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डी.पी.आर.) की दो प्रतियॉ समर्पित किया जाना वांछित था जो दो वर्षो से अधिक पुराने न हो (समर्पित किये जने की तिथि के पहले)।

कम्पनी द्वारा तैयार किये गये (जून 1986 और अप्रील 2000) विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनों के आधार पर नाबार्ड ने 17 लघु विद्युत शक्ति परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए 60.15 करोड़ रू. का ऋण संस्वीकृत किया, (मई 2003)।

पूंजीगत आर्थिक सहायता का दावा करने के लिए गैर–पारम्परिक ऊर्जा श्रोत मंत्रालय द्वारा निर्धारित सिद्धान्तों के प्रतिकूल, जनवरी 2004 में 3 से 17 वर्ष पुराने हो चुके विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनों में परियोजनाओं की लागत को पुनरीक्षित किये बिना, कम्पनी ने सभी 17 लघु जल विद्युत शक्ति परियोजनाओं के लिए पूंजीगत आर्थिक सहायता (21.33 करोड़ रू.) का दावा समर्पित किया, (जनवरी 2004)। यद्यपि गैर पारम्परिक ऊर्जा श्रोत मंत्रालय ने पुराने विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनों के आधार पर चार[1] लघु जल विद्युत शक्ति परियोजनाओं के लिये आर्थिक सहायता के रूप में 6.63 करोड़ रू. संस्वीकृत किया (अक्टूबर 2004), इसने मार्च 2007 तक केवल 4.52 करोड़ रू. विमुक्त किया। गैर पारम्परिक ऊर्जा श्रोत मंत्रालय द्वारा 2.11 करोड़ रू. की शेष आर्थिक सहायता विमुक्त नहीं किये जाने के कारण अभिलेखों में उपलब्ध नहीं था। तथापि, कम्पनी ने पुनरीक्षित विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनों के आधार पर सात[2] लघु जल विद्युत शक्ति परियोजनाओं के सम्बन्ध में पूंजीगत आर्थिक सहायता (9.69 करोड़ रू.) के लिये पुनरीक्षित दावा समर्पित किया (दिसम्बर 2006/जनवरी 2007), जिसके विरूद्ध गैर–पारम्परिक ऊर्जा श्रोत मंत्रालय ने 9.48 करोड़ रूपये संस्वीकृत किया (मार्च 2007) और 2.38 करोड़ रू. विमुक्त किया (मार्च 2007)। जहॉ तक अन्य छह[3] लघु जल विद्युत शक्ति परियोजनाओं का सम्बन्ध है कम्पनी लागत (6.11 करोड़ रू.) को अद्यतन कर रही थी (सितम्बर 2007) और पुनरीक्षित दावा उसी के अनुसार प्रस्तुत किया जायेगा। इस प्रकार, गैर–ऊर्जा श्रोत मंत्रालय के दिशा निर्देशों के प्रतिकूल किये गये पूंजीगत आर्थिक सहायता के दावे ने कम्पनी को 15.52[4] करोड़ रू. की सहायता से वंचित किया था (मार्च 2007)।

प्रबन्धन ने बतलाया (सितम्बर 2007) कि गैर पारम्परिक ऊर्जा श्रोत मंत्रालय ने पुराने विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनों के आधार पर चार[5] लघु जल विद्युत शक्ति परियोजनाओं के लिये सहायता राशि संस्वीकृत और विमुक्त की थी परन्तु अन्य परियोजनाओं के

[1] धेलाबाग, जैनागार, नासरीगंज और त्रिवेणी।

[2] अरवल, बेलसर, राजापूर, सेबारी, शिरखिण्डा, तेजपुरा और वलीदाद।

[3] अमेढ़ी , देहरा, नटवर, पहरमा, रामपुर और सियहा।

[4] सात लघु जल विद्युत शकित परियोजनाओं के लिए पुनरीक्षित दावा 21.33 करोड़ रू. + 1.09 करोड़ रू. (9.699 करोड़ रू. – 8.60 करोड़ रू.) – 6.90 करोड़ रू. (2.38 करोड़ रू. + 4.52 करोड़ रू.)।

[5] धेलाबाग, जयनगरा, नासरीगंज और त्रिवेणी

लिये विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनों को अद्यतन करने के बाद सहायता राशि का पुनर्दावा करने के लिये कम्पनी को निदेशित किया था।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि कम्पनी ने चार परियोजनाओं के विरूद्ध पूरी सहायता राशि प्राप्त नहीं की और अन्य परियोजनाओं के लिए सहायता राशि का दावा करने के लिए कम्पनी को परियोजना प्रतिवेदनो कों पुनरीक्षित करना था। इस प्रकार, कम्पनी ने यदि गैर पारम्परिक ऊर्जा श्रोत मंत्रालय के दिशा निर्देशों का अनुपालन किया होता तो इसने जनवरी 2004 में ही पूरी सहायता राशि का दावा किया होता।

परियोजना का विलम्ब से पूरा होना

2.1.17 लेखा परीक्षा द्वारा आवरित अवधि के दौरान केवल दो परियोजनाएँ, अर्थात् अगनूर (राज्य द्वारा निधि प्रदत्त) और धेलाबाग (नाबार्ड द्वारा निधि प्रदत्त) चालू की गई थीं (जनवरी 2006 और अगस्त 2006)। इन परियोजनाओं के लेखा परीक्षा निष्कर्षो की चर्चा उत्तरवर्ती कंडिकाओं में की गयी हैं।

अगनूर लघु विद्युत शक्ति परियोजना (2×500 कि.वा.)

2.1.18 विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (जून 1986) के अनुसार अगनूर लघु जल विद्युत शक्ति परियोजना (क्षमता 2×750 किलो वाट) को कार्यान्वित किये जाने के लिये प्राक्कलित लागत 2.45 करोड़ रू. थी। नौ वर्षो के विलम्ब के बाद (अगस्त 1995) कम्पनी ने "टर्न की" के आधार पर निविदाएँ आमंत्रित की, किन्तु राज्य सरकार द्वारा इस नीति निर्णय की घोषणा के बाद कि अगनूर लघु जल विद्युत शक्ति परियोजना का कार्यान्वयन निजी उद्धमियों द्वारा किया जायेगा, इस पर अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया। तथापि, राज्य सरकार ने निजी उद्धमियों के लिए कोई नीति घोषित नहीं की। कम्पनी ने पुनः निविदा आमंत्रित किया (दिसम्बर 1997) और 7.97 करोड़ रू. के लिये, नवम्बर 2000 तक की पूर्णता तिथि सहित निष्पोन पावर लि. कलकता के साथ एक अनुबन्ध हस्ताक्षरित किया गया (मई 1999)। बहरहाल, परियोजना को 13.40 करोड़ रू. की लागत पर पूरा किया गया जिसके परिणामस्वरूप पॉच वर्षो से अधिक समय अधिव्यय और 5.43 करोड़ रू. लागत अधिव्यय हुआ। हालांकि परियोजना चालू किये जाने के लिए तैयार था (सितम्बर 2005) किन्तु परियोजना से ऊर्जा निस्सरण हेतु संचरण लाईन तैयार नहीं होने के कारण, संयंत्र को औपचारिक रूप से जनवरी 2006 में चालू किया गया।

परियोजना को पूर्ण करने में हुए विलम्ब के कारण 5.43 करोड़ रू. का लागत अधिव्यय हुआ।

परियोजना पूर्ण होने मे विलम्ब के कारण लागत में वृद्धि

2.1.19 बैंक गारण्टी के विरूद्ध प्रथम प्रवृत्तिकरण अग्रिम विमुक्त किये जाने के 18 महीनों की भीतर परियोजना का कार्यान्वयन किया जाना था। प्रथम प्रवृत्तिकरण अग्रिम विमुक्त होने के बाद (मई 1999) परियोजना को 27 नवम्बर 2000 तक पूरा कर दिया जाना चाहिए था। तथापि, निम्नलिखित कारणों से परियोजना को 61 महीनों के विलमब के बाद चालू किया गया (जनवरी 2006) :–

- पावर हाउस के नक्शें का अनिर्णीत रहना (8 महीना)
- गैर सरकारी भूमि का अधिग्रहण नहीं होना (20 महीना)
- रेखा–चित्रों के अनुमोदन में विलम्ब (21 महीना)
- ऊर्जा निस्सरण के लिए संचरण लाईन को पूरा करने में विलम्ब (56 महीना)

निर्धारित पूर्णता अवधि के बाद कार्य आरंभ किये जाने के फलस्वरूप 87.22 लाख रू. की लागत वृद्धि होने के कारण सिविल कार्यों और विद्युत/यांत्रिक उपकरणों पर अतिरिक्त व्यय हुआ।

यह देखा गया कि समस्त सिविल कार्यों का निष्पादन नवम्बर 2000 के बाद किया गया, इसलिये कम्पनी द्वारा सिविल कार्यों पर स्वीकृत 36.62 लाख रू. की मूल्य भिन्नता परिहार्य थी, जिसके फलस्वरूप परियोजना की लागत में वृद्धि हुई। इसी प्रकार संविदाकार ने विद्युत एवं यांत्रिक उपकरणों के प्रथम खेप की आपूर्ति (जुलाई 2002) निर्धारित पूर्णता अवधि (नवम्बर 2000) 19 महीनों के बाद की थी। तदनुसार 50.60 लाख रू. कल लागत वृद्धि भी परिहार्य थी। सिविल कार्यों और विद्युत एवं यांत्रिक उपकरणों पर हुई मूल्य भिन्नता ने परियोजना के लागत अधिव्यय में 87.22 लाख रूपयों का योगदान किया।

परियोजना की पूर्णता में विलम्ब के कारण हानि

2.1.20 कम्पनी ने नवम्बर 2000 से प्रतिवर्ष 4.489 मि.यू. ऊर्जा उत्पादन करने का विचार किया। चूंकि शक्ति का उत्पादन करने के लिये जल उपलब्ध था, परियोजना को चालू करने में हुए विलम्ब के करण प्रतिवर्ष 8.98 करोड़ रू. के सम्भावित राजस्व की हानि हुई।

प्रबन्धन ने बतलाया (सितम्बर 2007) कि निर्माण कार्य को असामाजिक तत्वों द्वारा कई अवसरों पर बाधित किया गया और स्थिति की गम्भीरता का अनुभव करते हुए सरकार ने परियोजना स्थल के समीप पुलिस स्टेशन स्थापित करने का निर्णय लिया। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि प्रबन्धन द्वारा परियोजना कार्य आरम्भ करते समय ही ऐसी सभी स्थितियों का अनुमान किया जाना और उनके निराकरण का उपाय किया जाना वांछित था।

निविदित मात्राओं की वृद्धि

2.1.21 लोक निर्माण विभाग से लेकर अन्तर्राष्ट्रीय स्पर्धात्मक नीलामी (आई.सी.बी.) तक के सभी बड़ी संविदाओं में मात्रा में भिन्नता होने के सम्बन्ध में एकरारनामों में हमेशा एक उपबन्ध (प्रावधान) रखा जाता है। स्वीकृत मात्राओं में भिन्नता प्रायः 25 प्रतिशत तक सीमित रहती हैं। यदि संविदाकार द्वारा निष्पादित कार्य के किसी मद की निर्धारित मात्रा में, प्राक्कलित मात्रा से 25 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि होती है तो संविदाकार संविदा में प्रविष्टित (अंकित) "मद–दर" (आईटम रेट) पर भुगतान के लिये अधिकृत होगा और मात्राओं में 25 प्रतिशत तक की वृद्धि के लिये कोई दावा स्वीकार नहीं किया जायेगा।

यह देखा गया कि लघु जल विद्युत शक्ति परियोजनाओं के निष्पादन सम्बन्धी अनुबन्धों में "मात्रा मिलता बन्ध" अर्थात् स्वीकृत मात्राओं में भिन्नता के सम्बन्ध में कोई बन्ध सम्मिलित नहीं किया गया था। असामान्य अत्यधिक मात्राओं वाले परियोजनाओं का निष्पादन न केवल उस लापरवाह कार्य विधि को प्रतिबिम्बित करता था जिसमें सर्वेक्षण/अन्वेषण, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन, प्राक्कलन तैयार किये गये थे, अपितु इसके फलस्वरूप परिहार्य व्यय किया गया, जिसकी चर्चा नीचे की गई है :–

निविदागत मात्राओं में वृद्धि के कारण अतिरिक्त व्यय

2.1.22 चालू लेखा विपत्रों एवं संविदाकार के साथ किए गए एकरारनामें में उल्लिखित मात्राओं की नमूना जॉच में पता चला कि सात मदों के मामले में किए गए अधिक कार्य की प्रतिशतता 32 एवं 341 प्रतिशत के बीच में थी।

एकरारनामा में निश्चित कार्यों की मात्रा की अधिकतम सीमा के निर्धारण के लिए समर्थकारी प्रावधान नहीं रहने के कारण 1.05 करोड़ रूपये का भुगतान किया गया

(सितंबर 2006)। ऐसा कार्यो की मात्रा में असामान्य वृद्धि के कारण हुआ जो स्पष्टतया अनुचित है क्योंकि यह संविदा टर्न की संविदा थी। इसके अलावे सर्वे एवं अनुसंधान के लिए संवेदक को 7.5 लाख रूपये की राशि दी गई थी और संविदाकार ने दर उद्धृत करने के पहले कार्य (निर्माण पूर्व) का अनुमान लगा लिया था।

प्रबंधन ने बताया (सितंबर 2007) कि कार्य विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनों (डी.पी.आर.) के आधार पर सौंपा गया था जिससे परियोजना के संबंध में संकल्पित धारणा का पता चलता था। कार्य सौंपते समय एक प्रावधान किया गया था कि कार्य केवल निर्माण संबंधी ड्रॉईंग के आधार पर आरंभ किया जाएगा जो कि एक ताजा सर्वे के बाद तैयार किया गया था। यह उत्तर मान्य नहीं हैं क्योंकि बोली लगाने वालों को अपनी दरों को उद्धृत करने से पहले वास्तविकताओं के संबंध में स्वयं सर्वे करने का अवसर दिया गया था। अतः बोली लगानेवालें को अपनी बोलियों में तथा निर्माण संबंधी ड्राईग में दी गई मात्राओं में भिन्नता नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार, कम्पनी को निविदा अभिलेखों में वास्तविक मात्राओं में भिन्नता के लिए एक सीमा का निर्धारण करने की आवश्यकता थी।

जल की निकासी पर अतिरिक्त व्यय

2.1.23 अगनूर स्मॉल हाईडल पावर प्रोजेक्ट (एस.एच.पी.पी.) के डी.पी.आर. में (जून 1986) पावर हाउस के असैनिक कार्य की लागत का 3 प्रतिशत और दूसरी जगहों पर असैनिक कार्य की लागत का 5 प्रतिशत जल निकासी के लिए प्राविधि तथा। तदनुसार जल निकासी कार्य के लिए 11.40 लाख रूपये का प्रावधान एकरारनामें में किया गया था (मई 1999)। लेकिन संविदाकार ने जल निकासी कार्य के लिए इस आधार पर 92.91 लाख रूपये का दावा किया (मई 2004) कि पावर हाउस के उन्मुखीकरण में परिवर्तन के कारण पावर हाउस के आकार, टेल पूल और फोरबे की संचरचना आदि में खुदाई (आयतन) में वृद्धि हो गई थी। जल निकासी के मुद्दे को निष्पादित करने के लिए गठित कमिटी ने असैनिक कार्यो के कुल वर्धित मूल्य का 12 प्रतिशत तक जल निकासी की लागत की मंजूरी दी (जून 2004)। यह देखा गया कि 56 लाख रूपये बिना कमिटी द्वारा तय लागत की गणना किए विमुक्त कर दिए गए जो 14.40 लाख रूपये होते थे। इसके अलावे, पावर हाउस के उन्मुखीकरण में परिवर्त्तन होने से अतिरिक्त जल निकासी किए जाने का कोई औचित्य नहीं था क्योंकि जगह में कोई परिवर्त्तन नहीं किया गया था। दर उद्धृत करते समय बोली लगाने वालों का संयंत्र के कार्य स्थल पर जल के स्तर को ध्यान में रखना चाहिए था। चूँकि अगनूर एस.एच.पी. पी. का कार्यान्वयन टर्न की आधार पर किया गया था और जल निकासी के लिए खास तौर पर प्रावधान किया गया था इसलिए 44.60 लाख रूपये के अधिक भुगतान का कोई औचित्य नहीं था।

ट्रॉसमिशन लाईन सिस्टम पर अतिरिक्त व्यय

2.1.24 अगनूर पावर स्टेशन से दाऊदनगर पावर सब–स्टेशन तक 11 के.वी. ट्रान्समिशन सिंगल सर्किट लाईन (जो बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के 33/11 के.वी. सब–स्टेशन के निकट तक था) के प्राक्कलन में इन स्थानों के बीच की वास्तविक दूरी 14 कि.मी. की जगह 10 कि.मी. आंकी गई। यह कार्य एक संविदाकार को 20 लाख रूपये की कीमत पर सौंपा गया। लेकिन संविदाकार ने 32 कि.मी. ट्रान्समिशन लाईन के उत्थापन के लिए 80[1] लाख रूपये की लागत का विपत्र प्रस्तुत किया (सितंबर 2004

[1] अतिरिक्त भुगतान के दावों का आधार पावर स्टेशन से वि.रा.विबो. सब–स्टेशन तक 4.0 कि.मी. की अतिरिक्त दूरी, 2.5 कि.मी. पर अक्टूबर 2004 से दिम्बर 2005 के बीच हुई चोरी के कारण अतिरिक्त कार्य एवं सम्पूर्ण ट्रॉसमिशन (संचरण) लाईन 15.5 कि.मी. पर दुबारा कार्य किया जाना था।

से दिसंबर 2005 तक)। तथापि, कंपनी ने 23.33 कि.मी. उत्थापन के लिए 46.66 लख रूपये का भुगतान किया। ट्रान्समिशन लाईन की लंबाई के गलत आकलन के कारण 10 किलोमीटर की जगह 14 कि.मी. की गणना की जानी थी जैसा कि डी.पी.आर. (जून 1986) और संविदाकार के साथ किए गए एकरारनामें में सम्मिलित था, 4 कि.मी. अतिरिक्त दूरी के लिए भुगतान करना उचित था लेकिन 2 लाख रूपये प्रति कि.मी. की दर पर 9.33 कि.मी. के कार्यान्वयन के लिए 18.66 लाख रूपये का भुगतान उचित नहीं था।

संविदागत दायित्व का निष्पादन नहीं होना

2.1.25 अगनूर एस.एच.पी.पी. के कार्यान्वयन हेतु निप्पोन पावर लिमिटेड, कोलकाता के साथ एकरारनामा किया गया (मई 1999) जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ बिना अतिरिक्त लागत के एक साल तक वाणिज्यिक प्रचालन एवं अनुरक्षण शामिल था।

अभिलेखों के छानबीन से पता चला कि एजेन्सी ने अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं किया और कम्पनी ने संविदाकार के विरूद्ध कार्रवाई करने के बजाय परियोजना के प्रचालन एवं अनुरक्षण के लिए बगैर निविदा आमंत्रित किए एसोसिएटेड इंजिनियरिंग सेन्टर पटना की सेवाएँ ले लीं और 10.63 लाख रूपये का अतिरिक्त व्यय किया (जनवरी 2006 से जनवरी 2007)।

सूद रहित संचालन अग्रिम के विलंब से समायोजन के कारण हानि

2.1.26 बड़ी परियोजनाओं के निष्पादन हेतु संविदाकार को संचालन अग्रिम दिया जाता है। परियोजनाओं के विलंब से पूरा होने के परिणामस्वरूप संचालन अग्रिम की वसूली देर से हुई। इसके व्यावसायिक हितों की रक्षा के मद्देनजर कम्पनी को विलम्ब से कार्य किए जाने पर एकरारनामें में ब्याज की वसूली के लिए एक उपबन्ध को शामिल करना था।

एकरारनामें के अनुसार बैंक गारंटी के विरूद्ध संविदा मूल्य का 10 प्रतिशत सूद रहित संचालन अग्रिम के रूप मं एकरारनामा निष्पादित होने पर दिया जाना था। पुनः संविदा मूल्य का 10 प्रतिशत बैक गारंटी के विरूद्ध अग्रिम के रूप में विद्युत एवं अनुरक्षण कार्य के साथ–साथ सभी असैनिक कार्यो के विस्तृत ड्रॉईगों के कार्यान्वयन के बाद दिया जाना था।

अभिलेखों की छानबीन से पता चला कि 1.58 करोड़ रूपये संचालन अग्रिम के रूप में दिया जा चुका था (मई 1999 से मार्च 2000)। आगे यह भी पता चला कि कार्य पूर्ण होने की निर्धारित अवधि नवम्बर 2000 तक एकरारनामा के अनुसार मापी गई कार्य का मूल्य 9.05 लाख रूपये था जो कि करार मूल्य का 1.14 प्रतिशत ही था। इस प्रकार 79 लाख रूपये प्रथम सूद रहित संचालन अग्रिम एवं इतनी हीं राशि के द्वितीय संचालन अग्रिम क्रमशः 27 महीनों एवं 17 महीनों तक असमायोजित रह गये जिसके कारण 13[1] प्रतिशत की दर से 37 लाख रूपये सूद की हानि हुई।

2.1.27 ढ़ेलाबाग एस.एच.पी.पी. (2×500 के.डब्लू.)

2.1.27 ढ़ेलाबाग एस.एच.पी.पी. (क्षमता 2×750 के.डब्लू.) के कार्यान्वयन के लिए प्राक्कलित डी.पी.आर. की (अप्रैल 2000) लागत 6.87 करोड़ रूपये थी। कम्पनी ने परियोजना के "टर्न–की" कार्यान्वयन के लिए निविदा आमंत्रित किया (जनवरी 2001)

[1] राज्य सरकार द्वारा कम्पनी को दिये गए ऋणों पर प्रभारित दर

तदनुसार एक एकरारनामा शाहाबाद इंजिनियर्स प्राईवेट लिमिटेड के साथ कुल प्रतिष्ठान मूल्य 6.70 करोड़ रूपये के लिए किया गया (अप्रैल 2002) और कार्य को प्रथम संचालन अग्रिम के भुगतान की तिथि से 24 महीनों में पूरा किया जाना था। प्रथम संचालन अग्रिम के भुगतान (जुलाई 2002) के बाद परियोजना 9.81 करोड़ रूपये की लागत पर अगस्त 2006 में चालू हुआ। परिणामस्वरूप 2.94 करोड़ रूपये की लागत–वृद्धि और 25 महीनों की समय–वृद्धि हुई। कार्य के कार्यान्वयन में विलम्ब का मुख्य कारण परियोजना के विद्युत एवं अनुरक्षण उपकरणों की विशिष्टियों में बदलाव था।

प्रबंधन ने बताया (अक्टूबर 2007) की परियाजना के कार्यान्वयन में विलम्ब का कारण वाहन मालिकों द्वारा हड़ताल, विधि व्यवस्था की समस्या और लोक निर्माण विभाग से अनुमति की प्राप्ति में देरी होना था। प्रबंधन का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि विलम्ब का कारण विद्युत एवं अनुरक्षण उपकरण की विशिष्टियों में बदलाव था जिसके चलते परियोजना के पैरा मीटर में संशोधन हुआ।

लागत वृद्धि के कारणों का उल्लेख नीचे दिया गया है :–

1500 कि.वा. से 1000 कि.वा. क्षमता में कमी के कारण हानि

- डी.पी.आर. में (अप्रैल 200) कम्पनी ने यह परिकल्पना की थी प्रति वर्ष 11,919 एम.यु. विद्युत उत्पादन किए जाने हेतु ढ़ेलाबाग, एस.एच.पी.पी. में 750 कि.वा. प्रत्येक की दो इकाइयों की संस्थापना की जाए। तदनुसार संविदा एकरारनामा किया गया (अप्रैल 2002) अल्टरनेट हाइड्रो इनर्जी सेन्टर (ए.एच.ई.सी.–कम्पनी का परामर्शी) ने परियोजनाओं के लिए पैरामीटरों शीर्ष दर एवं जल निकास को अंतिम रूप देते समय पैरामीटर मे बदलाव के कारण (दिसम्बर 2002) परियोजना की क्षमता की 1500 कि.वा. से 1000 कि.वा. तक कम करने का निर्णय लिया (जनवरी 2003) निम्नलिखित दृष्टियों से क्षमता में कमी की गई (जनवरी 2003) :–

मद	निविदा दस्तावेज के अनुसार	वास्तविकता के अनुसार
(i) शीर्ष	3.20 मीटर	2.420 मीटर
(ii) निकास	54.40 क्यूसेक	51.80 क्यूसेक

स्त्रोत : ढ़ेलाबागएस.एच.पी.पी. के कार्यान्वयन से संबंधित संचिका।

शीर्ष एवं जल निकास में बदलाव के कारण पावर हाउस के विस्तार (आयामें) में निम्न प्रकार परिवर्तन किए गये :–

मद	निविदा दस्तावेज के अनुसार	वास्तविकी के अनुसार
(i) पावर आउस का आकार	12×8 मीटर	32.24×21.32 मीटर
(ii) पावर हाउस के भूमि की अधिकतम गहराई का स्तर	92.12 मीटर	89.47 मीटर

स्त्रोत : ढ़ेलाबाग एस.एच.पी.पी. के कार्यान्वयन से संबंधित संचिका

तुच्छ योजना तथा इ./एम. संयंत्रों की विशिष्टियों मे विलम्ब से परिवर्त्तन के कारण 2.81 करोड़ रू. का अतिरिक्त व्यय हुआ।

इस प्रकार इसके निम्न आयोजन के कारण कम्पनी को परियोजना के निर्माण पर 1500 कि.वा. से 1000 कि.वा. क्षमता में कमी करने के बावजूद 2.81 करोड़ रूपये का अतिरिक्त व्यय करना पड़ा।

प्रबंधन ने कहा (अक्टूबर 2007) कि जल संसाधन विभाग द्वारा सोन नहर प्रणाली के अनुरक्षण के सम्पन्न होने के पश्चात् परियोजना का हाइड्रोलोंजिकल पैरामीटरों को संशोधित करना पड़ा क्योंकि प्रथम चरण में इकाई के आकार में 2×750 कि.वा. से 2×500 कि.वा. का बदलाव करना आवश्यक समझा गया और इसके प्रदर्शन के अवलोकन के पश्चात् 500 कि.वा. की तीसरी इकाई का निर्माण किया जाएगा। प्रबंधन का उत्तर सुसंगत नहीं है क्योंकि शीर्ष एवं निकास के पैरामीटरों का सही आकलन दिसम्बर 2002 के बजाय डी.पी.आर. की तैयारी (अप्रैल 2000) के समय अर्थात् 2×750 कि.वा. एस.एच.पी.पी. के निर्माण के लिए संविदा को अंतिम रूप देने के बाद ही किया जाना चाहिए था।

निविदागत मात्राओं में वृद्धि के कारण अतिरिक्त व्यय

- चालू विपत्रों एवं संविदाकार के साथ किए गये एकरारनामे में उल्लिखित मात्राओं की नमूना जॉच में पता चला कि किए गए कार्य की मात्राओं की प्रतिशतता निविदागत मात्राओं की अपेक्षा 45 एवं 476 प्रतिशत के परास में बढ़ी हुई थी। एकरारनामें में विहित सामग्रियों की अधिकतम सीमा के निर्धारण संबंधी समर्थकारी प्रावधान नहीं रहने के कारण सर्वे एवं अनुसंधान से लेकर डी.पी.आर. की तैयार तक सम्पूर्ण प्रक्रिया न केवल निरर्थक साबित हुई बल्कि एकरारनामें में विहित सामग्रियों से अधिक सामग्रियों की खपत की वजह से 2.05 करोड़ रूपये का भुगतान करना पड़ा।

लागत में वृद्धि के कारण अतिरिक्त व्यय

- एकरारनामा (अप्रैल 2002) के अनुसार कीमत सुनिश्चित था। परन्तु संविदाकार के विपत्रों की छानबीन से पता चला कि संवेदक ने संविदाकार की निर्धारित अवधि की समाप्ति (जून 2004) के बाद विद्युत् एवं अनुरक्षण उपकरण की आपूर्त्ति की (अप्रैल 2005)। एकरारनामा में विद्युत् एवं अनुरक्षण (ई. एण्ड एम.) उपकरण के लिए 3.92 करोड़ रूपये प्राविधित थे जबकि जनवरी 2007 तक 5.18 करोड़ रूपये का व्यय किया गया था। विद्युत् एवं अनुरक्षण उपकरण की आपूर्ति में विलंब का मुख्य कारण विशिष्टता में बदलाव था जिसके चलते उपकरण के निर्माता को बदलना पड़ा। संवेदक के अभ्यावेदन (मई 2005) पर मूल्य अनुबंध का उल्लंघन कर कंपनी ने विद्युत् एवं अनुरक्षण (ई. एण्ड एम.) उपकरणों पर 84 लाख रूपये के मूल्य भिन्नता की मंजूरी दी। इस प्रकार, वृहत् असैनिक कार्य (जुलाई 2004 – जुलाई 2006) कार्य पूरा करने की निर्धारित अवधि (जून 2004) के बाद पूरा किए गए और संवेदक को 31 लाख रूपये मूल्य वृद्धि मंजूर किया। इस तरह, कंपनी को परियोजना के पूरा होने में विलंब के कारण 1.59 करोड़ रूपये मूल्य के 7.946 मिलियन यूनिट प्रतिर्ष के लिए संभावित राजस्व की हानि उठानी पड़ी।

त्रिवेणी लिंक कैनाल पावर स्टेशन (2×1.5 मे.वा.) वाल्मीकिनगर

निविदाओं का दोषपूर्ण मूल्यांकन

2.1.28 कंपनी ने त्रिवेणी लिंक कैनाल पर 3 मे.वा. क्षमता (2×1.5 मे.वा.) की जल विद्युत परियोजना के 'टर्न–की' आधार पर निर्माण कार्य के लिए 9.15 करोड़ रूपये का एकरारनामा करार किया (दिसम्बर 1992)। टर्न–की आधार प्रर परियोजना के कार्यान्वयन हेतु निविदाएँ आमंत्रित की गईं (सितम्बर 1999) और पारीक पावर लिमिटेड

(प्रथम निम्नतम) को 13.50 करोड़ रूपये के लिए प्रथम संचालन अग्रिम के भुगताान की तिथि से 48 महीनों के अन्दर कार्य पूरा करने के लिए आशय पत्र निर्गत किए गए (अप्रैल 2001)।

कंपनी के परामर्शियों ए.एच.ई.सी. एवं कंपनी द्वारा बोलियों के मूल्यांकन किए जाने के दौरान (फरवरी 2001) यह देखा गया कि परियोजना पूरा होने के निर्धारित अवधि एवं नाबार्ड से प्राप्त ऋणों पर ब्याज की देयता संबंधी बातों पर विचार नहीं किया गया था। निप्पोन प्राईवेट लिमिटेड दूसरा निम्नतम बोली लगाने वाले को प्रथम संचालन अग्रिम के जारी होने की तिथि से 27 महीनों के अन्दर परियोजना को पूरा करने के लिए 15.94 करोड़ रूपये का प्रस्ताव दिया गया। चूँकि परियोजना को 15.77 मिलियन यूनिट उत्पादन करना था, 21 महीनों (48–27) के दौरान 5.51 करोड़ रूपये मूलय पर 27.59 मिलियन यूनिट की संभावित उत्पादन की गणना की गई। परियोजना के शीघ्र पूर्ण होने और ब्याज दायित्व 15.94 करोड़ निपन प्रथम निम्नतम था, परियोजना की शीघ्र पूर्णता और ब्याज दायित्व भारित करने के उपरांत पारीक 20.55 करोड़ रूपये की भारित दर के विरूद्ध 15.94 करोड़ रूपये दर पर प्रथम निम्नतम था, अतः कार्य एवार्ड में 4.61[1] करोड़ रूपये का अतिरिक्त व्यय था। यह भी देखा गया कि संविदाकार ने अद्यतन कार्य पूरा नहीं किया था (सितम्बर 2007), यद्यपि (67.62 लाख) अग्रिम मुक्त किया गया था। (अक्टूबर 2001), और कार्य 10 अक्टूबर 2005 तक पूरा करना था।

निविदाओं के दोषपूर्ण मूल्यांकन के फलस्वरूप कार्य–आवंटन में 4.61 करोड़ रू. का अतिरिक्त व्यय हुआ।

प्रबंधन द्वारा बताया गया (सितम्बर 2007) कि यह स्पष्ट नहीं था कि परियोजना की पूर्णता अवधि के लिए 27 माह का समय सूचित करते हुए द्वितीय निम्नतम निविदा का आधार क्या था, और वह भी एक उच्चतर दर पर। वास्तविकता यह है कि निविदादाताओं के बिड (बोली) का मूल्यांकन करते समय प्रबंधन लघु पूर्णता अवधि पर विचार करने में असफल रहा।

मात्रा मे वृद्धि

2.1.29 ऊर्जा गृह परियोजना के मॉग, जो मार्च 2007 मे पूर्ण होने के कगार पर थे, उसमें छः मदों की मात्रा सम्मिलित थी, उनमें छः से 461 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई। इन मदों में मार्च 2007 तक कम्पनी 4.13 करोड़ रूपये था की, जबकि कार्य 2.59 करोड़ रूपये में पूर्ण होना परिकल्पित था, फलतः 1.54 करोड़ रूपये का अतिरिक्त व्यय हुआ। इसी प्रकार परियोजना के नियमित भाग शीर्ष के अन्तर्गत तीन मदों की मात्रा में वृद्धि 94 तथा 4,378 प्रतिशत के बीच रही। फलतः करार की राशि 3.51 लाख रूपये के विरूद्ध 84 लाख रूपये का अतिरिक्त व्यय हुआ। ए.एच.ई.सी. द्वारा तैयार किए गए विस्तृत आहरण की आवश्यकता के कारण, प्रबन्धन मात्रा में वृद्धि को नियमित किया। चूंकि निविदा एकत्रीकरण के आधार पर आमंत्रित (सितम्बर 1999) तथा बोली का मूल्यांकन ए.एच.ई.सी. द्वारा (अप्रैल 2001) किया गया, मात्रा में उत्तरोतर वृद्धि न्यायोचित नहीं थी।

कटैया बिजली परियोजना

2.1.30 बिहार राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा निर्मित तथा चालू (नवम्बर 1970 से अक्टूबर 1973) कटैया बिजली परियोजना सेसन (4×4.8 मेगावाट) का प्रशासनिक तथा तकनीकी नियंत्रण राज्य सरकार के इशारे पर कम्पनी को स्थानान्तरित (जून 2003) किया गया था। इस प्रकार टरबाइन, जेनरेटर तथा अन्य अनुषांगिक सुविधा को चालू करने में 25 से 33 वर्ष बीत गए। परन्तु उपलब्ध 8760 घंटे के विरूद्ध औसत चालू घंटे 907 तथा

[1] { 13.50 करोड़ रू. + 5.51 करोड़ रू. (21 माह हेतु संभाव्य उतपादन) + 1.54 करोड़
(21 माह के लिए 6.5 प्रतिशत की दर से 13.50 करोड़ रू. पर ब्याज) – { 15.94 करोड़ रू.}= 4.61 करोड़ रू.

1993 के बीच थे। कम्पनी ने फरवरी 2007 में संयन्त्र का नवीकरण तथा आधुनिकीकरण 35 करोड़ रूपये की लागत पर किए जाने का प्रस्ताव किया।

अधिसूचना के नियम एवं शर्तो के साथ–साथ यह भी प्रावधान था कि :

(i) यदि कम्पनी बिहार राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा पूर्व के वर्ष (अगस्त 2002 से जुलाई 2003) में उत्पादित उर्जा की मात्रा समान ही उत्पादित करती है तो उसे बिहार राज्य विद्युत बोर्ड को सम्पूर्ण उर्जा मुफ्त में आपूर्ति करनी होगी। नवीकरण के बाद कम्पनी द्वारा अधिक उर्जा उत्पादित किये जाने के मामले में अतिरिक्त उर्जा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दर पर बिहार राज्य विद्युत बोर्ड को आपूर्ति करनी होगी। (ii) नवीकरण की सम्पूर्ण लागत कम्पनी द्वारा वहन की जायेगी।

उपर्युक्त परिपेक्ष में निम्नलिखित तथ्य पाए गए :–

- संयंत्र के स्तर हीन प्रदर्शन का मुख्य कारण 1 से 4 इकाई के क्रमशः अक्टूबर 1995 तथा अक्टूबर 1993 से चालू नहीं रहने के अलावे योजना शीर्ष की अनुपलब्धता तथा निष्पादन थी, क्योंकि शीर्ष प्रवाह नहर तथा पाद प्रवाह नहर बुरी तरह कीचड़ से भर गई थी, इस मुख्य पूर्वी नहर के 1500 क्यूसेक पानी क्षमता के स्थान पर 5 से 11 तक इसके तल पर कीचड़ भरने के कारण वास्तविक निकासी 5000 से 6000 क्यूसेक मात्र थी, निकासी चैनेल के अत्यधिक कीचड़ भरने के कारण, सिंचाई विभाग चालू सभी चार इकाइयों के लिए आवश्यक जल प्रवाह नहीं छोड़ सका। जब सिंचाई की मांग न हो उस समय वर्ष में चार से पॉच महीने मुख्य चैनेल खुला रखने के बजाय निकासी चैनेल से कीचड़ हटाने की प्रक्रिया में सुधार किया जा सकता था। यह निकासी चैनेल भी चालू होने योग्य नहीं था। बेगाधर नदी जिसमें निकासी चैनेल उतरता था वह भी बहुत कीचड़ भरा था। निकासी चैनल (सितम्बर 2007) लगतार जल संसाधन विभाग के नियंत्रण में था। कम्पनी द्वारा (फरवरी 2007) संयंत्र के नवीकरण के लिए पूँजीगत लगात व्यय में बेगाधर नदी, शीर्ष प्रवाह शीर्ष प्रवाह, पाद प्रवाह नहर तथा स्केप चैनेल से कीचड़ हटाने का कोई प्रावधान नहीं था। इस प्रकार कम्पनी सम्भवतः आवश्यक जल प्रवाह नहीं प्राप्त कर सकी और 35 करोड़ रूपये का सम्पूर्ण निवेश अनुत्पादक सिद्ध हुआ।

- संयंत्र, कम्पनी को स्थानान्तरित करने के बदले में बिहार राज्य विद्युत बोर्ड को मुफ्त उर्जा आपूर्ति के बारे में करार की शर्त स्पष्ट नहीं थी। वर्ष 2003–04 तथा 2004–05 के दौरान जब बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के लेखा में कम्पनी ने 62.75 लाख तथा 66.71 लाख यूनिट उर्जा समायोजत किया, तब कटैया संयंत्र को चालू रखने की लागत क्रमशः 25.31 लाख रूपये तथा 49.94 लाख रूपये थी। बिहार राज्य विद्युत बोर्ड ने कम्पनी को 8.4 मेगा यूनिट उर्जा मुफ्त स्थानान्तरित करने के लिए राजी कर लिया। इस प्रकार करार की शर्त कम्पनी के अनुकूल नहीं थी।

- परियोजना स्थानान्तरण के दिन बिहार राज्य विद्युत बोर्ड का दायित्व (16.51 लाख रूपये) अभी तक सुलझा नहीं था।

- परियोजना से सम्बन्धित भंडार तथा अतिरिक्त पूर्जे कम्पनी को मार्च 2007 तक स्थानान्तरित नहीं किए गए थे। वित्तीय वर्ष 2003–04 से 2006–07 तक कम्पनी ने संयंत्र की मरम्मत तथा रख–रखाव पर 36.96 लाख रूपये खर्च किए। यदि परियोजना से सम्बन्धित भंडार तथ अतिरिक्त पुर्जे कम्पनी को स्थानान्तरित कर दिये गए होते तथा शीघ्र उपयोग में लाये गये होते तो

कम्पनी संयंन्त्र की मरम्मत तथा रख रखाव पर की गई लागत को कम कर सकती थी।

- कम्पनी ने उपलब्ध उपकरण के शेष जीवन का आकलन जॉच सर्वेक्षण, सभी चार इकाइयों के डी.पी.आर. तैयार करने पर 19 लाख रूपये तथा सात लाख रूपये एक एवं चार इकाई के पूर्णतः मरम्मत हेतु निविदा अभिलेख तैयार करने में व्यय किए। कम्पनी ने राज्य सरकार द्वारा मार्च 2007 तक कोई वित्तीय सहायता नहीं प्राप्त की। कात्या जल ऊर्जा स्टेशन जो 25 से 33 वर्ष पुराना था तथा उसे चालू रखने की समस्याओं यथा कीचड़ के कारण कम पानी छोड़ा जाना, के निराकरण हेतु भारी पूँजी निवेश को आवश्यकता थी जो कम्पनी के लिए लाभदायक नहीं था, जिसे अपने चालू परियोजनाओं को समय पर पूरा करने हेतु वित्तीय बाध्यताओं का सामना करना पड़ रहा था।

झारखण्ड में लघु पनबिजली परियोजना

2.1.31 कम्पनी ने 9.36 करोड़ रूपये के पॉच[1] एस.एच.पी.पी.एस. स्थापित करने का निर्णय लिया। इन परियोजनाओं क्रियान्वयन हेतु आदेश निर्गत करने में छः से 35 माह विलम्ब के कारण लागत को पुनरीक्षित (1999) कर 14.10 करोड़ रूपये किया गया। पुनरीक्षित प्राक्कलित लागत का राज्य सरकार द्वारा (11.38 करोड़ रू.) तथा एम.एन.ई. एस. द्वारा (2.72 करोड़ रूपये) अंशदान दिया जाना था। सदानी एस.एच.पी.पी. जुलाई 2002 तक निम्न घाघरी एस.एच.पी.पी. सितम्बर 2002 तक नेतरहआट एस.एच.पी.पी. जुलाइ 2001 तक निन्दीघाघ एस.एच.पी.पी. मार्च 2002 तक तथा जालिम घाघ एच.एच. पी.पी. मार्च 2002 तक पूरा होना था।

कम्पनी ने यह भी निर्णय लिया (मई 1984) कि 37.14 करोड़ रूपये के पूँजी लागत पर दो परियोजना तेनु बोकारों तथा मण्डल एवं एक परियोजना चांदिल (मार्च 1987) में स्थापित किया जाय। इन परियोजनाओं का सम्पूर्ण वित्त पोषण राज्य सरकार द्वारा किया जाना था। इन परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु कार्यादेश क्रमशः 81, 68 तथा 61 माह विलम्ब से जनवरी 1991, दिसम्बर 1989 तथा मार्च 1992 में दिया गया। इसी समय प्राक्कलित पूंजीगत लागत पुनरीक्षित कर 91.69 करोड़ रूपया कर दिया गया। चांदिल तथा तेनुबोकारों परियोजनाओं के पूर्ण होने की निर्धारित तिथि क्रमशः जुलाई 2001 तथा दिसम्बर 2001 थी। कानून एवं व्यवस्था की समस्या के कारण मण्डल स्थित कार्य छोड़ दिया गया (अगस्त 1997) तथा परियोजना पूर्ण होने की तिथि मार्च 2007 तक तय नहीं की गई थी।

बिहार राज्य के पुर्नगठन के बाद 15 नवम्बर 2000 को झारखण्ड राज्य अस्तित्व में आया, और ये सभी आठ परियोजनायें झारखण्ड राज्य में चली गई। जनवरी 2001 तक कम्पनी द्वारा कुल निवेश 60.98 करोड़ रूपये था। एम.एन.ई.एस. ने 2.72 करोड़ रूपये का अनुदान स्वीकृत (जनवरी 1995) किया। इसमें से मात्र 1.32 करोड़ रूपये (मार्च 2007 तक) विमुक्त किया गया तथा शेष 1.40 करोड़ रूपये का अनुदान विमुक्त नहीं किया गया। कम्पनी ने शेष अनुदान राशि को विमुक्त करने के एम.एन.ई.एस. को राजी नहीं किया। (बिहार एवं झारखण्ड के रूप में राज्य के विभाजन के पश्चात) सीमित संसाधनों से बिहार की दोनों सरकारे तथा कम्पनी इन परियोजनाओं पर बिहार के अन्य विकासशील परियोजनाओं के लागत पर आगे निधि निवेश की रूपरेखा तैयार की।

बिहार पुर्नगठन एक्ट 20 का सेक्सन 65 में कम्पनी के लिए प्रावधान (इस एक्ट के नौवें अनुसूीच में) के आलोक में बिहार राज्य के पुर्नगठन (15 नवम्बर 2000) के तत्काल पूर्व

[1] सदानी (जुलाई 1994), लोअर घघरी (दिसम्बर 1994), निंदिघाघ (दिसम्बर 1996), नेतरहाट (जुलाई 1997) तथा जालिमघाघ (जुलाई 1997)

झारखण्ड मे अवस्थित आठ परियोजनाआं के समय पर पूरा न होने से राज्य, इन परियोजनाओं पर निवेशित 79.09 करोड़ रूपए के अलाभकारी होने के अतिरिक्त 27.19 करोड़ रू. मूल्य के संभाव्य वार्षिक उर्जा उत्पादन से वंचित रहा।

में अपने क्षेत्र में कार्यरत थे अपने क्रिया कलाप जारी रख सकते थे झारखण्ड राज्य को इन परियोजनाओं के स्थानान्तरण के लिए कंपनी द्वारा वास्तविक प्रस्ताव प्रशासनिक असुविधा का ध्यान रखते हुए अपनाया जाना चाहिए था। तथा क्रियाशील नियामक झारखण्ड राज्य द्वारा इन परियोजनाओं को पूरा करने हेतु अनुमति दी जानी चाहिए थी। दूसरी और उपरोक्त सभी तथ्यों को ध्यान में नहीं रखते हुए कंपनी ने अविवेकपूर्ण तरीके से स्वयं हीं इन परियोजनाओं को पूरा करने की वरीयता दी।

वास्तविकता यह है कि 18.11 करोड़ (जनवरी 2001 से मार्च 2007) रूपये इन परियोजनाओं पर व्यय करने के बाद भी एक भी परियोजना पूरी नहीं हो सकी (मार्च 07) झारखण्ड परियोजनाओं की भौतिक तथा वित्तीय प्रगति **परिशिष्ट–13** में दी गई है। चूँकि पॉच परियोजनाओं के लिए पूँजीगत अनुदान प्राप्त की गई थी इसलिए कंपनी द्वारा स्वंय ही इन परियोजनाओं को निजी संस्थाओं को अंकित/मूल्यांकित कीमत पर परियोजनाओं को पूरा करने हेतु स्थानांतरित या बेची नहीं जानी चाहिए।

प्रत्येक राज्य के दायरे में आने वाली परिसंपत्ति का आनुपातिक वितरण किया जाना चाहिए। कंपनी द्वारा इन परियोजनाओं को झारखण्ड राज्य को स्थानांतरित कर दिया जाना चाहिए था जिससे कि 18.11 करोड़ रूपये जो फरवरी 2001 या मार्च 2007 के बीच व्यय किये गये, से बचा जा सकता था। अन्य परियोजनाओं के कंपनी/राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषण के संबंध में कंपनी प्राइवेट फार्म को अधूरी परियोजनाओं को पूरा करने के लिए आमंत्रित करने पर विचार करनी चाहिए थी। तथा इसके निवेश (79.09 करोड़ रूपये) वापस प्राप्त किया जा सकता था।

राज्य के 21 दिन (नवम्बर 2000) के पूर्व इन परियोजनाओं को पूरा नहीं होने का मुख्य कारण 6 से 81 महीने तक विलंब से कार्य सौंपा जाना है। तथा अधूरी परियोजनाओं के अनुवर्ती पहुँच का परिणाम न केवल 79.09 करोड़ रूपये के अनुत्पादक निवेश से है बल्कि राज्य 135.96 मेगा युनिट प्रतिवर्ष उर्जा उत्पादन की संभावना जिसका मूल्य 27.19 करोड़ रूपये था, इससे भी वंचित रह गया।

कम्पनी का अधिकतम व्यय ई. तथा एम. उपकरणों को प्राप्त करने तथा असैनिक कार्यो के क्रियान्वयन पर था। चूंकि उपकरण 15 वर्ष पूर्व प्राप्त किए गए, उनके ह्रास/प्रचलित होने से इन्कार नहीं किया जा सकता। इस प्रकार सम्पूर्ण व्यय बेकार साबित हुआ।

पूर्ण परियोजनाओं का उत्पादन निष्पादन

2.1.32 यह पाया गया कि छः[1] पूर्ण परियोजनाओं के 2002–03 से 2006–07 के दौरान प्रक्षेपित उत्पादन 1,117.54 मेगा युनिट के विरूद्ध मात्र 292.81 मेगा युनिट (26.23 प्रतिशत), इस प्रकार 825.03 मेगा युनिट जिसका मूल्य 165 करोड़ रूपये था, की कमी आई। अनुवर्ती पैराग्राफ में उत्पादन में कमी के कारणों बारे में विचार विमर्श किया गया है। उपरोक्त उर्जा परियोजनाओं का कुल मिलाकर चालू रहने के दौरान निष्पादन निम्न टेबुल में संक्षेपित किया जा सकता हैं :–

(दस लाख इकाई मे)

विवरण	2002–03	2003–04	2004–05	2005–06	2006–07	कुल
प्रक्षेपित उत्पादन (डी.पी.आर.)	161.25	161.25	260.97	260.97	273.40	1117.84
दर्शाया गया आनुषांगिक खपत (डी.पी.आर.) 0.05 प्रतिशत	0.81	0.81	1.30	1.30	1.37	5.59

[1] अगनूर, वरूण, देहरी–ऑन–सोन, ढेलाबाग, कटैया तथा वाल्मीकिनगर छोटी जल विद्युत शक्ति परियोजनाएँ (एस.एच.पी.पी.)

वास्तविक उर्जा उत्पादन	47.29	49.02	54.77	72.58	69.15	292.81
घटाकर : अनुषांगिक खपत	1.78	1.54	2.05	2.31	2.33	10.01
घटाकर : वितरण तथा वितरण कमी बोर्ड द्वारा घटाया गया	1.82	1.84	1.79	2.20	1.95	9.78
बिक्री के लिए उपलब्ध निवल उर्जा	43.69	45.64	50.75	68.07	64.87	273.02
प्रक्षेपित उत्पादन से वास्तविक उत्पादन का प्रतिशत	29.32	30.40	20.98	27.81	25.29	–

स्त्रोत : उत्पादन प्रतिवेदन/पंजी

उपर्युक्त टेबुल से देखा जा सकता है कि दिखलायें गये उत्पादन की तुलना में वास्तविक उत्पादन 28.98 से 30.40 के बीच विगत पॉच वर्षो में (मार्च 2007 के अंत तक) रहा।

परियोजनावार निष्पादन का विस्तृत विवरण **परिशिष्ट–15** में दर्शाया गया है।

परियोजना के वास्तविक उत्पादन में वृद्धि प्रक्षेपित उत्पादन के 59.84 तथा 3.48 प्रतिशत के बीच था।

परिशिष्ट–15 दर्शाता है कि बारून, डेहरी आन सोन, कटैया तथा वाल्मीकिनगर एस. एच.पी.पी. का वास्तविक उत्पादन 59.84 तथा 3.48 प्रतिशत के बीच दिखाये गये उत्पादन से विगत 5 वर्षो में (मार्च 2007 के अंत तक) रहा। कतैया को छोड़कर जिसका उत्पादन 2004–05 से किया गया था।

प्रबंधन का कहना था (सितम्बर 2007) कि लक्ष्य सभी बिंदुओं को ध्यान में रखकर जिसमें इकाई की स्थिति जल की उपलब्धता, लाइन वितरण के दौरान बहिष्कृत आदि सम्मिलित है, निर्धारित किया गया था। जवाब युक्तिसंगत नहीं क्योंकि लेखापरीक्षा ने वास्तविक उत्पादन, की दर्शाये गए उत्पादन की तुलना में गणना की।

आउटेज

2.1.33 आउटेज का तात्पर्य उर्जा संयंत्र के बन्द होने से है या वह अवधि जिसमें उर्जा इकाई उर्जा उत्पादन हेतु उपलब्ध नहीं हो। मार्च 2007 को समाप्त होने वाले माह के पूर्व 5 वर्षो के दौरान उर्जा गृहों के बहिष्कृत दो संवर्गो में वर्गीकृत किये जाते है, परिहार्य तथा अपरिहार्य, जैसा कि परिशिष्ट 16 में विस्तृत विवरण दिया गया है। **परिशिष्ट–16** दर्शाता है अपरिहार्य से परिहार्य विवरण दिया गया है। **परिशिष्ट–16** दर्शाता है अपरिहार्य के परिहार्य वहिष्कृत घंटे का प्रतिशत बारून परियोजना में 34.72 तथा 48.21 प्रतिशत था। 49.21 तथा 59.54 प्रतिशत डेहरी में, 40.87 तथा 59.43 कटैया में एवं 54.40 तथा 73.61 प्रतिशत बाल्मिकिनगर मार्च 2007 को समाप्त होने के पूर्व पॉच वर्षो में थे। (कटैया को छोड़कर जिसका उत्पादन 2004–05 से लिया गया।) बहिष्कृत के कारण का विष्लेषण लेखा परीक्षा द्वारा किया गया जिसपर बिचार विमर्श अनुवर्ती पैराग्राफ में किया गया।

रिएक्टर की स्थापना में विलम्ब

- बाल्मिकीनगर में उत्पादित उर्जा को खाली कराने के लिए बिहार राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा 132 किलोवाट का दो फीडर उपलब्ध कराया गया। एक फीडर नेपाल में सूरजपूरा उप केन्द्र से जुड़ा था तथा दूसरा बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के रामनगर उप केन्द्र से जुड़ा था। रामनगर फीडर लाइन के भोलटेज तथा उत्पादित भोल्टेज के बीच समानता नहीं रहने के कारण उर्जा गृह मशीन तथा रामनगर फीडर को समकालिक किया जाना सम्भव नहीं हो सका फलतः बाल्मिकीनगर में उत्पादित उर्जा को नेपाल के सूरजपूरा उप केन्द्र को अस्थाई उपाय के रूप में संचारित किया जाता रहा। अनेक बार बाल्मिकीनगर परियोजना सूरजपूरा उप केन्द्र के उर्जा की आवश्यकता की कमी के कारण

बन्द हुई थी यहाँ तक कि जब पर्याप्त प्रवाह उर्जा उत्पादन के लिए उपलब्ध था।

- विशेषज्ञों का एक दल (कम्पनी के परामर्शदाता) उर्जा केन्द्र में 2001 में आया तथा रिएक्टर स्थापित करने की अनुशंसा की ताकि आवश्यक भोल्टेज कायम रखा जा सके। जबकि कम्पनी ने रिएक्टर जुलाई 2005 में स्थापित किया। इस प्रकार उच्च भोल्टेज में सामनता नहीं रहने की समस्या का आरम्भ में आकलन करने में असफल रहने तथा रिएक्टर स्थापित करने में उत्तरोतर विलम्ब के कारण 2.99 मेगा यूनिट की हानि अप्रैल 2002 से जुलाई 2005 के बीच हुई जिसका मूल्य 60 लाख रूपये था।

त्रुटिपूर्ण उर्जा निष्क्रमण

उत्पादित उर्जा निष्क्रमण के संबंध में डी.पी.आर. प्रावधान के पालन न करने से 1.71 करोड़ रू. के संभाव्य उत्पादन की हानि हुई।

- एस.एच.पी.वी. बारून के डी.पी.आर. (अक्टूबर 1983) में बारून स्थित ग्रीड उप केन्द्र द्वारा उत्पादित उर्जा के 33 किलोवाट ओवर हेड एकल संचरण लाइन द्वारा रिक्तिकरण का अंदाज लगाया गया था। परियोजना के डी.वी.आर. (मरम्मत तथा रख–रखाव) (अप्रेल 2002) में उपलब्ध 33 किलोवाट फीडर को 132 किलोवाट सोन नगर उपकेन्द्र तक विस्तारित करने या दूसरे 33 किलोवाट लाइन का उर्जा गृह के स्वीच आहाते से 132 किलोवाट सोन नगर उप केन्द्र तक निर्माण का प्रावधान था, जिसे मार्च 2007 तक क्रियान्वित नहीं किया गया। लेखा परीक्षा जॉच में पाया गया कि उर्जा केन्द्र की वह इकाई मार्च 2007 के पूर्व पॉच वर्षो में 5047 घंटे बन्द रही। बिहार राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा आपूर्ति में गिरावट/असफलता के फलस्वरूप सम्भावित उर्जा उत्पादन 6.95 मेगा यूनिट जिसका मूल्य 1.39 करोड़ रूपये कि हानि हुई।

प्रबन्धन ने स्वीकार किया (सितम्बर 2007) कि यूकि एम.एन.ई.एस. इस कार्य के लिए कोई राशि स्वीकृत नहीं की अतः योजना क्रियान्वयन के लिए नहीं किया जा सका। बोर्ड 33/11 बारून उप केन्द्र का नवीकरण करने जा रही है तथा यह उम्मीद की जाती है कि इस उप केन्द्र के नवीकरण का कार्य बोर्ड द्वारा पूर्ण होने पर उर्जा गिरावट कम हो सकेगी।

इसी प्रकार ढेलाबाग उर्जा केन्द्र द्वारा उत्पादित उर्जा के रिक्तिकरण के लिए डी.पी.आर. (अप्रैल 2000) ने 11 किलोवाट लाइन देलाबाग से डेहरी 33/11 किलोवाट ग्रीड उन केन्द्र को 14 किलोमीटर लम्बे एकल परिपथ से जोड़ने का प्रस्ताव दिया। लेकिन यह पाया गया कि ढेलाबाग उर्जा केन्द्र से उत्पादित उर्जा का आरम्भिक रिक्तिकरण (अगस्त 2006) बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के नसरीगंज उर्जा उप–केन्द्र द्वारा किया जाता था। इसके उपरान्त यह अकोथी गोला उर्जा उप केन्द्र से 11 किलोवाट लाइन से जोड़ दिया गया (नवम्बर 2006), चूंकि 11 किलोवाट लाइन में त्रुटि वितरण उप केन्द्र की यात्रा में निरन्तर रहने के कारण संयंत्र चालू होने से मार्च 2007 तक 5,271 घंटे बन्द रहा, फलतः 1.59 मेगा यूनिट सम्मावित उर्जा उत्पादन जिसका मूल्य 31.83 लाख रूपये था, कि हानि हुई।

प्रबन्धन ने स्वीकार किया (सितम्बर 2007) कि गिरावट मुख्यतः बोर्ड के अकोथीगोला उप केन्द्र में बचाव प्रणाली नहीं रहने के कारण थी। प्रबन्धन ने पुनः जोड़ा कि बोर्ड के उप केन्द्र में बचाव प्रणाली को उन्नत बनाने के लिये कुछ प्रावधान बनाये गए हैं।

निकासी चैनेल का निर्माण नहीं

- पन बिजली परियोजनाओं में उर्जा का उत्पादन उर्जा चैनेल की जल उपलब्धता निर्भर करती है। 114.06 करोड़ रूपये की लागत से सिंचाई के लिए निर्मित नहरों पर तीन[1] उर्जा परियोजनाओं का गठन (1993–97) किया गया। नहर में पानी छोड़ा जाना प्रभावी क्षेत्र के मौसमी सिंचाई की आवश्यकता के अनुसार परिवर्तित होता था। सामान्यतः नहर चार महीने के लिए दो बार में निरन्तर प्रतिवर्ष बन्द रहता है, क्योंकि उस अवधि में प्रभावी क्षेत्र में सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती। नहर के बन्द रहने के दौरान पानी की अनुपलब्धता से निजात पाने के लिए डी.पी.आर. में बचाव नहर बनाने का प्रावधान किया गया, ताकि उत्पादन के बाद पानी बचाव नहर के द्वारा वापस नदी में भेजा जा सके।

- इन परियोजनाओं में बचाव नहर के निर्माण में कमी के कारण मार्च 2007 से पूर्व विगत पॉच वर्षों में 175.17 मेगा युनिट उर्जा जिसका मूल्य 35.03 करोड़ रूपये था, का उत्पादन पानी की कमी के कारण नहीं हो सका। बेकार पदार्थ छानने के जाल की अनुपयुक्त सफाई के कारण उत्पादन में कमी।

ट्रैश रैक की अनुपयुक्त सफाई के कारण उत्पादन में कमी।

- ट्रैश रैक[2] के अर्द्धप्रवाह में एकत्र हुए मलबा (जैविक/बहते हुए पदार्थ) टरबाइन के लिए छोड़े गए जल प्रवाह को रोक देते हैं। इसकी निरन्तर सफाई आवश्यक थी। मलवे को हाथों से हटाए जाने के लिए सम्बन्धित इकाई को बन्द करना आवश्यक था। संयंत्र की बन्दी से बचने के लिए वार्षिक संचालन एवं रख–रखाव का ठेका एक ठेकेदार को दिया जाना चाहिए जो साथ ही साथ आवश्यक रूप से पुल आगम द्वार पर बेकार पदार्थ छानने के जाल से सभी जैविक तथा बहते हुए पदार्थ की सफाई करते। इस प्रकार संयंत्र सुचारू रूप से चलता।

चार[3] पन बिजली परियोजनाओं के अभिलेखों की नमूना जॉच से पता चला कि 2002–07 के दौरान बेकार पदार्थ छानने के जाल की उपयुक्त सफाई ठेकेदार द्वारा नहीं की गई, इसके लिए ठेकेदार पर कोई दण्डात्मक कार्रवाई नहीं की गई। फलस्वरूप बेकार पदार्थ छानने के जाल की सफाई नहीं होने के कारण इकाई 1,271 घंटे बन्द रही। इस प्रकार कम्पनी को सम्भावित उर्जा उत्पादन 1.979 मेगा यूनिट जिसका मूल्य 39.58 लाख रूपये था कि हानि उठानी पड़ी।

कम्पनी के परामर्शी ने 76 लाख रूपये के प्राक्कलित लागत पर बारून डेहरी तथा बाल्मीकीनगर में बेकार पदार्थ छानने के जाल की सफाईमशीन स्थापित करने की सलाह (अगस्त 2001) दी। परन्तु कात्या को लेकर सभी चार परियोजनाओं में प्रबन्धन ने बेकार पदार्थो के जाल की हाथों से सफाई की प्रणाली जारी रखी।

प्रबन्धन ने कहा (सितम्बर 2007) कि निर्गम (आउटेज) बेकार पदार्थ के जाल के सफाई के कारण अब उतनी चिन्ताजनक नहीं हैं। इसी कारण संचालन तथा रख–रखाव ठेकेदार द्वारा नियमित रूप से किए जाने के कारण निर्गम से इकाई को बचाए रखा।

[1] वरूण, देहरी, और वाल्मीकिनगर एस.एच.पी.पी.

[2] ट्रैश रैक एक्नम जाल है जो मलवा को टरवाइन में जाने से रोकता है

[3] वरूण, देहरी, कटैया और वाल्मीकिनगर एस.एच.पी.प.पी.

लेकिन वास्तविकता यह थी कि कम्पनी को पहले ही 39.58 लाख रूपये की हानि उठानी पड़ी जिसके लिए ठेकेदार के विरूद्ध कार्रवाई की गई है।

क्रॉस नियामक पर द्वार के अ–स्वचालन के कारण पानी का कम छोड़ा जाना

डब्ल्यू.आर.डी. से प्राप्त (मार्च 2004) 1.15 करोड़ रू. के बावजूद गृह द्वार के स्वचालित न बनाए जाने से जल उपलब्धता में कमी तथा 62.87 करोड़ रू. मूल्य के संभाव्य उत्पादन की हानि हुई।

- तीन[1] परियोजनाओं के डी.पी.आर. में प्रावधान था जिसे परामर्शियों (2001) द्वारा बाद में सलाह दी गयी थी, कि विद्यमान हाथों से संचालित पतन द्वार को बिजली से संचालित स्वरूप में पुर्नगठित किया जाना (डीजल जेनेरेटर द्वारा समर्पित) तथा उर्जा गृह के द्वार से जोड़ा जाय। इस प्रकार के आपातकाल के दौरान जब उर्जा बन्द हो जाती है तो नहर का पतन द्वार स्वतः खुल जाय। जल संसाधन विभाग द्वारा डेहरी पतन द्वार के आधुनिकीकरण हेतु जल संसाधन विभाग द्वारा 1.15 करोड़ रूपये प्राप्त (मार्च 2001) के बावजूद तीन वर्षो के विलम्ब के बाद भी कार्य का आरम्भ नहीं हुआ था (मार्च 2007)।

फलतः सिंचाई विभाग इस सोच के कारण कि उर्जा उत्पादक इकाइयों के ट्रीप करने के दौरान क्रॉस नियामक पर दिए गए द्वार अल्प अवधि में नहीं खुल सकते जिसके कारण नहर मे दरार हो सकती है, उर्जा चैनेल के लिए आवश्यक बहाव के दो तिहाई से अधिक बहाव की अनुमति नहीं दी गई। कम्पनी को मार्च 2007 से पूर्व पॉच वर्षों में सम्भावित उत्पादन 314.37 मेगा यूनिट जिसका मूल्य 62.87 रूपये था कि हानि उठानी पड़ी।

प्रबन्धन ने कहा (सितम्बर 2007) कि तीन परियोजनाओं के द्वार के लिए प्राक्कलित 2.25 करोड़ रूपये के विरूद्ध जल संसाधन विभाग द्वारा डेहरी पतन द्वार के आधुनिकीकरण के लिए मात्र 1.15 करोड़ रूपये की राशि प्राप्त हुई। जिसका कार्यादेश दिया गया है। जबाब स्वीकार्य नहीं है क्योंकि डेहरी पतन द्वार के लिए निधि तीन वर्ष पूर्व प्राप्त हुई थी तथा कम्पनी ने अब तक कार्य पूरा नहीं किया (अगस्त 2007)।

पूरक उपभोग

2.1.34 उर्जा केन्द्रों द्वारा उत्पादित उर्जा का कुछ भाग उसके पूरकों द्वारा उपयोग में लाई जाती है तथा बिक्री के लिए उपलब्ध नहीं होती। सी.ई.ए. द्वारा तय मानक के अनुसार पन बिजली परियोजनाओं द्वारा उर्जा का पूरक उपयोग उत्पादित उर्जा के आधे प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। विभिन्न उर्जा परियोजनाओं द्वार मार्च 2007 के पूर्व विगत पॉच वर्षो में पूरक उपयोग नीचे दिया गया है :–

(अंक प्रतिशत में)

उर्जा परियोजना	2002–03	2003–04	2004–05	2005–06	2006–07
अग्नूर	–	–	–	–	3.33
बारून	3.53	3.38	3.57	3.30	3.38
डेहरी	3.66	3.57	3.58	3.20	3.14
कात्या	–	1.75	3.99	2.11	2.53
बाल्मीकीनगर	3.96	3.97	3.90	3.72	4.17

स्त्रोत : उत्पादन प्रतिवेदन / पंजी

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि न्यूनतम पूरक उपयोग (03–04) मे कात्या में 1.75 प्रतिशत था तथा अधिकतम बाल्मीकीनगर 06–07 में 4.17 प्रतिशत था। सभी उर्जा

[1] वरूण, देहरी और वाल्मीकिनगर एस.एच.पी.पी.

अधिकाई पूरक उपभोग के फलस्वरूप 1.75 करोड़ रू. की हानि हुई।

परियोजनाओं में सभी वर्षो में पूरक उपभोग, मानक (आधा प्रतिशत) से अधिक था। जिसके परिणामस्वरूप उर्जा की पूरक खपत 8.76 मेगा युनिट जिसका मूल्य 1.75 करोड़ रूपये था, से अधिक हो गया। प्रबन्धन द्वारा उपचारी कदम के रूप में अत्यधिक पूरक खपत के कारणों का विश्लेषण नहीं किया गया।

प्रबन्धन द्वारा बताया गया (सितम्बर 2007) कि अत्यधिक पूरक उपभोग नहरों के वर्ष के चार महीनों में बन्द रहने, एस.एच.पी.वी. के अशांत क्षेत्र में अवस्थित होने, जहॉ अच्छी प्रकाश व्यवस्था आवश्यक थी, और बारून कॉलोनी के प्रकाश व्यवस्था को पूरक उपभोग में जोड़े जाने के कारण था। प्रबन्धन द्वारा आगे बताया गया कि वह उर्जा केन्द्रों के परिसरों के लिए मीटरीकरण की व्यवस्था करेगा जिससे पूरक उपभोग का सही तस्वीर प्रकट होगी।

प्रबन्धन का कथन तर्कसंगत नहीं है क्योंकि 0.5 प्रतिशत के मानक को अपनाने के समय चार महीनों में पानी की अनुपलब्धता को ध्यान में रखा गया। जहॉ तक बारून स्थित कॉलोनी में विद्युत उपभोग का सम्बन्ध है जिसे पूरक उपभोग के विरूद्ध लेखाकृत किया जा रहा है, यह प्रबन्धन पक्ष की कमी है। प्रबन्धन ने अपने पूर्व के उत्तर में (अगस्त 2006) बताया था कि बारून और डेहरी स्थित एस.एच.पी.पी. नक्सल प्रभावित क्षेत्र में पड़ते है परन्तु अब (सितम्बर 2007) प्रबन्धन का यह कथन कि सभी एस.एच.पी. पी. अशांत क्षेत्रों में अवस्थित है, ग्राह्य नहीं हैं।

चालू संयंत्रों की जीर्णोधार और आधुनिकीकरण

2.1.35 बारून (1996) डेहरी (1993) और बाल्मीकीनगर (1995) संयंत्रों की स्थापना न्यूनतम आवश्यक संचालन प्रणाली के साथ हुई। कम्पनी ने अनुभव किया (सितम्बर 2001) कि इन इकाइयों में गेटों के स्वचालन, इस्केप चैनलों के निर्माण और मशीनरी/यत्रों के रख–रखाव और बदले जाने जैसी कुछ विशेषताओं को शामिल करने पर अधिक कार्य योग्य बनने की क्षमता थी। इसके अनुसार, कम्पनी ने 2003–04 में जीर्णोद्धार तथा आधुनिकीकरण कार्य शुरू करने तथा कार्य को रूपये 58.32 करोड़ की पूंजी लागत पर मार्च 2007 तक पूरा करने का प्रस्ताव किया। कम्पनी ने चार इकाईयों, यथा, डेहरी की दो इकाईयॉ तथा बारून और बाल्मीकीनगर की एक–एक ईकाई के पूंजीगत रख–रखाव को पूरा करने का भी लक्ष्य रखा (2003–04)। इस प्रकार, कम्पनी ने रू0 2 करोड़ की पूंजी लागत पर इन इकाइयों के पूंजीगत रख–रखाव का वचन देने का प्रस्ताव रखा।

यह अवलोकन किया गया कि कम्पनी न तो अपने निजी स्त्रोतों से निधि के उत्पादन में सक्षम थी, और न राज्य सरकार/वित्तीय संस्थानों से निधि प्राप्त करने में। इस प्रकार, तीन प्लाटों के जीर्णोद्धार तथा आधुनिकीकरण तथा चार इकाईयों का पूंजीगत रख–रखाव (सितम्बर 2007) नहीं शुरू किये गए।

प्रबंधन ने स्वीकार किया (सितम्बर 2007) कि कम्पनी को इस काम के लिए कोई निधि नहीं दी गई और उसने एक–एक करके गवर्नरों को बदलने का कार्य अपनी निजी निधि से शुरू किया।

प्लांटों का संचालन और रख–रखाव

2.1.36 कम्पनी ने (मई 1995) अपने छह[1] संचालन प्लान्टों के संचालन और रख–रखाव के लिए मासिक भुगतान के आधार पर निजी एजेन्सियों को काम पर लगाया था। निजी एजेन्सियों के साथ एकरारनामा में शामिल नियम एवं शर्तो के अनुसार संवेदकों की जिम्मेदारी थी कि पानी की उपलब्धता की शर्त पर प्रत्येक वर्ष हेतु न्यूनतम निर्धारित

[1] अगनूर, वरूण, देरही–ऑन–सोन, ढेलाबाग, कटैया तथा वाल्मीकिनगर एस.एच.पी.पी.

लक्ष्य उत्पादन करें। 2004–05 तक के संचालन एवं रख–रखाव संविदा के अनुसार यदि संवेदक लक्ष्य उत्पादन प्राप्त करने में असफल रहता है तो उसके विपत्र से एक आनुपातिक कटौती की जानी थी।

यह लक्षित हुआ कि बाल्मीकिनगर और कटैया के संचालन और रख–रखाव संवेदकों ने कम्पनी द्वारा निर्धारित लक्ष्य मार्च 2007 को समाप्त पॉच वर्षों में प्राप्त नहीं किया। इसी प्रकार, बारून और डेहरी के संचालन और रख–रखाव संवेदकों ने मार्च 2007 तक के अंतिम पॉच वर्षों में निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं किया। अगनूर और धेलाबाग के लिए कम्पनी ने कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया था (मार्च 2007) लक्ष्य की तुलना में कुल कम उत्पादन रू0 15.21 करोड़ रूपये मूल्य का 76.03 मेगा यूनिट हुआ।

कम्पनी ने लक्षित उत्पादन में कमी की पुनः प्राप्ति हेतु कोई प्रयास नहीं किया यद्यपि 2004–05 तक संवेदकों के साथ हुए एकरारनामें में इसके लिए अधिकृत किया गया था। 2005–06 के एकरारनामें में कम्पनी ने लक्ष्य से अधिक उर्जा उत्पादन के लिए प्रोत्साहन का उपबंध शामिल किया था, परन्तु लक्षित उत्पादन नहीं हासिल करने के लिए कोई दंडात्मक उपबंध नहीं रखा गया था।

प्रबंधन ने बताया (अक्टूबर 2007) कि दंडात्मक उपबंध (उपबंध–15) संचालन और रख–रखाव में सभी एकरारनामों में शामिल किया गया था। उत्तर तथ्यों पर आधारित नहीं है, क्योंकि उपबंध 15 प्लांट उपलब्धता में कमी तथा प्लान्ट औजारों के नुकसान से संबंधित था। वर्ष 2005–06 और उसके उपरान्त के सभी एकरारनामों में लक्षित उत्पादन नहीं प्राप्त करने पर लागू अन्य दंडात्मक उपबंध प्रबंधन द्वारा हटा दिया गया था।

उर्जा का विक्रय

2.1.37 दिसम्बर 1993 में राज्यसरकार द्वारा विद्युत उर्जा की दरों को निर्धारित करने के लिए गठित समिति ने निर्णय लिया (14 अगस्त 1966) कि मार्च 1999 तक 2 रूपये प्रति यूनिट की समान दर निर्धारित की जाय। कमिटी ने कम्पनी द्वारा बिक्री की गई उर्जा इकाई दर की समीक्षा 1999 के बाद भी नहीं किया फलतः बी.एस.ई.बी. को उर्जा का विक्रय अबतक (सितम्बर 2007) 2 रूपये प्रति यूनिट जारी था। अभिलेखों की नमूना जॉच से उद्घटित हुआ कि उर्जा की आपूर्ति के लिए मासिक विपत्र कम्पनी/संबंधित परियोजना के मुख्यालय से भुगतान हेतु बोर्ड को संबंधित विद्युत/संचरण प्रमण्डलों के द्वारा सत्यापित करने के उपरांत भेजे गए। परन्तु बोर्ड के द्वारा मासिक भुगतान हेतु किसी नियत तिथि के निर्धारण हेतु न तो कोई एकरारनामा और न कोई वाणिज्यिक शर्ते विभवान्तरण संचरण हानि हेतु कटौती, मासिक विपत्रों के भुगतान में त्रुअि/आंशिक भुगतान में त्रुटि हेतु दंडात्मक उपबंध बोर्ड के साथ निर्धारित नहीं किए गए।

अभिलेखों की छानबीन से प्रकट हुआ कि यद्यपि उर्जा बिक्री के लिए मासिक विपत्र कम्पनी द्वारा जारी किए जाते रहे, बोर्ड ने मासिक विपत्रों का नियमित भुगतान नहीं किया या आंशिक भुगतान। जारी विपत्र, प्राप्त भुगतान और प्रत्येक वर्ष के अंत में बकाया वसूली मार्च 2007 तक के पॉच वर्षों में का विवरण नीचे दिया गया है :–

(राशि : रूपये करोड़ में)

वर्ष	आरंभ शेष	जारी विपत्र	कुल बकाया	प्राप्त भुगतान	बकाया वसूली
2002-03	6.89	8.73	15.62	4.00	11.62
2003-04	11 62	9.09	20.71	1.50	19.21
2004-05	19.21	10.15	29.36	5.31	24.05
2005-06	24.05	13.62	37.67	14.79	22.88
2006-07	22.88	12.86	35.74	7.50	28.24

स्त्रोत : विपत्र वही

वर्ष 2002–03 से 2006–07 तक की अवधि में जारी मासिक विपत्रों की सघन जॉच से उद्घटित हुआ कि बकाये की रकम मार्च 07 तक रू0 3.65 करोड़ और 28.24 करोड़ के बीच थी।

वि.रा.बि.बोर्ड के साथ वाणिज्यिक शर्त्तों के अनिर्धारण के परिणामस्वरूप भारी बकाया और 2.40 करोड़ रूपये की ब्याज हानि हुई।

इस प्रकार, मासिक विपत्र (बकाया राशि का बोर्ड द्वारा भुगतान की शर्त के अभाव में कम्पनी को 13 प्र.श.[1] की दर पर गणना करने पर मार्च 2007 तक समाप्त 5 वर्षो में 2.40 करोड़ रूपये) का घाटा सहना पड़ा। उर्जा विक्रय के लिए वाणिज्यिक शर्तों के अनिर्धारण का कारण अभिलेखों में नहीं था।

प्रबंधन द्वारा बताया गया (सितम्बर 2007) कि कम्पनी द्वारा बिहार राज्य विद्युत विनियमन आयोग और बोर्ड के साथ ऊर्जा क्रय अनुबंध द्वारा निर्धारित टैरिफ को प्राप्त करने के लिए कदम उठाये जा रहे है और यह वार्ताधीन था।

अत्यधिक विभवान्तर हानि

2.1.38 तीन[2] एस.एच.पी.पी. में 6.6 कि.वा. उत्पादित उर्जा बिक्री के लिए वि.रा.वि.बोर्ड को संचारित की गई, विद्युत अधिनियम 2003 के अनुसार उपभोक्ताओं के परिसर में मीटर लगाए जाने चाहिए जो इस मामले में बोर्ड है। अतएव, विपत्री कारण बोर्ड के 33 के.वी. अंत के आधार पर किया जाना चाहिए। उत्पादित उर्जा 6.6 के.वी. के वोल्टेज (33 के.वी.) को बढ़ाने की प्रक्रिया में संचरण हानि के रूप में कुछ उर्जा क्षय होती हे। भारत सरकार ने जल विद्युत परियोजनाओं में संचरण हानि के लिए 5 प्र.श. का मानक निर्धारित किया है (मार्च 1992)। कम्पनी ने बोर्ड के साथ अप्रिल 2001 को सम्पन्न बैठक में निर्णय नियमावली संचरण हानि के कारण विपत्र में से 3 प्र.शि. की कटौती की जाएगी, जब तक कम्पनी के द्वारा बोर्ड के प्राप्ति अंत में मीटर लगाए जाऐगें।

यह देखा गया (जनवरी 2007) कि कम्पनी ने बोर्ड को डेहरी और बाल्मीकिनगर उपकेन्द्रों में मार्च/अप्रिल 2006 के माह में मीटर लगा दिया था, परन्तु (मार्च 2007) अब तक बोर्ड द्वारा उनकी जॉच नहीं कराई गई थी। बारून में मीटर अब तक (मार्च 2007) नहीं बैठाया गया था।

इस प्रकार बोर्ड के अधिप्राप्ति स्थल पर मीटरों के नहीं बैठाए जाने के कारण और भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानकों से अधिक होने के कारण 2002–07 के दौरान कम्पनी को रू0 1.22 करोड़ का घाटा हुआ।

प्रबंधन द्वारा बताया (सितम्बर 2007) गया कि बोर्ड के साथ करार किया संचरण हानि मात्र एक तदर्थ व्यवस्था थी। साझा मीटर पठन शुरू होते ही, तदर्थ व्यवस्था समाप्त हो जाएगी और सम्पूर्ण बोर्ड पर पूर्व कालिक बकाया सामंजित कर लिया जायगा। सच तो यह है कि कम्पनी एस.एच.पी.पी. की स्थान के समय से ही अत्यधिक संचरण हानि के चलते हानि सहन कर रही है।

बीमा

2.1.39 वित्तीय विवेक की मॉग है कि कम्पनी को घाटे के विरूद्ध बीमा सुरक्षा चाहिए और यह सुनिश्चित करता है कि बीमा पॉलिसियों का समयानुसार नवीकरण हो ताकि यह चोरी और प्राकृतिक आपदा से अपनी परिसम्पतियों का बचाव कर सके।

राज्य के विभिन्न स्थानों पर स्थिति विभिन्न प्लान्टों की परिसपंतियों से संबंधित बीमा पालिसयिों की लेखापरीक्षा छान बीन से उद्घटित हुआ कि रूपये 21.75 लाख के तीन

[1] राज्य सरकार द्वारा कम्पनी को दिए गए ऋण के विरूद्ध भरित दर

[2] वरूण, देहरी तथा वाल्मीकिनगर

बीमा दावों को राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग ने इस आधार पर खारिज कर दिया (अगस्त 2003) कि दावों के समर्थन में कम्पनी ने आवश्यक कागजात सुपुर्द नहीं किया। कम्पनी द्वारा रा.उ. आयोग के निर्णय के विरूद्ध कोई अपील नहीं की गई। इसी प्रकार, कम्पनी को 16 लाख रू. के चार दावों में कुछ क्षतिपूर्ति प्राप्त नहीं हुई क्योंकि चोरी बाढ़ घटना की तिथि (7 अगस्त 1992, 25 अगस्त 1992 और 3 जुलाई 1992) तक बीमा पॉलिसी कालातीत हो चुकी थी, क्योंकि कम्पनी पॉलिसियों को जीवित रखने में असमर्थ रही।

प्रबंधन द्वारा बीमा पालिसियों के समयानुसार नवीकरण की प्रक्रिया को सुचारू नहीं बनाया गया। यह देखा गया कि बारून, चांडिल और बाल्मीकीनगर स्थित प्लांटो की विभिन्न परिलेय तैयार तीन बीमा सुरक्षाएँ (कवच)–13/14 फरवरी 2004 को कालातीत हो गई; जबकि बीमा कचव (सुरक्षा) 6 सितम्बर 2004 (बारून), 21 अगस्त 2004 (चांडिल, 9 अगस्त 2004 (बाल्मीकीनगर) को प्राप्त किये गए। बारून चांडिल और बाल्मीकीनगर स्थिति बोर्ड की परिसम्पतियों चोरी और प्राकृतिक आपदा के विरूद्ध बिना बीमा कवच के 176 से 205 दिनों तक रही।

प्रबंधन द्वारा बताया गया (सितंबर 2007) कि प्रस्तुत किए गये दावों को बदनियती से विलंब किया गया/नहीं निपटाया गया और बीमा कंपनी द्वारा दिए गये आश्वासनों का अनुपालन नहीं किया गया ताकि मामले कालातीत होने के फलस्वरूप समय सीमा के आधार पर खारिज किये जा सके न कि इस आधार पर कि कम्पनी ने दावों के समर्थन में आवश्यक कागजातों को सुपुर्द नहीं किया। प्रबंधन का तर्क स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि बाढ़/चोरी की घटना की तिथि को पॉलिसियॉ कालातीत हो गई थीं और रा. उपभोक्ता आयोग के निर्णय के विरूद्ध कम्पनी ने कोई अपील नहीं की।

आंतरिक नियंत्रण तथा आंतरिक लेखा परीक्षा

2.1.40 आंतरिक नियंत्रण प्रणाली प्रबंधकीय कृत्यों का अभिन्न अंग है। एक दक्षतापूर्ण तथा प्रभावी आंतरिक नियंत्रण प्रणाली कम्पनी को उसके उद्देश्यों को प्रणालीगत, मितव्ययिता और क्रमबद्धता से प्राप्त करने में मदद करती है। लेखा परीक्षा ने कंपनी की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली और आंतरिक लेखा परीक्षा में म्निलिखित कमियों/त्रुटियों का अवलोकन किया :

- कम्पनी ने कोई आंतरिक लेखा परीक्षा और लेखा मैनुअल त्येार नहीं किया था।
- विभिन्न जल विद्युत परियोजनाओं में धारित सामग्री (इनवेन्टरी) का भौतिक सत्यापन कभी नहीं किया गया।
- संचालित जल विद्युत परियोजनाओं द्वारा प्रस्तुत उत्पादन रिपोर्ट खानापूर्ति थे और निर्गमों का पूर्ण ब्यौरा नहीं देते थे।
- कम्पनी, सचिव का पद कभी नहीं भरा गया।

आंतरिक लेखा परीक्षा एक मूल्यांकन गतिविधि है और एक लोक सेवा है। साथ ही इस कृत्य में जॉच, मूल्यांकन लेखा और आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को मॉनीटर करना शामिल है। यह अवलोकित किया गया कि आंतरिक लेखा परीक्षा में उठाई गई आपतियॉ सामान्य प्रकृति की थीं और उनका अनुपालन निदेशक मंडल को प्रतिवेदित नहीं था।

उपर्युक्त मामले सरकार को प्रतिवेदित कर दिये गये हैं (जुलाई 2007); उत्तर प्रतीक्षित है (अक्टूबर 2007)।

निष्कर्ष

कम्पनी द्वारा तैयार किया गया वार्षिक वित्तीय बजट निधि प्रबंधन के उद्देश्यों को प्राप्त करने में आंतरिक नियंत्रण के प्रभावी साधन के रूप में प्रयुक्त नहीं किया जा सका, चूँकि न केवल अनुमान तथ्यों से विचलित थे, अपितु विचलनों का विश्लेषण भी नहीं किया जा रहा था। यद्यपि कम्पनी ने 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002–07 में अपनी उत्पादन क्षमता को 23.5 मेगावाट बढ़ाने तथा अपने तीन प्लान्टों का मार्च 2007 तक जीर्णोद्धार/आधुनिकीकरण करना शामिल किया था, तो भी कम्पनी अपनी क्षमता (धारित) केवल 2 मे. वाट ही बढ़ा सकी। कम्पनी नाबार्ड द्वारा वित्त प्रदत्त 17 परियोजनाओं में से एक भी परियोजना निर्धारित अवधि से पूरी नहीं कर सकी। झारखंड में अवस्थित आठ परियोजनाओं की नियति अनिश्चित थी। परियोजनाओं के कार्यान्ववयन में आसामान्य विलम्ब के परिणामतः लागत और समय में भारी वृद्धि हुई, इसके अतिरिक्त कि लक्षित जन समूह को समुचित मूल्य पर उर्जा प्रदान करने का उद्देश्य अपूर्ण रहा। अनुबंध में अपर्याप्त उपबंधों के कारण निविदा की मात्रा की तुलना में वास्तविक मात्रा में असामान्य वृद्धि हुई तथा मोबलाइजेशन अग्रिम लम्बे समय तक असमायोजित रहे। पूर्ण परियोजनाओं का उत्पादन निष्पादन भी असंतोषजनक रहा जिस से इसकेप चैनल, द्वारों का स्वचालनीकरण और प्रभावी शून्यीकरण प्रणाली जैसी आवश्यक सुविधाओं के अभाव में उर्जा उत्पादन में भारी क्षति हुई। उर्जा और उर्जा मीटर की बिक्री के लिए अनुबंध के अभाव में, कम्पनी वि.वि.बोर्ड से सम्पूर्ण बकायों को समयानुसार नहीं वसूल कर सकी।

अनुशंसाएँ

- कम्पनी को अपना बजट तथ्य आधारित और निष्पादन के अनुरूप तैयार करना चाहिए।
- राजस्व वसूली में वृद्धि
- निविदा आमंत्रण और निविदा निर्धारण की प्रक्रिया अवधि को कम किया जाना चाहिए।
- कम्पनी को मोबलाइजेशन अग्रिम की मात्रा और त्वरित समायोजन सम्बंधी प्रावधानों को पुनरीक्षित और संशोधित करना चाहिए।
- उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए कम्पनी की इस्केप चैनल के निर्माण, द्वारों के स्वचालितकरण और उर्जा आवश्यकता प्रभावी शून्यीकरण को गति प्रदान करना चाहिए।
- ऊर्जा की बिक्री के लिए अनुबंध, ऊर्जा कीमत की वसूली तथा ऊर्जा मीटर लगाने को प्राथमिकता दी जानी चाहिए ताकि समय पर वसूली की जा सके तथा ऊर्जा कीमत को सही–सही आंका जा सके।

2.2 बिहार राज्य पाठ्य पुस्तक प्रकाशन निगम लिमिटेड का प्रकाशन एवं बिक्री गतिविधियों का कार्यकलाप

मुख्य अंश

कम्पनी द्वारा पुस्तकों के छपाई हेतु आदेश देने में विलम्ब के फलस्वरूप पुस्तकें अबिक्रीत रहीं तथा विद्यार्थियों को शिक्षा सत्र शुरू होने पर भी किताबों से वंचित रहना पड़ा।

(कंडिका 2.2.9)

उपलब्ध पुस्तकों की बिक्री करने में कम्पनी के असफल रहने के फलस्वरूप 2003–06 की अवधि में 3.22 करोड़ से 4.94 करोड़ रूपये की धनराशि अवरूद्ध रही।

(कंडिका 2.2.10)

उन्नत मूल्य पर बिहार शिक्षा परियोजना परिषद् को पुस्तकों की आपूर्ति के फलस्वरूप वास्तविक मूल्य 61 करोड़ रूपये के बजाय 68 करोड़ रूपये का कम्पनी दावा।

(कंडिका 2.2.12)

बिहार शिक्षा परियोजना परिषद् को पुस्तकों की आपूर्ति पर राज्य सरकार से 40.61 करोड़ रूपये का राज्य सहाय्य कम्पनी को प्राप्त न होना।

(कंडिका 2.2.13)

एच.पी.सी.एल. से उच्च दरों पर कागज के क्रय के परिणामस्वरूप कम्पनी को 37.82 लाख रूपये का अतिरिक्त व्यय।

(कंडिका 2.2.19)

कागज की अधिक बर्बादी (2.01 लाख किलोग्राम) होने के कारण मुद्रकों को 58.80 लाख रूपये का अनुचित फायदा पहुँचाया गया।

(कंडिका 2.2.20)

सामान्य बिक्री के लिए (3.80 लाख) पुस्तकों का मूल्य 24.16 लाख रूपये तथा डी.पी.ई.पी. के 3.31 लाख पुस्तकों के लिए 30.86 लाख रूपये के मूल्य की पुस्तकें अप्रचलित होने के परिणामस्वरूप 55.02 लाख रूपये की हानि।

(कंडिका 2.2.21)

परिचय

2.2.1 बिहार राज्य पाठ्य पुस्तक प्रकाशन निगम लिमिटेड (कम्पनी) की स्थापना (अप्रैल 1965) राज्य सरकार के पूर्ण स्वामित्व में हुई। कम्पनी का मुख्य उद्देश्य बिहार राज्य को सस्ते मूल्य पर प्राथमिक, माध्यमिक तथा विश्वविद्यालय स्तर की सभी भाषाओं की पाठ्य पुस्तकों के प्रकाशन, मुद्रण, विक्रय एवं उपलब्धता से संबंधित सभी कार्य करना है। तथापि कम्पनी ने प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा के लिए पाठ्य पुस्तकों की छपाई तथा बिक्री तक ही अपने कार्य–कलापों को सीमित रखा।

कम्पनी के कार्य–कलाप इस प्रकार है :–

- राज्य/केन्द्र आधारित योजनाओं के अन्तर्गत एवं सामान्य बिक्री के लिए कागज का क्रय एवं पाठ्य पुस्तकों का प्रकाशन (कम्पनी ने खुले बाजार में अनुदानित दर पर पुस्तकों की बिक्री के लिए मई 2005 तक राज्य सहाय्य प्राप्त किया);
- पाठ्य पुस्तकों का प्रकाशन;
- अपने एवं भाड़े वाले गोदामों में प्रकाशित पुस्तकों का भंडारण;
- जिला कार्यक्रम समन्वयक/ जिला शिक्षा अधीक्षक को एवं विभिन्न गोदामों/बिक्री भंडारों में पाठ्य पुस्तकों का क्रमानुसार एवं सुगमता से ढुलाई;

कम्पनी के पॉच[1] बिक्री भंडार तथा अनुरक्त गोदामें कार्यरत है। हर बिक्री भंडार (केन्द्र) को भंडार निरीक्षक द्वारा प्रबन्धित किया जाता है जिसका पर्यवेक्षण मैनेजर (सेल एवं मार्केटिंग) द्वारा होता है जो कम्पनी के प्रबन्ध निदेशक को रिपोर्ट करता है।

कम्पनी का प्रबंध निदेशक मंडल के हाथ में है जिसमें पन्द्रह से अधिक और तीन से कम सदस्य नहीं होते। 31 मार्च 2007 को मंडल में एक अध्यक्ष, एक प्रबंध निदेशक तथा राज्य सरकार द्वारा नामित तीन निदेशक थे। प्रबंध निदेशक कम्पनी का मुख्य कार्यकारी है जिसकी सहायता पॉच खंड अधिकारी करते है। इनके अलावा भंडार प्रबंधकों के अन्तर्गत पॉच विक्रय भंडार भी हैं। संगठनात्मक ढ़ाचा का विस्तृत विवरण **(परिशिष्ट–17)** में दिया गया हैं।

कम्पनी के कार्य कलापों की समीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के 31 मार्च 1998 को समाप्त हुए वर्ष के बिहार सरकार के प्रतिवेदन (वाणिजियक) में की गई थी, जिन पर लोक उपक्रम समिति द्वारा अभी चर्चा की जानी हैं।

लेखापरीक्षा का क्षेत्र

2.2.2 वर्तमान निष्पादन समीक्षा फरवरी से मई 2007 की अवधि में सपन्न किया गया जिसमें वर्ष 2002–03 से 2006–07 की अवधि के लिए कम्पनी द्वारा पाठ्य पुस्तकों के प्रकाशन एवं बिक्री के कार्यकलापों को सम्मिलित किया गया है। लेखा परीक्षा ने कम्पनी के मुख्यालय एवं सभी पॉच केन्द्रों के साथ–साथ गोदामों के अभिलेखों की भी जॉच की।

लेखापरीक्षा का उद्देश्य

2.2.3 कम्पनी के प्रकाशन एवं बिक्री गतिविधियों की निष्पादन लेखा परीक्षा यह आकलन हेतु की गयी कि क्या :–

- कागज का क्रय एवं क्षय, अल्प व्यय तथा कागज की बर्बादी निर्धारित मानक के अन्दर था;
- योजना, सम्पादन एवं पुस्तकों का मुद्रण लक्ष्य के अनुसार थे;
- कम्पनी द्वारा पाठ्य पुस्तकों के विक्रय के लिए कोई विश्वसनीय बाजार नीति तैयार की गई;
- बकायों एवं राज्य सहाय्य की वसूली तत्परता एवं कार्यक्षमता से की गई; और

[1] पटना, गया, मुजफ्फरपुर, भागलपुर एवं पूर्णिया।

- आन्तरिक नियंत्रण पद्धति फलसाधक स्थिति में हैं।

लेखापरीक्षा का मापदण्ड

2.2.4 लेखा परीक्षा उद्देश्यों की प्राप्ति के संदर्भ में कम्पनी के निष्पादन के आकलन हेतु निम्न लेखापरीक्षा मापदण्ड अपनाये गये थे :–

- पाठ्य पुस्तकों के प्रकाशन के लिए आदेश;
- पाठ्य पुस्तकों के प्रकाशन हेतु पद्धति एवं मानक;
- मुद्रण/ढुलाई आदि हेतु नियम, प्रक्रिया, मार्ग दर्शन, बोर्ड के निर्देश एवं सरकारी निर्देश आदि;
- अधिकारों का हस्तांतरण, आन्तरिक नियंत्रण एवं आन्तरिक लेखा परीक्षा पद्धति आदि;

लेखापरीक्षा पद्धति

2.2.5 लेखापरीक्षा उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए निम्नलिखित लेखा परीक्षा कार्य प्रणालियों का एक मिला जुला उपयोग किया गया :–

- कागज के क्रय, प्रकाशन/पुस्तकों की बिक्री के संदर्भ में राज्य सरकार द्वारा जारी की गई मार्ग–दर्शिका/निर्देशों की जॉच;
- कागज एवं अन्य सामग्री के क्रय के मामलों की जॉच;
- नियमों, प्रणालियों एवं मार्ग–दर्शिका के साथ–साथ निदेशक मंडल की सभा की कार्यवाही का संक्षिप्त विवरण एवं कार्यसूची का अध्ययन;
- पुस्तकों की बिक्री एवं विपत्र तथा बिक्री एवं राज्य सहाय्य के अदत बकाया की वसूली की श्रेणीवार रूप में जॉच;
- लेखा परीक्षा जॉच परिणाम तथा प्रबन्धन के साथ विचार–विमर्श सम्बन्धी मुद्दे।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

2.2.6 लेखापरीक्षा निष्कर्षो को सरकार/प्रबंधन को अगस्त 2007 में प्रतिवेदित किये गये थे तथा 27 अगस्त 2007 को सम्पन्न सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के लिए लेखापरीक्षा समीक्षा समिति (ए.आर.सी.पी.एस.ई.) की बैठक में इस पर विचार विमर्श किया गया, जहॉ कम्पनी के प्रबन्ध निदेशक उपस्थित थे। सदस्यों द्वारा व्यक्त किये गये विचारों को ध्यान में रखते हुए समीक्षा को अन्तिम रूप दिया गया।

लेखापरीक्षा के निष्कर्ष को उत्तरवर्ती कंडिकाओं में वर्णित किया गया है :–

बाजार मे पुस्तकों की बिक्री

लक्ष्य निर्धारण

2.2.7 कम्पनी का मुख्य उद्देश्य राज्य के सभी विद्यार्थियों को सस्ते दर पर पाठ्य पुस्तकों का प्रकाशन कर उपलब्ध कराना था। 1983 से पूर्व, पुस्तकों के प्रकाशन का मूल्यांकन शिक्षा विभाग से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर किया जाता था तथापि, यह प्रक्रिया 1983 से आंकड़ों के उपलब्ध न होने के कारण बदल दी गयी और प्रकाशन हेतु पुस्तकों का मूल्यांकन पिछले तीन वर्षो की औसत बिक्री पर मामूली वृद्धि के आधार पर किया जाने लगा।

कम्पनी पाठ्य पुस्तकों की बिक्री के लिए बाजार नीति तैयार करने में असफल रही।

प्रबंध निदेशक ने कहा (अक्टूबर 2005) कि पुस्तकों के मुद्रण आदेश को अन्तीमीकरण करते समय निदेशक प्राथमिक शिक्षा (डी.पी.इ.) द्वारा यह देखा गया है कि कम्पनियों द्वारा प्रकाशित पुस्तकों की संख्या विधार्थियों की संख्या (वर्ग I से X तक) से काफी कम होता है जिसके फलस्वरूप बाजार में नकली पुस्तकें आती हैं। इस प्रकार से विधार्थी दूसरे प्रकाशकों द्वारा प्रकाशित पुस्तकें अधिक मूल्य पर खरीदने के लिए बाध्य हुआ। कम्पनी पाठ्य पुस्तकों की बिक्री के लिए बाजार नीति तैयार करने में असफल रही।

प्रबन्धन ने कहा (अगस्त 2007) कि कम्पनी वाणिज्यिक रूप में काम कर रही है तथा विद्यार्थियों की संख्या के आधार पर पुस्तकों का प्रकाशन कर भारी हानि नहीं उठायी जा सकती है। कम्पनी का जवाब मान्य नहीं है, क्योंकि वास्तव में निदेशक प्राथमिक शिक्षा द्वारा देखा गया है कि बाजार में नकली पुस्तकें बिकती हैं।

छपाई

2.2.8 कम्पनी पाठ्य पुस्तकों की छपाई अपने प्रेस के साथ–साथ अन्य निजी छपाई प्रेसों से जुलाई से सितम्बर के बीच कराती हैं, जिससे कि दिसम्बर के तीसरे सप्ताह के अंत तक पुस्तकें प्राप्त हो सके ताकि विधार्थियों को प्रति वर्ष जनवरी में शिक्षा सत्र के प्रारम्भ होने पर पुस्तकें उपलब्ध हो सके।

कम्पनी की एकेडमी शाखा द्वारा दी गई सूचना के अनुसार वर्ष 2002–03 से 2006–07 तक के पॉच वर्षो की अवधि में अपने प्रेस तथा निजी प्रकाशकों को दिये गये पुस्तकों के प्रकाशन आदेश एवं पुस्तकों के प्रकाशन का विवरण निम्न तालिका में दर्शाया गया है :–

(रूपये लाख में)

क्र. सं.	वर्ष / शिक्षा सत्र	2002–03 2003	2003–04 2004	2004–05 2005	2005–06 2006	2006–07 2007
1.	लक्ष्य (प्रकाशन)	110.00	32.16	165.15	65.75	43.95
2.	प्रकाशन के लिए पुस्तकों के आदेश					
	(क) अपने प्रेस को	3.00	3.35	–	–	3.90
	(ख) निजी प्रकाशकों को	118.30	111.25	170.93	71.60	32.78
	(ग) योग	121.30	114.60	170.93	71.60	36.68
3.	आदेशों की संख्या लक्ष्य से अधिक	11.30	82.44	5.78	5.85	..
4.	वास्तवकि आपूर्ति					
	(क) अपने प्रेस द्वारा	2.70	2.44	–	–	–
	(ख) निजी प्रकाशकों द्वारा	126.42	114.26	141.94	83.01	0.24
	(ग) योग	129.12	116.70	141.94	83.01	0.24
5.	अधिक प्रकाशित पुस्तक					
	(क) लक्ष्य से	19.12	84.54	–	17.26	–
	(ख) पुस्तकों के आदेश से	7.82	2.10	–	11.41	–

स्त्रोत : कम्पनी द्वारा प्रदत्त आदेश/आपूर्ति पंजी/सूचना

ऊपर दी गई तालिका में यह देखा जा सकता है कि :–

- पुस्तकों के प्रकाशन आदेश की संख्या प्रबन्धन द्वारा तय किये गये लक्ष्य से अधिक था;

- पुस्तकों के प्रकाशन पुस्तकों के प्रकाशन आदेश से अधिक थे (सिवाय वर्ष 2004–05 और 2006–07 के);
- कम्पनी के अपने प्रेस में पुस्तकों का प्रकाशन नगण्य संख्या में था (1.09 प्रतिशत)। कम्पनी ने कहा कि प्रेसों के आधुनिकीकरण न किये जाने के कारण ऐसा हुआ।
- निदेशक मंडल ने लक्ष्य निर्धारित करते समय जिक्र किया है कि प्रबन्ध निदेशक आवश्यकतानुसार अतिरिक्त पुस्तकों के मुद्रण हेतु आदेश देने के लिए प्राधिकृत किया गया था। प्रबन्ध निदेशक ने बोर्ड का अनुमोदन लिये बिना 1.05 करोड़ अतिरिक्त पुस्तकों के मुद्रण हेतु आदेश दिया था।
- मुद्रकों से पुस्तकों की प्राप्ति के समुचित अभिलेख का रख–रखाव नहीं किये जाने के कारण मुद्रकों से प्राप्त दर्शायी गई पाठ्य पुस्तकों की संख्या लेखापरीक्षा में सत्यापित नहीं की जा सकती थी।

प्रबन्धन ने कहा (अगस्त 2007) कि मुद्रण कार्यक्रम निदेशक मंडल के समक्ष अनुमोदनार्थ रखा गया था तथा मुद्रण कार्यक्रम में यह प्रस्तावित था कि जब कभी आवश्यकता हो, प्रबन्ध निदेशक पुस्तकों का मुद्रण कराता रहेगा और कम्पनी के निजी प्रेस के सम्बन्ध में यह कहा गया कि जो मशीन केवल नाम के लिए उत्पादक हैं, वे नहीं चलाये जा रहे हैं, क्योंकि इन मशीनों से ज्यादा बर्बादी होती हैं। प्रबन्धन का यह जवाब रक्षणीय नहीं है, क्योंकि निदेशक मंडल के द्वारा अनुमोदित लक्ष्य से ज्यादा पुस्तकों के मुद्रण हेतु निदेशक मंडल के अनुमोदन की आवश्यकता थी। अपने प्रेस के सम्बन्ध में यह निर्णय लेने की आवश्यकता थी कि प्रेस को चलाया जाय अथवा नहीं।

आदेश देने में देरी

2.2.9 प्रकाशन आदेशों की नमूना जॉच से प्रतीत हुआ कि कम्पनी ने प्रकाशन आदेश जून–जुलाई के निर्धारित समय में नहीं दिये और इसमें एक महीने से दस महीने तक की देरी हुई जिसके फलस्वरूप किताबों की छपाई में देरी हुई।

यह देखा गया कि वर्ष 2006–07 को समाप्त पॉच वर्षो में 67.84 लाख, 1.10 करोड़ एवं 2.65 करोड़ की पुस्तकों के मुद्रण हेतु आदेश क्रमशः एक महीने, तीन महीने और तीन महीने से अधिक की देरी से दिए गए जो निम्न तालिका में दर्शाया गया है :–

(रूपये लाख में)

वर्ष	एक महीने	तीन महीने	तीन महीने से अधिक
2002–03	1.25	3.90	14.95
2003–04	0.80	0.50	187.25
2004–05	48.64	80.61	24.77
2005–06	17.15	25.10	5.05
2006–07	शून्य	शून्य	32.78
कुल	**67.84**	**110.11**	**264.80**

स्त्रोत : आदेश पंजिका

कम्पनी ने मुद्रकों को आदेश देने में विलम्ब किया।

कम्पनी द्वारा मुद्रकों को आदेश देने में विलम्ब के फलस्वरूप पुस्तकें अबिक्रित रहीं तथा विद्यार्थियों को शिक्षा सत्र शुरू होने पर किताबों से वंचित रहना पड़ा।

प्रबन्धन ने कहा (अगस्त 2007) कि टेंडर राष्ट्रीय स्तर पर दिये जाते हैं तथा इन टेंडर कागजों एवं प्रकाशन कार्यक्रम को पूरा करने में देरी हुई। जबाब मान्य नहीं हैं, क्योंकि

सही समय पर प्रकाशित पुस्तकों की प्राप्ति तथा विद्यार्थियों के वितरण के लिए पहले से ही प्रकाशन कार्यक्रम हेतु योजना बनायी जानी चाहिए थी।

पुस्तकों के प्रकाशन में विलम्ब

पुस्तकों के मुद्रण के विलम्ब की वजह से पुस्तकें न केवल अप्रचलित हो गई, बल्कि विधार्थियों तक सही समय पर नहीं पहुँच पाई।

2.2.10 अभिलेखों की नमूना जॉच में देखा गया कि निजी प्रकाशकों द्वारा अधिकाधिक संख्या में पुस्तकें एक महीने से चार महीने की देरी से आपूर्ति की गयी और शिक्षा सत्र के प्रारम्भ होने के बाद की तुलना में औसतन 66 प्रतिशत पुस्तकें देर से प्रकाशित की गयी और भेजी गयी। यह देखा गया कि वर्ष 2002–03 से 2005–06 की अवधि में 2.70 करोड़ की पुस्तकें शिक्षा सत्र प्रारम्भ होने के बाद प्रकाशित हुई। अन्तिम भंडार का मूल्य (अप्रचलित पुस्तकों को अपलिखित करने के बाद) वर्ष 2003–04 में रू0 3.22 करोड़ से वर्ष 2004–05 में 4.71 करोड़ तथा 2005–06 में 4.94 करोड़ रूपये के रूप में बढ़ गया। इस अवधि में 27.61 लाख रूपये मूल्य की अप्रचलित पुस्तकें अपलिखित की गयी। पुस्तकों के प्रकाशन में विलम्ब कि वजह से न केवल पुस्तकों के अन्तिम भंडार के मूल्य में वृद्धि हुआ, बल्कि शिक्षा सत्र प्रारंभ होने तक ये पुस्तकें विधार्थियों तक नहीं पहुँच पाने का कारण भी बना।

प्रबन्धन ने स्वीकारा (अगस्त 2007) कि वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर भंडार बंधा हुआ रहना स्वाभाविक है। वास्तव में प्रकाशन आदेश में देरी, प्राप्ति एवं वितरण में देरी के कारण अन्तिम भंडार का शेष वर्ष प्रति वर्ष बढ़ता गया जिसके फलस्वरूप कम्पनी की अधिकाधिक धन राशि अनावश्यक रूप से अवरूद्ध रही।

विक्रय कार्य

2.2.11 कम्पनी पुस्तकों का विक्रय बाजार में सीधे नहीं करती। बाजार में पुस्तकों का विक्रय एजेन्टों के माध्यम से किया जाता है। इसके लिए निगम को एजेन्टों द्वारा बेची गई पुस्तकों के मूल्य (बिक्रय मूल्य) का 17 प्रतिशत की दर से कमीशन देना पड़ता है। निम्न तालिका 2002–03 से 2006–07 के पॉच वर्षो की अवधि में कम्पनी के मार्केटिंग विंग द्वारा दिये गये कुल उपलब्ध पुस्तकों की तुलना में एजेन्टों को बेंची गयी पुस्तकों की संख्या दर्शाती हैं।

(संख्या लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष	प्राप्ति	योग (2+3)	विक्रय	परियोजना का स्थानातरण	विक्रय योग (5+6)	अन्तिम अवशेष (4–7)	कुल विकय का कुल उपलब्ध भंडार से प्रतिशत	अन्तिम अवशेष का कुल विक्रय से प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11
2002–03	45.33	140.35	185.68	83.17	14.91	98.08	87.60	52.82	89.31
2003–04	87.60	51.36	138.96	87.68	5.85	93.53	45.43	67.31	48.57
2004–05	45.44	140.22	185.66	78.04	55.00	133.04	52.62	71.66	39.55
2005–06	52.62	56.60	109.22	61.19	0.82	62.01	47.21	56.78	76.13
2006–07	47.20	2.42	49.62	6.92	9.33	16.25	33.37	32.75	205.35

स्त्रोत : कम्पनी द्वारा दी गई सूचना से।

उपरोक्त विवरणों से स्पष्ट है कि यद्यपि पुस्तकों का प्रकाशन कम्पनी द्वारा आकलन के आधार पर किया जाता है, यह 2002–03 से 2006–07 की अवधि में कुल उपलब्ध पुस्तकों में से केवल 32.75 से 71.66 प्रतिशत पुस्तकें ही बेच पायी और भंडार का बड़ा भाग अंतिम अवशेष के रूप में रह गया। पुस्तकों की प्राप्ति उपरोक्त तालिका से पूर्व कंडिका 2.2.8 में दर्शायी गयी वास्तविक आपूर्ति की संख्या से मेल नहीं खाती है। इस

असमानता के लिए प्रबन्धन से अनेकानेक बार कारण पूछे गए (मई और सितम्बर 2007), फिर भी इसे पूर्ण नहीं किया गया। कम्पनी द्वारा असमानता के कारण के लिए न तो विश्लेषण किया गया और न ही समाधान किया गया। कुल उपलब्ध पुस्तकों को बेच पाने में कम्पनी की असफलता के फलस्वरूप 2003–06 की अवधि में पुस्तक भंडार के अंतिम शेष के रूप में 3.22 करोड़ से 4.94 करोड़ रूपये की धन राशि अनावश्यक अवरूद्ध हो गयी। कम्पनी में पाठ्य पुस्तकों के आदेश, प्राप्ति विक्रय तथा अन्तिम अवशेष के बीच संबंध न होना उत्तरदायित्व के अभाव को दर्शाता हैं।

प्रबन्धन ने कहा (अगस्त 2007) कि विद्यार्थियों को बड़ी संख्या में मुफ्त पुस्तकें (राज्य सरकार के विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत) उपलब्ध करायी गई है, इसी कारण से कम्पनी की सामान्य बिक्री घटकर 150 लाख प्रति वर्ष से 40 लाख पुस्तकें प्रति वर्ष हो गई है। प्रबन्धन द्वारा यह भी कहा गया कि प्रकाशन योजना की तैयारी अन्तिम भंडार को ध्यान में रखकर स्वीकृत किया जाएगा जिससे भविष्य में अन्तिम भंडार घटेगा एवं अवरूद्ध धन राशि भी कम होगी। जबाब से यह उदधृत होता है कि अन्य योजनाओं में मुफ्त पुस्तकों के वितरण से अवगत होते हुए भी प्रबन्धन ने वार्षिक प्रकाशित पुस्तकों की संख्या को नियमित नहीं कर पाया या न ही उन एजेन्सियों से अपनी पाठय पुस्तकें उनके स्कीम में ऋणांकित कर वितरण करने के बारे में समन्वय किया। आगे पुस्तकों का अन्तिम भंडार वर्ष प्रति वर्ष बढ़ता गया, यह इस बात का द्योतक है कि पुस्तकों के अन्तिम भण्डार तथा उनकी खपत का पूर्वानुमान लगाए बिना ही मुद्रण योजना बनाई गई।

पुस्तकों का मूल्यांकन

2.2.12 पाठ्य पुस्तकों का मूल्य (मार्च 2006) सभी आकार (1/8 डी.सी., ए–4 और ए–5) के एक, दो और चार रंगों वाले कागज की लागत, छपाई खर्च तथा कागज एवं छपाई खर्च का 60 प्रतिशत परिव्यय खर्च के भीतर गणना कर तय किया जाता है। यह देखा गया कि वर्ष 2006–07 में बिहार शिक्षा परियोजना परिषद (बि.श.प.प.) के लिए प्रकाशित पुस्तकों की लागत का विवरण जारी करते समय कम्पनी प्रकाशन के उन्मत लागत को प्रकाशन के वास्तविक लागत की तुलना में बढ़ा दी थी, एवं प्रकाशन के बढ़े हुए लागत पर 60 प्रतिशत के दर से परिव्यय का दावा किया था। प्रकाशन के वास्तविक लागत 61 करोड़ रूपये के विरूद्ध (वर्ष 2006–07 के लिए बि.शि.प.प. के एस. एस.ए. एवं एल.एस. स्कीमों के अन्तर्गत 3.81 करोड़ पुस्तकों के प्रकाशन के लिए) कम्पनी ने बि.शि.प.प. से 68 करोड़ रूपये का दावा किया। तथापि कम्पनी ने प्रकाशन की लागतों का मिथ्या विवरण तैयार कर बि.शि.प.प. से 7 करोड़ रूपये का दावा किया जिसके लिए वह हकदार नही था।

विपत्रों के बढ़ाने से कम्पनी को 7 करोड़ रूपये का लाभ हुआ।

प्रबन्धन ने कहा (अगस्त 2007) कि कम्पनी के विकाशशील कार्यक्रमों एवं अन्य कार्यकलापों के लिए अतिरिक्त धन राशि उत्पन्न किया जाता है। प्रबन्धन इस सत्य को स्वीकारता है कि कम्पनी ने बि.शि.प.प. से 7 करोड़ रूपया प्राप्त किया है, जब कि यह अधिकार सही नहीं है। विकाशशील कार्यक्रमो के संबंध में धनराशि उत्पन्न करने के लिए कम्पनी को चाहिए था, कि वह इसके लिए सही उपाय अपनाए।

बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के योजनाओं के अन्तर्गत पुस्तकों की बिक्री

राज्य सहाय्य की प्राप्ति न होना

2.2.13 जिला प्राथमिक शिक्षा परियोजना (जि.प्रा.शि.प.) का कार्यान्वयन (1999 से 2005 तक) 11 शिक्षा जिलो (20 राजस्व जिलों) में प्रथम से पांचमी कक्षाओं के विधार्थियों के लिए हुआ। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद् (वि.शि.प.प.) को पूरे मूल्य पर जि.प्रा.शि.प. के लिए पाठ्य पुस्तकों की आपूर्ति इस शर्त के साथ करनी थी कि राज्य सरकार से 50 प्रतिशत की राज्य सहाय्य की प्राप्ति होने पर, उस रकम को बि.शि.प.प. को दे दिया जाये। कम्पनी द्वारा वर्ष 1999–2000 से 2002–03 की अवधि में राज्य सरकार से 19.55 करोड़ रूपये की दावा किया गया।

सर्व शिक्षा अभियान (स.शि.अ.), एक अन्य केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा आधारित योजना शिक्षा सत्र 2002 से लागू किया गया था, इस योजना के अन्तर्गत बिहार शिक्षा परियोजना परिषद को आधे मूल्य पर पुस्तकों की आपूर्ति करनी थी तथा 2002–03 से 2004–05 की अवधि के लिए राज्य सरकार से राज्य सहाय्य के 50 प्रतिशत की रकम 21.06 करोड़ रूपये का दावा किया था।

40.61 करोड़ रूपये के राज्य सहाय्य सरकार द्वारा खारिज कर दी गई।

राज्य सरकार ने आदेश किया (जुलाई 2003) कि चूंकि जि.प्रा.शि.प./स.शि.अ. योजनाओं के अन्तर्गत विद्यार्थियों को पुस्तकें मुफ्त में वितरित किये जाते थे, उस पर राज्य सरकार द्वारा जि.प्रा.शि.प. योजना के लागू से (1999) एवं स.शि.अ. योजना 2002 से आगे पुस्तकों पर राज्य सहाय्य देय नहीं होगा। इसलिए 1999 से 2005 तक जि.प्रा.शि.प. के 19.55 करोड़ रूपये तथा 2002–05 तक के स.शि.अ. के 21.06 करोड़ रूपये का राज्य सहाय्य का दावा प्राप्त करने योग्य नहीं रहा। इस प्रकार से राज्य सरकार से 40.61 करोड़ रूपये के राज्य सहाय्य की प्राप्ति की सम्भावना अल्पमात्र रह जाती हैं।

प्रबन्धन के कहा (अगस्त 2007) कि बि.शि.प.प. ने पुस्तकों को पूरा मूल्य देकर लेने में सहमत नहीं हुआ क्योंकि यही पुस्तक बाजार में आधे मूल्य पर बिक रही है, तद्नुसार बि.शि.प.व. को आधे मूल्य पर ही पुस्तकों को (2005–06 तक) तथा अब (2006–07 से) पुस्तकों की बिक्री पूरे मूल्य पर की गयी है। उन्होंने फिर कहा कि राज्य सरकार ने राज्य सहाय्य देने से इन्कार नहीं किया है। जवाब स्वीकार योग्य नहीं हैं, क्योंकि सरकार द्वारा पहले से ही आदेश जारी (जुलाई 2003) कि जा चुकी थी कि जि.प्रा.शि.प. /स.शि.अ. योजनाओं के अन्तर्गत पुस्तकों के वितरण पर राज्य सहाय्य देय नहीं था।

कमीशन का भुगतान

2.2.14 बि.शि.प.प. के पुस्तकों की आवश्यकता के अनुसार कम्पनी द्वारा पुस्तकें प्रकाशित कर बि.शि.प.प. को आपूर्ति करना है। यद्यपि यह देखा गया कि योजना में ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं था, तथापि कम्पनी ने बि.शि.प.प. को आपूर्तित की गयी पुस्तकों के दाम पर 17 प्रतिशत कमीशन दिया। इसके अतिरिक्त कमीशन के भुगतान न तो राज्य सरकार द्वारा और न ही निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित था।

बि.शि.प.प. को कमीशन के अनियमित भुगतान के कारण 23.07 करोड़ रूपये की हानि हुई।

इस प्रकार से, वर्ष 2002–03 से 2006–07 की अवधि में कम्पनी ने वि.शि.प.प. को पुस्तकों की आपूर्ति पर 23.07 करोड़ रूपये का अनियमित कमीशन दिया। इस प्रकार से कमीशन का भुगतान होने के फलस्वरूप कम्पनी को 23.07 करोड़ की हानि हुई।

प्रबन्धन ने कहा (अगस्त 2007) कि 17 प्रतिशत का कमीशन अनुमत्य नहीं किया गया, बल्कि बि.शि.प.प. कमीशन काटने के बाद भुगतान किया है। जवाब मान्य नहीं है क्योंकि कम्पनी द्वारा सरकार/वि.शि.प.प. के साथ प्रारम्भ में ही विषय वस्तु को रखना चाहिए था।

पुस्तकों का कम विपत्रीकरण

वर्ष 2002–05 की अवधि में पुस्तकों के विक्रय से कम्पनी को 18.75 लाख रूपये की हानि हुई।

2.2.15 कम्पनी ने वर्ष 2002 से 2005 की अवधि में बि.शि.प.प. को सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत शिक्षा सत्र 2002 से 2005 के लिए पॉचवी कक्षा के लिए उर्दू में गणित की पाठ्य पुस्तकों के मूल्य 30.50 रूपये के विरूद्ध 21.20 रूपये में बेचा। इसी तरह जि.प्रा.शि.प. योजना के अन्तर्गत शिक्षा सत्र 2002 एवं 2004 के लिए तीसरी, चौथी एवं पॉचवी कक्षाओं के लिए उर्दू में गणित की पुस्तकों को कमशः 23.10 रूपये, 40.70 रूपये एवं 30.50 रूपये मूल्य की जगह कम मूल्य पर क्रमशः 18.80 रूपये, 28.20 रूपये एवं 21.20 रूपये में बेचा गया। विक्रय मूल्य से कम मूल्य पर पुस्तकों की बिक्री करने के कारणो का कोई अभिलेख नहीं था। वर्ष 2002 से 2005 की अवधि में तीसरी, चौथी एवं पॉचवी कक्षाओं के लिए उर्दू के 2,11,440 पुस्तकों के विक्रय के लिए कम्पनी ने वास्तविक राशि 65.42 लाख रूपये की उगाही के विरूद्ध केवल 46.67 लाख रूपये की उगाही की थी। जिसके फलस्वरूप कम्पनी को 18.75 लाख रूपये की हानि हुई **(परिशिष्ट–18)**।

प्रबन्धन ने कहा (अगस्त 2007) कि अभिलेखों की जॉच से यह पाया गया कि वर्ष 2002–03 के लिए पॉचवी कक्षा के उर्दू में गणित की पुस्तक का विपत्र सही तैयार किया गया एवं भेजा गया था। अन्य कक्षाओं के संदर्भ में उन्होंने कहा कि भूलवश विपत्र पुराने दर पर तैयार किया गया था, तथापि 13.07 लाख रूपये का पूरक विपत्र तैयार कर भेजा गया है, यद्यपि कम्पनी ने कहा कि पूरक विपत्र भेज दिया गया है परन्तु उसने नहीं कहा कि कब भेजा है और न ही इसकी कोई कॉपी लेखापरीक्षा को भौतिक सत्यापन के लिए प्रेषित की। आगे ऐसी भूल–चूक हो जाने के कारणों विषय में कुछ नहीं कहा गया हैं।

लोक शिक्षण 2006 के लिए पाठ्य पुस्तकों के प्रकाशन में अनावश्यक व्यय

2.2.16 बि.शि.प.प. ने शिक्षा सत्र 2006 के लिए पहली से पॉचवी कक्षाओं के लिए लोक शिक्षण केन्द्र को 34.15 लाख पुस्तकों की आपूर्ति हेतु आदेश जारी किया (दिसम्बर 2005)। वि.शि.प. से पुस्तकों के लिए अधियाचना (दिसम्बर 2005) मिलने पर कम्पनी ने 22.25 लाख पुस्तकों के प्रकाशन के लिए निजी मुद्रकों को आदेश (अप्रैल–मई 2006) दिया तथा शेष 11.90 लाख पुस्तकों के लिए यह तय किया कि सामान्य बिक्री के लिए पहले से ही भंडार में पड़ी पुस्तकों पर मुहर लगा दी जाय।

यह देखा गया कि उपलब्ध पुस्तकों के भंडार में 11.60 लाख पुस्तकों पर मुहर लगा दिया गया था तथा 22.25 लाख पुस्तकें निजी मुद्रकों द्वारा प्रकाशित (जून से सितम्बर 2006) किया गया। लोक शिक्षण केन्द्र को आपूर्ति हेतु 33.85 लाख तैयार पुस्तकों में से मात्र 33.30 लाख पुस्तकें आपूर्ति की गई। शेष 0.55 लाख पुस्तकें, जिसमें 0.26 लाख पुस्तकें लोक शिक्षण केन्द्र के लिए प्रकाशित एवं 0.29 लाख मुहर लगी पुस्तकों का उपयोग न हो सका।

10.52 लाख रूपये की पुस्तकें अनुपयोगी रह गयी।

चूंकि मुद्रित/मुहर लगी/पुस्तकें कही भी विक्रय के योग्य नहीं थीं तथा यह योजना केवल एक वर्ष के लिए ही था, लोक शिक्षण 2006 के लिए अनापूर्तित किये गये 0.55 लाख पुस्तकों जिसका मूल्य 10.52 लाख रूपये था उपयोग लायक न रहने के कारण कम्पनी को 10.52 लाख रूपये की हानि हुई।

प्रबन्धन ने कहा (अगस्त 2007) कि मात्र 22.25 लाख पुस्तकें मुद्रित करायी गईं तथा सामान्य बिक्री के लिए भंडार में पड़ी 11.90 लाख पुस्तकें आपूर्तित की। जवाब मान्य नहीं है, क्योंकि 33.30 लाख पुस्तकों की आपूर्ति की गई थी जबकि शेष 0.55 लाख पुस्तके अनुपयोगी रह गया था।

2.2.17 सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत पाठ्य पुस्तकों की आपूर्ति में विलम्ब

सर्व शिक्षा अभियान, भारत सरकार द्वारा 2001–02 में लागू किया गया, जिसमें छः से चौदह वर्ष की आयु वाले बच्चे को 2010 तक उपयोगी एवं प्रासंगिक प्रारम्भिक शिक्षा प्रदान करना था। योजना के अन्तर्गत कक्षा I से VIII तक के समर्पित समूह के विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध करानी थी। बि.शि.प.प., जो योजना के कार्यान्वयन हेतु नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करती है, कम्पनी की पाठ्य पुस्तकों के प्रकाशन एवं आपूर्ति हेतु आदेश करती हैं।

31 मार्च 2007 को समाप्त हुए पॉच वर्षो की अवधि में बि.शि.प.प. से पुस्तकों के प्रकाशन आदेश एवं पुस्तकों की आपूर्ति को निम्न तालिका में दर्शाया गया है :–

(संख्या लाख में)

	वर्ष	2002–03	2003–04	2004–05	2005–06	2006–07
1	शिक्षा वर्ष	2002	2003	2004	2005	2006
2	बि.शि.प.प. द्वारा दिये गये आदेश की तिथि	अप्रैल 02	मार्च 03	दिसम्बर 03	दिसम्बर 04	अगस्त 05
3	आवश्यक पुस्तकों की संख्या	104.92	200.79	194.11	188.50	351.10
4	पुस्तकों की आपूर्तित संख्या	104.92	201.27	196.79	178.25	347.21
5	आपूर्ति शुरू होने की तिथि	मई 02	अप्रैल 03	फरवरी 04	जनवरी 05	मई 06
6	आपूर्ति पूरी होने की तिथि	नवम्बर 02	नवम्बर 03	नवम्बर 04	जून 05	अगस्त 06
7	कुल समय लगा (महीने)	1 से 8	1 से 9	2 से 11	1 से 7	10 से 13

स्त्रोत : सर्व शिक्षा अभियान संचिका तथा आपूर्ति भंडार पंजिका

कम्पनी शिक्षा सत्र के आरम्भ से ही पुस्तकें आपूर्ति करने में असफल रही।

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि जिला योजना संयोजक (डी.पी.सी.) को शिक्षा सत्र के मध्य या अन्त तक पाठ्य पुस्तकों की आपूर्ति की गई। इस प्रकार विद्यार्थियों को समय से पुस्तकें प्राप्त करने से वंचित रखा गया। एक तो बि.शि.प.प. द्वारा आदेश देने में देरी की गई, साथ ही हर स्तर पर जैसे निजी मुद्रकों को आदेश देने में, निजी मुद्रकों द्वारा प्रकाशन में तथा जिला मुख्यालय को पुस्तकों की आपूर्ति में देरी होती गई। कम्पनी ने शिक्षा सत्र 2002 से 2006 की अवधि में डी.पी.सी. को पुस्तकों की आपूर्ति हेतु 13 महीने तक का समय लिया। बि.शि.प.प को आपूर्तित पुस्तकों की संख्या हमेश मुद्रण हेतु आदेश से मूल नहीं खाते थे। कुछ जिलों में पुस्तकों की आपूर्ति अधिक मात्रा में की गई जबकि कुछ जिलों में कम मात्रा में आपूर्ति की गई। इस प्रकार कम्पनी हर वर्ष शिक्षा सत्र के प्रारम्भ में ही योजना के तहत पुस्तकें आपूर्ति करने में असफल रही, जिससे विद्यार्थियों को समय से पुस्तकों की प्राप्ति से वंचित रहना पड़ा।

प्रबन्धन ने कहा (अगस्त 2007) कि प्रकाशन सामग्रियों जैसे कि कागज, कवर कागज की प्राप्ति हेतु निविदा आमंत्रित करने के पश्चात् एवं मुद्रण की कार्य–पद्धति का अनुकरण करने के पश्चात ही मुद्रण का कार्य होता है जिसके फलस्वरूप विलम्ब स्वभाविक है। जबाब इस कारण मान्य नहीं है कि कम्पनी पिछले चार दशकों से पुस्तकों के प्रकाशन के व्यापार में लिप्त है और इसे अब तक मुद्रण कार्यक्रमों के नियोजन में पर्याप्त अनुभव होने चाहिए ताकि विलम्ब न हो।

2.2.18 जिला प्राथमिक शिक्षा परियोजना (डी.पी.ई.पी.)

बि.शि.प.प. ने कम्पनी को डी.पी.ई.पी.–III के परियोजना के अनुबंध के तहत राज्य सरकार के 20 जिलों में प्राथमिक स्कूलों के लक्ष्य समूह के बच्चों को पुस्तकों के क्रय एवं आपूर्ति हेतु आदेशित किया।

शिक्षा सत्र 2002 से 2005 तक के लिए बि.शि.प.प. द्वारा दिये गये पुस्तकों के आदेश तथा उसके विरूद्ध की गई आपूर्ति को निम्न तालिका में विस्तृत रूप से दर्शाया गया है:–

(संख्या लाख में)

क्र.स.	वर्ष	2002–03	2003–0	2004–05	2005–06
1	शिक्षा सत्र	2002	2003	2004	2005
2	बि.शि.प.प. द्वारा आदेश की तिथि	मई 01	..	दिसम्बर 03	जुलाई 05
3	आवश्यक पुस्तकों की संख्या	89.18	..	118.89	127.71
4	आपूर्ति की गई पुस्तकों की संख्या	88.94	..	117.25	योजना बंद (मार्च 2006) एवं सर्व शिक्षा अभियान में विलय परियोजना को पूरा करने में देरी के कारण
5	आपूर्ति शुरू होने की तिथि	अक्टूबर 02	..	जनवरी 05	
6	आपूर्ति पूरी होने की तिथि	मार्च 03	..	दिसम्बर 05	
7	कुल समय लगा (महीनों में)	17.22	..	13.24	

स्त्रोत : डी.पी.ई.पी. संचिका एवं आपूर्ति/भंडार पंजिका

शिक्षा सत्र 2002 के लिए, बि.शि.प.प. से पुस्तकों के आपूर्ति हेतु आदेश (मई 2001) प्राप्त हुए थे, जिसे दिसम्बर 2001 के अन्त तक उपलब्ध करवाने थे।

कम्पनी द्वारा पुस्तकों के समय पर आपूर्ति नहीं करने से डी.पी.ई.पी. के अन्तर्गत योजनाओं को पूरा नहीं किया जा सका।

कम्पनी ने शिक्षा सत्र 2002 के लिए, पुस्तकों के प्राप्ति एवं आपूर्ति हेतु दो वर्षो (मई 2001 से मार्च 2003 तक) तक का समय लिया। पुस्तकों की आपूर्ति विलम्ब से होने पर बि.शि.प.प. ने इन पुस्तकों का उपयोग शिक्षा सत्र 2003 के लिए किया। चूंकि जब इन पुस्तकों की आपूर्ति शिक्षा सत्र 2003 में किया, तथापि डी.पी.ई.पी. 2003 वर्ष के लिए पुस्तकों का मॉग पत्र नहीं दिया गया। फिर से शिक्षा सत्र 2004 (डी.पी.ई.पी. 2004) के लिए बि.शि.प.प. द्वारा दिसम्बर 2003 में पुस्तकों के प्राप्ति एवं आपूर्ति हेतु आदेश दिये गये। उसी तरह इस बार भी पुस्तकों की आपूर्ति जनवरी 2005 से दिसम्बर 2005 के बीच की गई जो कि शिक्षा सत्र 2004 के समाप्त होने पर हुआ। शिक्षा सत्र 2005 के लिए डी.पी.ई.पी.–III–2005 हेतु आवश्यक पुस्तकों की मॉग जुलाई 2005 में की गई। कम्पनी उन पुस्तकों की आपूर्ति न कर सकी। कुछ समय बाद परियोजना को बंद (मार्च 2006) कर उसे (डी.पी.ई.पी. 2005) सर्व शिक्षा अभियान में विलय कर दिया गया।

इस प्रकार कम्पनी द्वारा पुस्तकों के प्राप्ति एवं आपूर्ति समय से करने में असफल रहने के कारण डी.पी.ई.पी. योजनाओं के अन्तर्गत विधार्थियों को पुस्तकें आपूर्ति करने पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।

प्रबन्धन ने जबाब देते समय (अगस्त 2007) प्रकाशकों द्वारा पुस्तकों के प्रकाशन की प्रक्रिया पर विचारते हुए यह भी कहा कि कम्पनी को कागज के क्रय पर होने वाले आबकारी कर से छूट पाने के लिए प्रकाशकों को प्रमाण पत्र देने में आठ माह का समय लिया, इसके अतिरिक्त प्रकाशकों द्वारा उच्च न्यायालय में एक रिट भी दर्ज कर दिया गया। प्रबन्धन का जबाब मान्य नहीं है क्योंकि प्रकाशकों के साथ कम्पनी का समुचित संवाद ठीक न रहने के कारण उनसे प्रकाशित पुस्तकों की प्राप्ति में विलम्ब हुआ।

2.2.19 महँगे दाम पर कागज का क्रय

कम्पनी ने (फरवरी 2004) में 56/60 (जी.एस.एम.) प्रति ग्राम वर्गमीटर का 'श्वेत क्रीम वोव' जलांक पत्र के 8000 मैट्रिक टन एवं 130 प्रति ग्राम वर्ग मीटर के श्वेत आवरण पत्र के 800 मैट्रिक टन की आपूर्ति के लिए खुला निविदा किया। फलतः मार्च 2004 में हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन लि. तथा आन्ध्र प्रदेश पेपर मिल्स लि. से उनके प्राधिकृत वितरक श्री गोपाल भगवान दास के माध्यम से दो निविदा प्राप्त हुए।

यह पाया गया कि दोनों एच.पी.सी.एल. एवं ए.पी.पी.एम.एल. ने जलांक पत्र तथा अजलांक पत्रों की दरों को उद्घृत किया था। आन्ध्र प्रदेश पेपर मिल्स लि. के जलांक पत्रों की दर हिन्दुस्तान पेपर कारपारेशन लि. के जलांक पत्रों की दर से कम था। आन्ध्र प्रदेश पेपर मिल्स लि. ने कम्पनी द्वारा विनिर्देशित जलांक की ग्राहकता भी प्रस्तुत की। कम्पनी ने अप्रैल 2004 में हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन लि. से 1000 मैट्रिक टन जलांक पत्र एवं 5,880 मैट्रिक टन अजलांक पत्रों को ऊँची दर पर खरीदने का निर्णय लिया जिसके फलस्वरूप 37.82 लाख रू0 का अतिरिक्त व्यय हुआ। अजलांक पत्रों का क्रय अनियमित था क्योंकि निविदा सूचना में उसका कोई जिक्र नहीं था। कम्पनी ने भी नयी निविदा आमंत्रित करने हेतु कोई कार्रवाई नहीं की। वस्तुतः बिना प्रतिस्पर्धात्मक दरों की मॉग किये क्रय कर लिया गया था। फलतः संविदा विकृत हो गया। साथ ही कम्पनी ने अजलांक पत्रों के लिए आदेश निर्गत कर स्वामित्व चोरी के विरूद्ध सुरक्षा उपाय का समझौता किया।

अगस्त 2007 में प्रबंधन ने स्पष्ट किया कि हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन लि. से आन्ध्र प्रदेश पेपर मिल्स लि. की दरों की अपेक्षा कम दरों पर क्रय किया गया था तथा आन्ध्र प्रदेश पेपर मिल्स लि. की दर लेखा परीक्षा के विचार में उसकी सी.पी. यूनिट की दर थी। सी.पी. यूनिट एक लघु इकाई थी और समिति ने उसके नमूना को निकृष्ट कोटि का माना था। हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन लि. विगत 15 वर्षो से अच्छी कोटि के कागज की आपूर्ति करता आ रहा था। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार के निदेशानुसार सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की समिति को क्रय मूल्य पसंद का अधिकार दिया जाना था यदि उनके (उपक्रमों) द्वारा उद्घृत दरें न्यूनतम दर के 10 प्रतिशत के भीतर थीं। चूँकि हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन लि. की दर आन्ध्र प्रदेश पेपर मिल्स लि. की दर से मात्र 5% ज्यादा थी, इसलिए कम्पनी को कोई क्षति नहीं थी। मूल्यों को कम करने के लिए हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन लि. के साथ कोई वार्ता नहीं हुई।

इस सन्दर्भ में यह उल्लेखनीय है कि अब ऐसा कहना है कि सी.पी. यूनिट एक लघु इकाई है और इसका नमूना तुच्छ कोटि का है – यह बाद की सोच मात्र है, क्योंकि आन्ध्र प्रदेश पेपर मिल्स लि. की सी.पी. यूनिट की प्रस्ताव पर विचार नहीं किये जाने का ऐसा कोई कारण अभिलेख में दर्ज नहीं किया गया था। जहॉ तक भारत सरकार के

निदेशों का सवाल है, ये भारत सरकार के उपक्रमों के विभागों को जारी किये जाते हैं जो राज्य सरकार विभाग या उपक्रम में लागू नहीं होते हैं। भारत सरकार औद्योगिक संगठनों में भी सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की समिति को क्रय पसंद का अधिकार उनके साथ न्यूनतम निर्धारित मूल्य के निविदा पर आपूर्ति करने हेतु वार्ता करने के पश्चात् ही दिया जाता हैं। इसके अलावा निविदा अधिसूचना में क्रय पंसद (अधिमान) से सम्बन्धित प्रावधानों का विशेष रूप से उल्लेख किया जाना था। भले ही कम्पनी द्वारा भारत सरकार के निदेशों का अनुपालन किया गया था, लेकिन इन निदेशों का पूरी समग्रता के साथ पालन नहीं किया गया था क्योंकि जलांक पत्रों की आपूर्ति का आदेश हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन लि. को न्यूनतम उद्घृत दर पर नहीं दिया गया था जो पत्रों के क्रय एवं सुरक्षा के पहलू पर मितव्ययिता को सुनिश्चित करता। इस प्रकार प्रबंधन का जवाब अरक्षणीय है तथा पत्रों के सुरक्षा पहलू की उपेक्षा कर 5% अधिक दर पर क्रय करना जो 37.82 लाख रू. के अतिरिक्त व्यय को दर्शाता है, युक्तिसंगत नहीं ठहराया जा सकता हैं।

कम्पनी ने जलांक पत्रों के क्रय में 37.82 लाख रूपये का अतिरिक्त व्यय किया।

2.2.20 मुद्रण कागजों की अत्यधिक बर्बादी

वर्ग प्रथम से दशम तक की पाठ्य पुस्तकों का मुद्रण निजी मुद्रकों द्वारा कराया जाता है तथा (जिला प्राथमिक शिक्षा परियोजना–III के अन्तर्गत आपूर्तित पुस्तकों के कागज को छोड़कर), मुद्रण कागजों की आपूर्ति कम्पनी द्वारा की जाती हे।

विगत 2002–03 से 2005–06 तक के चार वर्षो में वर्ग प्रथम से दशम तक की पॉच पाठ्य पुस्तकों (हिन्दी, गणित, अंग्रेजी, समाज अध्ययन एवं समाज विज्ञान) के मुद्रण में कागजों की खपत की नमूना जॉच से यह प्रकट हुआ कि 714.25 लाख पुस्तकों के मुद्रण हेतु मुद्रकों को 141.36 लाख किलोग्राम कागजों की आपूर्ति की गई। बाद में पाया गया कि कम्पनी मुद्रित होने वाली पुस्तकों के आकार के आधार पर मुद्रकों को कागज मुहैया कराती है। कागज निर्माता द्वारा आपूर्ति किये गये कागज मानक आकार के होते हैं। 1/8 डी.सी. आकार की एक पुस्तक के मुद्रण के लिए मुद्रक को 74× 101.6 से.मी./75×102 से.मी. के आकार के कागज की आपूर्ति की जाती है। ए–5 और ए–4 आकार की पुस्तकों के मुद्रण के लिए का आकार 86×57.8 से.मी. होता है। सम्पूर्ण किताब के आकार के मुताबिक, कागज को काटा–छॉटा जाता है। लेखा परीक्षा की गणना के अनुसार कटैया–छॅटैया के फलस्वरूप कागजों की बरबादी 6 से 8% के बीच होता है जो किताबों के आकार पर निर्भर करता हैं। तथापि प्रबंधन ने, एन.सी.ई. आर.टी. द्वारा अनुमत्य कागज के छॅटैया की प्रतिशतता का उल्लेख करते हुए सितम्बर 2005 में कहा कि छॅटैया के लिए 10% की प्रतिशतता एवं 2.5 से 3.5% तक रंगीन मुद्रण की बर्बादी को सामान्य क्षति माना जा सकता है। कम्पनी द्वारा अनुसरण किये जा रहे नियम के मुताबिक क्षति की प्रतिशतता को मानते हुए कम्पनी को 714.25 लाख पुस्तकों के मुद्रण हेतु 139.35 लाख किलोग्राम कागज की आपूर्ति करनी चाहिए थी। लेकिन इसके विरूद्ध कम्पनी ने मुद्रकों को 141.36 लाख किलोग्राम कागज की आपूर्ति की। इस प्रकार 58.80 लाख रूपये मूल्य के 2.01 लाख किलोग्राम कागज की अत्यधिक बर्बादी की अनुमति दी गई जो कि मुद्रकों के पक्ष में अनुचित लाभ साबित हुआ।

58.80 लाख रूपये की अत्यधिक कागज बर्बादी मुद्रकों के पक्ष में अनुचित लाभ साबित हुआ।

अगस्त 2007 में प्रबंधन ने अपने जबाब में 10% तथा 2.5 से 3.5% के नियम को दुहराया तथा मुद्रकों को 58.80 लाख रू. अत्यधिक बर्बादी की अनुमति पर चुप्पी साध ली।

2.2.21 अप्रचलित पुस्तक

पुस्तकों के ससमय वितरण में विफल रहने के कारण एवं उन्हें रद्दीयों के भाव में बेचने के कारण 31 लाख रूपये की हानि हुई।

बिहार सरकार ने प्रथम चरण में नई पुस्तकों को (दिसम्बर 1997 से अक्टूबर 2000) सत्र 1997–98 से सुनियोजित तरीके से प्रस्तावित किया। नई पुस्तकों की प्रस्तावना में 3.80 लाख पुस्तकें, जिसका मूल्य 24.16 लाख था जो वर्ग प्रथम के पॉचवें तक दशम् वर्ग का था विक्रय नहीं होने के कारण "अप्रचलित" रह गई। ये पुस्तकें कम्पनी के भण्डार (स्टॉक) में नहीं रहती यदि बिहार सरकार द्वारा प्रस्तावित नई पुस्तकों की उचित समय पर कम्पनी द्वारा आपूर्ति कर दिया जाता। ये पुस्तकें जिनकी लागत 33.30 लाख रूपये थी, को रद्दी के रूप में सितम्बर से दिसम्बर 2006 के बीच में 2.44 लाख रूपये में बेच दिया गया। अतः पुस्तकों के ससमय मुद्रण एवं वितरण में असफल रहने के कारण 30.86 लाख रूपये की हानि हुई। 24.16 लाख रूपये की पुस्तकें अप्रचालित अथवा बेकार हो गई है और अप्रचलित पुस्तकों के कारण यह हानि में अग्रेतर वृद्धि होगी जब इन पुस्तकों को अप्रचलित के रूप में बेचा जाएगा अथवा अपलिखित किया जाएगा।

यह भी पाया गया कि शैक्षणिक सत्र 1999 और 2000 की अवधि में वर्ग 1 से 5 तक की हिन्दी, उर्दू, बंगला एवं जनजातीय (आदीम) भाषाओं की पुस्तकें प्राईवेट छापाखाना से 3.31 लाख पुस्तकें छपाई गई, जो जिला प्राथमिक परियोजना योजना (स्कीम) के तहत् बिहार शिक्षा परियोजना पर्षद को आपूर्ति नहीं की गई और निगम के भण्डार (स्टॉक) में पड़ी रह गई।

2.2.22 प्रेस के आधुनिकीकरण की योजना

1972 में स्थापित प्रेस की संस्थापित क्षमता वर्ष के 300 दिनों में एक दिन में दो पालियों में 100.50 लाख पुस्तकें प्रति वर्ष प्रकाशित करनी थी। (क) मशीनों के पुराने होने के कारण (ख) उचित रख–रखाव के अभाव में (ग) खराब हो गए पुर्जो के न बदलने से (घ) अधिक खराबी और (ड़) खराब उत्पादन के कारण मशीनों के चलने में रूकावट के कारण प्रेस की क्षमता कम होती गयी। वर्ष 1999 में प्रेस के आधुनिकीकरण के लिए राष्ट्रीय उत्पादक्ता परिषद द्वारा परियोजना प्रतिवेदन तैयार किया गया। सात वर्षो के बीत जाने के बाद राष्ट्रीय उत्पादक्ता परिषद से पुनः सम्पर्क स्थापित कर पुनरीक्षित प्रतिवेदन समर्पित करने को कहा गया एवं उसे ही नोडल एजेंसी के रूप में स्थापित किया गया जो पुनरीक्षित आवश्यकताओं को एवं मशीन के बारे में विस्तारपूर्वक व्याख्या, योजना को लागू करना, मशीन के क्रय के लिए निविदा के कागज तैयार करना, सामग्री के क्रय एवं स्थापना के लिए सही आपूर्तिकर्ता की अनुशंसा करने, नियम काल में उन्नति की समीक्षा करने, कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने, तथा कार्यक्रमों के विकास एवं संचालन का कार्य करेगा। रा.उ.प. को प्रतिवेदन समर्पित करने पर 1.50 लाख रूपये दिये गये (अक्टुबर 2006)। इस प्रतिवेदन में प्रथम चरण के मशीनों के क्रय करने के लिए 7.58 करोड़ रूपये का आकलन रा.उ.प. द्वारा किया गया। एन.पी.सी. द्वारा समर्पित किये गये प्रतिवेदन को निदेशक पर्षद द्वारा अनुमोदित कर स्वीकार किया गया (नवम्बर 2006)। निदेशक मंडल ने कम्पनी के कोष से मशीनों के क्रय हेतु प्रस्ताव को अनुमोदित किया।

आधुनिकीकरण योजना न लागू करने के कारण कम्पनी ने अपने प्रेस को अलाभकारी ढ़ंग से (अक्टुबर 2007) चलाने के कारण मजदूर की बड़ी संख्या को अन्य कार्य में लगा दिया।

प्रबन्धन ने कहा (अगस्त 2007) कि नयी मुद्रण मशीन के क्रय के लिए निविदा आमंत्रित किया गया है।

2.2.23 आंतरिक नियंत्रण/आंतरिक लेखापरीक्षा

आंतरिक नियंत्रण प्रबंधन का एक अस्त्र है जो एक निश्चिन्तता प्रदान करता है कि उद्देश्यों की प्राप्ति मितव्ययिता, दक्षता एवं क्रमिक तरीके से की जा रही है। लेखा परीक्षा के दौरान यह भी देखा गया कि कम्पनी आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में भी अदक्ष रही जिसकी विवरणी निम्नलिखित है :–

- कम्पनी प्रभावशाली अभिशासन हेतु सूचनाओं/डाटा के संग्रहण एवं संचयन हेतु कोई विस्तृत प्रबंधकीय सूचना प्रणाली की व्यवस्था नहीं कर सकी।

- सत्र 2004–05 में 115.03 क्वींटल छपाई पेपर जिसका मूल्य 3.31 लाख था, आरम्भ शेष के रूप में भण्डार पंजी में नहीं लिया गया। प्रबंधन के द्वारा इसका कोई विश्लेषणात्मक कारण नहीं बताया गया।

- छपाई पेपर की भण्डार पंजी का उचित रख–रखाव नहीं किया गया, चूंकि अनेकानेक मौकों पर अन्तः शेष को ऋणात्मक अंको में दर्शाया गया। "शून्य" दिखाया गया। पर्यवेक्षकीय कर्मचारी द्वारा भण्डार पंजी की कमी को नहीं जॉचा गया।

- लेखापरीक्षा को जॉच के लिये भण्डार पंजी का भौतिक सत्यापन प्रतिवेदन नहीं दिया गया, जिससे की प्रतीत होता है कि रहतियों का भौतिक सत्यापन नहीं किया गया है।

- पाठ्य पुस्तकों की भण्डार पंजी का भी उचित रख–रखाव नहीं किया जाता है, चूंकि सामान्य बिक्री एवं सर्व शिक्षा अभियान के लिए निजी प्रेस से प्राप्त पुस्तकों को पंजी में दर्ज नहीं किया गया था। भण्डार पंजी में सिर्फ निर्गत पुस्तकों को ही दर्शाया गया था, और अन्तः शेष नहीं दिखाया गया।

- पुस्तकों के अप्रचालित होने का सबसे मुख्य कारण आंतरिक नियंत्रण का अभाव पाया गया।

- कम्पनी की कोई आंतरिक लेखापरीक्षा शाखा नहीं है। कम्पनी ने कोई आतंरिक नियंत्रण संहिता नहीं बनायी। कम्पनी लेखा संग्रहण के लिये "चार्टर एकाउन्टेन्ट" नियुक्त करती है, जो बैंक समाधान, भौतिक सत्यापन प्रतिवेदन और पुस्तकों का मूल्यांकन करता है। यहॉ तक कि इन फर्मो ने भी छपाई पेपर/टेक्सटबुक आदि भंडार का भी भौतिक सत्यापन सम्पन्न नहीं किया हैं।

प्रबन्धन द्वारा (अगस्त 2007) जबाब में कहा गया कि भण्डार में छपाई पेपर का ऋणात्मक अंक ग्रास वजन मापी तो कभी नेट वजन मापी के आधार पर दर्शाया जाता है। पुस्तकों की भण्डार पंजी के बारे में कहा गया कि डी.पी.ई.पी.–III के लिए भण्डार पंजी का रख–रखाव केन्द्रीय भण्डार निगम (सी.डब्लु.सी.) द्वारा किया जाता है। "केन्द्रीय भंण्डार निगम" (सी.डब्लु.एच.सी.) के द्वारा भण्डार पंजी का रख–रखाव किया जाता हैं। छपाई पेपर के भौतिक सत्यापन के बारे में कहा गया कि छपाई पेपर की भण्डार पंजी का भौतिक सत्यापन आंतरिक लेखापरीक्षकों द्वारा किया जाता हैं।

अतः प्रबंधकीय जबाब से पूर्ण स्पष्टः है कि निगम का आंतरिक नियंत्रण प्रणाली उचित ढ़ंग से कार्यरत नहीं है और कम्पनी छपाई पत्रों का भौतिक सत्यापन प्रतिवेदन प्रस्तुत कराने में पूर्णतः असफल रही।

इन सभी मामलों को सरकार को प्रतिवेदित किया (जुलाई 2007), जबाब प्रतीक्षित है (अक्टूबर 2007)।

निष्कर्ष

कम्पनी बाजार में सामान्य बिक्री के लिए पुस्तकों को ससमय प्रकाश करवाने में असफल रही। बि.शि.प.प. को योजना के अन्तर्गत जैसे कि सर्व शिक्षा अभियान (एस.एस.ए.) एवं जिला प्राथमिक शिक्षा परियोजना (डी.पी.ई.पी.) पुस्तकों की आपूर्ति विलम्ब से की गई।

पुस्तकों के प्रकाशन के लिए कागज का क्षय/बर्बादी मानक के अनुरूप नहीं थे। उन्मत मूल्य पर पुस्तकों की आपूर्ति बि.शि.प.प. को करने के फलस्वरूप प्राप्त होने वाले भुगतान के लिए कम्पनी हकदार नहीं हैं। पुस्तकों की बिक्री से होने वाले बकायों एवं राज्य सहाय्य की प्राप्ति नहीं होने से कम्पनी की वित्तीय स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। कम्पनी ने पाठ्य पुस्तकों के समुचित विक्रय के लिए किसी भी प्रकार की बाजार नीति तैयार नहीं की। स्टॉक पंजियों को सही तरीके से तैयार न करने एवं भंडारों का भौतिक सत्यापन न कराने से आंतरिक नियंत्रण पद्धति भी फल साधक नहीं रही।

अनुशंसाएँ

कम्पनी को चाहिए कि :

- कम्पनी द्वारा पाठ्य पुस्तकों की गुणवत्ताओं को परखकर ही, पुस्तकों को प्रकाशित कराया जाय। इस आदेश को कम्पनी के अन्दर लागू किया जाय। शैक्षणिक अवधि प्रारम्भ होने से पहले ही समय निर्धारित कर पुस्तकों की छपाई एवं वितरण किया जाय।

- प्रेस के त्वरित आधुनीकीकरण का कार्य पूर्ण किया जाय जिसकी लागत कम्पनी राशि (मूल्य) की क्षति पूर्ति के समकक्ष कम समय में कर ली जाय।

- पाठ्य पुस्तकों की "कीमत" वास्तविक अर्थो में आंकी जाय।

- अपने दायित्वों में कमी लाने हेतु पब्लिक–प्राईवेट साझेदारी की कोशिश करें।

- बकायों एवं राज्य सहाय्य के वसूली हेतु तत्परता एवं कुशलता से काम किया जाय।

- पुस्तकों की बिक्री बढ़ाने के लिये बाजार नीति का गठन किया जाय।

- भण्डारों का भौतिक सत्यापन कराया जाय एवं भण्डार पंजी का उचित रख–रखाव किया जाय।

अध्याय – III

सांविधिक निगमों से सम्बन्धित निष्पादन समीक्षाएँ

बिहार राज्य विद्युत बोर्ड में ट्रान्सफार्मरों की अधिप्राप्ति, कार्यपालन, रख–रखाव एवं मरम्मति पर निष्पादन समीक्षा

मुख्य अंश

शक्ति रूपान्तरण क्षमता का उप–शक्ति रूपान्तरण क्षमता के बीच असंतुलन के परिणामस्वरूप ट्रान्सफार्मर अत्यधिक भार युक्त हो गये। वर्ष 2002–07 के दौरान उप–शक्ति रूपान्तरण क्षमता में वृद्धि 53.45 प्रतिशत के विरूद्ध शक्ति रूपान्तरण क्षमता में वृद्धि मात्र 31.06 प्रतिशत ही थी।

(कंडिका 3.6.2)

ट्रान्सफार्मर की अधिप्राप्ति पर प्रवेश कर की अनुमति देने के फैसला लेने में विलम्ब के कारण 1.37 करोड़ रूपये का परिहार्य व्यय करना पड़ा।

(कंडिका 3.6.3)

5 एम.वी.ए. ट्रान्सफार्मर अधिप्राप्ति के लिए निविदा को अंतिम रूप देने में विलम्ब के फलस्वरूप 3.47 करोड़ रूपये का अतिरिक्त व्यय करना पड़ा।

(कंडिका 3.6.4)

वर्ष 2003–04 से 2005–06 के दौरान मानकों से 8,398 ट्रान्सफार्मरों के अधिक खराब होने के कारण उसकी मरम्मति पर 14.42 करोड़ रूपये अतिरिक्त व्यय किया गया।

(कंडिका 3.7)

अपर्याप्त रख–रखाव के फलस्वरूप 2.57 करोड़ रूपये मूल्य के ट्रान्सफार्मर पूर्णतः जल गये।

(कंडिका 3.8 एवं 3.9.4)

ट्रान्सफार्मर मरम्मति कार्यशाला (टी.आर.डब्लु.) में प्राप्त खराब ट्रान्सफार्मरों से 5.68 करोड़ रूपये एवं 45.26 लाख रूपये का क्रमशः ट्रान्सफार्मर तेल एवं पार्ट पुर्जे गायब पाये गये, जिसके लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई।

(कंडिका 3.9.2 एवं 3.9.3)

मरम्मति के लिए उपसाधनों के आदेश उपस्थापन एवं आदेश को अंतिम रूप देने में विलम्ब के फलस्वरूप 1.35 करोड़ रूपये का परिहार्य वित्तीय प्रतिबद्धता करनी पड़ी और आवर्धन कार्यक्रम पर विपरीत प्रभाव पड़ा।

(कंडिका 3.9.5)

आंतरिक नियंत्रण प्रणाली दक्ष एवं प्रभावी नहीं थी।

(कंडिका 3.10)

परिचय

3.1 ट्रान्सफार्मर एक स्थिर उपकरण है, जो विद्युत के संचरण एवं वितरण में वोलटेज के चढ़ाव एवं उतार हेतु उपयोग किया जाता है। विद्युत सामन्यतया निम्न वोल्टेज (11 के.वी.[1] से 15.75 के.वी.) पर पैदा किया जाता है। तत्पश्चात इसे भार केन्द्रों में संचारित करने के लिए पावर ट्रान्सफार्मरों द्वारा वोल्टेज को (132 के.वी., 220 के.वी. एवं 400 के.वी.) बढ़ाया जाता है। प्राप्ति उपकेन्द्रों पर, विभिन्न उपभोक्ताओं तक विद्युत आपूर्ति हेतु वोलटेज को (132 के.वी. या 11 के.वी.) घटाया जाता है। उत्पादन केन्द्रों एवं उच्च वोल्टेज उप केन्द्रों (ग्रीड उप केन्द्र) में उपयोग किए जाने वाले ट्रान्सफार्मर को पावर ट्रान्सफार्मर कहा जाता है, जबकि वितरण प्रणाली में उपयोग किए जाने वाले ट्रान्सफार्मर को वितरण ट्रान्सफार्मर कहा जाता है। उपभोक्ताओं को विद्युत आपूर्ति, संचरण एवं वितरण लाईनों के माध्यम से 132 के.वी. से 440/220 वोल्ट्स के बीच घटे वोल्ट्स से किया जाता है।

संचरण एवं वितरण प्रणाली की दक्षता रूपान्तरण क्षमता पर निर्भर करती है, जो कि पर्याप्त क्षमता के ट्रान्सफार्मरों के उपयोग और उनके समुचित रख–रखाव के द्वारा किया जा सकता हैं।

बिहार राज्य विद्युत बोर्ड (बोर्ड) के शीर्ष पर अध्यक्ष होते हैं और उनकी सहायता के लिए सदस्य (वित्त एवं राजस्व), सदस्य (वितरण एवं ग्रामीण विद्युतीकरण) और सदस्य (उत्पादन एवं संचरण) होते हैं। ट्रान्सफार्मरों की अधिप्राप्ति, कार्य, रख–रखाव एवं मरम्मति के निष्पादन के लिए मुख्यालय में चार मुख्य अभियंताओं एवं परियोजना प्रबन्धक(तकनीकी सेवाऐं) भी सहयोग करते हैं। विस्तृत संगठनात्मक ढ़ॉचा परिशिष्ट–13 में दिया गया हैं।

लेखा परीक्षा का क्षेत्र

3.2 बोर्ड में ट्रान्सफार्मरों की अधिप्राप्ति, कार्य, रख–रखाव एवं मरम्मति पर एक समीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 1999–2000 (वाणिज्यिक), बिहार सरकार में सम्मिलित की गई थी जिस पर लोक उपक्रम समिति द्वारा अब तक चर्चा नहीं हुई है।

वर्तमान समीक्षा मार्च से मई 2007 की अवधि में सपन्न की गई, जिसमें वर्ष 2002–07 के लिए भौगोलिक वितरण के आधार पर चयनित 23 अंचलों में से 7, तीन टी.आर.डब्लु. और बोर्ड मुख्यालय में अभिलेखों की नमूना जॉच में पायी गयी अनियमितताएँ एवं कमियों को सम्मिलित किया गया हैं।

लेखा परीक्षा का उद्देश्य

3.3 ट्रान्सफार्मरों की अधिप्राप्ति, कार्य, रख–रखाव एवं मरम्मति की समीक्षा यह आकलन करने के उद्देश्य से की गई कि क्या :

- ट्रान्सफार्मरों की अधिप्राप्ति वार्षिक विकास योजना के अनुरूप मानक प्रक्रिया के अनुसार और पारदर्शी, किफायती, दक्ष एवं प्रभावी ढ़ंग से की गई थी;
- अधिप्राप्त ट्रान्सफार्मरों के कार्यात्मक हस्तक और मानक जीवन के संदर्भ में निष्पादन के अनुवीक्षण करने के लिए दक्ष प्रणाली कार्यरत थी;

[1] किलो वोल्ट

- बोर्ड ने रख–रखाव नीति निर्धारित की थी एवं अनुवर्तन को सुनिश्चित की थी;
- खराब ट्रान्सफार्मरों की मरम्मति ससमय हुई थी; और
- आंतरिक नियंत्रण तंत्र दक्ष एवं प्रभावी था।

लेखापरीक्षा का मापदण्ड

3.4 लेखापरीक्षा उद्देश्य की उपलब्धि के निर्धारण के अनुवर्तन जॉच के लिए मापदण्ड अंगीकृत किया गया था :

- ट्रान्सफार्मरों से सम्बन्धित बोर्ड की अधिप्राप्ति प्रकिया, भण्डारण एवं लेखाकरण;
- निविदा और क्रयादेश के निबन्धन और शर्ते;
- उर्जा मंत्रालय द्वारा ट्रान्सफार्मरों के जीवन संबंधी निर्धारित प्रतिमानक और ट्रान्सफार्मर मरम्मति अनुबन्ध की निबंधन और शर्ते;
- संविधि और बोर्ड अंतर्गत निर्धारित निष्पादन मापक; और
- केन्द्रीय विद्युत प्राधिकार द्वारा संचरण एवं वितरण हानियों से संबंधित निर्धारित मानक।

लेखापरीक्षा पद्धति

3.5 निष्पादन समीक्षा के लेखापरीक्षा उद्देश्य की उपलब्धि के लिए निम्नलिखित कार्य प्रणालियों का एक मिला जुला उपयोग किया गया :

- वार्षिक सामग्री बजट/वार्षिक विकास योजना के संदर्भ में ट्रान्सफार्मरों की आवश्यकता निर्धारण का विश्लेषण;
- ट्रान्सफार्मरों की अधिप्राप्ति के लिए आपूर्तिकर्ताओं के साथ निविदाओं और अनुबंधों की समीक्षा;
- रख–रखाव कार्यक्रम, विफलता के कारणों की समीक्षा, खराब ट्रान्सफार्मरों की मरम्मति में लगा समय जिससे उसका उपयोग प्रणाली में किया जा सके;
- बोर्ड की कार्यशाला और बाहरी अभिकरणों द्वारा मरम्मत लागतों का विश्लेषण
- बोर्ड की बैठकों के कार्यवृत और कार्यसूची की परीक्षा; और
- लेखा परीक्षा पृच्छाओं के निर्गम एवं प्रबन्धन के साथ विचार विमर्श

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

3.6 लेखापरीक्षा के निष्कर्षो को सरकार/प्रबंधन को प्रतिवेदित किया गया और राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के लिए लेखापरीक्षा समीक्षा समिति (ए.आर.सी.पी.एस.ई.) की बैठक (24 अगस्त 2007) में इस पर विचार विमर्श किया गया, जिसमे सचिव, उर्जा विभाग तथा अध्यक्ष, बिहार राज्य विद्युत बोर्ड शामिल हुए। बैठक में व्यक्त किए गए विचारों को ध्यान में रखते हुए समीक्षा को अंतिम रूप दिया गया। लेखा परीक्षा निष्कर्षो को उत्तरवर्ती कंडिकाओं में वर्णित किया गया है।

आवश्यकता का निर्धारण/ट्रान्सफार्मरो की अधिप्राप्ति

3.6.1 किसी सामग्री/उपस्कर की खरीद के पूर्व आवश्यकता का निर्धारण करना संस्था के वित्तीय हित की सुरक्षा के लिए आवश्यक है। क्षेत्र की आवश्यकता के आधार

पर ट्रान्सफार्मर की अधिप्राप्ति (63 के.वी.ए. से 5एम..वी.ए. तक) ग्रामीण विद्युतीकरण और अग्रामीण विद्युतीकरण की आवश्यकता के अनुसार मुख्य अभियंता (भंडार और क्रय) द्वारा किया जाता है। पावर ट्रान्सफार्मर (20 एम.वी.ए. और उसके उपर) के मामले में नए उप–केन्द्रों के निर्माण/वर्तमान उप–केन्द्रों के आवर्धन को ध्यान में रखकर मुख्य अभियंता (संचरण) आवश्यकता निर्धारित करते है और खुला निविदा आमंत्रित कर ट्रान्सफार्मर अधिप्राप्त करते हैं। सक्षम प्राधिकारी, जो कि उपर वर्णित हैं, से ट्रान्सफार्मर की अधिप्राप्ति के लिए अनुशंसा प्राप्त होने पर, पॉच करोड़ रूपये तक के क्रय केन्द्रीय क्रय समिति (सी.पी.सी.), और पॉच करोड़ रूपये से उपर के क्रय का अनुमोदन बोर्ड करता है।

3.6.2 निम्न तालिका में वर्ष 2006–07 तक विगत पॉच वर्षो के दौरान निर्धारित आवश्यकताएँ, उपस्थापित आदेश, प्राप्त ट्रान्सफार्मरों एवं किया गया व्यय दर्शाया गया है।

वर्ष	ट्रान्सफार्मरों की आवश्यकता		ट्रान्सफार्मरों के लिए उपस्थापित आदेश		प्राप्त ट्रान्सफार्मरों की संख्या		व्यय (रूपये करोड़ में)	
	पावर	वितरण	पावर	वितरण	पावर	वितरण	पावर	वितरण
2002–03	103 (400.7)	7432 (605.26)	शून्य	3314 (286.03)	शुन्य	2430 (209.61)	शून्य	8.74
2003–04	79 (355.8)	9532 (825.70)	15 (147.25)	625 (49.71)	25 (78.75)	595 (55.98)	1.68	2.28
2004–05	35 (138)	1489 (76.84)	32 (160)	5325 (440.41)	12 (60)	3641 (314.80)	1.20	16.11
2005–06	96 (467.1)	2711 (269.04)	शून्य	2497 (247.94)	शून्य	2590 (238.12)	शून्य	16.67
2006–07	37 (168.4)	1450 (178.87)	18 (121.51)	827 (73.01)	9 (45)	826 (72.95)	2.66	5.87
कुल	**350 (1530)**	**22.614 (1955.71)**	**75 (328.75)**	**12588 (1097.10)**	**46 (183.75)**	**10082 (891.46)**	**5.54**	**49.67**

स्त्रोत : सामग्री बजट और मुख्य अभियंता (क्रय एवं भंडार) के अभिलेख

नोट : 1. कोष्ठक में दर्शाए गए ऑकड़ें एम.वी.ए. में क्षमता दर्शाता है।
2. पावर ट्रान्सफार्मर 5 एम.वी.ए. एवं उपर क्षमता के हैं।

बोर्ड वितरण ट्रान्सफर्मर के आवश्यक 1955.71 एम.वी.ए. क्षमता के विरूद्ध 891.46 एम.वी.ए. क्षमता अधिप्राप्त किया।

उपर्युक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि वर्ष 2002–07 के दौरान 1955.71 एम.वी. क्षमता के वितरण ट्रान्सफार्मरों के विरूद्ध बोड द्वारा 1,097.10 एम.वी.ए. क्षमता का आदेश उपस्थापित किया और मात्र 891.46 एम.वी.ए. क्षमता कय किया गया। इस प्रकार अपर्याप्त क्रय के फलस्वरूप ट्रान्सफार्मरों में खराबी आई और विद्युत आपूर्ति बाधित हुई।

अभिलेखों की संमीक्षा (मई 2007) के दौरान यह स्पष्ट हुआ कि रूपान्तरण क्षमता असंतुलित रहा तथा इसके अलावा ट्रान्सफार्मरों की अधिप्राप्ति की संमीक्षा से स्पष्ट हुआ कि ट्रान्सफार्मर प्राप्ति में विलम्ब का कारण, प्रेषण अनुदेश निर्गम में विलम्ब, आपूर्तिकर्ताओं द्वारा आपूर्ति में विलम्ब और निविदा को अंतिम रूप देने में विलम्ब था। इसके अतिरिक्त, विभिन्न योजनाओं में उसी क्षमता के ट्रान्सफार्मरों पर उच्चतर दरों से भुगतान किया गया, जिसके फलस्वरूप बोर्ड को हानि उठानी पड़ी।

रूपान्तरण क्षमता में असंतुलन

3.6.3 रूपान्तरण प्रणाली के प्रत्येक खण्ड जैसे कि, शक्ति रूपान्तरण, उप शक्ति रूपान्तरण, वितरण और संबंधित भार को एक दूसरे से संतुलन बनाए रखना चाहिए , जिससे कि यह सुनिश्चित हो सके कि न तो कोई प्रणाली बेकार रहे और और न ही अत्यधिक भार युक्त हो जाए। इस संबंध में बोर्ड ने विद्युत के सुरक्षित पारगमन और ट्रान्सफार्मरों की सुरक्षा के लिए जी.एस.एस.[1], पी.एस.एस.[2] और डी.एस.एस.[3] में संस्थापित ट्रान्सफार्मरों की क्षमता के 75 प्रतिशत पर प्रचालित करने का मानक निर्धारित किया है। इस प्रकार जी.एस.एस. की क्षमता पी.एस.एस. की क्षमता का 133 प्रतिशत होना चाहिए। निम्नलिखित तालिका 31 मार्च 2007 को समाप्त पॉच वर्षो के लिए वर्षवार उपलब्ध उप–शक्ति रूपान्तरण क्षमता, आवश्यक शक्ति रूपान्तरण क्षमता और उपलब्ध शक्ति रूपान्तरण क्षमता के बारे में विस्तृत विवरण दर्शाती है।

विवरण	2002–03	2003–04	2004–05	2005–06	2006–07	2002–07 के दौरान वृद्धि (प्रतिशत)
उपलब्ध उप–शक्ति रूपान्तरण क्षमता (एम.वी.ए.)[4]	1845.75	2171.00	2544.46	2555.76	2832.34	53.45
आवश्यक उप–शक्ति रूपान्तरण क्षमता (एम. वी.ए.)	2454.85	2887.43	3384.13	3399.16	3767.01	53.45
उपलब्ध शक्ति रूपान्तरण क्षमता (एम.वी.ए.)	1899.40	1909.40	1909.40	2169.40	2489.40	31.06

स्त्रोत : बोर्ड द्वारा उपलब्ध कराए गए ऑकड़े।

शक्ति रूपान्तरण क्षमता उप–शक्ति रूपान्तरण क्षमता से संतुलन बनाए रखने के लिए अपर्याप्त था।

उपर्युक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि उप–शक्ति रूपान्तरण क्षमता में 53.45 प्रतिशत की वृद्धि के विरूद्ध शक्ति रूपान्तरण क्षमता में मात्र 31.06 प्रतिशत ही वृद्धि हुई, जो यह दर्शाता है कि रूपान्तरण क्षमता में असंतुलन के कारण ट्रान्सफार्मर अत्यधिक भार युक्त हो गए और उसकी मरम्मति पर व्यय बढ़ा और राजस्व की क्षति हुई। वितरण क्षमता और संबंधित भार का लेखा परीक्षा विश्लेषण नहीं किया जा सका क्योंकि बोर्ड में सम्बन्धी भार अनुपलब्ध थे।

बोर्ड ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए (अक्टूबर 2007) बताया कि राज्य में संचरण प्रणाली को वृहत पैमाने पर सुदृढ़ किया जा रहा है।

ट्रान्सफार्मरों की खरीद पर परिहार्य व्यय

बोर्ड ने ट्रान्सफर्मर अधिप्राप्ति में 1.37 करोड़ रूपये का अतिरिक्त व्यय किया।

3.6.4 बोर्ड ने 63 के.वी.ए. के 6089 ट्रान्सफार्मरों की अधिप्राप्ति हेतु 36,021 रूपये प्रति ट्रान्सफार्मर की दर से 21.93 करोड़ रूपये की अनुमानित लागत के लिए खुला निविदा, आमंत्रित किया (मई 2003)। उसमें कारखाना मूल्य, गन्तव्य स्थान तक का ढुलाई भाड़ा, उत्पाद शुल्क, बिक्री कर एवं प्रवेश कर को इंगित करते हुए मूल्य को उद्धृत करना था। ग्यारह प्रतिष्ठानों (पांच बिहार से बाहर की तथा छः स्थानीय लघु इकाइयों) ने बोली लगाने की प्रकिया में भाग लिया। मानपुर इलेक्ट्रिक वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड, गया

[1] ग्रीड उप–केन्द्र
[2] शक्ति उप–केन्द्र
[3] विवरण उप–केन्द्र
[4] मिलियन वोल्ट एम्पीयर

द्वारा न्यूनतम लागत मूल्य 31,80। रूपये प्रति ट्रान्सफार्मर, जिसमें उत्पाद कर, बिक्री कर एवं ढुलाई भाड़ा सम्मिलित था, उद्घृत किया गया। सभी प्रतिष्ठान इस दर पर आपूर्ति करने को सहमत थे। बिहार से बाहर के प्रतिष्ठानों ने आठ प्रतिशत की दर से (2,624 रूपये) अतिरिक्त प्रवेश कर भुगतान नहीं करने की स्थिति में आपूर्ति करने में असहमति जताई। निविदा खुलने (मई 2003) की तिथि से 365 दिनों के लिए प्रस्ताव मान्य था और सभी प्रतिष्ठान ट्रान्सफार्मर की आपूर्ति चार से बारह महीनों में करने को तैयार थे।

यह देखा गया कि सी.पी.सी. द्वारा यह तय किया गया (सितम्बर 2003) कि बिहार से बाहर के प्रतिष्ठानों को लागत मूल्य के अलावे अतिरिक्त प्रवेश कर का भुगतान नहीं किया जाएगा। सी.पी.सी. ने यह भी निर्णय लिया कि उक्त प्रतिष्ठानों द्वारा उपवर्णित प्रवेश कर सहित लागत मूल्य पर आपूर्ति करने में असफल होने पर नया निविदा तुरन्त आमंत्रित किया जाय।

राज्य के बाहर के प्रतिष्ठानों ने बिना प्रवेश कर भुगतान के प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया और त्वरित सूचना पर 3524 ट्रान्सफार्मरों के लए नया निवदा आमंत्रित (जून 2004) किया गया। जिसके लिए सभी पॉच प्रतिष्ठानों ने (राज्य के बाहर की) भाग लिया, जिन्होने पूर्व के निविदा में दर उद्घृत किया था। आनन्द ट्रान्सफार्मर प्राईवेट लिमिटेड, फैजाबाद (यू.पी.) ने 39,949.20 रूपये प्रति ट्रान्सफार्मर के न्यूनतम लागत मूल्य पर आठ प्रतिशत प्रवेश कर सहित उद्धृत किया। बोर्ड ने पॉच प्रतिष्ठानों को 2204 ट्रान्सफार्मरों की आपूर्ति के लिए उपर्युक्त दर पर आदेश उपस्थापित किया (अगस्त से नवम्बर 2004) और इसपर 99.71 लाख रूपये[1] अतिरिक्त व्यय हुआ।

इसी प्रकार 100के.भी.ए. क्षमता के 625 ट्रान्सफार्मरों के प्रकरण में बोर्ड ने तय किया (सितम्बर 2003) कि लागत मूल्य (42,883 रूपये) (मई, 2003) पर आठ प्रतिशत की दर से (3.431 रूपये) का अतिरिक्त भुगतान प्रतिष्ठानों को नहीं किया जाएगा। प्रतिष्ठानों द्वारा बिना प्रवेश कर के भुगतान की स्थिति में आपूर्ति से इन्कार करने पर बोर्ड ने नया निविदा आमंत्रित किया और तीन प्रतिष्ठानों को 52,284 रूपये प्रति ट्रान्सफार्मर, जिसमें आठ प्रतिशत प्रवेश कर सम्मिलित था, ट्रान्सफार्मर आपूर्ति के लिए आदेश उपस्थापित किया (सितम्बर से नवम्बर 2004) तथा 37.31[2] लाख रूपये का अतिरिक्त व्यय किया गया।

यदि बोर्ड द्वारा प्रतिष्ठानों के पूर्व के प्रस्ताव पर कार्रवाई की गई होती और अतिरिक्त प्रवेश कर का भुगतान कर दिया गया होता तो मूल्य में हुई वृद्धि के कारण 1.37 करोड़ रूपये के अतिरक्त व्यय को टाला जा सकता था।

बोर्ड ने बताया (अक्टूबर 2007) कि एक विशेष निविदा के लिए दो अलग–अलग दरें निर्धारित नहीं होनी चाहिए, इसलिए नया निविदा आमंत्रित किया गया। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि बाहरी प्रतिष्ठानों को प्रवेश कर का भुगतान दो विभिन्न दरें निर्धारित करने के समान नहीं हैं।

निविदा को अंतिम रूप देने में विलम्ब

3.6.5 बोर्ड द्वारा 5एम.वी.ए. क्षमता के 32 ट्रान्सफार्मरों की छः माह के सुपुर्दगी अनुसूची पर अधिप्राप्ति के लिए एक निविदा आमंत्रित (नवम्बर 2002) की गई।

[1] [39,949.20 – (32,801 + 2,624)] × 2204 = 99.74 लाख रूपये

[2] [52,284-(42,883+3,431)] × 625 = 37.31 लाख रूपये

दस प्रतिष्ठानों में से चार प्रतिष्ठानों का प्रस्ताव तकनीकी रूप से उपयुक्त पाया गया। आनन्द ट्रान्सफार्मर प्राईवेट लिमिटेड, फैजाबाद द्वारा न्यूनत्तम लागत मूल्य 10.40 लाख रूपये (परिवर्तनशील) उद्घृत किया गया। सी.पी.सी. ने तय किया कि (नवम्बर 2003) प्रतिष्ठान को एल.ओ.आई. निर्गम तिथि (नवम्बर 2003) से अधिकतम छः माह की सुपुर्दगी अनुसूची के लिए कहा जाय। प्रतिष्ठान ने, तथापि आग्रह किया (नवम्बर 2003) कि बोर्ड दो माह तकनीकी और व्यावसायिक स्पष्ट आदेश के साथ अनुमोदित रेखा चित्र प्राप्ति के पश्चात 10 माह की मूल सुपुर्दगी अनुसूचित की समय सीमा स्वीकार करे। प्रतिष्ठान ने बोर्ड द्वारा आपूर्ति अनुसूची से परे करारनामा निष्पादन नहीं करने के कारण आपूर्ति करने से इन्कार (मार्च 2004) कर दिया।

बोर्ड ने क्रयादेश रद्द कर दिया (जून 2004) और उसी दर पर एम. एण्ड बी. स्वीचगियर प्राईवेट लिमिटेड, इन्दौर को आदेश उपस्थापित (जुलाइ 2004) कर दिया। प्रतिष्ठान नवम्बर 2005 तक मात्र 11 ट्रान्सफार्मरों की आपूर्ति ही कर सका। 18 ट्रान्सफार्मरों के क्रय के लिए नया निविदा आमंत्रित (सितम्बर 2006) किया गया और ईस्ट इंडिया उद्योग लिमिटेड को 29.66 लाख रूपये प्रति ट्रान्सफार्मर की लागत मूल्य पर क्रयादेश निर्गत (फरवरी 2007) किया गया।

निविदा को अंतिम रूप देने में विलम्ब के फलस्वरूप 3.47 करोड़ रूपये का अतिरिक्त व्यय किया गया।

इसके परिणामस्वरूप 3.47 करोड़ रूपये[1] का अतिरिक्त व्यय हुआ, जिसको आनन्द ट्रान्सफार्मर प्राईवेट लिमिटेड द्वारा आग्रह किए गए (नवम्बर 2003) आपूर्ति अवधि को पुनर्नुसूचित कर टाला जा सकता था। पावर ट्रान्सफार्मर के अधिप्राप्ति में विलम्ब के कारण उप–शक्ति रूपान्तरण क्षमता वृद्धि के उद्देश्य में भी बाधा उत्पन्न हुई।

बोर्ड द्वारा बताया गया (अक्टूबर 2000) कि निधि के अभाव के कारण एम. एण्ड बी. स्वीचगियर प्राईवेट लिमिटेड, इंदौर (आपूर्तिकर्ता) के भुगतान में विलम्ब हुआ और इसलिए प्रतिष्ठान ने अतिरिक्त ट्रान्सफार्मर आपूर्ति करने से इन्कार कर दिया। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि बोर्ड ने आनन्द ट्रान्सफार्मर को छः माह की सुपुर्दगी अनुसूची बढ़ाने से इन्कार कर दिया जबकि एम. एण्ड बी. स्वीचगियर्स प्राईवेट लिमिटेड से दो वर्ष अतिरिक्त सुपुर्दगी अवधि स्वीकार किया। इसके अतिरिक्त बोर्ड द्वारा क्रयादेश उपस्थापित करने के पूर्व निधि की उपलब्धता को भी ध्यान में रखना चाहिए।

अतिरिक्त व्यय

3.6.6 बोर्ड के 11 अंचलों[2] में त्वरित शक्ति विकास एवं सुधार कार्यक्रम (ए.पी.डी.आर.पी.) के अंतर्गत गॉवों का विद्युतीकरण और वितरण उप–केन्द्र की संरचना/आवर्धन का कार्य पावर ग्रीड कॉरपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड (पी.जी.सी. आई.एल.) द्वारा किया जाता है।

बोर्ड ने ट्रान्सफर्मरों के कय पर बाजार दर से 5.23 करोड़ रूपये का अधिक भुगतान किया।

यह पाया गया (अप्रैल 2007) कि पी.जी.सी.आई.एल. द्वारा ए.पी.डी.आर.पी. के अंतर्गत प्रभारित किए गए दरों 200 के.वी.ए. (1.50 लाख रूपये) और 100 के.वी.ए. (1.10 लाख रूपये) बोर्ड द्वारा क्रय किए गए बाजार मूल्य क्रमशः 1.20 लाख एवं 0.75 लाख रूपये से उच्चतर थी। इसके परिणामस्वरूप बोर्ड को मार्च 2007 तक 200 के.वी.ए. (1184) और 100 के.वी.ए. (479) कुल 1663 ट्रान्सफार्मरों के उत्थापन पर पी.जी.सी.आई.एल. को 5.23 करोड़ रूपये[3] का अतिरिक्त भुगतान करना पड़ा।

[1] (29.66 लाख – 10.40 लाख)×18=3.47 करोड़ रूपये

[2] पटना, मुजफ्फरपुर, पेसु (पूर्वी), पेसु (पश्चिमी), दरभंगा, रोहतास, गया, भागलपुर, छपरा, पूर्णिया, सहरसा

[3] [(1.50 लाख – 1.20 लाख) × 1184 + (1.10 लाख – 0.75 लाख)]× 479 = 5.23 करोड़ रूपये

बोर्ड द्वारा बताया गया (अक्टुबर 2007) कि पावर ग्रीड कारपोरेशन की अधिप्राप्ति उसकी अपनी नीति पर आधारित है। परन्तु तथ्य यही है कि बोर्ड द्वारा पी.जी.सी.आई. एल. को 5.23 करोड़ रूपये का अतिरिक्त भुगतान करना पड़ा।

ट्रान्सफार्मरों के कार्यपालन

3.7 बोर्ड द्वारा ट्रान्सफार्मरों की क्षति के लिए अनुमत्य सीमा का मानक निर्धारित नहीं किया गया था। उत्तर प्रदेश विद्युत बोर्ड द्वारा स्थापित मानदण्ड के अनुसार ट्रान्सफार्मरों की क्षति कुल संस्थापित ट्रान्सफार्मरों की संख्या के 2 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए।

वर्ष 2002–07 के दौरान क्षतिग्रस्त वितरण ट्रान्सफार्मरों का विवरण निम्न तालिका में दर्शाया गया है। पावर ट्रान्सफार्मरों से संबंधित ऑकड़ा बोर्ड के पास उपलबध नहीं था। बोर्ड ने नए एवं मरम्मत किए गये ट्रान्सफार्मरों के लिए अलग–अलग ऑकड़ा भी संकलित नहीं किया था।

वितरण टान्सफार्मरों

वर्ष	वर्ष के प्रारम्भ में संस्थापित (संख्या)	वास्तविक क्षतिग्रस्त		मानक के अनुरूप 2 प्रतिशत के दर से क्षतिग्रस्त (संख्या)	मानक के अतिरिक्त क्षतिग्रस्त (संख्या)	संस्थापित ट्रान्सफार्मरों के विहित मनक के अतिरिक्त क्षतिग्रस्तता का प्रतिशत
		संख्या	प्रतिशत			
2003–04	33,429	3,360	10.05	669	2,691	8.05
2004–05	35,028	3,534	10.09	700	2,834	8.09
2005–06	37,513	3,623	9.66	750	2,873	7.66
कुल	**1,05,970**	**10,517**		**2,119**	**8,318**	

स्त्रोत : बोर्ड मुख्यालय के ओ. एण्ड एम. स्कंध के अभिलेखों।

ट्रान्सफर्मर मानक से ज्यादा खराब हुए।

उपर दी गई तालिका से यह देखा जा सकता है कि क्षतिग्रस्तता मानक 2 प्रतिशत के विरूद्ध 9.66 और 10.09 प्रतिशत के बीच थी। वर्ष 2003–06 के दौरान 8398 ट्रान्सफार्मरों की मानक से अतिरिक्त क्षतिग्रस्त होने के कारण 14.42 करोड़ रूपये का अतिरिक्त व्यय करना पड़ा (टी.आर.डब्लु. में मरम्मति पर औसत लागत 17.176 प्रति ट्रान्सफार्मर की दर से)

ट्रान्सफार्मरों की क्षति के कारणों का बोर्ड ने विश्लेषण नहीं किया था हालॉकि, यह पाया गया कि ट्रान्सफार्मरों का असमय क्षतिग्रस्त होने का कारण उनका अत्यधिक भार युक्त होना तथा बोर्ड के निर्धारित मानदंड के अनुरूप रख–रखाव न होना था।

बोर्ड ने बताया (अक्टूबर, 2007) कि ट्रान्सफार्मर मात्र अत्यधिक भार के कारण ही नहीं जले हैं, बल्कि कई प्राकृतिक कारकों जैसे मौसम और जलवायु संबंधी दशा के कारण भी जलते हैं। बोर्ड ने इसके अलावा बताया कि क्षतिग्रस्तता की प्रतिशतता को कम करने के लिए कार्रवाई की जाएगी।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है। सच्चाई है कि अगर रख–रखाव मानकों का पालन किया जाय तो ट्रान्सफार्मरों की क्षतिग्रस्तता को प्रबलता से कम किया जा सकता है।

ट्रान्सफार्मरों का रख–रखाव

3.8 बोर्ड की संचरण एवं वितरण व्यवस्था के प्रचालन एवं अनुरक्षण नियमावली (नियमावली) के अनुसार पूर्व में कार्यरत पावर एवं वितरण ट्रान्सफार्मरों के अच्छी सेवा हेतु अंचल स्तर पर निम्नलिखित रख–रखाव का पालन करना जरूरी था :–

- वर्ष में एक बार ट्रान्सफार्मर तेल के डाई इलेक्ट्रिक बल की जॉच होनी चाहिए थी और उसे प्रत्येक ट्रान्सफार्मरों की पंजी में दर्ज होना चाहिए था।
- तेल की सतह अर्द्ध–वार्षिक अवधि में जॉची जानी चाहिए थी।
- हर दो से तीन माह पर सिलका जेल की स्थिति की जॉच होनी चाहिए थी।
- तेल का बदलाव, अगर कोई हो, तो उसे भी जॉचा जाना चाहिए।

हालॉकि यह देखा किया कि :

- बोर्ड के किसी भी स्तर पर रख–रखाव अनुसूची तैयार नहीं की गई थी।
- प्रमण्डलों द्वारा रख–रखाव पालन संबंधी सूचना को अनुवीक्षण/नियंत्रण करने के लिए अंचल/बोर्ड मुख्यालय में भेजने की कोई प्रणाली नहीं थी।
- ट्रान्सफार्मरों के रख–रखाव संबंधित अभिलेख तैयार नहीं किए गए थे।
- बोर्ड के पास प्रमण्डल स्तर पर वितरण ट्रान्सफार्मर के प्रभावी एवं नियमित रख–रखाव आश्वस्त करने हेतु निरीक्षण के लिए कोई विहित अनुसूची नहीं थी।

ट्रान्सफार्मरों के रख–रखाव नहीं होने के कारण ट्रान्सफार्मरों की क्षतिग्रस्तता की दर उच्च हो गयी थी। कुछ प्रकरणों का विवरण निम्नलिखित है :

ट्रान्सफार्मर अत्यधिक भार के कारण खराब हुए।

- 1.6 एम.वी.ए. क्षमता का ट्रान्सफार्मर मुजफ्फरपुर अंचल स्थित पी.एस.एस., पुपरी में सस्थापित (अगस्त 1985) अत्यधिक भार के कारण खराब हो गया। ट्रान्सफार्मर को 15.35 लाख रूपये के लागत पर पुनर्स्थापित किया गया।
- बोर्ड ने बताया (अक्टूबर 2007) कि ट्रान्सफार्मर खराब रख–रखाव के कारण नहीं बल्कि अन्य प्राकृतिक कारकों के कारण क्षतिग्रस्त हुए। जबाब सही नही है, क्योंकि बोर्ड के जॉच स्कन्ध ने प्रतिवेदित किया (मार्च 2004) कि ट्रान्सफार्मर अत्यधिक भार युक्त होने के कारण क्षतिग्रस्त हुए।

बैटरी के प्रतिष्ठापन में विलम्ब के कारण 1.50 करोड़ रूपये का ट्रान्सफर्मर जल गया।

- ग्रीड उप–केन्द्र के नियंत्रण एवं सुरक्षा के लिए स्वस्थ प्रत्यक्ष प्रवाह (डी.सी.) प्रणाली आवश्यक है, उसके अभाव में जी.एस.एस. का प्रचालन बहुत जोखिम भरा और खतरनाक है। यह देखा गया (मई 2007) कि रफीगंज जी.एस.एस. में एन.जी.ई.एफ. निर्मित 20 एम.भी.ए. का पावर ट्रान्सफार्मर प्रतिष्ठापित (अप्रैल 1993), में आग लग गयी और वह पूर्णतः जल गया। आग लगने के कारणों और उत्तरदायित्व निर्धारण के लिए एक समिति गठित (नवम्बर 2005) की गई। समिति ने अपने प्रतिवेदन (जनवरी 2006) में बताया कि दोषपूर्ण डी.सी. प्रणाली, नए बैटरी का अप्रतिष्ठापन (अप्रैल 2005 में अधिप्राप्त) और अप्रवृत्त रक्षा एवं नियंत्रण प्रणाली के कारण 33के.वी. रफीगंज फीडर से अनवरत दोषपूर्ण भरण के फलस्वरूप आग लग गई और ट्रान्सफार्मर पूर्णतः जल गया। समिति ने इसके अलावा बताया कि यह पूर्णतः प्रणाली की विफलता की घटना है, जबकि किसी व्यक्ति द्वारा इस प्रकार के महत्वपूर्ण कार्य करने के लिए आवश्यक आयोजित और समन्वित प्रयास/प्रक्रिया नहीं अपनाया गया जिसके परिणामस्वरूप 1.50 करोड़ रूपये का ट्रान्सफार्मर पूर्णतः जल गया। इस प्रकार, समिति ने संबंधित पद्धतियों की पूर्णतः विफलता को प्रमाणित किया, फिर भी बोर्ड द्वारा इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की गई।

बोड ने बैटरी की प्रतिस्ठापना में विलम्ब के तथ्य को स्वीकार करते हुए बताया (अक्टूबर 2007) कि आवश्यक कार्रवाई की गई थी। जबाब मान्य नहीं है, क्योंकि बोर्ड दोषी पदाधिकारियों के विरूद्ध अपेक्षित कार्रवाई करने में विफल रहा।

- 1.6 एम.वी.ए. का एक पावर ट्रान्सफार्मर सनहपुरडीह पी.एस.एस. में प्रतिष्ठापित (दिसम्बर 1992) खराब हो गया (नवम्बर 2002)। ट्रान्सफार्मर मरम्मति के पश्चात् पुनः 22 मई 2003 को उर्जान्वित किया गया। यह देखा गया कि ट्रान्सफार्मरों की खराबी का कारण उचित रख–रखाव नहीं होना था जबकि एम. आर.टी. प्रमण्डल द्वारा बारम्बार इस संबंध में निर्देश दिया गया था। जिसके परिणामस्वरूप, मरम्मति व्यय के अतिरिक्त 1.12 करोड़ रूपये[1] राजस्व की हानि हुई।

बोर्ड ने बताया (अक्टूबर 2007) कि ट्रान्सफार्मर खराब रख–रखाव के कारण नहीं बल्कि प्राकृतिक कारकों के कारण खराब हुआ। उत्तर मान्य नहीं है, क्योंकि बोर्ड के जॉच स्कन्ध ने (एम.आर.टी.) अपने जॉच प्रतिवेदन में बताया था, कि ट्रान्सफार्मर खराब रख–रखाव के कारण खराब हुए।

ट्रान्सफार्मरों की मरम्मत

3.9 5 एम.वी.ए. क्षमता वाले ट्रान्सफार्मरों की मरम्मति पटना, गया, मुजफ्फरपुर और भागलपुर अवस्थित चार ट्रान्सफार्मर मरम्मत कार्यशाला (टी.आर.डब्लु.) द्वारा किया जाता है। 5 एम.वी.ए. से उपर की क्षमता के ट्रान्सफार्मरों की मरम्मति निजी अभिकरणों द्वारा कराई जाती हैं।

बोर्ड ने टी.आर.डब्लु. में मरम्मति के लक्ष्य निर्धारित करने के लिए कोई मानक निर्धारित नहीं किया था। प्रतिष्ठापित क्षमता के अभाव में लेखा परीक्षा में भी उसे सुनिश्चित नहीं किया जा सका। वर्ष 2006–07 तक विगत पॉच वर्षो के दौरान ट्रान्सफार्मर की मरम्मत संबंधित लक्ष्य एवं उपलब्धि का विस्तृत विवरण निम्न तालिका में दर्शाया गया है।

वर्ष	लक्ष्य	उपलब्धि	कमी	कमी का प्रतिशत
2002–03	3,631	2,463	1,168	32
2003–04	3,641	3,098	543	15
2004–05	3,756	3,294	462	12
2005–06	3,756	3,696	60	2
2006–07	3,950	330	620	16
कुल	**18,734**	**15,881**	**2,853**	

स्त्रोत : टी.आर.डब्लु. द्वारा प्रस्तुत विवरणियॉ।

उपर्युक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि वर्ष 2002–07 के दौरान लक्ष्य के विरूद्ध उपलब्धि में 2 से 32 प्रतिशत तक की कमी रही और टी.आर.डब्लु. द्वारा 18,734 के लक्ष्य के विरूद्ध 15,881 ट्रान्सफार्मर की ही मरम्मत की जा सकी और 2,853 की कमी रह गई। मरम्मत में कमी के कारण प्रणाली में ट्रान्सफार्मर की कमी हो गई और वर्तमान ट्रान्सफार्मर अत्यधिक भार युक्त हो गये, जिसके फलस्वरूप विद्युत में असामान्य कटौती हुई और ट्रान्सफार्मर खराब हुए।

[1] वर्ष 2002–03 के लेखा में वर्णित प्रति इकाई वसूली की औसत दर से परिकलित (1.6x0.75x0.90x24x175x2.48 रूपये) = 1.12 करोड़ रूपये।

बोर्ड ने ट्रान्सफार्मर की मरम्मत के लक्ष्य की प्राप्ति में कमी का कारण सामग्रियों की कमी, टी.आर.डब्लु. में जले ट्रान्सफार्मरों का प्राप्त नहीं होना और टी.आर.डब्लु. में रद्दी का निपटारा नहीं किया जाना, बताया (मई 2007)।

इस प्रकार बोर्ड द्वारा जले ट्रान्सफार्मर और आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराने में विफल रहने के कारण लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सका। इसके अलावा रद्दी सामग्री का निपटारा नहीं होने के कारण मरम्मति के लिए जगह की समस्या पैदा हुई और दक्षता पर दुष्प्रभाव पड़ा।

मरम्मत किए गए ट्रान्सफार्मरों की विफलता

वितरण ट्रान्सफार्मरों की मरम्मति के लिए अनुबन्ध में गारंटी उपबन्ध नहीं था।

3.9.1 टी.आर.डब्लु. में ट्रान्सफार्मरों की मरम्मति खुली निविदा के पश्चात् दर को अंतिम रूप देकर करायी जाती है। आवश्यक सामग्री बोर्ड द्वारा आपूर्ति की जाती है तथा अभिकरणों को पारिश्रमिक खर्च दिया जाता है। यह पाया गया (मई 2007) कि मरम्मत के लिए अभिकरणों से किए गए अनुबन्ध में गारंटी उपबन्ध का कोई जिक्र नहीं था। इसके अतिरिक्त पाया गया कि वर्ष 2002–07 के पॉच वर्षो के दौरान 204 मरम्मत किए गए ट्रान्सफार्मर एक वर्ष के अंदर पुनः खराब हो गए और उनपर 19.05 लाख रूपये की पुनर्मरम्मती लागत लगी। इस व्यय को बोर्ड के केन्द्रीय श्रम समिति द्वारा तय (सितम्बर 1998) मरम्मत ट्रान्सफार्मर पर एक साल की गारंटी देने की शर्त को शामिल कर टाला जा सकता था।

बोर्ड ने बताया (अक्टूबर 2007) कि ट्रान्सफार्मर मरम्मति तीन महीने की गारंटी उपबन्ध के अंतर्गत कराया जाता है। उत्तर मान्य नहीं हैं, क्योंकि मरम्मति संबंधी अभिकरणों को निर्गत कार्यादेश में गारंटी उपबन्ध कहीं नहीं है।

ट्रान्सफार्मर तेल की कमी

3.9.2 टी.आर.डब्लु. में मरम्मति के लिए प्राप्त ट्रान्सफार्मरों से ट्रान्सफार्मर तेल मरम्मति के पश्चात् पुनः उपयोग के लिया निकाला जाता है। 31 मार्च 2007 को समाप्त पॉच वर्षो के दौरान प्राप्य और वास्तविक प्राप्त ट्रान्सफार्मर निम्नलिखित है :

टी.आर.डब्लु.	खोले गए ट्रान्सफार्मरो की संख्या	टैंक की क्षमता के अनुसार कुल तेल की मात्रा होनी चाहिए (लीटर मे)	तेल की वास्तविक मात्रा की प्राप्ति (लीटर में)	तेल की कमी	कमी का प्रतिशतता
पटना	7,112	13,91,060	2,74,098	11,16,962	80.30
गया	3,576	5,91,849	1,17,963	4,73,886	80.07
मुजफ्फरपुर	3,991	9,49,860	2,72,210	6,77,650	71.37
कुल	**14,679**	**29,32,769**	**6,64,271**	**22,68,498**	**77.35**

स्त्रोत : टी.आर.डब्ल्यु. के अभिलेख

टी.आर.डब्लु. में 5.68 करोड़ रूपये का ट्रान्सफर्मर तेल कम पाया गया।

उपर्युक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि तीन टी.आर.डब्लु. में तेल की प्राप्ति की कमी का प्रतिशत 71.34 से 80.30 के बीच रहा और 14,679 ट्रान्सफार्मर खोलने पर 22,68,498 लीटर ट्रान्सफार्मर तेल कम पाया गया। कमी को पूरा करने के लिए 25,035.26 रूपये प्रति किलो लीटर की दर से 5.68 करोड़ रूपये व्यय नई तेल की खरीद पर करना पड़ा और बोर्ड को अंततः हानि हुई। बोर्ड, द्वारा तेल की कमी के कारणों की न तो जॉच की गई और न ही उसके लिए उत्तरदायित्व निर्धारित किया गया।

बोर्ड द्वारा ट्रान्सफार्मर तेल की हानि के विशिष्ट कारणों को देने के बदले बताया गया (अक्टूबर 2007) कि ट्रान्सफार्मर तेल की कमी के कई संभावित कारण हो सकते हैं। हालांकि, बोर्ड ने यह नहीं बताया कि ट्रान्सफार्मर तेल की हानि को कम करने के लिए कोई कार्रवाई की गई।

ट्रान्सफार्मर पुर्जों के गायब होने से क्षति

3.9.3 टी.आर.डब्लु. में मरम्मति हेतु प्राप्त खराब ट्रान्सफार्मर को मरम्मति के लिए भेजने से पूर्व उन्हें भौतिक रूप से जॉचा जाता था और गायब हुए पुर्जो का वर्णन उक्त भौतिक सत्यापन प्रतिवेदन में अंकित कर दिया जाता था।

तीन टी.आर.डब्लु. में नमूना जॉच के दौरान पाया गया कि ट्रान्सफार्मर प्राप्ति के समय कुछ बड़े पुर्जे गायब पाए गए। वर्ष 2006–07 तक पॉच वर्षो के दौरान गायब बड़े पुर्जो की विस्तृत विवरणी वर्षवार निम्नलिखित है।

वर्ष	एच.टी. बुसिंग	एच.टी. फिटिंग	एल.टी. फिटिंग	एल.टी. बुसिंग
2002–03	2,023	2,946	3,477	3,408
2003–04	2,504	3,408	4,266	4,152
2004–05	2,430	3,499	4,180	4,144
2005–06	2,813	4,052	4,609	4,702
2006–07	2,429	3,644	4,296	4,272
कुल	**12,199**	**17,549**	**20,828**	**20,678**
दर (रूपये प्रति)[1]	**78**	**46**	**67.33**	**66**
राशि (रूपये में)	**9,51,522**	**8,07,254**	**14,02,349**	**13,64,748**

स्त्रोत : टी.आर.डब्लु. के अभिलेख

उपर्युक्त तालिका से देखा जा सकता है कि 45.26 लाख रूपये के चार बड़े पुर्जे (2002–03 से 2006–07 तक) गायब हो गए लेकिन बोर्ड द्वारा कारणों के विश्लेषण हेतु कोई कार्रवाई नहीं की गई।

45.26 लाख रूपये मुल्य के ट्रान्सफर्मर के बड़े पूर्जे गायब थे।

यह देखा गया कि खराब ट्रान्सफार्मरों को अविलम्ब भंड़ार/कार्यशाला स्थानान्तरण के लिए कोई प्रणाली कार्यरत नहीं थी। जिसके कारण खराब ट्रान्सफार्मर स्थल पर ही लंबी अवधि तक पड़े रहते थे। इसके कारण पुर्जे और तेल की चोरी आसान थी। इस प्रकार दोषपूर्ण ट्रान्सफार्मर की अपर्याप्त अनुवीक्षण के कारण बोर्ड को 45.26 लाख की क्षति हुई।

बोर्ड ने गायब पुर्जे के विशिष्ट कारणों का उत्तर न देकर बताया (अक्टुबर 2007) कि पुर्जे खराब होने के कई कारण हो सकते हैं। बोर्ड ने यह नहीं बताया कि इस प्रकार की हानियों को रोकने के लिए क्या कोई कार्रवाई की जा रही हैं।

उपेक्षा के कारण 100 एम.वी.ए. 220/132/33 के.वी. पावर ट्रान्सफार्मर की विफलता

3.9.4 100 एम.वी.ए. क्षमता का एक पावर ट्रान्सफार्मर फतुहा ग्रीड उपकेन्द्र में संस्थापित था, जिसे चालू किया (दिसम्बर 1989) एवं वह जल गया (अप्रैल 2002)। इस ट्रान्सफार्मर को पुनर्वासित करने के लिए, ट्रान्सफार्मर में उत्पन्न खराबी के विस्तृत जानकारी एवं पुर्नवास के लिए तकनीकी प्रस्ताव हेतु बोर्ड द्वारा एक समिति गठित (जून 2005) की गई। समिति ने अपने प्रतिवेदन (जून 2005) में बताया कि ट्रान्सफार्मर जलने का मुख्य कारण (i) संबंधित ट्रान्सफार्मर में ट्रान्सफार्मर तेल की स्थिति खराब होना और कई पैमानों का उल्लंघन, जैसे कि बी.डी.भी.[2], विशिष्ट प्रतिरोधक, टैन डेल्टा, पी.पी.एच. और कार्बन–मोनों ऑक्साईड गैस की उपस्थिति (ii) कटे गास्केट इत्यादि था।

[1] 2002–07 के दौरान औसत दर पर आधारित

[2] ब्रेक डाउन भोल्टेज

उपर्युक्त पावर ट्रान्सफार्मर की मरम्मति के लिए निविदा आमंत्रित किया गया (जुलाई 2005) और अंतिम बातचीत के आधार पर आदित्य विद्युत अप्लाईसेंस लिमिटेड को 1.07 करोड़ रूपये की लागत पर अनुमोदित किया गया।

रख–रखाव में उपेक्षा के कारण 1.07 करोड़ रूपये का वित्तीय बोझ पड़ा।

इस प्रकार बोर्ड की ओर से उपेक्षा के कारण ट्रान्सफार्मर जल गया और बोर्ड पर 1.07 करोड़ रूपये का परिहार्य वित्तीय बोझ पड़ा। इसके अतिरिक्त ट्रान्सफार्मर की मरम्मति नहीं होने से, पटना और उसके आसपास के क्षेत्रों को उर्जा संकट का सामना करना पड़ा (अक्टूबर 2007)।

बोर्ड ने बताया (अक्टूबर 2007) कि ट्रान्सफार्मर मरम्मति के लिए बाहरी अभिकरण के पास पड़ा हुआ है, हालॉकि, बोर्ड ने समिति द्वारा सुझाए गए खराब रख–रखाव के संबंध में कोइ जबाब नहीं दिया।

मरम्मतकर्ता प्रतिष्ठानों के साथ अनुबन्ध के अनुसार पावर ट्रान्सफार्मर मरम्मत में विफलता के कारण परिहार्य व्यय 1.35 करोड़ रूपये

3.9.5 खुले निविदा (दिसम्बर 1999) के आधार पर बोर्ड तीन प्रतिष्ठानों को आठ पावर ट्रान्सफार्मर (50 एम.वी.ए. 5 और 20एम.वी.ए. 3) मरम्मति के लिए तीन आदेश उपस्थापित (सितम्बर/अक्टूबर 2000) किया। बोर्ड ने ट्रान्सफार्मरों के पुर्जो में विषमता को टालने के लिए ट्रान्सफार्मर में पुर्जो की आपूर्ति के लिए दर सूची आमंत्रित (मई 2000) किया। मदवार निम्नतम दर अनुमोदित किए गए, परन्तु बोर्ड के वित्त स्कन्ध ने नये निविदा आमंत्रित करने की इच्छा व्यक्त (सितम्बर 2000) की। निविदा 13 जून 2001 को आमंत्रित किया गया। निविदा खोलने की तिथि दो बार बढ़ायी गयी (जुलाई और अक्टुबर 2001)। खराब अनुक्रिया के कारण पुनः निविदा आमंत्रित किया गया (जनवरी 2002)। यह पाया गया कि निविदा और पुनर्निविदा के बावजूद पुर्जो की अधिप्राप्ति के संबंध में फैसला नहीं लिया जा सका और बोर्ड ने आखिरकार तय किया (दिसम्बर 2003) कि मरम्मति हेतु पावर ट्रान्सफार्मर हेतु आवश्यक पुर्जो की आपूर्ति के लिए प्रारम्भ में प्राप्त (अक्टूबर 2000) तीनों मरम्मतकर्ता प्रतिष्ठानों को ही आदेश उपस्थापित किया जाय। दिसम्बर 2003 से अप्रैल 2005 के दौरान दो ट्रान्सफार्मर मरम्मत किए गए और तत्पश्चात् दो मरम्मतकर्ताओं (मनोहर इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड और आदित्य विद्युत अप्लायंसेज लिमिटेड) ने जिनकों आदेश उपस्थापित किया गया था, पॉच वर्षो के दौरान मूल्य वृद्धि के कारण खराब ट्रान्सफार्मर मरम्मत करने से इन्कार कर दिया (अप्रैल 2005)। बोर्ड इन प्रतिष्ठानों को बचे छः पावर ट्रान्सफार्मर मरम्मति के लिए आदेश उपस्थापित (जुलाई 2005) किया। ट्रान्सफार्मर मरम्मति की तुलनात्मक दरें जो सितम्बर/अक्टूबर 2000 और जुलाई 2005 में निर्धारित की गई, निम्न तालिका में दी गई है।

विवरण	अंतिम बातचीत की गई दरें		अतिरिक्त व्यय (रूपये लाख में)	
	सितम्बर/अक्टुबर 2000	जुलाई 2005	प्रति ट्रान्सफार्मर	तीन ट्रान्सफार्मर के लिए
50 एम.वी.ए. पावर के एक ट्रान्सफार्मर की शुद्ध मरम्मत लागत	39.07	65.91	26.84	80.52
20 एच.वी. पावर के एक ट्रान्सफार्मर की शुद्ध मरम्मत लागत	25.13	43.15	18.02	54.06
कुल	**64.20**	**109.06**	**44.86**	**134.58**

स्त्रोत : मुख्य अभियंता (संचरण), बोर्ड मुख्यालय के अभिलेख

फैसला लेने में विलम्ब के कारण 1.35 करोड़ रूपये का अतिरिक्त वित्तीय पतिबद्धता करना पड़ा।

यद्यपि ट्रान्सफार्मरों की मरम्मति हेतु आदेश उपस्थापित (जुलाई 2005) किए गए परन्तु अबतक (अक्टूबर 2007) ट्रान्सफार्मर मरम्मत नहीं हो सके। बोर्ड द्वारा मरम्मतकर्ताओं से पुर्जों के क्रय के फैसला को अंतिम रूप देने और आदेश उपस्थापित करने में अनावश्यक बिलम्ब के कारण छः पावर ट्रान्सफार्मर (50 एम.भी.ए. –तीन तथा 20 एम.भी. ए.–तीन) तीन मरम्मतकर्ता के बीच अनुबन्ध पर हस्ताक्षर के बावजूद भी नहीं हो सका। इसके अलावा आवर्धन कार्यक्रम बुरी तरह से प्रभावित हुआ और 1.35 करोड़ रूपये का परिहार्य वित्तीय प्रतिबद्धता करना पड़ा।

बोर्ड ने बताया (अक्टूबर 2007) कि असामान्य स्थिति के कारण विलम्ब हुआ। प्रबन्धन का जबाब पूर्णतः संव्यावसायिक पहुँच के अभाव को प्रदर्शित करता है, क्योंकि असामान्य स्थिति स्वयं बोर्ड द्वारा उत्पन्न की गयी।

मरम्मत में विलम्ब

100 एम.वी.ए. का ट्रान्सफर्मर सात वर्षों से अधिक समय से मरम्मति हेतु पड़ा था।

3.9.6 ग्रीड उप–केन्द्र, डेहरी–ऑन–सोन में एक क्राम्पटन ग्रीव्स लिमिटेड (सी.जी.एल.) निर्मित 25.95 लाख रूपये लागत का 100 एम.वी.ए. आटो ट्रान्सफार्मर[1] खराब हो गया (30 जनवरी 2000)। ट्रान्सफार्मर को सी.जी.एल. के सेवा अभियंता द्वारा जॉच किया गया (फरवरी 2000), जिन्होंने ओ.एल.टी.सी.[2] इकाई को बदलने और ट्रान्सफार्मर की पूरी मरम्मतकी अनुशंसा की (फरवरी 2000)।

ओ.एल.टी.सी. पुनर्स्थापन और ट्रान्सफार्मर तेल को छानने के लिए सी.जी.एल. को 25.95 लाख रूपये की लागत पर एक क्रयादेश निर्गत (मई 2000) किया गया। सी.जी. एल. ने ओ.एल.टी.सी. लगा दिया (सितम्बर 2001) और अनुशंसा की कि तेल के रिसाव को रोकने के लिए गास्केट बदल दिया जाय। लेकिन बोर्ड द्वारा गास्केट प्रतिस्थापन के लिए उपलब्ध नहीं कराया गया। सी.जी.एल. द्वारा ट्रान्सफार्मर उर्जान्वित किया गया (30 सितम्बर 2001), परन्तु तेल रिसाव के कारण ट्रान्सफार्मर को तुरन्त बन्द करना पड़ा। एम0 सील लगाकर रिसाव बन्द करने के पश्चात ट्रान्सफार्मर पुनः उर्जान्वित किया गया (4 जनवरी 2002), लेकिन दो मिनट में ही वह बन्द हो गया। जॉच (जनवरी 2002) करने पर पाया गया कि ओ.एल.टी.सी. का अवरोधक तख्ता टूटा हुआ है। ट्रान्सफार्मर अभी तक खराब पड़ा हुआ है (अक्टुबर 2007)। बोर्ड ने न तो मरम्मतकर्ता पर कोई कार्रवाई की और न ही अन्य अभिकरणों से ट्रान्सफार्मर मरम्मत करवाया।

बोर्ड ने बताया (अक्टूबर 2007) कि ट्रान्सफार्मर को वापस कार्य में लाने के लिए कार्रवाई की जा रही है। उत्तर मान्य नहीं है, क्योंकि ट्रान्सफार्मर विगत सात वर्षो से खराब पड़ा हुआ है।

विभिन्न ट्रान्सफार्मर मरम्मत कार्यशालाओं और केन्द्रीय भण्डारों में रद्दी सामग्रियों का निपटारा नहीं होने के फलस्वरूप हानि

रद्दी का निपटारा में विलम्ब के कारण 1.14 करोड़ रूपये की उगाही नहीं हो सकी।

3.9.7 विभिन्न टी.आर.डब्लु. और केन्द्रीय भण्डारों में 31 मार्च 2007 को विशाल मात्रा में रद्दी सामग्रियॉ पड़ी थी। जिसमें सेवा के अयोग्य ट्रान्सफार्मर (3125, जला ट्रान्सफार्मर/अयोग्य तेल 14,327), अल्युमीनियम डी.पी.सी. रद्दी (246.99 एम.टी.), खाली तेल ड्राम (2,449) आदि थे। इन रद्दी सामग्रियों का भौतिक सत्यापन नहीं हुआ था और उनकी सुरक्षा के लिए सुरक्षा व्यवस्था अपर्याप्त थे, जिसके कारण कई बार रद्दी सामग्रियों की चोरी हुई थी और परिमाणस्वरूप निश्चित हानि नहीं पता था। बोर्ड द्वारा

[1] कम संख्या – टी.–7866/24081
[2] ऑन लोड टैप चार्जर

प्रभावी उपयोग के अभाव में रद्दी सामग्रियाँ चार वर्षों से बेकार पड़ी थी, 159.512 एम.टी. रद्दी अल्युमीनियम बाइन्डिंग तार (टी.आर.डब्लु. पटना, गया, मुजफ्फरपुर और केन्द्रीय भण्डार, गया से प्राप्त खराब ट्रान्सफार्मरों से पुनर्प्राप्त) के निपटारा के लिए निविदा (अक्टूबर 2003) खोला गया (27 नवम्बर 2003)। चार निविदाकर्ताओं, जो कि निविदा में शामिल हुए थे, में से एक निविदाकर्ता सोनी इंजीनियरिंग कंपनी, काको रोड, जहानाबाद ने 71.60 रूपये प्रति किलो ग्राम दर उद्घृत किया, जो कि बोर्ड द्वारा निर्धारित आरक्षित मूल्य (65.17 रूपये) से अधिक था। भंडारों को अतिरेक एवं अव्यवहार्य घोषित करने में असामान्य विलम्ब के कारण निविदा को एक वर्ष के अंदर भी अंतिम रूप नहीं दिया जा सका। इसके परिणामस्वरूप निविदा रद्द कर दिया गया (15 नवम्बर 2004)। यह देखा गया कि कुछ सामग्रियों के निपटारा के लिए पूर्व में भी (जुलाई एवं अगस्त 2002) निविदा आमंत्रित किया गया था। परन्तु बोर्ड द्वारा फैसला नहीं लेने के कारण निविदा को अंतिम रूप नहीं दिया जा सका और रद्द कर दिया गया।

इस प्रकार बोर्ड द्वारा समय पर फैसला नहीं लेने के कारण 159.512 एम.टी. रद्दी अल्युमीनियम बाईन्डिंग तार का निपटारा नहीं किया जा सका। जबकि निविदाकर्ता प्रबन्धन द्वारा निर्धारित आरक्षित मूल्य से उच्च दर पर रद्दी सामग्री उठाना चाहते थे। 31 मार्च 2006 को रद्दी की मात्रा 646.799 एम.टी. एकत्रित हो गई। अगर बोर्ड विवेकपूर्ण फैसला लिया होता तो उच्चतर बोली लगाने वाले (सोनी इंजीनियरिंग कंपनी, जहानाबाद, बिहार) द्वारा उद्घृत (अक्टूबर 2003) दर से 1.14 करोड़ रूपये की राशि उगाही कर सकता था।

बोर्ड ने विलम्ब को स्वीकार करते हुए बताया (अक्टूबर 2007) कि 232 एम.टी. रद्दी का निपटारा हो चुका है।

बोर्ड समय पर ट्रान्सफर्मर तेल का रिसाव रोकने में विफल रहा।

3.9.8 डुमरॉव ग्रीड उप–केन्द्र में 10एम.वी.ए. प्रत्येक क्षमता का दो ट्रान्सफार्मर संस्थपित (1989) किये गये। दोनों ट्रान्सफार्मरों में ट्रान्सफार्मर तेल की रिसाव की समस्या थी। एक ट्रान्सफार्मर को 120 ड्राम ट्रान्सफार्मर तेल के रिसाव के पश्चात बन्द कर दिया गया। जबकि दूसरे ट्रान्सफार्मर को तेल रिसाव के बावजूद चालू अवस्था में रखा गया। यह देखा गया कि 2005–06 तक 11.70 लाख मूल्य के ट्रान्सफार्मर तेल नष्ट हो चुके थे। इसके अलावा ट्रान्सफार्मर को 2.06 लाख घण्टे तक बन्द रखा गया, जिसके फलस्वरूप 5.09 करोड़ रूपये राजस्व से बोर्ड वंचित रह गया। इसके अलावा यह भी देखा गया कि चार अंचलों[1] में 50.42 लाख रूपये मूल्य के ट्रान्सफार्मर तेल का रिसाव हुआ।

बोर्ड ने बताया (अक्टूबर 2007) कि गास्केट बदल दिया गया है और ट्रान्सफार्मर को वापस कार्यरत कर दिया गया है। जवाब मान्य नहीं है, क्योंकि विलम्ब के कारण 5.20 करोड़ रूपये की हानि बोर्ड को पूर्व में ही हो चुकी है। इसके अतिरिक्त बोर्ड द्वारा अन्य अंचलों में रिसाव के लिए कोई जबाब नहीं दिया गया।

आंतरिक नियंत्रण

बोर्ड में आंतरिक नियंत्रण प्रणाली प्रभावी नहीं था।

3.10 आंतरिक नियंत्रण युक्तिसंगत आश्वासन मुहैया कराने के लिए एक प्रबन्धन उपकरण है, ताकि संस्था जबाबदेही के दायित्वों को पूरा करे, सुव्यवस्थित एवं सक्षम संचालन मुहैया कराये, परिसम्पतियों एवं प्रबंन्धन नीति की सुरक्षा करे तथा समय पर प्रतिवेदन के माध्यम से विश्वसनीय ऑकड़े उद्घाटित करे। आंतरिक नियंत्रण में बजटीय नियंत्रण, लेखाकरण नियंत्रण, लागत नियंत्रण, आवधिक प्रचालन प्रतिवेदन, सांख्यिकीय विश्लेषण और आंतरिक लेखा परीक्षा सम्मिलित रहता है।

[1] संचरण अंचल, मुज़फ्फरपुर, गया, भागलपुर और पूर्णियॉ

प्रभावी आंतरिक नियंत्रण के लिए उपर्युक्त प्रबन्धन सूचना पद्धति आवश्यक है। इस संबंध में निम्नलिखित कमियाँ पाई गई :

- मूल अभिलेख जैसे कि ट्रान्सफार्मरों की गणना संख्या, ट्रान्सफार्मर इतिहास सूची न तो क्षेत्र में और न ही मुख्यालय में संधारित किए जा रहे थे।
- बोर्ड के पास संबंधित भार के ऑकड़े उपलब्ध नहीं थे। जिसके परिणमस्वरूप शक्ति उप–केन्द्र हेतु आवश्यक क्षमता की योजना नहीं बनाई जा सकी।
- बोर्ड में प्रबन्धन सूचना पद्धति प्रभावी नहीं था।

बोर्ड ने बताया (अक्टुबर 2007) कि बोर्ड के पास ऑकड़े उपलबध हैं। यह भी बताया गया कि प्रत्येक वर्ष संबंधित भार को संकलित किया जाता है।

उत्तर मान्य नहीं है, क्योंकि वर्ष 2002–03 एवं आगे के लेखाओं में संबंधित भार को अनुपलब्ध दिखाया गया है और लेखा परीक्षा के बारम्बार मॉग के बावजूद अंको/ऑकड़ों को उपलब्ध नहीं कराया गया। इसके अतिरिक्त बिहार राज्य विद्युत विनियामक आयोग बोर्ड में अप्रभावी प्रबन्धन सूचना पद्धति बताया।

उपर्युक्त मामलों को सरकार को प्रतिवेदित (जुलाई 2007) किए गए, उत्तर अप्राप्त (अक्टूबर 2007) है।

निष्कर्ष

ट्रान्सफार्मर की अधिप्राप्ति, कार्यचालन, रख–रखाव एवं मरम्मत के संदर्भ में बोर्ड का निष्पादन अप्रभावी पाये गए, जिसका कारण अपर्याप्त योजनाकरण और अधिप्राप्ति में मितव्यविता का अभाव था। बोर्ड द्वारा ट्रान्सफार्मरों की अधिप्राप्ति, निर्गमित और प्रवर्तित का लेखा कभी संधारित नहीं किया गया। बोर्ड के पास ट्रान्सफार्मर के रख–रखाव संबंधित विस्तृत जानकारी और खराब होने के दर का विश्लेषण तथा रख–रखाव अनुसूची के अनुवीक्षण के लिए कोई प्रणाली नहीं थी। पावर और वितरण ट्रान्सफार्मरों का आवधिक रख–रखाव नहीं करने के कारण ट्रान्सफार्मरों की खराब होने के दर में वृद्धि हुई थी। ट्रान्सफार्मर मरम्मत कार्यशाला ट्रान्सफार्मर मरम्मति के लक्ष्यों को प्राप्त करने में विफल थी। बोर्ड में अनुवीक्षण और आंतरिक नियंत्रण प्रभावी नहीं था।

अनुशंसाएँ

बोर्ड को चाहिए कि :

- यथार्थ योजना तैयार करे और ट्रान्सफार्मरों की अधिप्राप्ति में मितव्ययिता और दक्षता को बनाए रखे तथा ट्रान्सफार्मरों के जीवन काल तय करते हुए गुणवत्ता को सुनिश्चित करे।
- ट्रान्सफार्मरों के प्रवर्तन, भौतिक अस्तित्व और कार्य अनुश्रवण के लिए ट्रान्सफार्मरों की संगणना करे।
- रख–रखाव अनुसूची की अनुपालन को सुनिश्चित करे।
- ट्रान्सफार्मर की मरम्मति की अनुसूची निर्मित करे जिससे की खराब ट्रान्सफार्मरों की शीघ्रता से मरम्मत हो सके।
- प्रभावी अनुश्रवण और आंतरिक नियंत्रण पद्धति सुनिश्चित करे।
- ट्रान्सफार्मर तेल और पुर्जे की चोरी के विरूद्ध निरोधक उपाय करे।

अध्याय – IV

4. कार्य सम्पादन पर लेखापरीक्षा का प्रेक्षण

इस अध्याय में राज्य सरकार की कम्पनियों/निगमों के कार्य सम्पादन के नमूना जॉच में पाये गये महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षो का समावेश किया गया है।

सरकारी कंपनियॉं

बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम

4.1 योजना के अनुश्रवण में कम्पनी की विफलता के कारण कोष का अवरोधन।

कोष के निर्गमन के अनुश्रवण में कम्पनी की विफलता के कारण तीन वर्ष तक 1.17 करोड़ रूपये का अवरोधन तथा 63.39 लाख रूपये के परिणामी ब्याज की हानि हुई।

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम (रा.पि.व.वि.वि.नि.) के द्वारा बिहार के 14[1] चिह्नित जिलों में पिछड़े वर्गो के लाभार्थ 140 गव्य दुग्ध इकाई एवं 140 भैंस दुग्ध इकाई के स्थापना हेतु एक योजना की अनुमति दी गई (जुलाई 1996)। प्रत्येक गव्य दुग्ध इकाई एवं भैंस दुग्ध इकाई में क्रमशः चार गायें तथा दो भैंसे होनी थी। योजना की पूर्ण लागत 95.34 लाख रूपये थी जिसमें से 90.57 लाख रूपये (95 प्रतिशत) का वित्तयन रा.पि.व.वि.वि.नि. के द्वारा सावधिक ऋण के रूप में होना था तथा शेष राशि (5 प्रतिशत) की व्यवस्था प्रवर्तकों के द्वारा की जानी थी। रा.पि.व.वि.वि.नि. की स्टेट चैने–लाईजिंग एजेंसी होने के कारण, बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम (कम्पनी) ने योजना के कार्यान्वयन हेतु बिहार राज्य सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ (कॉम्पफेड) के साथ अनुबन्ध किया (जुलाई 1996)।

अनुबन्ध की शर्तो में अन्य बातों के अतिरिक्त निम्नांकित शामिल थे :–

- कॉम्पफेड को आवश्यकतानुसार समानुपातिक आधार पर अधिकतम स्वीकृत ऋण तक कोष को विमुक्त किया जाना था।
- कॉम्पफेड को विमुक्त किए गए कोष का उपयोग दो माह के अन्दर सुनिश्चित करना था, ऐसा नहीं करने पर अनुपयुक्त अंश पर उच्च दर से अधिकतम 16 प्रतिशत प्रतिवर्ष तक ब्याज आरोपित होगा।
- योजना के कार्यान्वयन तथा परिचालन के अनुश्रवण हेतु कॉम्पफेड को रा.पि.व.वि.नि., कम्पनी, कॉम्पफेड तथा लाभार्थियों के प्रतिनिधियों की एक समिति गठित करनी थी।
- कॉम्पफेड द्वारा प्रत्येक तिमाही की समाप्ति पर एक अंकेक्षित लेखा विवरणी कम्पनी को देनी थी।

यह पाया गया (मार्च 2007) कि :

- 280 इकाइयों के लिये स्वीकृत 95.34 लाख रूपये के विरूद्ध कॉम्पफेड को 358 इकाइयों की स्थापना हेतु 1.30 करोड़ रूपये का ऋण (सितम्बर 1998 से अगस्त 2000 तक) वितरित किया गया।

[1] बेगुसराय, भागलपुर, भोजपुर, पूर्वी चम्पारण, खगड़िया, मुजफ्फरपुर, नालन्दा, पटना, रॉची, रोहतास, समस्तीपुर, सारण, सीतामढ़ी एवं वैशाली

- कॉम्पफेड ने 8.65 लाख रूपये (सात प्रतिशत) का उपयोग 72 व्यक्तियों को एक इकाई गाय व भैंस क्रय करने हेतु ऋण देने में किया, तथा 1.17 करोड़ रूपये कम्पनी को वापस कर दिया (अक्टूबर 2003)। शेष 4.35 लाख रूपये का लेखा नहीं दिया गया।

- बिहार के चौदह चिह्नित जिलों के विरूद्ध सम्पूर्ण ऋण मात्र दो जिलों, यथा गया तथा जहानाबाद में वितरित किया गया जो कि स्वीकृत योजना में शामिल नहीं थे तथा उक्त 14 जिलों के भाग नहीं थे।

- न तो अनुश्रवण समिति गठित की गई और न कॉम्पफेड द्वारा तिमाही लेखे कम्पनी को समर्पित किये गये।

- कम्पनी ने राशि वापसी के तीन वर्षो के बाद मई 2006 में 16 प्रतिशत की दर से 63.39 लाख रूपये के दण्ड ब्याज का दावा प्रस्तुत किया जो कोष प्रबंधन के प्रति ढुल–मुल रवैया को इंगित करता है।

इस प्रकार कम्पनी द्वारा कोष विमुक्ति तथा उनकी उपयोगिता की निगरानी के अनुश्रवण में विफलता का परिणाम (i) राशि की उपलब्धता के बावजूद योजना की विफलता, (ii) अभिष्ट लाभार्थियों को लाभ से वंचित रखना (iii) तीन वर्ष तक 1.17 करोड़ रूपये का अवरोधन तथा 63.39 लाख रूपये के परिणामी ब्याज की हानि, तथा (iv) कॉम्पफेड से 4.35 लाख रूपये की वापसी नहीं होना, के रूप में हुआ।

मामला सरकार/कम्पनी को प्रतिवेदित किया गया (जून 2007):, उनके उत्तर प्रतीक्षित हैं (अक्टूबर 2007)।

4.2 ऋण की वसूली नहीं होने के कारण हानि।

योजना का कार्यान्वयन तथा अनुश्रवण नहीं होने के कारण कम्पनी को 54.77 लाख रूपये की हानि हुई।

बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम (कम्पनी) राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम (रा.यि.व.वि.वि.नि.) द्वारा अनुमोदित जीवनक्षम आय सृजन करने वाली आर्थिक परियोजना/योजना की स्थापना के लिए पिछड़े वर्गो के सदस्यों को दिये जाने वाले ऋण एवं उपान्त राशि प्रदान करने हेतु स्टेट चैनेलाइजिंग एजेन्सी के रूप में कार्य करता है। कम्पनी की गतिविधियॉ बिहार तथा झारखण्ड राज्य के 55 जिलों में फैली हैं। कम्पनी ने योजनाओं के कार्यान्वयन तथा अनुश्रवण हेतु जिला स्तरीय समितियॉ गठित कीं जिनका नेतृत्व जिलाधिकारी/उपायुक्त/जिला कल्याण अधिकारी (जि.क.अ.) करते हैं।

जिला कल्याण अधिकारियों द्वारा लाभार्थियों के चयन तथा ऋण की स्वीकृति हेतु निम्नलिखित औपचारिकताएँ पूरी की जानी थीं :–

- दो गारंटीकर्ताओं (सरकारी/अर्ध सरकारी/बैंक कर्मचारी) के द्वारा हस्ताक्षरित गारंटी पत्र प्राप्त करना,
- ऋणी तथा दोनों गारंटीकर्त्ताओं के आवासीय पतों का सत्यापन,
- गारंटीकर्त्ताओं का वर्तमान पदस्थापन तथा ऋण वसूल होने की संभावित तिथि तक उनके सेवारत होने की उनके कार्यालय प्रधान द्वारा पुष्टि,
- ऋणी, द्वारा वांछित गारंटी जमा करने में विफल होने की स्थिति में उनके द्वारा कम्पनी के पक्ष में उसकी संपति को गिरवी रखना।

- ऋण से निर्मित संपत्ति को बंध रखना,
- दो माह तक का ऋण–स्थगन मानते हुए 60 किश्तों में ऋणों की वापसी।

यह पाया गया (मार्च 2007) कि कम्पनी ने 6,109 ऋणियों को 33.34 करोड़ रूपये का ऋण वितरित किया (अप्रैल 1992 से मई 2006 तक) जिसमें से 3.92 करोड़ रूपये (11.76 प्रतिशत) की वसूली हुई थी (अप्रैल 1995 से मई 2006)। वसूली की दयनीय स्थिति को देखते हुए मुंगेर एवं सासाराम के जिला कल्याण पदाधिकारियों के अभिलेखों को नमूना जॉच परीक्षा हेतु चुना गया। आगे यह भी पाया गया कि मुंगेर जिलें के 21 ऋणियों तथा उनके गारंटीकर्त्ताओं तथा सासाराम जिले के 35 ऋणियों तथा उनके गारंटीकर्त्ताओं को निर्गत नोटिस फरवरी 2005/दिसम्बर 2006 उनके उपलब्ध नहीं हो सकने के कारण वितरित हुए बिना वापस हो गई थी। परिणामस्वरूप ऋण स्वीकृत करने के पहले लाभार्थियों के पतों का सत्यापन नहीं होने के कारण मुंगेर जिलों में वितरित किये गये 13.10 लाख रूपये (1995–2003) तथा सासाराम जिलों में वितरित किये गये 28.64 लाख रूपये की वसूली नहीं हो सकी।

इसके परिणामस्वरूप मुंगेर एवं सासाराम जिलों में ऋणियों को दिये गये 41.74 लाख रूपये के ऋण की वसूली नहीं हो सकी। इसके अतिरिक्त अवरूद्ध कोष पर 13 लाख रूपये के ब्याज की हानि हुई।

यदि कम्पनी ने जिला कल्याण पदाधिकारियों द्वारा लाभार्थियों के चयन तथा उन्हें ऋण की स्वीकृति सम्बन्धी कार्यो पर चौकसी रखने में अपेक्षित सतर्कता बरती होती तो इस हानि को टाला जा सकता था।

मामला सरकार/कम्पनी को प्रतिवेदित किया गया (जून 2007), उनके उत्तर प्रतीक्षित हैं (अक्टूबर 2007)।

बिहार राज्य इलेक्ट्रोनिक्स विकास निगम लिमिटेड

4.3 अनुबन्ध के कार्यान्वयन में विफलता के कारण हानि

अनुबन्ध के कार्यान्वयन नहीं होने के कारण कम्पनी ने किराये पर 39.81 लाख रूपये की हानि उठाई।

बिहार राज्य इलेक्ट्रोनिक्स विकास निगम लिमिटेड (कम्पनी) ने बिहार शिक्षा परियोजना परिषद (बि.इ.पी.) को 1 मार्च 1993 के प्रभाव से "बेल्ट्रौन भवन" में 4,953 वर्ग फीट स्थान तीन लाख रू0 प्रति वर्ष पर जो कि प्रति तिमाही अग्रिम में देय था, किराये पर दिया। परन्तु इसके लिए बि.ई.पी. के साथ कोई औपचारिक अनुबन्ध नहीं किया गया। पट्टा अनुबन्ध के अंतिमिकरण में विलंब होने पर प्रत्येक वर्ष किराये की राशि में 10 प्रतिशत की वृद्धि[1] देय थी। इसके बाद कम्पनी ने बि.ई.पी. को दो अवसरों पर उसी दर, नियम एवं शर्तो पर 1569[2] वर्ग फीट का अतिरिक्त स्थान किराये पर दिया।

यह पाया गया (मार्च 2007) कि कम्पनी ने (फरवरी, 1999) बढ़ी दर से किराये की मॉग आरंभ की परन्तु बि.ई.पी. ने मॉग को अस्वीकार कर दिया और, बि.ई.पी. की कार्यकारी समिति द्वारा यथा अनुमोदित (फरवरी 2001) प्रति तीसरे वर्ष 10 प्रतिशत की वृद्धि के साथ किराया देना जारी रखा। बि.ई.पी. ने कम्पनी द्वारा बढ़ी दर से किराया भुगतान

[1] पत्र सं. बी.इ.पी./बेल्ट्रौन/1650 दिनांक 11.02.2003
पत्र सं. बेल्ट्रौन मुख्य प्रबंधक क्नमक्ष/12/93/11.02.2003

[2] 952वर्ग फीट दिसम्बर 1995 में तथा 617 वर्ग फीट जनवरी 1966 में।

करने के बार–बार किए गए अनुरोध पर, विचार नहीं किया। कम्पनी ने भी बि.ई.पी. को जगह खाली करने के लिये नहीं कहा।

इस प्रकार किराये में प्रति वर्ष 10 प्रतिशत वृद्धि की शर्त का प्रावधान करते हुए एक प्रवर्तनीय पट्टा अनुबंध का कार्यान्वयन करने में कम्पनी की विफलता तथा किरायेदार के दोषपूर्ण रवैये के बावजूद अतिरिक्त स्थान को किराये पर देने के अविवेकी निर्णय के कारण कम्पनी उच्चतर किराया राजस्व से वंचित हो गयी तथा इसे आवर्ती हानि हुई। मार्च 1994 से मार्च 2007 तक उच्चतर वार्षिक किराया नहीं प्राप्त होने के कारण 39.81 लाख रूपये की हानि हुई।

मामला सरकार/कम्पनी, को प्रतिवेदित किया गया (जून 2007); उनके उत्तर प्रतीक्षित हैं (अक्टूबर 2007)।

4.4 एस.टी.पी. का विकास नहीं होने के कारण किराये पर निष्फल व्यय।

कम्पनी ने सॉफ्टवेयर टेक्नालोजी पार्क के विकास हेतु अधिग्रहीत स्थान के किराये पर 49.91 लाख रूपये का निष्फल व्यय किया।

राज्य के उद्योग विभाग ने राज्य में सॉफ्टवेयर उद्योग, सूचना तकनीकी सेवायें; एवं कॉल सेन्टर के विकास के लिये सॉफ्टवेयर टेक्नोलोजी पार्क (एस.टी.पी.) फेज–II स्थापित करने का निर्णय (मार्च 2005) लिया। परियोजना के विकास के लिए बिहार राज्य इलेक्ट्रोनिक विकास निगम लिमिटेड (कम्पनी) को कार्यान्वयन अभिकरण, बिहार राज्य जल परिषद (बि.रा.ज.प.) को निष्पादन अभिकरण तथा बिहार राज्य औद्योगिक क्षेत्र विकास अभिकरण (बियाडा) को परियोजना के विकास हेतु चिह्नित राशि का अभिरक्षक नियुक्त किया गया। बि.रा.ज.प. द्वारा तैयार किये गये परियोजना प्रतिवेदन के आधार पर राज्य सरकार ने बिहार आकस्मिक निधि से तीन करोड़ रूपये विमुक्त कर बियाडा को दे दिया। कार्यान्वयन अभिकरण की मॉग पर निष्पादन अभिकरण को निधि विमुक्त करना था। विकास कार्य मार्च 2006 तक पूरा कर लेना था।

राज्य सरकार ने कम्पनी को पार्क के लिये बिस्कोमान टॉवर में तीन तल अधिग्रहण करने तथा बिहार स्टेट कोऑपरेटिव मार्केटिंग युनियन लि. (बिस्कोमान) के साथ एक अनुबन्ध करने का निर्देश दिया। तद्नुसार कम्पनी ने 1 मई 2005 के प्रभाव से बिस्कोमान टॉवर्स में तीन तल जिसका कुल माप 35,000 वर्ग फीट था, 2.17 लाख रूपये प्रतिमाह किराये पर लेने के लिए बिस्कोमान के साथ अनुबन्ध (अप्रैल 2005) किया।

यह पाया गया (अप्रैल 2007) कि अभी तक एस.टी.पी. विकसित नहीं हो पाया (मार्च 2007)। इसके अतिरिक्त मई 2005 से मार्च 2007 की अवधि के लिए बिस्कोमान को 49.91 लाख रूपये किराए का भुगतान किया गया। यह भी पाया गया कि कम्पनी ने एस.टी.पी. का विकास नहीं हो पाने के बारे में उद्योग विभाग को सुधारात्मक कार्रवाई हेतु कोई सूचना नहीं दी।

इस प्रकार, निधि की उपलब्धता के बावजूद, एस.टी.पी. का विकास नहीं हो पाया तथा इसके लिए अधिग्रहीत स्थान का किराया दिया जा रहा हैं। फलस्वरूप मई 2005 से मार्च 2007 तक 2.17 लाख रूपये प्रतिमाह की दर से किराया के भुगतान के कारण 49.91 लाख रूपये का निष्फल व्यय हुआ।

मामला सरकार/निगम को प्रतिवेदित किया गया (जून 2007); उनके उत्तर प्रतीक्षित हैं (अक्टूबर 2007)।

सांविधिक निगम

बिहार राज्य विद्युत बोर्ड

4.5 कोयला के परिवहन पर परिहार्य व्यय

बरौनी थर्मल पावर स्टेशन तक कोयला के परिवहन पर बोर्ड ने 38.95 लाख रूपये का परिहार्य व्यय किया।

रेलवे, बि.रा.वि.बो. के बरौनी थर्मल पावर स्टेशन (बी.टी.पी.एस.) तथा मुजफ्फरपुर थर्मल पावर स्टेशन (एम.टी.पी.एस.) को कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा भेजे गये कोयले के परिवहन के लिए माल भाड़ा दो प्रकार से, अर्थात् (i) स्टैण्र्ड डिस्टेन्स बेसिस (एस.डी.बी.) तथा (ii) थ्रु डिस्टेन्स बेसिस (टी.डी.बी.) भारित करता हैं। एस.डी.बी. के मामले में रेलवे, रेलवे स्टेशन से अधिनस्थ प्लान्ट साईडिंग तक रेक लोड स्थापन तथा खाली रेक की वापसी के लिए अतिरिक्त शंटिंग व साइडिंग शुल्क भारित करता है। परन्तु टी.डी.बी. के मामले में इस प्रकार का शुल्क देय नहीं है और मात्र 7.80 रू. प्रति मेट्रिक टन प्रति छः कि.मी. की मामूली दर से शुल्द अदा किया जाता है। इस प्रकार परिवहन का टी.डी.बी. तरीका एस.डी.बी. से किफायती है जिसका लाभ एम.टी.पी.एस. द्वारा लिया जा रहा हैं। यह पाया गया कि बी.टी.पी.एस. के द्वारा कोयला परिवहन के लिये एस.डी.बी. प्रकार का प्रयोग किया जा रहा था, और इसने सिमरिया रेलवे स्टेशन से अधिनस्थ प्लान्ट साइडिंग के लिए रेलवे को शंटिग व साइडिंग के मद में अतिरिक्त शुल्क अदा किया। इसकी परिणति 2003–04 से 2006–07 की अवधि में 38.95[1] लाख रू. के अतिरिक्त व्यय के रूप में हुई।

प्रबन्धन ने कहा (जुलाई 2007) कि प्लान्ट को ज्यादा किफायती बनाने हेतु बी.टी.पी.एस. के संबंध में परिवहन के तरीके को परिवर्तित करने हेतु रेलवे के साथ मामले को उठाया गया है (फरवरी 2006)। जबाब स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि बी.टी.पी.एस. को मामले की जानकारी अक्टूबर 2003 में हुई तथा बोर्ड ने परिवहन के तरीके में परिवर्तन हेतु प्रभावी कदम नहीं उठाया तथा परिहार्य व्यय अभी भी जारी है।

मामला सरकार को प्रतिवेदित किया गया (मई 2007), उनके उत्तर प्रतीक्षित हैं (अक्टूबर 2007)।

4.6 कोष का गबन

राजस्व अभिलेखों के संधारण नहीं होने के कारण कोष के गबन होने से बोर्ड को 12.50 लाख रू0 की हानि।

बोर्ड ने आपूर्ति अवर प्रमण्डलों द्वारा राजस्व संग्रह के प्रेषण से संबंधित, वित्तीय व लेखे नियमावली (नियमावली) के नियम 6–93 के अन्तर्गत निर्धारित कार्य–पद्धति के अनुपालन की जॉच के क्रम में जिनके कारण कभी–कभी गवन व गोलमाल किया जाता है तथा चोरी एवं डकैती को प्रोत्साहन मिलता है, के मामले में यह निर्देश[2] जारी किया (नवम्बर 1967) कि अंचल के राजस्व पदाधिकारी अपने अधीनस्थ सभी आपूर्ति अवर प्रमण्डलों की दो महीने में कम से कम एक बार विस्तृत जॉच करेंगे। जॉच के दौरान अवर प्रमंडल की रोकड़ बही तथा प्रेषण पंजी की जॉच पर विशेष ध्यान दिया जाना

[1] (शंटिंग व साइडिंग शुल्क : 95.46 लाख रू0 – मानक भाड़ा : 56.51 लाख रू0)

[2] मुख्य अभियंता (ओ. एण्ड एम.), बिहार राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा निर्गमित परिपत्र दिनांक 22.11.1967 के अनुसार।

चाहिए तथा यह देखा जाना चाहिए कि निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालान किया गया है। किसी भी विचलन तथा असावधानी को गंभीरता से लिया जाना चाहिए तथा उनकी भविष्य में पुनरावृत्ति न हो इसके सुधारात्मक उपाय किये जाने चाहिए।

यह पाया गया (मई 2005) कि विद्युत आपूर्ति अवर प्रमंडल, खगड़िया में उपरोक्त प्रक्रिया का अनुपालन नहीं हुआ था। वर्ष 2003–04 के समापन पर न तो रोकड़ का भौतिक सत्यापन किया गया था और न वर्ष 2004–05 की रोकड़ बही लिखी गयी थी। लिखित रोकड़ बही के न होने के कारण, प्रमण्डलों द्वारा निर्गत रोकड़ प्राप्तियों का मिलान बैंक द्वारा जारी किये गये पे–इन–स्लिप की अधकट्टी से किया गया और यह पाया गया कि लेखा परीक्षा की तिथि तक (मई 2005) 1.64 लाख रूपये को जमा नहीं किया गया था, तथा उसका गबन हो चुका था। अवर प्रमण्डल के प्रभारी ने अवगत कराया (मई 2005) कि मामलों की जॉच की जायेगी तथा गबन की गई 1.64 लाख रूपये की राशि को वसूल किया जायेगा।

लेखा परीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर प्रबंधन के द्वारा अप्रैल से दिसम्बर 2004 की अवधि तक की रोकड़ बही को लिखा गया (जनवरी, 2007) जिसके अनुसार 31 दिसम्बर 2004 को रोकड़ शेष की राशि 8.05 लाख रूपये थी। यह भी पाया गया (मार्च 2007) कि 31 दिसम्बर 2004 को वास्तविक रोकड़ शेष, प्रबंधन द्वारा गणित 8.05 लाख रूपये न होकर 10.38 लाख रूपये था। इसके अतिरक्त यह भी पाया गया कि मार्च से मई 2005 की अवधि के दौरान 2.12 लाख रूपये का रोकड़ कम जमा किया गया था।

लेखा परीक्षा के द्वारा आकलित अप्रैल 2004 से मई 2005 की अवधि के दौरान गबन किये गये रोकड़ की कुल राशि इस प्रकार थी :–

(राशि :रूपये लाख में)

क्र.सं.	अवधि	जमा की जाने वाली राशि	जमा की गई राशि	गबन की गई राशि
1	अप्रैल से दिसम्बर 2004	75.46	65.08	10.38
2.	मार्च से मई 2005	3.88	1.76	2.12
	कुल	79.34	66.84	12.50

इस प्रकार नियमावली में दी गई प्रक्रिया का अनुपालन नहीं होने से तथा पदाधिकारियों द्वारा राजस्व अभिलेखों के संधारण तथा सत्यापन से संबंधित बोर्ड के निर्देशों की अवहेलना करने के कारण 12.50 लाख रू0 का गबन हुआ।
मामला सरकार/बोर्ड को प्रतिवेदित किया गया (जुलाई 2007); उनके उत्तर प्रतीक्षित हैं (सितम्बर 2007)।

4.7 सामग्रियों की कमी के कारण हानि

समय पर भौतिक सत्यापन न करने के कारण बोर्ड को 84.09 लाख रू0 की हानि हुई।

बिहार राज्य विद्युत बोर्ड की वित्तीय एवं लेखा अधिनियम (धारा 7–141) में भंडार के वार्षिक सत्यापन का प्रावधान है। यह पाया गया (जुलाई 2006) कि बिहारशरीफ संचरण अंचल में वर्ष 2002 में भंडार का कोई भौतिक सत्यापन नहीं किया गया जिसके फलस्वरूप भंडार/सामग्री की कमी का समय पर पता नहीं चल सका। यह भी पाया गया कि भंडार के प्रभारी द्वारा कहे जाने (जनवरी 2003) के बावजूद बिना प्रभार सौंपे अंचल के सहायक भंडारपाल फरवरी 2003 में सेवा निवृत्त हो गए। अंचल के विद्युत

अधीक्षण अभियंता (वि.अ.अ.) ने भंडार का ब्यौरा तैयार करने के लिए एक समिति का गठन (फरवरी 2004) किया।

समिति द्वारा 114.893 मेट्रिक टन की विभिन्न सामग्रियों की कमी पाई गई (जून 2005)। अंचल के वि.अ.अ. प्रभारी ने सामग्रियों की कमी प्रतिवेदित होने के बावजूद संबंधित कर्मचारी के विरूद्ध कोई कार्रवाई नहीं की। बिहारशरीफ संचरण अंचल के सहायक अभियंता ने अवगत कराया (जुलाई 2006) कि अंचल के प्रभारी ने प्रभारी भंडारपाल को भंडार का पुनः जॉच करने तथा संशोधित सामग्री–विवरणी बनाने का निर्देश (मौखिक) दिया था। संशोधित विवरणी जून 2007 तक तैयार की गई थी। समय पर भौतिक सत्यापन न करने तथा संबंधित कर्मचारी के कम प्राप्त सामग्रियों की मूल्य वापसी हेतु कार्रवाई नहीं करने से बोर्ड को 84.09 लाख रू0 (114.893 मे.ट.×73,192 रू. प्रति मे.ट.) की हानि हुई।

तथ्यों से सहमत होते हुए बोर्ड ने अवगत कराया (जून 2007) कि वि.अ.अ., संचरण अंचल, बिहारशरीफ से मामले की जॉच करने के लिए कहा (मई 2007) गया है। संबंधित कर्मचारी के पेंशन की स्वीकृति दी गई है परन्तु उनका मृत्यु–सह–सेवानिवृति उपदान (डी.सी.आर.जी.) तथा अवकाश नकदीकरण को रोक लिया गया है। उत्तर मान्य नहीं हैं क्योंकि मई 2007 में जॉच का आदेश संबंधित कर्मचारी की सेवा निवृति की तिथि (फरवरी 2003) तथा कमी के पता चलने (जून 2005) से अध्यधिक देरी से दिया गया तथा डी.सी.आर.जी. तथा अवकाश नकदीकरण की राशि कमी की राशि की भरपाई हेतु पर्याप्त नहीं थी। दोषी कर्मचारियों के विरूद्ध क्षति भरपाई हेतु दीवानी मुकदमा दायर करने की कोई कार्रवाई नहीं की गई थी।

मामला सरकार को प्रतिवेदित किया गया (अप्रैल 2007); उनका उत्तर प्रतीक्षित है (अक्टूबर 2007)।

4.8 दावा के छूट सम्बन्धी नियमों की अवहेलना के कारण हानि

नियमों के विरूद्ध उ.वि. उपभोक्ताओं को छूट देने से बोर्ड को 17.13 लाख रू. की हानि हुई।

बिहार राज्य विद्युत बोर्ड (बोर्ड) विभिन्न उपभोक्ताओं को ऊर्जा की आपूर्ति करता है। उच्च विभव (उ.वि.) उपभोक्ताओं के साथ हुए मानक अनुबंध की धारा 13 के अनुसार, "यदि हड़ताल, दंगे, आगजनी, बाढ़, विस्फोट, दैविक घटना, और किसी अन्य विवेकी नियंत्रण से परे मामले में यदि उपभोक्ता किसी समय में अनुबंध के अनुसार आपूर्ति की जाने वाली ऊर्जा की पूर्ण अथवा आंशिक प्राप्ति से अथवा उपयोग करने से उपभोक्ता को रोका जाता है, अथवा यदि बोर्ड को उपरोक्त किसी या सभी कारणों से ऊर्जा की आपूर्ति से रोका जाता है या बोर्ड आपूर्ति करने में असमर्थ होता है, तो उपभोक्ता की उर्जा प्राप्त करने की या बोर्ड की उर्जा आपूर्ति करने की योग्यता के अनुपात में टैरिफ अनुसूची में उल्लिखित मांग शुल्क और गारंटिंड उर्जा शुल्क की कटौती कर दी जाएगी तथा इस सम्बन्ध में मुख्य अभियन्ता, बिहार राज्य विद्युत बोर्ड का निर्णय अंतिम होगा।" बोर्ड ने यह अधिसूचित किया (जुलाई 1994) कि ऐसी कटौती/छूट तभी दी जाएगी (धारा – 4ब) जब वार्षिक न्यूनतम गारंटी (ए.एम.जी.) प्रभारित किया गया हो तथा उपभोक्ता ने नियत तिथि से तीन महीने (90 दिन) की अवधि में निर्धारित प्रारूप में बोर्ड को अपना दावा प्रस्तुत किया हो। साथ ही छूट की महत्तम राशि प्रभारित ए.एम.जी. से अधिक नहीं होगी।

तिरहुत आपूर्ति एरिया बोर्ड, मुजफ्फरपुर के अभिलेखों की जॉच (नवम्बर 2006) के दौरान यह पाया गया कि :

- इन्फोमीडिया पब्लिशर्स प्राइवेट लिमिटेड, मुजफ्फरपुर द्वारा 2001–04 की अवधि तथा हरिनगर चीनी मिल का 2002–03 की अवधि के छूट प्राप्ति के दावे उपभोक्ता द्वारा छूट प्राप्ति हेतु दावा दाखिल करने की नियत तिथियों से दो से 33 महीने, विलम्ब से प्रस्तुत किए गए। महाप्रबंधक–सह–मुख्य अभियंता, मुजफ्फरपुर ने उपभोक्ताओं के दावों को मंजूर किया तथा 11.46 लाख रू. की छूट की अनुमति दी, जबकि उल्लिखित अधिसूचना की धारा 4(ब) के प्रावधानों के अनुसार दावों को सिरे से खारिज कर दिया जाना चाहिए था।

- मुजफ्फरपुर आटा मिल के 2001–05 की अवधि तथा हरिनगर चीनी मिल के 1996–97 तथा 2001–02 के दावे क्रमशः अप्रैल तथा मई 2006 में तय किए गए। इन दोनों मामले में धारा 13 के अन्तर्गत 5.67 लाख रू. की छूट का आदेश महा प्रबंधक–सह मुख्य अभियन्ता, मुजफ्फरपुर द्वारा दिया गया था जो बोर्ड द्वारा अभियोजित ए.एम.जी. से अधिक था।

इस प्रकार महा प्रबंधक–सह–मुख्य अभियन्ता, मुजफ्फरपुर द्वारा नियमों के विरूद्ध तीन उ.वि. उपभोक्ताओं को छूट स्वीकार करने से बोर्ड को 17.13 लाख रूपये की हानि हुई।

मामला सरकार/बोर्ड को प्रतिवेदित किया गया (मई 2007); उनके उत्तर प्रतीक्षित हैं (अक्टूबर 2007)।

4.9 राजस्व की परिहार्य हानि

विद्युत लाइन के विन्यास हेतु प्रभावी कदम नहीं उठाए जाने के कारण बोर्ड को 1.74 करोड़ रूपये की परिहार्य हानि हुई।

पूर्व केन्द्रीय रेलवे के पटना–गया रेल शाखा के अन्तर्गत नेर हाल्ट तथा बेलागंज रेलवे स्टेशन के मध्य 11 के.भी. अर्ध्वस्थ विद्युत लाइन को रेलवे, ने रेल पटरी के विद्युतीकरण कार्य हेतु, इस आश्वासन पर हटा दिया (अप्रैल 2003) कि दो महीने के अन्दर विद्युत लाइन बहाल कर दिया जाएगा। इस लाइन द्वारा 32 गॉवों के 571 उपभोक्ताओं को विद्युत आपूर्ति होती थी। कार्य विधि के अनुसार बी.एस.इ.वी. को रेलवे से लाइन हटाने का लागत मूल्य जमा करने हेतु कहना चाहिए था तथा इस कार्य को स्वयं करना चाहिए था। आपूर्ति अंचल, गया में यह पाया गया (जुलाई 2006) कि रेलवे द्वारा विद्युत लाइन बहाल नहीं किए गए तथा यह चार वर्षो से अधिक अवधि से बाधित थे। यद्यपि बोर्ड ने समय–समय पर रेलवे के प्रमण्डलीय स्तर पर मामले को रखा, परन्तु रेलवे ने लाइन बहाल नहीं किया, तथा लाइन बाधित रहा। परिणामस्वरूप 32 गॉवों के 571 उपभोक्ताओं को विद्युत आपूर्ति चार वर्षो से अधिक अवधि से बाधित रहे। पुनः उर्जाकरण में विलम्ब के कारण, उप संचरण प्रणाली की लाइन सामग्री बाधित अवधि (अप्रैल 2003 से जून 2007) में चोरी हो गई। कार्यालय द्वारा कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई। उपभोक्ताओं से बकाए राशि की वसूली भी नहीं हो सकी क्योंकि बोर्ड उन्हें विद्युत आपूर्ति नहीं कर रहा था। इस प्रकार उपभोक्ताओं के पास पड़ी बकाए राशि (75.04 लाख रू.) की वसूली नहीं होने, तथा लाइन सामग्रियों की चोरी (5 लाख रू.) के अतिरिक्त उपभोक्ताओं को विद्युत बिक्री से संभाव्य राजस्व (93.79 लाख रू.) की अप्राप्ति के कारण बोर्ड को 1.74 करोड़ रू. की हानि हुई।

इस प्रकार नर हाल्ट तथा बेलागंज के बीच विद्युत लाइन विन्यास का कार्य विभागीय स्तर पर जमा कार्य के रूप में करने के बजाए रेलवे द्वारा लाइन हटाने से सहमत होने से बोर्ड को 1.74 करोड़ रू. की हानि हुई।

मामला सरकार/बोर्ड को प्रतिवेदित किया गया (मई 2007); उनके उत्तर प्रतीक्षित हैं (अक्टूबर 2007)।

4.10 राजस्व का कम निर्धारण

टैरिफ प्रावधानों के अनुसार विपत्रीकरण नहीं करने के कारण बोर्ड को 7.17 करोड़ रूपये की हानि हुई।

उच्च विभव (एच.टी.) तथा अतिरिक्त उच्च विभव (ई.एच.टी.) उपभोक्ताओं की टॉसफर्मर क्षमता उनके अनुबंधित मॉग के 150 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए। संशोधित आपूर्ति अधिसूचना (अक्टूबर 2002) की धारा 8–क तथा 8–ख में आगे प्रावधानित है कि जहॉ कोई उपभोक्ता उसके अनुबंधित मॉग के अनुसार स्वीकार्य क्षमता से उच्चतर ट्रॉसफर्मर क्षमता का उपयोग करता पाया जाता है तो उस उपभोक्ता द्वारा देय क्षतिपूर्ती राशि का निर्धारण, टॉसफर्मर क्षमता को उसके द्वारा पूरी अनाचार अवधि के लिए उसके अनुबंधित मॉग का दो तिहाई भाग मानते हुए, किया जाएगा तथा संबंधित अवधि में उपयुक्त टैरिफ, जिन्हें कम भारित किया गया है, के दुगने दर से देय होगा। यदि ऐसे अनाचार अवधि का निर्धारण नहीं किया जा सकता है, तो अनाचार के पता लगने के छः माह पूर्व की अवधि को ग्रहण किया जाएगा।

यह पाया गया (अगस्त 2006) कि गया हवाई हड्डा में, एक एच.टी. उपभोक्ता (निदेशक, भारत के एयरपोर्ट प्राधिकार) जिनका अनुबंधित मांग 1,000 के.भी.ए. था, को बोर्ड ने 3,500 के.भी.ए.[1] की कुल क्षमता वाले तीन ट्रॉसफर्मरों का उपयोग करते पाया। क्योंकि अनाचार की अवधि का निर्धारण नहीं किया गया विपत्रीकरण फरवरी 2005 से किया जाना था। विद्युत आपूर्ति अंचल, गया ने लागू टैरिफ तथा बोर्ड के आदेशों के अनुरूप उपभोक्ता का विपत्रीकरण नहीं किया। परिणामस्वरूप, फरवरी 2005 से जुलाई 2006 की अवधि में, बोर्ड 7.17 करोड़ रूपये के राजस्व से वंचित रहा।

बोर्ड ने अवगत कराया (मई 2007) कि इसने उपभोक्ताओं से अतिरिक्त टॉसफर्मरों को स्टैन्डबाई के रूप में रखने को कहा था। आगे यह भी अवगत कराया गया कि एयरपोर्ट प्राधिकार, गया ने सूचित किया था कि उनकी अधिकतम मॉग 1,000 के.भी.ए. थी तथा उनके पास एक बार में मात्र एक ट्रॉसफर्मर के उपयोग करने की सुविधा है जबकि अन्य दो 2500 के.भी.ए. (1500 के.भी.ए. + 1000 के.भी.ए.) क्षमता वाले ट्रॉसफर्मरों को स्टैन्डवाई अवस्था में/आपातस्थिति के उद्देश्य से, रखा गया था। निम्न कारणों से उत्तर स्वीकार्य नहीं हैं :

- बोर्ड के आदेश (अप्रैल 2006) इस मामले में लागू नहीं हैं, क्योंकि अतिरिक्त ट्रॉसफर्मरों का पता अगस्त 2005 में लगा था जबकि बोर्ड ने उपभोक्ताओं को अप्रैल 2006 में बिना भूतलक्षी प्रभाव के ट्रॉसफर्मरों को स्टैन्डबाई अवस्था में रखने की अनुमति दी थी।

- बोर्ड का आदेश, मान्य क्षमता के 100 प्रतिशत के स्टैन्डबाई ट्रॉसफर्मरों के स्थापन की, अनुमति देता हैं। अतः उपभोक्ता 2500 के.भी.ए. क्षमता के

[1] (1000+1000+1500) के.भी.ए.

स्टैन्डबाई ट्रॉसफर्मर, जो अनुबंधित मांग का 250 प्रतिशत था, को रखने के लिए अधिकृत नहीं था।

- उत्तर इस मामले में मौन है कि क्या उपभोकता ने, बोर्ड मुख्यालय (वाणिज्यिक स्कंध) को बोर्ड के अप्रैल 2006 के आदेश में यथा प्रावधानित, 2500 के.भी.ए. क्षमता के स्टैन्डबाई ट्रॉसफर्मर के स्थापन के उनकी योजना की अग्रिम सूचना दी थी और बोर्ड ने इसकी स्वीकृति दी थी।

इस प्रकार, टैरिफ प्रावधानों के अनुरूप उपभोक्ता से क्षतिपूर्ति की वसूली नहीं होने से, बोर्ड को 7.17 करोड़ रू. की हानि हुई।

मामला सरकार को प्रतिवेदित किया गया (अप्रैल 2007;) उनका उत्तर प्रतीक्षित हैं (अक्टूबर 2007)।

4.11 उच्च विभव उपभोक्ता को अनुचित लाभ

दोषपूर्ण अनुबंध के कारण बोर्ड उपभोक्ता से 1.30 करोड़ रूपये की राशि वसूल नहीं कर सका।

बोर्ड के टैरिफ (1993) में यह प्रावधान है कि 11 के.भी. उच्च विभव सेवा (एच.टी.एस.–I) के लिए न्यूतनम व अधिकतम अनुबंधित मांग क्रमशः 75 के.भी.ए. तथा 1500 के.भी.ए. होगा जबकि 33 के.भी. उच्च विभव सेवा (एच.टी.एस–II) के लिए यह क्रमशः 1,000 के.भी.ए. तथा 10,000 के.भी.ए. होगा। यह पाया गया (अगस्त 2005) कि विद्युत आपूर्ति अंचल, मुजफ्फरपुर में तिरहुत दुग्ध उत्पादक सहाकरी संघ लिमिटेड (उपभोक्ता) के साथ 11 के.भी. लाइन के बजाए 33 के.भी. लाइन से 400 के.भी.ए. शक्ति आपूर्ति का अनुबंध किया जबकि 11 के.भी. लाइन उपभोक्ता के परिसर के निकट उपलब्ध था। अनुबंध में, अपितु, एच.टी.एस. I का टैरिफ लागू होना दर्शाया गया। क्योंकि विद्युत सम्बन्ध 33के.भी. उच्च विभव सेवा, जिसको एच.टी.एस. II टैरिफ के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, से दिया गया, अनुबंध में एच.टी.एस. II टैरिफ लागू होने को दर्शाया जाना चाहिए था। अनुबंध 1 अप्रैल 2001 से भूतलक्षी प्रभाव में था। उपभोक्ता द्वारा शक्ति विपत्रीकरण, बोर्ड तथा उपभोक्ता के बीच हुए अनुबंध के अनुसार 400 के. भी.ए. पर आधारित एच.टी.एस.–I दर से किया गया। क्योंकि विद्युत सम्बन्ध 33 के.भी. लाइन से दिया गया था, एस.टी.एस. II उपभोक्ताओं हेतु टैरिफ में यथा प्रावधानित न्यूनतम 1,000 के.भी.ए. अनुबंध मांग हेतु अनुबंध तथा उसके अनुरूप विपत्रीकरण किया जाना चाहिए था। ऐसा नहीं करने से, बोर्ड को 2001–06 की अवधि में उपभोक्ता को अनुचित लाभ देने से 1.30 करोड़ रू. (प्रभार्य न्यूनतम उर्जा शुल्क तथा 1000 के.भी.ए. के लिए मांग शुल्क का अन्तर : 2.52 करोड़ रू. तथा 400 के.भी.ए. हेतु भारित वास्तविक राशि : 1.22 करोड़ रू.) की हानि हुई।

बोर्ड ने तथ्यों को स्वीकारते (मई 2007) हुए अवगत कराया कि या तो उपभोक्ता परिसर में 11के.भी. आपूर्ति लाइन स्थापना के बाद उपभोक्ता का विद्युत सम्बन्ध 11 के.भी. लाइन पर स्थानान्तरित कर दिया जाएगा, अथवा 1993 के टैरिफ जो बिहार विद्युत नियामक आयोग द्वरा अनुमोदित नए टैरिफ 2006 में भी सम्मिलित है, के प्रावधानों के अन्तर्गत उपभोक्ता को अनुबंध मांग 1000 के.भी.ए. तक बढ़ा लेने का सुझाव दिया जाएगा।

मामला सरकार को प्रतिवेदित, किया गया (अप्रैल 2007); उनके उत्तर प्रतीक्षित हैं (अक्टूबर 2007)।

4.12 राजस्व की हानि

नियमों का पालन न करने तथा दावों के कालबाधित होने के फलस्वरूप बोर्ड को 5.55 करोड़ रू. की हानि

बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के विभिन्न विद्युत आपूर्ति अंचलों एवं प्रमण्डलों के अभिलेखों की नमूना जॉच (अप्रैल 2006 से मई 2007) के क्रम में, लेखापरीक्षा में राजस्व कम भारित करने व कालबाधित दावे के मामले का पता चला जिनका विवरण निम्नवत् है –

प्रतिभूति जमा की वसूली न होना

बोर्ड टैरिफ (जून 1993) की धारा 15.3(स) के अनुसार वर्ष में दो बार, अक्टूबर–नवम्बर में अप्रैल से सितम्बर तथा अप्रैल–मई में अक्टूबर से मार्च की अवधि का उपभोक्ताओं की प्रतिभूति जमा की समीक्षा का प्रावधान है। यदि किसी भी उपरोक्त अर्धवार्षिक अवधि से सम्बन्धित सभी विपत्रों की कुल राशि विद्यमान प्रतिभूति राशि से 20 प्रतिशत अधिक हो जाती है, तो उसे उस राशि सीमा तक बढ़ा दिया जाना था।

अप्रैल 2005 से मार्च 2006 की अवधि में छः विद्युत आपूर्ति अंचलों[1] तथा छः प्रमण्डलों[2] के विपत्रों की नमूना जॉच के क्रम में लेखा परीक्षा में पाया गया कि 59 उच्च विभव (एच.टी.) एवं 168 एल.टी.आई.एस. उपभोक्ताओं जिनके विपत्रों की कुल राशि उनके द्वारा प्रतिभूति जमा राशियों, के 20 प्रतिशत से अधिक हो गई थीं, के प्रतिभूति जमा राशियों को नहीं बढ़ाया गया। परिणामस्वरूप, 3.55 करोड़ रू. के अतिरिक्त प्रतिभूति जमाओं को नहीं वसूला जा सका। दावों के कालबाधित होने से हानि।

दावों के कालबाधित होने से हानि

राजस्व प्राप्तियों से सम्बन्धित बोर्ड के नियमों के अन्तर्गत उपभोक्ताओं के बकाए राशियों की संभूति पर नजदीकी सतर्कता बरतने का प्रावधान है। ताकि ये प्रतिभूति जमा से अधिक न हो सके। इसमें आगे, उपयुक्त मामलों में समय पर सर्टिफिकेट केस दायर करने का प्रावधान है जिससे विद्युत विपत्र कालबाधित न हो। ऐसा करने में विफल संबंधित पदाधिकारी अनुशासनिक कार्रवाई के उत्तरदायी होंगे। यदि कोई पदाधिकारी और कर्मचारी बकाया राशियों के कालबाधित होने के लिए जबाबदेह पाए गए, तो उनसे कालबाधित बकाया राशि वसूल की जा सकती है।

फरवरी 2001 से मार्च 2003 की अवधि में 12 आपूर्ति प्रमण्डलों[3] के कालबाधित दावों की पंजी की नमूना जॉच के क्रम में लेखा परीक्षा ने पाया कि समय पर 41 निम्न विभव औद्योगिक सेवा, 481 गृह सेवा, तीन सिंचाई और कृषि सेवा, नौ औद्योगिक तथा 170 वाणिज्यिक सेवा उपभोक्ताओं के विरूद्ध समय पर मनी सूट दायर नहीं करने के कारण दो करोड़ की बकाया राशि कालबाधित हो गई थी। बोर्ड ने इसके लिए कोई जवाबदेही निश्चित नहीं की हैं।

मामला सरकार को प्रतिवेदित किया गया (अप्रील 2007); उनके उत्तर प्रतीक्षित हैं।

[1] आरा, बिहारशरीफ, मुजफ्फरपुर, पटना विद्युत आपूर्ति उपक्रम (पूर्व), समस्तीपुर एवं पूर्णियॉ

[2] बिहारशरीफ, बक्सर, गर्दनीबाग, गुलजारबाग, जहानाबाद, एवं पुर्णियॉ

[3] कंकड़बाग, डेहरी–ऑन–सोन, दरभंगा, मधुबनी, गया (क्षेत्रीय), मोतिहारी, आरा, भागलपुर, मधेपुरा, जहानाबाद, सुपौल एवं बरौनी

सामान्य

4.13 निरीक्षण प्रतिवेदनों, प्रारूप कंडिकाओं एवं समीक्षाओं पर प्रतिक्रिया

लेखा परीक्षा के दौरान पाये गए एवं मौके पर नहीं निपटाए गए लेखा परीक्षा प्रेक्षणों को सार्वजनिक क्षेत्र उपकरणों (सा.क्षे.उ.) के कार्यालय प्रधानों एवं राज्य सरकार के संबंधित विभागों को निरीक्षण प्रतिवेदनों के माध्यम से प्रेषित किया जाता है। सा.क्षे.उ. के कार्यालय प्रधानों को सम्बद्ध विभागों के प्रधानों के माध्यम से निरीक्षण प्रतिवेदनों का उत्तर छः हफ्तों के अन्दर देना होता है। 55 सा.क्षे.उ. में सम्बन्धित मार्च 2007 तक जारी किए निरीक्षण प्रतिवेदनों से प्रकट हुआ कि 1,708 निरीक्षण प्रतिवेदनों से संबंधित 6,538 कंडिकायें सितम्बर 2007 के अन्त तक बाकी रह गयी थीं। 30 सितम्बर 2007 तक लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों एवं लेखा परीक्षा कंडिकाओं की विभागवार विवरणी **परिशिष्ट–20** में दी गई हैं।

उसी प्रकार सा.क्षे.उ. के कार्यकलापों पर प्रारूप कंडिकाओं एवं समीक्षाओं के तथ्यों और ऑकड़ों की संपुष्टि हेतु एवं छः हफ्तों की अवधि के भीतर उनकी टिप्पणियों के लिए प्रधान सचिव/संबंधित प्रशासनिक विभाग के सचिव को अर्द्धसरकारी पत्रों के माध्यम से अग्रसारित किया जाता है। फिर भी यह देखा गया कि अप्रैल से नवम्बर 2007 के दौरान विभिन्न विभागों को अग्रसारित की गईं तीन समीक्षाओं एवं बारह प्रारूप कंडिकाओं के उत्तर नहीं दिए गए जैसा कि **परिशिष्ट–21** में वर्णित हैं।

यह अनुशंसित किया जाता है कि सरकार यह सुनिश्चित करे कि (क) विहित समय सीमा के अन्दर, जो पदाधिकारीगण निरीक्षण प्रतिवेदनों/प्रारूप कंडिकाओं/समीक्षाओं के जवाब भेजने में असफल रहे, उनके विरूद्ध कार्रवाई करने की प्रक्रिया विद्यमान हो; (ख) एक समयबद्ध कार्यक्रम के तहत हानि/बकाया अग्रिम/अधिक भुगतान की वसूली हेतु कार्रवाई और (ग) लेखा परीक्षा प्रेक्षणों पर उत्तर देने की प्रणाली मजबूत हो जाए।

अ॰ कु॰ सिंह

पटना
दिनांक

(अरुण कुमार सिंह)
प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार

31 दिसम्बर 2007

प्रतिहस्ताक्षरित

वि॰ ना॰ कौल

नई दिल्ली
दिनांक

(विजयेन्द्र नाथ कौल)
भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक

03 जनवरी 2008

परिशिष्ट – 1

31 मार्च 2007 को सरकारी कम्पनियों एवं सांविधिक निगमों के संदर्भ में अद्यतन प्रदत्त पूंजी, आय–व्ययक से वर्हिगमन, आय–व्ययक से दिये गए ऋण एवं बकाया ऋणों को दर्शानेवाली विवरणी

(कोष्ठक के अंदर दिये गए आकड़े आवंटन हेतु आंश आवेदन राशि के द्योतक है)

(कंडिका 1.3, 1.4, 1.5 एवं 1.16)

(कॉलम 3(क) से 4(छ) तक की राशि लाख रुपये में)

क्रम सं.	प्रक्षेत्र तथा कम्पनी का नाम	चालू वर्ष के अन्त में प्रदत्त पूंजी					वर्ष भर में बजट से प्राप्त साधारण पूँजी/ऋण		वर्ष भर में प्राप्त अन्य ऋण	2006–2007 के अन्त तक बकाया ऋण				2006–2007 के ऋण/साधारण पूँजी के अनुपात (पूर्व वर्ष)
		राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	नियंत्री कम्पनियाँ	अन्य	कुल	साधारण पूँजी	ऋण		राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	अन्य	कुल	
1	2	3(क)	3(ख)	3(ग)	3(घ)	3(ङ)	4(क)	4(ख)	4(ग)	4(घ)	4(ङ)	4(च)	4(छ)	4(छ)/3(ङ)
	कार्यशील सरकारी कम्पनियाँ													5
	कृषि एवं समवर्गी													
1.	बिहार राज्य बीज निगम लिमिटेड	162.46 (65.20)	---	---	138.94 (4.24)	301.40 (69.44)	--	--	--	2,792.55	--	--	2,792.55	7.53:1 (7.53:1)
2.	बिहार राज्य मत्स्य विकास निगम लिमिटेड	174.75 (125.25)	---	---	---	174.75 (125.25)	--	49.28	--	263.12	2.50	--	265.62	0.89:1 (0.72:1)
	प्रक्षेत्रवार योग	**337.21 (190.45)**		**---**	**138.94 (4.24)**	**476.15 (194.69)**	**--**	**49.28**	**--**	**3,055.67**	**2.50**	**--**	**3,058.17**	**4.56:1 (4.48:1)**
	इलेक्ट्रॉनिक्स													
3	बिहार राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड	407.77 (159.14)	---	---	---	407.77 (159.14)	---	--	--	593.48	--	--	593.48	1.05 :1 (1.05:1)
	प्रक्षेत्रवार योग	**407.77 (159.14)**	**---**	**---**	**---**	**407.77 (159.14)**	**--**	**--**	**--**	**593.48**	**--**	**--**	**593.48**	**1.05:1 (1.05:1)**
	वन													
4	बिहार राज्य वन विकास निगम लिमिटेड	175.08	54.00	---	---	229.08	--	--	--	--	--	--	--	--
	प्रक्षेत्रवार योग	**175.08**	**54.00**	**---**	**---**	**229.08**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

क्रम सं.	प्रक्षेत्र तथा कम्पनी का नाम	चालू वर्ष के अन्त में प्रदत्त पूंजी					वर्ष भर में बजट से प्राप्त साधारण पूँजी/ऋण		वर्ष भर में प्राप्त अन्य ऋण	2006–2007 के अन्त तक बकाया ऋण				2006–2007 के ऋण/साधारण पूँजी के अनुपात (पूर्व वर्ष)
		राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	नियंत्री कम्पनियाँ	अन्य	कुल	साधारण पूँजी	ऋण		राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	अन्य	कुल	
1	2	3(क)	3(ख)	3(ग)	3(घ)	3(ङ)	4(क)	4(ख)	4(ग)	4(घ)	4(ङ)	4(च)	4(छ)	4(छ)/3(ङ)
	खनन													
5	बिहार राज्य खनिज विकास निगम लि.	997.35	---	---	---	997.35	--	--	--	--	--	--	--	--
	प्रक्षेत्रवार योग	**997.35**	**---**	**---**	**---**	**997.35**	--	--	--	--	--	--	--	--
	निर्माण													
6	बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम लि.	10.00	---	---	---	10.00	--	--	--	42.90	--	--	42.90	4.29:1 (4.29:1)
7	बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि.	350.00	---	---	---	350.00	--	--	--	--	--	--	--	--
	प्रक्षेत्रवार योग	**360.00**	**---**	**---**	**---**	**360.00**	--	--	--	**42.90**	--	--	**42.90**	**4.29:1 (4.29:1)**
.	**आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का विकास**													
8	बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्त निगम लि.	475.00 (420.00)	---	---	900.04	1,375.04 (420.00)	420.00	--	--	--	--	2,118.11	2,118.11	1.18:1 (1.80:1
9	बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड	1,336.00	---	---	---	1,336.00	--	--	47.50	--	1,879.13	---	1,879.13	1.41:1 (1.37:1)
	प्रक्षेत्रवार योग	**1,811.00 (420.00)**	**---**	**---**	**900.04**	**2,711.04 (420.00)**	**420.00**	--	**47.50**	--	**1,879.13**	**2,118.11**	**3,997.24**	**1.28:1 (1.57:1)**
	जन–वितरण													
10	बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लि.	526.58	---	---	---	526.58	--	11,433.00	33.19	11,864.01	194.06	--	12,058.07	22.9:1 (22.9:1)
	प्रक्षेत्रवार योग	**526.58**	---	---	---	**526.58**	--	**11,433.00**	**33.19**	**11,864.01**	**194.06**	--	**12,058.07**	**22.9:1 (22.9:1)**

क्रम सं.	प्रक्षेत्र तथा कम्पनी का नाम	चालू वर्ष के अन्त में प्रदत्त पूंजी					वर्ष भर में बजट से प्राप्त साधारण पूँजी/ऋण		वर्ष भर में प्राप्त अन्य ऋण	2006–2007 के अन्त तक बकाया ऋण				2006–2007 के ऋण/साधारण पूँजी के अनुपात (पूर्व वर्ष)
		राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	नियंत्री कम्पनियाँ	अन्य	कुल	साधारण पूँजी	ऋण		राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	अन्य	कुल	
1	2	3(क)	3(ख)	3(ग)	3(घ)	3(ङ)	4(क)	4(ख)	4(ग)	4(घ)	4(ङ)	4(च)	4(छ)	5
	पर्यटन													
11	बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम लि.	500.00	---	---	---	500.00	--	--	--	--	--	--	--	--
	प्रक्षेत्रवार योग	**500.00**	**---**	**---**	**---**	**500.00**	--	--	--	--	--	--	--	--
	उर्जा													
12	बिहार राज्य जल विद्युत पावर निगम लि.	9,904.00	---	---	---	9,904.00	--	5,059.60	**498.00**	15,698.84	--	3,138.00	18,836.84	1.90:1 (1.34:1)
13	तेनूघाट विद्युत निगम लि.	10,000.00	---	---	---	10,000.00	--	--	--	60,889.00	--	4,145.00	65,034.00	6.5:1 (6.5:1)
	प्रक्षेत्रवार योग	**19,904.00**	**---**	---	---	**19,904.00**	--	**5,059.60**	**498.00**	**76,587.84**	--	**7,283.00**	**83,870.84**	**4.21:1 (3.93:1)**
	वित्त प्रबन्ध													
14	बिहार राज्य साख एवं विनियोग निगम लि.	1,500.00 (12.35)	---	---	---	1,500.00 (12.35)	--	--	--	2,047.34	--	3,811.58	5,858.92	3.87:1 (3.93:1)
	प्रक्षेत्रवार योग	**1,500.00 (12.35)**	**---**	**---**	**---**	**1,500.00 (12.35)**	--	--	--	**2,047.34**	--	**3,811.58**	**5,943.72**	**3.87:1 (3.93:1**
	विविध प्रक्षेत्र													
15	बिहार राज्य टेक्स्ट–बुक प्रकाशन निगम लि.	35.75	---	---	11.92	47.67	--	--	585.41	--	--	585.41	585.41	**12.28:1**
16	बिहार राज्य फिल्म विकास एवं वित्त निगम लि.	100.00	---	---	---	100.00	--	--	--	14.80	--	--	14.80	0.15:1 (0.15:1)
17	बिहार राज्य बिवरेज निगम लि.	500.00				500.00	500.00							
	प्रक्षेत्रवार योग	**635.75**	**---**	**---**	**11.92**	**647.67**	**500.00**	--	**585.41**	**14.80**	--	**585.41**	**600.21**	**0.93:1 (0.1:1)**
	योग (अ)	**27,154.74**	**54.00**	**---**	**1,050.90**	**28,259.64**	**920.00**	**5,108.88**	**1130.91**	**94,206.04**	**2,075.69**	**13,798.10**	**1,10,079.83**	**3.79:1**

क्रम सं.	प्रक्षेत्र तथा कम्पनी का नाम	चालू वर्ष के अन्त में प्रदत्त पूंजी					वर्ष भर में बजट से प्राप्त साधारण पूँजी / ऋण		वर्ष भर में प्राप्त अन्य ऋण	2006–2007 के अन्त तक बकाया ऋण				2006–2007 के ऋण / साधारण पूँजी के अनुपात (पूर्व वर्ष)
		राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	नियंत्री कम्पनियाँ	अन्य	कुल	साधारण पूँजी	ऋण		राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	अन्य	कुल	4(छ) / 3(ङ)
1	2	3(क)	3(ख)	3(ग)	3(घ)	3(ङ)	4(क)	4(ख)	4(ग)	4(घ)	4(ङ)	4(च)	4(छ)	5
		(781.94)			**(4.24)**	**(786.18)**								**(3.72:1)**
ख	कार्यशील सांविधिक निगम													
	उर्जा													
1.	बिहार राज्य विद्युत बोर्ड	---	---	---	---	---	---	13,155.38	12,908.80	547312.79	---	49,635.49	5,96,948.28	
	प्रक्षेत्रवार योग	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**13,155.38**	**12,908.80**	**547312.79**	**---**	**49,635.49**	**5,96,948.28**	
	परिवहन													
2.	बिहार राज्य पथ परिवहन निगम	7,475.57	2651.78	---	---	10,127.35	---	---	---	8,102.22			8,102.22	0.8:1 (0.8:1)
	प्रक्षेत्रवार योग	**7,475.57**	**2651.78**	**---**	**---**	**10,127.35**	**---**	**---**	**---**	**8,102.22**			**8,102.22**	**0.8:1 (0.8:1)**
	वित्त प्रबन्ध													
3.	बिहार राज्य वित्तीय निगम	3,994.77	---	---	3788.94	7,783.71	---	7,100.00	---	19,851.42		10,067.50	29,918.92	3.84:1 (3.68:1)
	प्रक्षेत्रवार योग	**3,994.77**	**---**	**---**	**3788.94**	**7,783.71**	**---**	**7,100.00**	**---**	**19,851.42**		**10,067.50**	**29,918.92**	**3.84:1 (3.68:1)**
	विविध													
4.	बिहार राज्य भण्डारण निगम	68.55 (200.00)	---	---	68.55	137.10 (200.00)	200.00					647.98	647.98	1.92:1 (5.29:1)
	प्रक्षेत्रवार योग	**68.55 (200.00)**	**---**	**---**	**68.55**	**137.10 (200.00)**	**200.00**		**12,908.80**			**647.98**	**647.98**	**1.92:1 (5.29:1)**
	योग (ख)	**11,538.89 (200.00)**	**2651.78**	**---**	**3857.49**	**18,048.16 (200.00)**	**200.00**	**20,255.38**	**12,908.80**	**5,75,266.43**	**---**	**60,350.97**	**6,35,617.40**	**34.83:1 (34.01:1)**
	कुल योग (क+ख)	**38,205.55 (361.94)**	**2705.78**	**---**	**4908.39 (4.24)**	**46307.80 (366.18)**	**1,120.00**	**25,364.26**	**14,039.17**	**66,9472.47**	**2,075.69**	**74,149.07**	**7,45,697.23**	**15.77:1 (15.62:1)**
स	अकार्यशील कम्पनियाँ													
	कृषि एवं समवर्गी													
1.	बिहार राज्य जल विकास निगम लि.	1,000.00	---	---	---	1,000.00			---	4,967.89	---		4,967.89	4.97:1 (4.97:1)
2.	बिहार राज्य दुग्ध निगम लि.	672.36	---	---	---	672.36			---	175.35	---		175.35	0.26:1 (0.26:1)

क्रम सं.	प्रक्षेत्र तथा कम्पनी का नाम	चालू वर्ष के अन्त में प्रदत्त पूंजी					वर्ष भर में बजट से प्राप्त साधारण पूँजी / ऋण		वर्ष भर में प्राप्त अन्य ऋण	2006–2007 के अन्त तक बकाया ऋण				2006–2007 के ऋण / साधारण पूँजी के अनुपात (पूर्व वर्ष)
		राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	नियंत्री कम्पनियाँ	अन्य	कुल	साधारण पूँजी	ऋण		राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	अन्य	कुल	4(छ) / 3(ङ)
1	2	3(क)	3(ख)	3(ग)	3(घ)	3(ङ)	4(क)	4(ख)	4(ग)	4(घ)	4(ङ)	4(च)	4(छ)	5
3.	बिहार हिल एरिया लिफ्ट सिंचाई लिमिटेड	1,000.00	---	---	---	1,000.00			---	855.42	---		855.42	0.86:1 (0.86:1)
4.	बिहार राज्य कृषि उद्योग विकास निगम लि.	756.52 (7.00)		---	---	756.52 (7.00)			---	1,259.99	---		1,259.99	1.65:1 (1.65:1)
5.	बिहार फल एवं सब्जी विकास निगम लि.	161.37	49.00	---	---	210.37			---	41.81	70.00	---	111.81	0.77:1 (0.77:1)
6.	बिहार कीटनाशक लि.	---	---	57.03 (238.90)	---	57.03 (238.90)			---	---	---	154.10	154.10	0.52:1 (0.52:1)
	प्रक्षेत्रवार योग	**3,590.25 (7.00)**	**49.00**	**57.03 (238.90)**	**---**	**3,696.28 (245.90)**			**---**	**7,300.46**	**70.00**	**154.10**	**7,524.56**	**1.9:1 (1.9:1)**
	उद्योग (विविध)													
7.	बिहार राज्य लघु उद्योग निगम लि.	718.48	---	---	---	718.48			---	1,040.00	---	183.00	1,223.00	1.70:1 (1.70:1)
8.	बिहार राज्य औद्योगिक विकास निगम लि.	1,404.00	---	---	---	1,404.00			---	6,702.00	---	217.95	6,919.95	4.93:1 (4.93:1)
9.	बिहार स्कूटर्स लि.	---	---	163.00	---	163.00			---	609.34	---		609.34	3.74:1 (3.74:1)
10.	बिहार पेपर मिल्स लि.	---	---	776.92	---	776.92			---	---	---	1,071.61	1,071.61	1.38:1 (1.38:1)
11.	बिहार राज्य फिनिस्ड लेदर्स निगम लि.	---	---	88.00	59.00	147.00			---	918.00	---		918.00	6.24:1 (6.24:1)
12.	बिहार राज्य ग्लेज्ड टाईल्स एवं सिरामिक्स लि.	---	---	115.00 (25.00)	---	115.00 (25.00)			---	---	---	366.33	366.33	2.62:1 (2.62:1)
13.	विश्वामित्र पेपर उद्योग लि.	---	---	114.57 (59.72)	---	114.57 (59.72)			---	---	---	81.15	81.15	0.47:1 (0.47:1)
14.	झंझारपुर पेपर उद्योग लि.	---	---	107.35 (41.55)	---	107.35 (41.55)			---	---	---	46.16	46.16	0.31:1 (0.31:1)
15.	बिहार राज्य टैनीन एक्सट्रैक्ट लि.	---	---	107.35	50.00	157.35			---	---	---	213.84	213.84	1.36:1 (1.36:1)

क्रम सं.	प्रक्षेत्र तथा कम्पनी का नाम	चालू वर्ष के अन्त में प्रदत्त पूंजी					वर्ष भर में बजट से प्राप्त साधारण पूँजी / ऋण		वर्ष भर में प्राप्त अन्य ऋण	2006–2007 के अन्त तक बकाया ऋण				2006–2007 के ऋण / साधारण पूँजी के अनुपात (पूर्व वर्ष)
		राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	नियंत्री कम्पनियाँ	अन्य	कुल	साधारण पूँजी	ऋण		राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	अन्य	कुल	4(छ) / 3(ङ)
1	2	3(क)	3(ख)	3(ग)	3(घ)	3(ङ)	4(क)	4(ख)	4(ग)	4(घ)	4(ङ)	4(च)	4(छ)	5
	एक्सट्रैक्ट लि.													
16.	बिहार सॉलभेंट एण्ड कैमिकल्स लि.	20.00	---	68.15	20.07	108.22			---	---	---	88.69	88.69	0.82:1 (0.82:1)
17.	सिन्थेटिक रेजिन्स (इस्टर्न) लि.	---	---	21.47	9.52 (78.69)	30.99 (78.69)			---	---	---	105.08	105.08	0.95:1 (0.95:1)
18.	मगध मिनरल्स लि.	---	---	0.07 (36.15)	---	0.07 (36.15)			---	---	---	46.58	46.58	1.29:1 (1.29:1)
19.	भवानी ऐक्टीव कार्बन लिमिटेड	---	---	9.43	---	9.43			---	---	---		---	---
20	बिहार राज्य चर्मोद्योग विकास निगम लि.	1,000.00	---	---	---	1,000.00		---	---	1,242.55	---	170.00	1,412.55	1.41:1 (1.41:1)
21	बिहार राज्य निर्माण निगम लि.	700.00	---	---	---	700.00			---	105.10	---		105.10	0.15:1 (0.15:1)
	प्रक्षेत्रवार योग	**3,842.48**	**-**	**1,571.31 (162.42)**	**138.59 (78.69)**	**5,552.38 (241.11)**		**---**	---	**10,616.99**	---	**2,590.39**	**13,207.38**	**2.28:1 (2.28:1)**
	अभियंत्रण													
22.	कुमारधुबी मेटल कॉस्टिंग एवं इन्जिनियरिंग लि.	---	---	110.00	107.00	217.00			---	---	---	663.44	663.44	3.06:1 (3.06:1)
	प्रक्षेत्रवार योग	---	---	**110.00**	**107.00**	**217.00**			**---**	---	---	**663.44**	**663.44**	**3.06:1 (3.06:1)**
	इलेक्ट्रानिक्स													
23	बेलट्रान विडियो सिस्टम लि.	---	---	504.71	---	504.71			---	---	---	450.87	450.87	0.89:1 (0.89:1)
24	बेलट्रान माइनिंग सिस्टम लि.	---	---	248.24	---	248.24			---	---	---		---	---
25	बेलट्रान इन्फारमेटिक्स लि.	---	---	0.28	---	0.28			---	---	---		---	---

क्रम सं.	प्रक्षेत्र तथा कम्पनी का नाम	चालू वर्ष के अन्त में प्रदत्त पूंजी					वर्ष भर में बजट से प्राप्त साधारण पूँजी/ऋण		वर्ष भर में प्राप्त अन्य ऋण	2006–2007 के अन्त तक बकाया ऋण				2006–2007 के ऋण/साधारण पूँजी के अनुपात (पूर्व वर्ष)
		राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	नियंत्री कम्पनियाँ	अन्य	कुल	साधारण पूँजी	ऋण		राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	अन्य	कुल	4(छ)/3(ङ)
1	2	3(क)	3(ख)	3(ग)	3(घ)	3(ङ)	4(क)	4(ख)	4(ग)	4(घ)	4(ङ)	4(च)	4(छ)	5
	प्रक्षेत्रवार योग	---	---	**753.23**	---	**753.23**			---	---	---	**450.87**	**450.87**	**0.60:1 (0.60:1)**
	टेक्सटाईल्स													
26	बिहार राज्य वस्त्र निगम लि.	**536.85**	**---**	**---**	**---**	**536.85**			---	224.66	---		224.66	0.42:1 (0.42:1)
	प्रक्षेत्रवार योग	**536.85**	**---**	**---**	**---**	**536.85**			---	**224.66**	---		**224.66**	**0.42:1 (0.42:1)**
	हस्तकरघा एवं हस्तशिल्प													
27	बिहार राज्य हस्तकरघा एवं हस्तशिल्प लि.	999.98	---	---	---	999.98			---	115.78	---		115.78	0.12:1 (0.12:1)
	प्रक्षेत्रवार योग	**999.98**	---	---	---	**999.98**			---	**115.78**	---		**115.78**	**0.12:1 (0.12:1)**
	चीनी													
28	बिहार राज्य चीनी निगम लि.	2,000.00	---	---	---	2,000.00		888.56	---	32,294.83	---		32,294.83	16.15:1 (15.7:1)
	प्रक्षेत्रवार योग	**2,000.00**	---	---	---	**2,000.00**		**888.56**	---	**32,294.83**	**---**		**32,294.83**	**16.15:1 (15.7:1)**
	सीमेंट													
29	बिहार राज्य सीमेंट निगम लिमिटेड	---	---	0.07	---	0.07			---	3.17	---		3.17	45.29:1 (45.29:1)
	प्रक्षेत्रवार योग	---	---	**0.07**	---	**0.07**			---	**3.17**	---		**3.17**	**45.29:1 (45.29:1)**
	औषधि, रसायन एवं औषध													
30	बिहार राज्य औषधि एवं रसायन विकास निगम लि.	1,500.00 (77.88)	---	---	---	1,500.00 (77.88)		--	---	427.91	---		427.91	0.27:1 (0.27:1)
31	बिहार मेज प्रोडक्टस लि.	---	---	0.07 (73.68)	---	0.07 (73.68)			---	---	---	2.16	2.16	0.03:1 (0.03:1)

क्रम सं.	प्रक्षेत्र तथा कम्पनी का नाम	चालू वर्ष के अन्त में प्रदत्त पूंजी					वर्ष भर में बजट से प्राप्त साधारण पूँजी/ऋण		वर्ष भर में प्राप्त अन्य ऋण	2006–2007 के अन्त तक बकाया ऋण				2006–2007 के ऋण/साधारण पूँजी के अनुपात (पूर्व वर्ष)
		राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	नियंत्री कम्पनियाँ	अन्य	कुल	साधारण पूँजी	ऋण		राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	अन्य	कुल	4(छ)/3(ङ)
1	2	3(क)	3(ख)	3(ग)	3(घ)	3(ङ)	4(क)	4(ख)	4(ग)	4(घ)	4(ङ)	4(च)	4(छ)	5
32.	बिहार ड्रग्स एवं केमिकल्स लिमिटेड	---	---	400.00	---	400.00	---	---	---	127.99	---	---	127.99	0.32:1 (0.32:1)
	प्रक्षेत्रवार योग	**1,500.00 (77.88)**	**---**	**400.07 (73.68)**	---	**1900.07 (151.56)**	---	**--**	---	**555.90**	---	**2.16**	**558.06**	**0.27:1 (0.27:1)**
	वित्त प्रबंध													
33.	बिहार पंचायती राज वित्त निगम लि.	106.51 (37.69)	---	---	---	106.51 (37.69)	---	---	---	---	---	---	---	---
	प्रक्षेत्रवार योग	**106.51 (37.69)**	---	---	**---**	**106.51 (37.69)**	---	---	---	---	---	---	---	**--- ---**
	विविध प्रक्षेत्र													
34	बिहार राज्य निर्यात निगम लि.	200.00	---	---	---	200.00	---	---	---	121.77	---	---	121.77	0.61:1 (0.61:1)
	प्रक्षेत्रवार योग	**200.00**	**---**	**---**	**---**	**200.00**	---	---	**---**	**121.77**	**---**	---	**121.77**	**0.61:1 (0.61:1)**
	योग (ग)	**12,776.07 (122.57)**	**49.00**	**2,891.71 (475.00)**	**245.59 (78.69)**	**15,962.37 (676.26)**	---	**888.56**	---	**51,233.56**	**70.00**	**3,860.96**	**55,164.52**	**3.32:1 (3.26:1)**
	कुल योग (क+ख+ग)	**51,469.70 (1,104.51)**	**2,754.78**	**2,891.71 (475.00)**	**5,153.98 (82.93)**	**62,270.17 (1,662.44)**	**1,120.00**	**26,252.82**	**14,039.71**	**7,20,706.03**	**2,145.69**	**78,010.03**	**8,00,861.75**	**12.53:1 (12.33:1)**

स्त्रोत– निगम से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार।

नोट:–

1. वर्ष 2006–07 की समाप्ति पर बकाया ऋण केवल दीर्घकालीन ऋणों को प्रदर्शित करते हैं।
2. आंकड़े औपबन्धित है एवं निगमों/कम्पनियों द्वारा उपलब्ध कराए गए हैं।
3. पटना उच्च न्यायालय द्वारा क्रम संख्या स–10 एवं स–27 की निगमों की बंदी के आदेश दिए गए है।
4. क्रम संख्या अ–14 की निगम की प्रदत पूँजी का बटवारा बिहार (35.75) एवं झारखंड (11.92) के बीच हो गया है।
5. क्रम संख्या अ–17 की कम्पनी एक नई कम्पनी है।

परिशिष्ट–2

सरकारी कम्पनियाँ एवं सांविधिक निगमें, जिनका लेखा सम्पूर्ण हो गया था, उनका अद्यतन वर्ष का संक्षिप्त वित्तीय परिणाम
(कंडिका संख्या 1.6, 1.7, 1.13, 1.18 एवं 1.19 में संदर्भित)

(कॉलम 7 से 12 की राशि लाख रुपये में)

क्रम सं	प्रक्षेत्र तथा निगम का नाम	विभाग का नाम	निगमन की तिथि	लेखाओं की अवधि	वर्ष जिसमें लेखाओं का सम्पूर्णन हुआ	शुद्ध लाभ (+)/हानि (–)	अंकेक्षण टिप्पणी का प्रभाव	समादत्त पूँजी	संचित लाभ (+)/हानि (–)	नियोजित पूँजी (क)	नियोजित पूँजी पर कुल प्रतिफल (ख)	नियोजित पूँजी पर कुल प्रतिफल की प्रति–शतता	कितने वर्षों से लेखे बकाया हैं	कुल बिक्री	मानव संसाधन
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
अ	कार्यरत सरकारी कम्पनियाँ														
	कृषि एवं समवर्गी														
1.	बिहार राज्य बीज निगम लिमिटेड	कृषि	18.7.1977	1995-96	2005-06	(-)408.02	---	370.84	(-)3873.29	924.34	(-)129.02	--	11	944.46	129
2.	बिहार राज्य मत्स्य निगम लि.	पशु एवं मत्स्य पालन	23.3.1980	1992-93	1996-97	(-)22.16	---	174.75	(-)191.54	174.19	(-)4.77	--	14		43
	प्रक्षेत्रवार योग					**(-)430.18**	---	**545.59**	**(-)4,064.83**	**1,098.53**	**(-)133.79**	**--**	**25**		**172**
	इलेक्ट्रॉनिक्स														
3.	बिहार राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड	उद्योग	21.2.1978	1998-99	2006-07	(-)118.19	हानि 13.31 लाख रुपये से कम वर्णित	565.50	(-)1,027.87	417.70	(-)25.94	--	8	359.22	60
	प्रक्षेत्रवार योग					**(-)118.19**	---	**565.50**	**(-)1,027.87**	**417.70**	**(-)25.94**	**--**	**8**	**359.22**	**60**
	वन														
4	बिहार राज्य वन विकास निगम लिमिटेड	वन एवं पर्यावरण	10.2.1975	2000-01	2005-06	27.63	हानि 39.67 लाख रू. से कम वर्णित है।	229.08	31.61	117.29	27.63	25.56	6	2.281.02	698
	प्रक्षेत्रवार योग					**27.63**	---	**229.08**	**31.61**	**117.29**	**27.63**	**23.56**	**6**	**2,281.02**	**698**

क्रम सं	प्रक्षेत्र तथा निगम का नाम	विभाग का नाम	निगमन की तिथि	लेखाओं की अवधि	वर्ष जिसमें लेखाओं का सम्पूर्णन हुआ	शुद्ध लाभ (+)/हानि (–)	अंकेक्षण टिप्पणी का प्रभाव	समादत्त पूँजी	संचित लाभ (+)/हानि (–)	नियोजित पूँजी (क)	नियोजित पूँजी पर कुल प्रतिफल (ख)	नियोजित पूँजी पर कुल प्रतिफल की प्रति–शतता	कितने वर्षों से लेखे बकाया हैं	कुल बिक्री	मानव संसाधन
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	खनन														
5.	बिहार राज्य खनिज विकास निगम लि.	खनन् एवं भूगर्भ	12.6.1972	2000-01	2004-05	929.04		997.35	703.82	2,067.55	929.04	44.93	6	3,154.58	1
	प्रक्षेत्रवार योग					**929.04**		**997.35**	**703.82**	**2,067.55**	**929.04**	**44.93**	**6**	**3,154.58**	**1**
	निर्माण						---								
6.	बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम लि.	गृह (पुलिस)	26.6.1974	1989-90	2004-05	(-)101.87	14.20 लाख रू0 से हानि कम वर्णित	10.00	(-)153.35	(-)100.95	(-)101.87	--	17	30.27	408
7	बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि.	सड़क निर्माण	11.6.1975	1995-96	2006-07	(-)127.62	---	350.00	(-)1017.61	1097.01	(-)127.62	--	11	173.58	512
	प्रक्षेत्रवार योग					**(-)229.49**	---	**360.00**	**(-)1170.96**	**996.06**	**(-)229.49**	**--**	**28**	**203.85**	**920**
	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का विकास														
8	बिहार राज्य अल्प–संख्यक वित्त निगम लि.	अल्पसंख्यक कल्याण	22.3.1984	2001-02	2004-05	(-)25.13	---	1280.00	(-)189.64	2,039.88	(-)25.13		5	30.84	21
9	बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम लि.	कल्याण	17.6.1993	1997-98	2006-07	(-)29.42		362.00	52.86	386.06	38.22	9.9	9	63.89	16
	प्रक्षेत्रवार योग					**(-)54.55**		**1642.00**	**(-)242.40**	**2,425.94**	**13.09**	**9.9**	**14**	**94.73**	**37**
	जन वितरण														
10	बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लि.	खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति	22.4.1973	1987-88	2006-07	488.22		455.99	(-)2,544.53	3,855.27	1,086.66	28.19	19	20,237.52	1500
	प्रक्षेत्रवार योग					**488.52**	---	**455.99**	**(-)2,544.53**	**3,855.27**	**1,086.66**	**28.19**	**19**	**20,237.52**	**1500**

क्रम सं	प्रक्षेत्र तथा निगम का नाम	विभाग का नाम	निगमन की तिथि	लेखाओं की अवधि	वर्ष जिसमें लेखाओं का सम्पूर्नन हुआ	शुद्ध लाभ (+)/हानि (–)	अंकेक्षण टिप्पणी का प्रभाव	समादत्त पूँजी	संचित लाभ (+)/हानि (–)	नियोजित पूँजी (क)	नियोजित पूँजी पर कुल प्रतिफल (ख)	नियोजित पूँजी पर कुल प्रतिफल की प्रति–शतता	कितने वर्षों से लेखे बकाया हैं	कुल बिक्री	मानव संसाधन
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	पर्यटन														
11	बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम लि.	पर्यटन	28.11.1980	1995-96	2005-06	82.81	लाभ 2.80 लाख रूपये से उपर दर्शित हैं।	295.00	184.61	553.46	82.81	14.96	11	115.18	215
	प्रक्षेत्रवार योग					**82.81**		**295.00**	**184.61**	**553.46**	**82.81**	**14.96**	**11**	**115.18**	**215**
	ऊर्जा														
12	बिहार राज्य जल विद्युत पावर निगम लि.	ऊर्जा	31.3.1982	1995-96	2004-05	(-)1430.44	26.06 करोड़ रूपये से हानि कम वर्णित	8,926.00	(-)548.07	12,833.65	(-)878.82	--	11	296.06	144
13	तेनुघाट विद्युत निगम लि.	ऊर्जा	26.11.1987	1993-94	2000-01	--		10,000.00		58852.10		--	13		अनुपलब्ध
	प्रक्षेत्रवार योग					**(-)1430.44**		**18,926.00**	**(-)548.07**	**71,685.75**	**(-)878.82**	**--**	**24**	**296.06**	**144**
	वित्त प्रबन्ध														
14	बिहार राज्य साख एवं विनियोग निगम लि.	उद्योग	30.1.1975	2001-02	2006-07	(-)903.36	2.19करोड रू0 से हानि कम वर्णित	1,512.35	(-)12,648.62	1,566.48	76.26	4.87	5	566.30	67
	प्रक्षेत्रवार योग					**(-)903.36**		**1,512.35**	**(-)12,648.62**	**1,566.48**	**76.26**	**4.87**	**5**	**566.30**	**67**
	विविध														
15.	बिहार राज्य टेक्सट बुक प्रकाशन निगम लि.	शिक्षा	2.4.1985	1996-97	2006-07	(-)455.62	81.39 लाख रूपये से हानि कम वर्णित	47.67	161.94	(-)144.22	(-)427.12	--	10	812.71	240
16.	बिहार राज्य फिल्म विकास एवं वित्त निगम लि.	उद्योग	6.3.1983	1991-92	2000-01	1.87	---	94.50	(-)11.56	88.33	1.87	2.12	15		8
17	बिहार राज्य बिवरेज निगम लि.	उत्पाद शुल्क	25.05.2006	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	144
	प्रक्षेत्रवार योग					**(-)453.75**	---	**142.17**	**150.38**	**(-)55.89**	**(-)425.25**	**2.12**	**26**	**--**	**392**
	योग (क)					**(-)2092.69**	---	**25,671.03**	**(-)21,071.24**	**84,728.14**	**522.20**		**172**		**4206**

क्रम सं	प्रक्षेत्र तथा निगम का नाम	विभाग का नाम	निगमन की तिथि	लेखाओं की अवधि	वर्ष जिसमें लेखाओं का सम्पूर्नन हुआ	शुद्ध लाभ (+)/हानि (–)	अंकेक्षण टिप्पणी का प्रभाव	समादत्त पूँजी	संचित लाभ (+)/हानि (–)	नियोजित पूँजी (क)	नियोजित पूँजी पर कुल प्रतिफल (ख)	नियोजित पूँजी पर कुल प्रतिफल की प्रति–शतता	कितने वर्षों से लेखे बकाया हैं	कुल बिक्री	मानव संसाधन
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
ख	सांविधिक निगमें														
	ऊर्जा														
1.	बिहार राज्य विद्युत बोर्ड	ऊर्जा विभाग	1.4.1958	2004-05	2006-07	(-)6,751.69	---	---	(-)24,067.07	1,66,652.72	46,933.00	27.37	2	1,00,048.64	14,589
	प्रक्षेत्रवार योग					**(-)6,751.69**	**---**	**---**	**(-)24,067.07**	**1,66,652.72**	**46,933.00**	**27.37**	**2**	**1,00,048.64**	**14,589**
	परिवहन														
2.	बिहार राज्य पथ परिवहन निगम लि.	परिवहन विभाग	1.5.1959	2001-02	2004-05	(-)5,085.59		10,127.35	(-)62,443.17	(-)38,546.00	(-)2,346.08		5	1,292.25	4,730
	प्रक्षेत्रवार योग					**(-)5,085.59**		**10,127.35**	**(-)62,443.17**	**(-)38,546.00**	**(-)2,346.08**		**5**	**1,292.25**	**4,730**
	वित्त प्रबन्ध														
3.	बिहार राज्य वित्तीय निगम	उद्योग विभाग	2.11.1954	2005-06	2006-07	1,734.13		7,783.71	(-)43,753.32	39,305.67	2,600.75	6.62	1	1,513.05	367
	प्रक्षेत्रवार योग					**1,734.13**		**7,783.71**	**(-)43,753.32**	**39,305.67**	**2,600.75**	**6.62**	**1**	**1,513.05**	**367**
	विविध														
4.	बिहार राज्य भण्डारण निगम	सहकारिता	29.3.1957	2003-04	2006-07	28.97	81०39 लाख रूपये से ळाम अधिक वर्णित	137.10	383.32	1,498.56	30.93	2.06	3	1,809.61	305
	प्रक्षेत्रवार योग					**28.97**		**137.10**	**383.32**	**1,498.56**	**30.93**	**2.06**	**3**	**1,809.61**	**305**
	योग (ख)					**(-),10074.18**		**18,048.16**	**(-)1,29,880.24**	**1,68,910.95**	**47,218.60**		**11**		19,991
	कुल योग (क+ख)					**(-)12,166.44**		**43,719.19**	**(-)1,50,951.48**	**2,53,639.09**	**47,740.80**		**183**		**24,197**
ग	अकार्यशील कम्पनियाँ														
	कृषि एवं समवर्गी														
1.	बिहार राज्य जल विकास निगम लि.	जल संसाधन	12.4.1973	1978-79	1997-98	216.84	---	500.00	(-)1119.69	2,670.29	242.30	9.07	28		15
2.	बिहार राज्य दुग्ध निगम लि.	पशुपालन एवं मतस्य	13.3.1972	1991-92	2001-02	4.39	---	672.36	(-)900.07	568.69	4.39	0.77	15		

क्रम सं	प्रक्षेत्र तथा निगम का नाम	विभाग का नाम	निगमन की तिथि	लेखाओं की अवधि	वर्ष जिसमें लेखाओं का सम्पूर्नन हुआ	शुद्ध लाभ (+)/हानि (–)	अंकेक्षण टिप्पणी का प्रभाव	समादत्त पूँजी	संचित लाभ (+)/हानि (–)	नियोजित पूँजी (क)	नियोजित पूँजी पर कुल प्रतिफल (ख)	नियोजित पूँजी पर कुल प्रतिफल की प्रति–शतता	कितने वर्षों से लेखे बकाया हैं	कुल बिक्री	मानव संसाधन
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3.	बिहार हिल एरिया लिफ्ट सिंचाई निगम	लघु सिंचाई	3.6.1975	1982-83	1993-94	(-)26.39	---	560.00	(-)85.78	953.41	(-)13.27	---	24	0.52	
4.	बिहार राज्य कृषि उद्योग विकास निगम लि.	कृषि	28.4.1966	1986-87	1995-96	(-)192.79	---	741.52	(-)1416.00	510.80	(-)142.86	---	20		
5.	बिहार फल एवं सब्जी विकास निगम लि.	कृषि	8.10.1980	1991-92	2005-06	(-)95.84	---	201.74	(-)512.54	62.45	(-)37.38	---	15	0.33	48
6.	बिहार कीट–नाशक लि.	उद्योग	27.2.1983	1986-87	1991-92	(-)103.12	---	57.03	(-)103.12	234.98	(-)86.74	---	20		69
	प्रक्षेत्रवार योग					**(-)196.91**	---	**2,732.65**	**(-)4,137.20**	**5,000.62**	**(-)33.56**	**---**	**122**		**132**
	उद्योग (विविध)														
7.	बिहार राज्य लघु उद्योग निगम लि.	उद्योग	29.10.1961	1990-91	2005-06	(-)141.93	52.60 लाख रूपये से हानि कम वर्णित	718.48	(-)1,655.56	185.69	(-)27.42	---	16	1521.65	89
8.	बिहार राज्य औद्योगिक विकास निगम लि.	उद्योग	5.11.1960	1986-87	-	(-)588.92		1,404.00	(-)2,290.78	2,724.94	(-)317.13	-	20		
9.	बिहार स्कूटर्स लि.	उद्योग	19.1.1978	----	----	---	---	--	---	---	---	----	30		
10.	बिहार पेपर मिल्स लि.	उद्योग	08.07.1977	1985-86	1997-98	(-)6.09	---	156.12	(-)31.06	143.61	(-)6.09	----	अप्रैल 2004 से कंपनी परिसमापन की प्रक्रिया में		
11.	बिहार राज्य फिनिस्ड लेदर्स निगम लि.	उद्योग	20.4.1982	1983-84	1986-87	(-)149.39	---	146.59	(-)213.06	615.00	(-)76.48	---	23		252
12.	बिहार राज्य गलेज्ड टाईल्स एवं सिरामिक्स लि.	उद्योग	2.4.1984	1985-86	1997-98	(-)8.48	---	15.52	(-)51.08	350.00	(-)17.60	---	20		38
13.	विश्वामित्र पेपर उद्योग लि.	उद्योग	18.6.1983	1984-85	1988-89	(-)0.91	---	40.37	(-)1.45	69.00	---	---	22		16
14.	झंझारपुर पेपर उद्योग लि.	उद्योग	27.2.1982	1985-86	1991-92	(-)1.33	---	42.41	(-)2.09	59.32	(-)1.33	---	21		14

क्रम सं	प्रक्षेत्र तथा निगम का नाम	विभाग का नाम	निगमन की तिथि	लेखाओं की अवधि	वर्ष जिसमें लेखाओं का सम्पूर्ण हुआ	शुद्ध लाभ (+)/हानि (–)	अंकेक्षण टिप्पणी का प्रभाव	समादत्त पूँजी	संचित लाभ (+)/हानि (–)	नियोजित पूँजी (क)	नियोजित पूँजी पर कुल प्रतिफल (ख)	नियोजित पूँजी पर कुल प्रतिफल की प्रति–शतता	कितने वर्षों से लेखे बकाया हैं	कुल बिक्री	मानव संसाधन
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
15.	बिहार राज्य टैनीन एक्सट्रेट लि.	वन एवं पर्यावरण	27.1.1984	1988-89	1993-94	(-)31.56	---	103.30	(-)66.59	249.15	(-)15.86	---	18		
16.	बिहार सौलभेंट एण्ड केमिकल्स लि.	वन एवं पर्यावरण	अगस्त 1979	1986-87	1995-96	(-)32.31	---	66.22	(-)32.31	167.23	(-)25.86	---	20		
17.	सिन्थेटिक रेजिन्स (ईस्टर्न) लि.	उद्योग	14.12.1982	1983-84	1987-88	(-)0.69	---	9.00	(-)0.73	17.41	(-)0.69	---	23		12
18.	मगध मिनरल्स लि.	उद्योग	22.11.1984	----	----	----	---	----	----	---	---	----	23		05
19.	भवानी ऐक्टीव कार्बन लि.	उद्योग	26.3.1985	1985-86	1989-90	(-)1.38	---	2.39	(-)1.38	1.05	(-)1.38	---	21		
20.	बिहार राज्य चर्मोद्योग विकास निगम लि.	उद्योग	23.3.1974	1982-83	2004-05	(-)37.09	0.57 लाख रू0 से हानि कम वर्णित	514.00	(-)291.89	256.19	(-)37.09	---	24		419
21	बिहार राज्य निर्माण निगम लि.	जल संसाधन	22.8.1974	1986-87	2004-05	125.38	---	700.00	(-)278.67	(-)1026.64	125.49	---	20	1870.12	1479
	प्रक्षेत्रवार योग					**(-)874.70**	---	**3,918.40**	**(-)4,916.65**	**3,811.95**	**(-)401.44**	**---**	**301**		**2324**
	अभियंत्रण														
22.	कुमारधुबी मेटल कास्टिंग एवं इन्जिनियरिंग लि.	उद्योग	25.10.1983	1994-95	1995-96	(-)238.84	---	217.00	(-)815.97	91.13	(-)151.00	---	12	1089.25	
	प्रक्षेत्रवार योग					**(-)238.84**	---	**217.00**	**(-)815.97**	**91.13**	**(-)151.00**	**---**	**12**		
	इलेक्ट्रॉनिक्स														
23.	बेलट्रॉन विडियो सिस्टम लि.	उद्योग	19.9.1984	1987-88	1998-99	(-)54.51	---	121.45	(-)21.77	101.98	(-)9.57	---	19	75.46	
24.	बेलट्रॉन माइनिंग सिस्टम लि.	उद्योग	30.1.1986	1989-90	2002-03	(-)9.57	---	125.84	(-)49.33	52.48	(-)9.57	---	17	41.38	
25.	बेलट्रॉन इनफॉरमेटिक्स लि.	उद्योग	1.3.1988	---	---	---	---	---	---	---	---	---	20		
	प्रक्षेत्रवार योग					**(-)64.08**	---	**247.29**	**(-)71.10**	**154.46**	**(-)19.14**		**56**		

क्रम सं	प्रक्षेत्र तथा निगम का नाम	विभाग का नाम	निगमन की तिथि	लेखाओं की अवधि	वर्ष जिसमें लेखाओं का सम्पूर्णन हुआ	शुद्ध लाभ (+)/हानि (–)	अंकेक्षण टिप्पणी का प्रभाव	समादत्त पूँजी	संचित लाभ (+)/हानि (–)	नियोजित पूँजी (क)	नियोजित पूँजी पर कुल प्रतिफल (ख)	नियोजित पूँजी पर कुल प्रतिफल की प्रति–शतता	कितने वर्षों से लेखे बकाया हैं	कुल बिक्री	मानव संसाधन
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	वस्त्र														
26	बिहार राज्य वस्त्र निगम लि.	उद्योग	21.2.1978	1987-88	1995-96	(-)9.18	---	498.05	(-)32.22	372.35	(-)9.18	---	19		40
	प्रक्षेत्रवार योग					**(-)9.18**	---	**498.05**	**(-)32.22**	**372.35**	**(-)9.18**	**---**	**19**		**40**
	हस्तकरघा एवं हस्तशिल्प														
27	बिहार राज्य हस्तकरघा एवं हस्तशिल्प लि.	उद्योग	21.5.1974	1983-84	1996-97	(-)9.52	---	627.98	(-)43.81	707.51	1.46	0.21	ekpZ 04 ls ifjlekiu esa		
	प्रक्षेत्रवार योग					**(-)9.52**	---	**627.98**	**(-)43.81**	**707.51**	**1.46**	**0.21**			
	चीनी														
28.	बिहार राज्य चीनी निगम लि.	ईख	26.12.1974	1984-85	1996-97	(-)919.85	---	997.00	(-)7,231.46	(-)1,023.69	(-)320.24	---	22		
	प्रक्षेत्रवार योग					**(-)919.85**	---	**997.00**	**(-)7,231.46**	**(-)1,023.69**	**(-)320.24**		**22**		
	सीमेन्ट														
29.	बिहार राज्य सीमेन्ट निगम लि.	उद्योग	17.10.1981		---	---	---	---	---	---	---	----	26		
	प्रक्षेत्रवार योग					-	---	-	-	-	-	-	**26**		
	औषधि, रसायन एवं औषध														
30.	बिहार राज्य औषध एवं रसायन विकास निगम लि.	उद्योग	22.2.1978	1985-86	1992-93	(-)16.83	---	361.62	(-)73.84	687.48	(-)16.83	---	21		78
31.	बिहार मेज प्रोडक्ट लि.	उद्योग	2.9.1982	1983-84	1987-88	(-)2.70	---	66.59	(-)6.14	80.11	---	---	23		
32.	बिहार औषधि एवं रसायन लि.	उद्योग	12.8.1983	1985-86	1991-92	(-)3.02	---	93.67	(-)16.09	115.65	(-)3.02	---	21		48
	प्रक्षेत्रवार योग					**(-)2,2.55**	---	**521.88**	**(-)96.07**	**883.24**	**(-)19.85**		**65**		**126**

क्रम सं	प्रक्षेत्र तथा निगम का नाम	विभाग का नाम	निगमन की तिथि	लेखाओं की अवधि	वर्ष जिसमें लेखाओं का सम्पूर्णन हुआ	शुद्ध लाभ (+)/हानि (–)	अंकेक्षण टिप्पणी का प्रभाव	समादत्त पूँजी	संचित लाभ (+)/हानि (–)	नियोजित पूँजी (क)	नियोजित पूँजी पर कुल प्रतिफल (ख)	नियोजित पूँजी पर कुल प्रतिफल की प्रति–शतता	कितने वर्षों से लेखे बकाया हैं	कुल बिक्री	मानव संसाधन
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	वित्त प्रबन्ध														
33.	बिहार पंचायती राज वित्त निगम लि.	पंचायती राज	20.4.1974	1984-85	1991-92	(-)1.19	---	144.20	(-)2.69	585.60	22.52	3.85	22		129
	प्रक्षेत्रवार योग					**(-)1.19**	---	**144.20**	**(-)2.69**	**585.60**	**22.52**	**3.85**	**22**		**129**
	विविध														
34	बिहार राज्य निर्यात निगम लि.	उद्योग	29.12.1974	1991-92	1999-00	(-)10.50	---	200.00	(-)0.95	375.36	0.93	0.25	15	494.35	54
	प्रक्षेत्रवार योग					**(-)10.50**	**---**	**200.00**	**(-)0.95**	**375.36**	**0.93**	**0.25**	**15**	**494.35**	**54**
	कुल (ग)					**(-)2,347.32**	---	**10,104.45**	**(-)17,348.12**	**10,958.53**	**(-)929.50**		**681**		
	कुल योग (क+ख+ग)					**(-)14,513.76**		**53,682.76**	**(-)1,68,405.22**	**2,64,709.40**	**46,811.30**		**864**		

स्त्रोत– निगम द्वारा सौंपे गए लेखा के अनुसार।

टिप्पणी : (1) नियोजित पूँजी, निवल अचल परिसम्पतियॉ (पूँजीगत कार्य में प्रगति सहित) जोड़ वित्तीय कम्पनियों एवं निगमों को छोड़कर जहॉ प्रदत पूँजी, मुक्त संरक्षित बॉण्ड, प्रदत एवं उधार (पूनर्वित को सम्मिलित कर) के आदि एवं अंतशेषों के औसत का प्रतिनिधित्व करती है।

(2) पटना उच्च न्यायालय द्वदपरा क्रम संख्या – ग–10 एवं ग–27 में निगमों के बंदी के आदेश दिए गए है।

परिशिष्ट–3

वर्ष के दौरान प्राप्त साहाय्य, प्राप्त प्रतिभूतियाँ, बकाए की माफी, ऋण जिस पर मोहलत दी गई एवं वर्ष के दौरान अंश में परिवर्तित किया गया ऋण एवं मार्च 2007 के अंत तक प्राप्य साहाय्य तथा बकाये प्रतिभूतियों को दर्शाने वाली विवरणी

(कंडिका 1.5 एवं 1.16 में संदर्भित)

(कॉलम 3 (क) से 7 तक की राशि लाख रुपये में)

क्रम सं.	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का नाम	वर्ष के दौरान प्राप्त अनुदान				वर्ष के दौरान प्राप्त प्रतिभूतियाँ एवं वर्षान्त में बकाए					वर्ष में बकायों का परित्याग				ऋण जिस पर मोहलत प्रदान की गई	वर्ष के दौरान साधारण पूँजी में परिवर्तित किए गए ऋण
		केन्द्र सरकार	राज्य सरकार	अन्य	कुल	बैंकों से नकद उधार	अन्य स्त्रोतो से ऋण	बैंक द्वारा खोले गए लेटर ऑफ क्रेडिट	भुगतान बन्धन	कुल योग	ऋण की अदायगी जिसे बट्टे खाते में डाला गया	ब्याज माफ	दाण्डिक ब्याज माफ	कुल योग		
1	2	3(क)	3(ख)	3(ग)	3(घ)	4(क)	4(ख)	4(ग)	4(घ)	4(ङ)	5(क)	5(ख)	5(ग)	5(घ)	6	7
क	**अकार्यशील सरकारी कम्पनियाँ**															
1	बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त विकास निगम लि.	-	-	-	-	-	47.50 (1,879.13)			47.50 (1,879.13)	--	--	--	--	--	--
2	बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्त निगम लि.	-	-	-	-	-	(2,000.00)			(2,000.00)	--	--	--	--	--	--
3	बिहार राज्य टेक्सट बुक प्रकाशन निगम लि.	-	-	-	-	-	585.41 (585.41)			585.41 (585.41)						
	कुल – क	-		-		-	**632.91 (4,464.54)**	---	---	**632.91 (4,464.54)**	--	--	--	--		--
ख	**कार्यशील सांविधिक निगमें**															
1.	बिहार राज्य विद्युत बोर्ड	-	-	-	-	-	(13,862.50)	-	-	(13,862.50)	--	--	--	--	--	--
2	बिहार राज्य वित्तीय निगम लि.	-	-	-	-	-	(8,752.50)	-	-	(8,752.50)	--	31,879.50	--	--	--	--
	कुल – ख	-		--	-	-	**(22,615.00)**			**(22,615.00)**	--	**31,879.50**	--	--	--	--
	सकल योग (क+ख)		-	-	-	-	**632.91 (27,079.54)**			**632.91 (27,079.54)**		**31,879.50**				

* (कोष्ठक के अंक वर्ष के अंत में बकाए प्रतिभूतियों को दर्शाते है)

क्रम सं.	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का नाम	वर्ष के दौरान प्राप्त अनुदान				वर्ष के दौरान प्राप्त प्रतिभूतियाँ एवं वर्षान्त में बकाए					वर्ष में बकायों का परित्याग				ऋण जिस पर मोहलत प्रदान की गई	वर्ष के दौरान साधारण पूँजी में परिवर्तित किए गए ऋण
		केन्द्र सरकार	राज्य सरकार	अन्य	कुल	बैंकों से नकद उधार	अन्य स्त्रोतो से ऋण	बैंक द्वारा खोले गए लेटर ऑफ क्रेडिट	भुगतान बन्धन	कुल योग	ऋण की अदायगी जिसे बट्टे खाते में डाला गया	ब्याज माफ	दाण्डिक ब्याज माफ	कुल योग		
1	2	3(क)	3(ख)	3(ग)	3(घ)	4(क)	4(ख)	4(ग)	4(घ)	4(ङ)	5(क)	5(ख)	5(ग)	5(घ)	6	7
स	अकार्यशील सरकारी कम्पनियाँ															
1	बिहार राज्य चर्म उद्योग विकास निगम लि.					(62.48)				(62.48)						
2	बिहार राज्य कृषि उद्योग विकास निगम लि.					(145.00)				(145.00)						
	कुल – स	-	-	--	-	**(207.48)**	-	-	-	**(207.48)**		--	--	--	--	--
	सकल योग (अ+ब+स)	-	-	-	-	**-** **(207.48)**	**632.91** **(27,079.54)**	-	-	**632.91** **(27,287.02)**	--	**31,879.50**	--	--	**(211.00)**	--

स्रोत– निगम से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार।

*नोट : आंकड़े कम्पनियों/निगमों द्वारा दिए गए सूचनाओं पर आधारित

परिशिष्ट–4

(कंडिका 1.7 से संदर्भित)

सांविधिक निगमों की वित्तीय स्थिति को दर्शाने वाली विवरणी

(राशि : रुपये करोड़ में)

1. बिहार राज्य विद्युत बोर्ड			
विवरण	**2003-04**	**2004-05**	**2005-06++**
(क) दायित्त्व			
सधारण पूँजी	-	-	-
सरकार से ऋण	3,437.27	4,326.86	6,340.54
आरक्षित एवं अधिशेष (मूल्य ह्रास को छोड़कर)	-	-	-
चालू दायित्त्व एवं प्रावधान	3,649.12	3,543.41	3,854.35
पूंजीगत दायित्व	1,134.34	1,796.83	745.04
कुल (क)	**8,220.73**	**9,667.10**	**11,218.65**
(ख) परिसम्पत्तियाँ			
कुल अचल सम्पत्तियाँ	2,290.37	2,409.64	2,521.85
घटे मूल्य ह्रास	1,592.00	1,708.91	1,822.99
निवल अचल सम्पत्तियाँ	698.37	700.73	698.85
पूँजीगत कार्य में प्रगति	271.06	464.57	620.26
चालू सम्पत्तियाँ	3,849.82	4,044.63	9,188.45
निवेश	185.96	383.74	352.28
सरकार से प्राप्त आर्थिक सहाय्य	3,025.55	3,829.15	
अप्रयुक्त परिसम्पतियाँ	3.61	3.61	3.61
विविध व्यय			
घाटा	186.36	240.67	355.20
कुल – ख	**8,220.73**	**9,667.10**	**11,218.65**
(ग) नियोजित पूँजी*	1,170.14	1,666.53	7,041.49
2. बिहार राज्य पथ परिवहन निगम			
विवरण	**2001-02**	**2002-03**	**2003-04**
(क) दायित्त्व			
पूँजी (पूँजी ऋण एवं अंश पूँजी सहित)	101.27	101.27	101.27
उधार (सरकार)	65.66	77.11	72.41
(अन्य)	2.87	-	-
निधि**	0.30	0.30	0.30
व्यापार बकाया एवं अन्य चालू दायित्त्व (प्रावधान सहित)	492.08	684.28	723.39
कुल – क	**662.19**	**862.96**	**904.37**
ख – परिसम्पत्तियाँ			
कुल ब्लाक	68.58	74.65	111.37
मूल्य ह्रास घटाएँ	52.18	54.12	59.70
शुद्ध अचल सम्पत्तियाँ	16.40	20.53	51.67

++ ऑकड़े औपबन्धिक है तथा निगम द्वारा उपलब्ध कराए गए सूचना के अनुसार है।

* नियोजित पूँजी निवल अचल सम्पत्तियाँ (पूँजीगत कार्य सहित) एवं कार्यचालन पूँजी के योग को निरूपित करती है। परिवर्त्तित लागत एवं निवेश की राशि को चालू परिसम्पत्तियों में से घटाकर कार्यचालन पूँजी की गणना की गई है।

** मूल्य ह्रास निधि को छोड़कर।

पूँजीगत कार्य (चेसिस का लागत सहित) प्रगति में	-	-	-
निवेश	-	-	-
चालू सम्पत्तियाँ ऋण एवं अग्रिम	90.22	229.59	192.87
संचित हानियाँ	555.56	612.84	659.83
कुल – ख	**662.19**	**862.96**	**904.37**
ग – नियोजित पूँजी#	(-)385.46	(-) 434.16	(-)478.85
3. बिहार राज्य वित्तीय निगम			
विवरण	**2004-05**	**2005-06**	**2006-07**
(क) दायित्त्व			
प्रदत्त पूँजी*	77.84	77.84	77.84
सुरक्षित कोष, अन्य सुरक्षित एवं अधिकोष	10.05	10.05	10.05
उधार	235.14	200.16	211.67
बाण्डस एवं ऋण पत्र	87.52	87.52	87.52
राज्य सरकार के साथ अन्य	0.14	--	--
अन्य दायित्त्व एवं प्रावधान	351.35	360.76	305.79
कुल – क	**762.04**	**736.33**	**692.87**
(ख) परिसम्पत्तियाँ			
रोकड़ एवं बैंक शेष	13.40	13.58	69.13
निवेश	0.05	0.05	0.05
ऋण एवं अग्रिम	285.49	277.49	237.94
शुद्ध अचल सम्पत्तियाँ	0.55	0.51	0.69
चालू सम्पत्तियाँ	6.66	443.69	385.06
लाभांश हानि खाता	1.01	1.01	--
घाटा	454.88	--	--
कुल – ख	**762.04**	**736.33**	**692.87**
(ग) नियोजित पूँजी**	404.60	393.06	381.32
4. बिहार राज्य भण्डार निगम♠			
विवरण	**2004-05**	**2005-06**	**2006-07**
(क) दायित्त्व			
प्रदत्त पूँजी	1.37	1.37	1.37
संचित एवं अधिशेष	9.39	9.39	10.39
व्यापारिक बकाये एवं अन्य दायित्त्व (प्रावधान के साथ)	13.62	18.99	15.99
कुल – क	**24.38**	**29.05**	**27.75**

नियोजित पूँजी निवल अचल संपत्ति (पूँजीगत कार्य सहित) एवं कार्यचालन पूँजी का योग है।

* प्रदत्त पूंजी में अंश आवेदन पूंजी सम्मिलित है।

** नियोजित पूँजी प्रदत्त पूंजी, रिजर्व (उन रिजर्वो को छोड़कर जो कि बाहरी निवेश से समर्थित है), बांड, उधार एवं जमा (पुनर्वित सहित) के वर्ष के शुरूआती एवं अंतिम आंकड़ों के योग का माध्य है।

♠ निगम से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार।

(ख) परिसम्पत्तियाँ			
सकल परिसम्पत्तियां	7.78	14.33	20.87
मूल्य ह्रास घटाएं	3.12	3.58	4.18
निवल अचल सम्पत्तियाँ	4.66	10.75	16.69
पूँजीगत कार्य प्रगति में	7.78	6.54	4.18
चालू परिसम्पत्तियां, ऋण एवं अग्रिम	11.94	11.76	6.87
लाभ एवं हानि लेखा			
कुल – ख	**24.38**	**29.05**	**27.75**
3. नियोजित पूँजी [π]	10.76	10.06	11.76

स्त्रोत– निगम से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार।

[π] नियोजित पूँजी निवल अंचल संपति (पूँजीगत कार्य सहित) एवं कार्यचालन पूँजी आयोग है।

परिशिष्ट–5

(कंडिका 1.7 से संदर्भित)

सांविधिक निगमों के कार्यचालन परिणाम की विवरणी

(राशि : रुपये करोड़ में)

1.	**बिहार राज्य विद्युत बोर्ड**			
क्रम सं.	**विवरण**	**2003-04**	**2004-05**	**2005-06**
1	(क) राजस्व प्राप्तियाँ	1,507.37	1,631.45	1,853.36
	(ख) सरकार से साहाय्य	668.40	803.60	910.70
	कुल	2,175.77	2,435.05	2,764.06
2	राजस्व व्यय (शुद्ध पूंजीगत व्यय), अमूर्त्त परिसम्पत्तियों का अपलेखन सहित परन्तु मूल्य ह्रास एवं ब्याज को छोड़कर	1,711.07	1,861.66	2,041.81
3	वर्ष का कुल बचत/(–) घाटा (1–2)	464.70	573.39	722.25
4	पिछले वर्ष से सम्बन्धित समायोजन	22.74	13.21	23.51
5	वर्ष का अन्तिम बचत/(–) घाटा (3+4)	487.44	586.60	745.76
6	विनियोजन			
(क)	मूल्य ह्रास	120.75	117.27	117.76
(ख)	पूँजीगत ऋण पर ब्याज	179.24	286.22	581.90
(ग)	अन्य ऋण, बाण्ड, अग्रिम आदि पर ब्याज	220.84	252.54	59.46
(घ)	ऋण एवं वित्तीय भरों पर कुल ब्याज (ख+ग)	400.08	538.76	641.36
(ङ)	पूंजीकृत ब्याज घटाएँ	10.86	15.13	19.00
(च)	राजस्व में भारित शुद्ध ब्याज (घ–ङ)	389.22	523.63	622.36
(छ)	कुल विनियोजन (छ+च)	509.97	640.90	740.12
7	राज्य सरकार से प्राप्त सहायता के लेखाकरनण से पूर्व बचत(+)/घाटा (–) 5'6(छ)–1ख	(-)690.93	(-) 857.90	(-)905.06
8	शुद्ध बचत/(–)घाटा 5–6(छ)	(-)22.53	(-)54.30	5.64
9	नियोजित पूंजी पर कुल प्रतिफल*	366.69	469.33	628.00
10	नियोजित पूंजी पर कुल प्रतिफल की प्रतिशतता	31.34	28.16	8.95
2.	**बिहार राज्य पथ परिवहन निगम**▶			
	विवरण	**2004-05**	**2005-06**	**2006-07**
	प्रचालन			
(क)	राजस्व	51.51	58.48	53.92
(ख)	व्यय	71.33	74.21	78.85
(ग)	बचत(+)/घाटा(–)	(-)19.82	(-)15.73	(-)24.93
	अप्रचालन			
(क)	राजस्व	3.23	2.25	0.98
(ख)	व्यय	37.73	36.53	30.07
(ग)	बचत(+)/घाटा(–)	(-)34.50	(-)34.28	29.09
	राजस्व	54.74	60.73	53.92
	व्यय	109.06	110.74	108.92

* नियोजित पूंजी पर कुल प्रतिफल निवल बचत/घाटा तथा लाभ एवं हानि लेखे में प्रमाणित कुल ब्याज (पूंजीकृत ब्याज को छोड़कर)

▶ निगम से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार।

	बचत(+)/घाटा(–)	(-)54.32	(-)50.01	(-)55.11
	पूंजी एवं ऋण पर ब्याज	18.53	18.53	18.53
	नियोजित पूंजी पर कुल प्रतिफल	(-) 35.79	(-) 31.48	(-)36.58
3.	**बिहार राज्य वित्तीय निगम▼**			
	विवरण	**2004-05**	**2005-06**	**2006-07**
1	आय			
i)	ऋण पर ब्याज	7.53	15.13	16.59
ii)	अन्य आय	1.05	1.25	2.56
	कुल – 1	**8.58**	**16.38**	**19.15**
2.	**व्यय***			
i)	(क) दीर्घकालीन ऋण एवं अल्पकालीन ऋणों पर ब्याज	17.47	8.67	12.37
	(ख) अक्रियाशील सम्पतियों के लिए प्रावधान	0.00	--	--
	(ग) अन्य व्यय	7.56	11.16	10.57
	कुल – 2	**25.03**	**19.83**	**22.93**
3.	कर के पूर्व लाभ (+)/हानि(–) (1–2)	16.45	3.45	3.78
4.	कर का प्रावधान	-	0.02	0.01
5.	अन्य विनियोजन	16.98	20.81	64.99
6.	लाभांश हेतु उपलब्ध राशि#	0.53	--	--
7.	लाभांश	--	--	--
8.	नियोजित पूंजी पर कुल प्रतिफल	53.47	26.01	61.19
9.	नियोजित पूंजी पर कुल प्रतिफल की प्रतिशतता	4.45	6.62	16.05
4.	**बिहार राज्य भण्डार निगम**			
	विवरण	**2004-05**	**2005-06**	**2006-07**
1.	आय			
(अ)	भण्डारण प्रभार	4.93	5.32	7.50
(ब)	अन्य आय	16.31	19.06	22.10
	योग – 1	**21.24**	**24.38**	**29.60**
2.	**व्यय**			
(क)	स्थापना प्रभार	3.48	3.60	3.82
(ख)	अन्य आय	17.19	19.71	23.72
	योग–2	**20.67**	**23.31**	**27.54**
3	कर के पूर्व लाभ(+)/हानि(–)	0.57	1.07	2.06
4.	पूर्वावधि समायोजन	0.06	--	--
5.	अन्य विनियोजन	--	--	--

▼ निगम से प्राप्त आंकड़ों औपबन्धित है और निगम से प्राप्तानुसार।
* वर्ष के अक्रियाशील सम्पत्तियों के लिये प्रावधान को व्यय शीर्ष के अन्तर्गत अलग से दिखाया जाय।
\# उपलब्ध लाभांश चालू वर्ष के लाभ में से विशेष सुरक्षित निधि हेतु विनियोजन के पश्चात् है।

6.	लाभांश के लिये उपलब्ध राशि	शून्य	0.20	0.40
7.	वर्ष के लिए लाभांश	--	--	0.08
8.	नियोजित पूँजी पर कुल प्रतिफल	0.57	1.07	2.46
9.	नियोजित पूँजी पर कुल प्रतिफल की प्रतिशतता	5.30	9.94	32.46

स्त्रोत– निगम से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार।

परिशिष्ट–6

(कंडिका 1.12 में संदर्भित)
सांविधिक निगमों के प्रचालन निष्पादन को दर्शानेवाली विवरण

1. बिहार राज्य विद्युत बोर्ड◊

विवरण	2003-04	2004-05	2005-06
प्रतिष्ठापित क्षमता		(एमडब्लू)	
(क) थर्मल	540	540	540
(ख) हाइड्रो	--	--	--
(ग) गैस	--	--	--
(घ) अन्य	--	--	--
योग	540	540	540
सामान्य अधिकतम मांग			
उत्पादित उर्जा (एम. के. डब्लू. एच.)			
(क) थर्मल	153.49	120.95	167.00
(ख) हाइड्रो	--	--	--
(ग) गैस	--	--	--
(घ) अन्य	--	--	--
योग	153.49	120.95	167.00
घटाव : अनुषांगिक खपत			
(क) थर्मल (प्रतिशतता)	30.79 (20.06)	25.13 (20.78)	25.05 (15.00)
(ख) हाइड्रो (प्रतिशतता)	-- --	--	--
(ग) गैस (प्रतिशतता)	--	--	--
(घ) अन्य (प्रतिशतता)	--	--	--
योग **(प्रतिशतता)**	30.79 (20.06)	25.13 (20.78)	25.05 (15.00)
उत्पादित उर्जा	122.70	95.82	141.95
क्रय की गई उर्जा	6,432.42	7,498.75	7,858.81
बिक्री हेतु उपलब्ध कुल उर्जा	6,555.12	7,594.57	8,000.76
बिक्री की गई उर्जा	4,101.85	4,710.35	4,369.37
संचरण एवं वितरण हानि	2,453.27	2,884.22	3,631.39
प्लान्ट लोड फैक्टर (प्रतिशतता)			
बिक्री हेतु उपलब्ध कुल उर्जा से संचरण एवं वितरण हानि की प्रतिशतता	37.43	37.97	45.38
विद्युन्मय गांवो/शहरों की संख्या	20,006	20,610	20,626
उर्जान्वित किए पम्प–सेटो एवं कुओं की संख्या	1,71,107	1,71,884	1,73,048
सब–स्टेशनों की संख्या			

◊ निगम से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार।

संचरण/वितरण लाईन (कि.मी. में)			
(क) उच्च/मध्य वोल्टेज			
(ख) निम्न वोल्टेज			
समबद्ध भार (एम वी ए में)			
उपभोक्ताओं की संख्या (लाख में)	22.61	24.27	संग्रह किया जा रहा है।
कर्मचारियों की संख्या	16,182	15,722	14,589
उपभोक्ता/कर्मचारी अनुपात	1:131	1:143	-
वर्ष के दौरान कर्मचारी पर कुल व्यय (रुपये करोड़ में)	541.87	573.48	528.80
कुल राजस्व व्यय में कर्मचारी पर व्यय की प्रतिशतता	19.02	18.92	18.92
बिक्री की गई इकाईयाँ			
(क) कृषि	1,129.32	1,255.89	अप्राप्त
कुल बिक्री की गई इकाइयों के अंश का प्रतिशत	27.53	28.27	अप्राप्त
(ख) औद्योगिक	724.46	786.06	अप्राप्त
कुल बिक्री की गई इकाइयों के अंश का प्रतिशत	17.66	16.91	अप्राप्त
(ग) वाणिज्यिक	285.11	313.33	अप्राप्त
कुल बिक्री की गई इकाइयों के अंश का प्रतिशत	6.95	7.05	अप्राप्त
(द) घरेलू	1,161.68	1,303.89	अप्राप्त
कुल बिक्री की गई इकाइयों के अंश का प्रतिशत	28.32	29.35	अप्राप्त
(च) अन्य	801.28	1,051.18	अप्राप्त
कुल बिक्री की गई इकाइयों के अंश का प्रतिशत	19.54	18.41	अप्राप्त
कुल	**4,101.85**	**4,710.35**	अप्राप्त
विवरण			
(क) राजस्व (सरकार से अर्थ सहाय्य को छोडकर) (रूपये करोड़ में)	1,631.45	1,853.36	अप्राप्त
(ख) व्यय (रूपये करोड़ में)	1,963.80	2,159.57	अप्राप्त
(स) लाभ (+)/हानि(–)	(-)332.35	(-)306.21	अप्राप्त
(द) सरकार से अर्थ सहाय्य का औसतन दावा (रुपये में)	803.60	910.70	अप्राप्त
(च) मांगी गई औसतन ब्याज (रुपये में)	538.76	641.36	अप्राप्त

- राजस्व व्यय में मूल्य ह्रास को सम्मिलित किया गया लेकिन लम्बी अवधि के ऋणों पर ब्याज को छोड़ दिया गया।

2. बिहार राज्य पथ परिवहन निगम°

विवरण	2004-05	2005-06	2006-07
धारित वाहनों की औसत संख्या	605	637	637
चालू वाहनों की औसत संख्या	463	455	386
उपयोग में लाई गई वाहनों की प्रतिशतता	77	71	61
कर्मचारियों की संख्या	4,367	4,367	4,171
कर्मचारी/वाहन अनुपात	1:9	1:10	1:11
वर्ष के अन्त तक प्रचालित मार्गों की संख्या	212	212	239
मार्ग किलोमीटर	198	198	198

° निगम से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार।

प्रचालित किलोमीटर (लाख में)			
(क) सकल	393.60	391.53	347.05
(ख) प्रभावी	380.13	381.97	340.28
(ग) डेड	12.76	9.56	6.77
सकल कि. मी. से डेड कि. मी. की प्रतिशतता	3.24	2.44	1.95
प्रति बस प्रतिदिन तय की गई औसत किलोमीटर	226.00	230	242
प्रति कि. मी. संचालित औसत राजस्व (पैसे)	13.55	15.30	14.94
पिछले वर्ष की संचालन राजस्व में वृद्धि(+)/कमी(–)(%) (पैसे में)	(-)7.32	(+)12.91	(-)2.35
प्रति किलोमीटर औसत व्यय	26.70	28.99	23.17
पिछले वर्ष के व्यय पर संचालन व्यय में वृद्धि (+)/कमी (–) (%)	(-)30.01	(+)8.58	(-)20.08
प्रति किलोमीटर लाभ(+)/हानि(–) (पैसे)			
संचालित डिपो की संख्या	32	29	29
प्रति लाख कि. मी. पर ब्रेक डाउन की औसत संख्या	0.006	0.001	0.004
प्रति लाख कि.मी. पर दुर्घटनाओं की औसत संख्या	0.03	0.14	0.01
प्रचालित यात्री कि.मी. (करोड़ में)	--	1.16	1.03
ओकुपेन्सी अनुपात (प्रतिशत में)	66	65	65
प्रति लिटर प्राप्त कि. मी.			
(क) डीजल ऑयल	3.94	3.88	3.93
(ख) इंजन ऑयल	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त

3. बिहार राज्य भण्डारण निगम•

विवरण	2004-05	2005-06	2006-07
शामिल केन्द्रों की संख्या	46	46	46
वर्ष के अंत तक सृजित किया गया भण्डारण क्षमता (लाख टन में)	--	0.20	0.20
निजी गोदाम	12.60	15.01	17.35
किराये का गोदाम	13.26	12.02	12.70
योग	25.86	27.03	30.05
वर्ष के दौरान उपयोग किये गये क्षमता का औसत (लाख टन में)	20.33	21.58	24.96
उपयोग का प्रतिशतता	80	80	83
(क) प्रतिवर्ष प्रति मैट्रिक टन औसत राजस्व (रुपये)	104.47	122.97	118.59
(ख) प्रतिवर्ष प्रति मैट्रिक टन औसत व्यय (रुपये)	101.67	108.02	110.33

• निगम से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार।

4. बिहार राज्य वित्तीय निगम ▫

(लाख रुपये में)

विवरण	2004-05		2005-06 (औपबंधिक)		2006-07	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
वर्ष के प्रारम्भ में लंबित आवेदन	--	--	--	--	--	--
प्राप्त आवेदन पत्र	--	--	--	--	--	--
कुल	--	--	--	--	--	--
स्वीकृत आवेदन पत्र	--	--	--	--	--	--
रद्द/वापस लिये गये/अस्वीकृत आवदेन पत्र	--	--	--	--	--	--
वर्ष के अंत तक लंबित आवेदन पत्र	--	--	--	--	--	--
वर्ष के दौरान संवितरित ऋण	--	--	--	--	--	--
वर्ष के अन्त तक बकाया ऋण	--	2,66,700.77	--	2,96,941.05		3,08,569.59
वर्ष के अंत में अतिदेय ऋण	--	--	--	--	--	--
(अ) मूलधन	--	25,725.69	--	24,949.99	--	21,138.29
(ब) ब्याज	--	2,50,734.61	--	2,71,243.31	--	2,86,259.44
योग	**--**	**2,76,460.30**	**--**	**2,96,193.30**	**--**	**3,07,397.73**
सर्टिफिकेट केसों में अदायगी की निहित राशि	--	--	--	--	--	--
कुल बकाया ऋण पर अतिदेय राशि की प्रतिशतता	--	--	--	99.74		99.62

स्त्रोत – निगम से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार।

▫ निगम से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार।

परिशिष्ट–7

(कंडिका 1.21 में संदर्भित)

बंद की जाने वाली बिहार की सरकारी कम्पनियों के नाम

(राशि : लाख रूपये में)

क्रम सं.	कम्पनियों के नाम	प्रदत पूंजी	बिहार सरकार द्वारा दिए गए अग्रिम एवं ऋण
1	बिहार राज्य चर्मोद्योग विकास निगम लिमिटेड	1,000.00	1,242.55
2	बिहार राज्य हस्तकरघा एवं हस्तशिल्प निगम लिमिटेड	999.98	115.78
3	बिहार राज्य औषध एवं रसायन विकास निगम लिमिटेड	1577.88	427.91
4	बिहार राज्य लघु उद्योग निगम लिमिटेड	718.48	1,040.00
5	बिहार राज्य चीनी निगम निगम लिमिटेड	2,000.00	31,406.27
6	बिहार राज्य कृषि उद्योग विकास निगम लिमिटेड	763.52	1,259.99
7	बिहार राज्य वस्त्र निगम लिमिटेड	537.00	223.66
8	बिहार राज्य फल एवं सब्जी विकास निगम लिमिटेड	210.37	41.80
9	बिहार राज्य वन विकास निगम लिमिटेड	229.08	0.00
10	बिहार पंचायती राज वित्त निगम लिमिटेड	144.20	0.00
11	बिहार राज्य फिल्म विकास एवं वित्त निगम लिमिटेड	100.00	14.80
12	बिहार राज्य इलेक्ट्रानिक्स विकास निगम लिमिटेड	566.91	593.48
13	बिहार राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड	1,404.00	6,702.00
14	बिहार राज्य निर्माण निगम लिमिटेड	700.00	105.10
15	बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम लिमिटेड	10.00	42.90
16	बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड	350.00	0.00
17	बिहार राज्य निर्यात निगम लिमिटेड	200.00	121.77
कुल –		11,511.42	43,338.00

स्त्रोत– बिहार सरकार के दिनांक 19.06.2003 के संकल्प संख्या 2538 के अनुसार।

बिहार की सरकारी निगमें जिन्होंने परिसमापन के लिए पटना उच्च न्यायालय में अर्जी दायर की

क्रम संख्या	कम्पनियों के नाम
1.	बिहार राज्य चमड़ा उद्योग विकास निगम लिमिटेड
2.	बिहार राज्य हस्तकरघा एवं हस्तशिल्प निगम लिमिटेड़
3.	बिहार राज्य औषध एवं रसायन विकास निगम लिमिटेड
4.	बिहार राज्य लघु उद्योग निगम लिमिटेड
5.	बिहार राज्य चीनी निगम निगम लिमिटेड
6.	बिहार राज्य कृषि उद्योग विकास निगम लिमिटेड
7.	बिहार राज्य वस्त्र निगम लिमिटेड
8.	बिहार फिनिस्ड लेदर लिमिटेड
9.	बिहार राज्य फिल्म विकास एवं वित्त निगम लिमिटेड
10.	बिहार पेपर मिल लिमिटेड*.
11.	बेलट्रान विडियो सिस्टम लिमिटेड
12.	बेलट्रान माईनिंग सिस्टम लिमिटेड
13.	बिहार फल एवं सब्जी विकास निगम लि.

स्त्रोत– उप रजिस्ट्रार पटना उच्च न्यायालय से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार।

* पटना उच्च न्यायालय के आदेशानुसार निगम का परिसमापन किया जाना है।

परिशिष्ट–8

(कंडिका 1.23 से संदर्भित)

कम्पनियों जिनके सम्पत्तियों, दायित्वों और प्रबंधन के बटवारे के संदर्भ में निर्णय लिया गया है को दर्शाने वाली विवरणी।

क्रम सं.	कम्पनी का नाम/निगमों के नाम	सम्पत्तियों, दायित्वों और प्रबंधन के बटवारे का आधार	निर्णय का कार्यान्वय
1.	बिहार राज्य बीज निगम लिमिटेड	78:22 (बिहार : झारखण्ड)	निर्णय कार्यान्वित
2.	बिहार राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड	बटवारें से पहले के नौ वर्षो में निगम के बिहार तथा झारखण्ड के कार्य क्षेत्र में हुए लाभ के आधार पर बंटवारा	निर्णय अभी कार्यान्वित नहीं हुआ है।
3.	बिहार राज्य साख एवं विनियोग निगम लिमिटेड	संबंधित क्षेत्र में अप्राप्त ऋणों के आधार पर बटवारा	निर्णय अभी कार्यान्वित नहीं हुआ है।
4.	बिहार राज्य भण्डारण निगम	98:2 (बिहार : झारखण्ड)	निर्णय कार्यान्वित
5.	बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड	1. अंश, सम्पत्तियों एवं दायित्वों (होटल अशोक, राँच के लेकर) का 3:1 अनुपात में बटवारा (बिहार : झारखण्ड) 2. अचल संपतियों का "जहॉ है वहॉ है" के आधार पर	निर्णय अभी कार्यान्वित नहीं हुआ है।
6.	बिहार राज्य अलपसंख्यक वित्त निगम लि0	संबंधित क्षेत्रों में अप्राप्त ऋणों के आधार पर बटवारा	निर्णय अभी कार्यान्वित नहीं हुआ है।
7.	बिहार राज्य पिछड़ वर्ग वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड	संबंधित क्षेत्रों में अप्राप्त ऋणों के आधार पर बटवारा	निर्णय अप्राप्त
8.	बिहार राज्य जल विद्युत पावर निगम लिमिटेड	69:31 (बिहार : झारखण्ड)	निर्णय कार्यान्वित
9.	बिहार राज्य टेक्स्ट–बुक प्रकाशन निगम लिमिटेड	जन संख्या के आधार पर बंटवारा	निर्णय कार्यान्वित
10.	बिहार राज्य वित्तीय निगम	संबंधित क्षेत्र में अप्राप्त ऋणों के आधार पर बटवारा	निर्णय अभी कार्यान्वित नहीं हुआ है।
11.	बिहार हिल एरिया लिफ्ट सिंचाई निगम	इसके बटवारे के संबंध में दोनों सरकारों के बीच कोई सहमति नहीं हो पाई	निर्णय अप्रांप्त
12.	बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड	3:1 (बिहार : झारखण्ड)	निर्णय अभी कार्यान्वित नहीं हुआ है।

स्त्रोत– निगम से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार।

परिशिष्ट – 9
(कंडिका 1.28 से संदर्भित)
कम्पनियों के आंतरिक अंकेक्षण/आंतरिक नियंत्रण पर सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा प्रेक्षण

क्रम सं0	कम्पनी का नाम	लेखा का वर्ष	संप्रेक्षण
1.	बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड	1984–85, 1985–86, 1986–87, 1987–88	स्टोर की खरीद, कच्चामाल पूर्जा सहित, प्लांट एवं मशीनरी, उपस्कर एवं अन्य सम्पत्तियों में संबंधित आन्तरिक नियंत्रण प्रक्रिया अपर्याप्त है और कंपनी के आकार और कार्य कलापों के प्रकृति के अनुरूप नहीं है।
2.	बिहार राज्य पाठ्य पुस्तक प्रकाशन निगम लि.	1996–97	आंतरिक नियंत्रण प्रक्रिया सामान्यतः प्रर्याप्त है परन्तु इसे स्टोर की खरीद, कच्चा माल, प्लांट एवं मशीनरी, उपस्कर, अन्य सामान सम्पत्तियों एवं मालों की बिक्री हेतु उसके कार्यकलापों के आकार एवं प्रकृति के अनुरूप मजबूत करने की आवश्यकता है। आंतरिक लेखा परीक्षा सनदी लेखाकारों की फर्म द्वारा वित्तीय वर्ष के बाद की जाती है। आंतरिक लेखा परीक्षा द्वारा सत्यापित किया गया लेखा लेखापरीक्षा के अंतर्गत तथा निदेशक परीषद् द्वारा अपनाए गए लेखाओं से भिन्न हैं।
3.	बिहार राज्य इलेक्ट्रोनिक विकास निगम लिमिटेड	1996–97, 1997–98, 1998–99	निगम की आंतरिक अंकेक्षण पद्धति को उसके कार्यकलपों के आकार एवं प्रकृति के अनुरूप मजबूत करने की आवश्यकता है।
4.	बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि.	1994–95 और 1995 –96	प्लांट एवं मशीनरी, उपस्कर के उपयोग से संबंधित आन्तिरिक नियंत्रण प्रक्रिया को मजबूत करने की आवश्यकता है। आंतरिक लेखा प्रणाली को आगे और मजबूत करने की आवश्यकता है।
5.	बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम लि.	1999–00 और 2000–01	आंतरिक लेखा परीक्षा के कार्य क्षेत्र की प्रकृति परिभाषित नहीं हैं। आंतरिक लेखा परीक्षा द्वारा मुख्य कमियॉ बताई/चिन्हित नहीं की गई हैं। जिलावार/उधार लेने वाले का उधार खाता बनाना, वसूली की स्थिति, उधार लेने वाले पर भारित ब्याज और दण्ड की उचित राशि और अंचल संम्पति पंजी का रख–रखाव को भी आंतरिक लेखा परीक्षा के कार्यक्षेत्र में लाना चाहिए।

स्त्रोत : सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों पर सांविधिक परीक्षकों द्वारा कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(3) के तहत निर्गमित पूरक प्रतिवेदन।

परिशिष्ट–10

(कंडिका 1.30 में संदर्भित)

अद्यतन अन्तिमकरण किये हुए लेखाओं के अनुसार 619 (बी) कम्पनियों की प्रदत्त पूंजी, निवेश एवं संक्षिप्त कार्यचालन परिणाम को दर्शानेवाली विवरणी

(कॉलम 5 से 19 की राशि लाख रुपये में)

क्रम सं.	कम्पनी का नाम	स्थिति (कार्यशील /अकार्यशील)	लेखा वर्ष	प्रदत्त पूंजी	साधारण पूँजी द्वारा			ऋण द्वारा			अनुदान द्वारा			साधारण पूँजी ऋण एवं अनुदान के रूप में कुल निवेश			लाभ (+)/ हानि (–)	संचित लाभ(+)/ हानि (–)
					राज्य सरकार	राज्य सरकार की कम्पनियाँ	केन्द्र सरकार एवं उसकी कम्पनियाँ	राज्य सरकार	राज्य सरकार की कम्पनियाँ	केन्द्र सरकार एवं उसकी कम्पनियाँ	राज्य सरकार	राज्य सरकार की कम्पनियाँ	केन्द्र सरकार एवं उसकी कम्पनियाँ	राज्य सरकार	राज्य सरकार की कम्पनियाँ	केन्द्र सरकार एवं उसकी कम्पनियाँ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	बिहार एयर प्रोडक्टस लि.	कार्यशील	1992-93	79.99	-	79.99	-	-	11.25	48.85	-	-	-	-	91.24	48.85	5.53	(-) 102.68
2	स्काडा■ एग्रो बिजनेस कं. लि.	कार्यशील	2002-03	05.00	-	05.00			302.78	-	-	-	-	-			(-)6.87	(-)185.96
3	स्काडा एग्रो बिजनेस कं. खगौल लि.	अकार्य–शील**	आरम्भ से लेखाओं का अन्तिमकरण नहीं हुआ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	स्काडा एग्रो बिजनेस लि. डेहरी	–वही–	आरम्भ से लेखाओं का अन्तिमकरण नहीं हुआ	-	-	-	-	-	--	-	--	-	-	-	-	-	-	--
5	स्काडा एग्रो बिजनेस लि. आरा	–वही–	आरम्भ से लेखाओं का अन्तिम–करण नहीं हुआ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

■ सोन कमांड एरिया डेवलेपमेंट ऐजेंसी।

क्रम सं.	कम्पनी का नाम	स्थिति (कार्यशील /अकार्यशील)	लेखा वर्ष	प्रदत्त पूंजी	साधारण पूँजी द्वारा			ऋण द्वारा			अनुदान द्वारा			साधारण पूँजी ऋण एवं अनुदान के रूप में कुल निवेश			लाभ (+)/ हानि (–)	संचित लाभ(+)/ हानि (–)
					राज्य सरकार	राज्य सरकार की कम्पनियाँ	केन्द्र सरकार एवं उसकी कम्पनियाँ	राज्य सरकार	राज्य सरकार की कम्पनियाँ	केन्द्र सरकार एवं उसकी कम्पनियाँ	राज्य सरकार	राज्य सरकार की कम्पनियाँ	केन्द्र सरकार एवं उसकी कम्पनियाँ	राज्य सरकार	राज्य सरकार की कम्पनियाँ	केन्द्र सरकार एवं उसकी कम्पनियाँ		
6	स्काडा एग्रो बिजनेस लि. औरंगाबाद	–वही–	आरम्भ से लेखाओं का अन्तिमक रण नहीं हुआ	-	-	-	-	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	स्काडा एग्रो बिजनेस लि. मोहनियाँ	–वही–	आरम्भ से लेखाओं का अन्तिमक रण नहीं हुआ	-	-													
8	स्काडा एग्रो फॉरेस्ट्री कं. खगौल	–वही–	आरम्भ से लेखाओं का अन्तिमक रण नहीं हुआ	-	-													

स्त्रोत– निगम से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार।

** क्रमांक 3 से 8 तक की निगमों ने पटना उच्च न्यायालय में परिसमापन के लिये अर्जी दायर की है।

परिशिष्ट–11

बजट किया हुआ तथा वास्तविक राजस्व एवं पूंजीगत प्राप्तियॉं तथा व्यय को दर्शाने वाला विवरणी
(कंडिका संख्या 2.1.8 में संदर्भित)

राशि : रूपये करोड़ में

वर्ष	राजस्व प्राप्ति					राजस्व व्यय			
	बजट	विगत वर्षो की तुलना में प्रतिशत वृद्धि (+) अथवा गिरावट (–)	वास्तविक प्राप्तियॉं	वास्तविक प्राप्ति से बजट किए हुए प्राप्ति का प्रतिशत	बकाया	बजट	विगत वर्षो की तुलना में प्रतिशत वृद्धि (+) अथवा गिरावट (–)	वास्तविक व्यय	बजट किए हुए व्यय से वास्तविक व्यय का प्रतिशत
2002-03	42.00	(+) 16.47	23.56	56.09	18.44	10.68	(+)4.40	4.96	46.44
2003-04	41.12	(-) 2.09	17.23	41.90	23.89	8.49	(-)20.51	4.36	51.35
2004-05	41.14	(+) 0.05	5.30	12.88	35.84	7.55	(-)11.07	3.57	47.28
2005-06	16.29	(-) 60.40	14.79	90.79	1.50	14.20	(+)88.08	7.42	52.25
2006-07	21.00	(+) 28.91	7.50	35.71	13.50	18.54	(+)30.56	9.42	50.81

स्त्रोत : वार्षिक बजट

राशि : रूपये करोड़ में

वर्ष	पूंजीगत प्राप्ति					पूंजीगत व्यय			
	बजट	विगत वर्षो की तुलना में प्रतिशत वृद्धि (+) अथवा गिरावट (–)	वास्तविक प्राप्तियॉं	वास्तविक प्राप्ति से बजट किए हुए प्राप्ति का प्रतिशत	बकाया	बजट	विगत वर्षो की तुलना में प्रतिशत वृद्धि (+) अथवा गिरावट (–)	वास्तविक व्यय	बजट किए हुए व्यय से वास्तविक व्यय का प्रतिशत
2002-03	36.10	(+)32.96	5.86	16.23	30.24	67.41	(+)20.38	9.35	13.87
2003-04	58.18	(+)61.16	29.23	50.24	28.95	90.80	(+)34.70	14.57	16.04
2004-05	55.12	(-)5.26	3.46	6.27	51.66	116.63	(+)28.45	16.28	13.95
2005-06	115.48	(+)109.51	29.09	25.19	86.39	115.48	(-)0.98	12.83	11.11
2006-07	122.37	(+)16.01	75.20	61.45	47.17	122.37	(+)5.96	32.02	26.17

स्त्रोत : वार्षिक बजट

परिशिष्ट–12
नाबार्ड परियोजनाओं की स्थिति (31.03.2007 को)
(कंडिका संख्या 2.1.9, 2.1.11, 2.1.13 तथा 2.1.14 में संदर्भित)

राशि : रूपये करोड़ में

क्रम सं.	परियोजनाएँ	स्थापित क्षमता (एम. डब्ल्यू.)	डी.पी.आर. के अनुसार आरंभिक आकलित लागत	संशोधित आकलित लागत	31.03.2007 तक की संचित प्रगति				समापन की अनुसूचित तिथि	समापन की संशोधित तिथि	समापन की वास्तविक तिथि
					भौतिक (प्रतिशत में)		वित्तीय				
					असैनिक कार्य	इ./डब्ल्यू. कार्य	संशोधित लागत के मामले में प्रतिशत				
							व्यय	प्रतिशत			
1	अमेठी	0.50	3.24	4.87	43.29	28.77	1.15	23.62		31.03.2008	अनुपलब्ध
2	अरवल	0.50	3.18	4.60	76.68	53.37	2.04	44.36		31.12.2007	अनुपलब्ध
3	बेलसर	1.00	5.70	8.35	57.73	34.97	2.54	30.42		31.03.2008	अनुपलब्ध
4	देहरा	1.00	5.84	6.70	6.06	-	0.15	2.24		31.12.2008	अनुपलब्ध
5	धेलाबाग	1.50	7.20	7.20	100	100	7.20	100		समाप्त	8/2006
6	जयनगर	1.00	5.77	5.77	90	85	5.05	87.50		31.12.2007	अनुपलब्ध
7	नसरीगंज	1.00	6.07	6.07	100	100	6.08	100		31.12.2007	अनुपलब्ध
8	नटवर	0.40	2.14	3.51	26.81	11.98	0.43	12.24		31.03.2008	अनुपलब्ध
9	पहरमा	1.00	5.55	6.50	21.96	18.47	1.11	17.08	31.03.2005	31.03.2008	अनुपलब्ध
10	राजापुर	0.70	3.46	9.19	55.03	29.18	1.40	15.22		31.03.2008	अनुपलब्ध
11	रामपुर	0.25	2.22	3.51	75.16	36.50	1.30	37.01		31.12.2007	अनुपलब्ध
12	सेवारी	1.00	5.68	5.68	88.32	62.12	4.17	73.38		31.12.2007	अनुपलब्ध
13	सरखिंडा	0.70	4.95	4.95	90.83	66.96	3.72	75.28		31.12.2007	अनुपलब्ध
14	सिपहा	1.00	5.43	6.40	6.32	-	0.15	2.34		31.12.2008	अनुपलब्ध
15	तेजपुरा	1.50	7.18	7.18	88.50	58.80	4.21	58.69		31.12.2007	अनुपलब्ध
16	त्रिवेणी	3.00	13.46	13.47	95	96	13.46	99.88		31.12.2007	अनुपलब्ध
17	बैलिडैड	0.70	3.72	4.44	38.90	35.11	1.37	30.74		31.03.2008	अनुपलब्ध
	कुल	**16.75**	**90.79**	**108.39**							

स्त्रोत : प्रगति प्रतिवेदन

परिशिष्ट–13
झारखण्ड परियोजनाओं की स्थिति (31.03.2007 को)
(कंडिका संख्या 2.1.9 तथा 2.1.31 में संदर्भित)

राशि : रूपये करोड़ में

क्रम संत्र	परियोजना	स्थापित क्षमता (एम.डब्ल्यू.)	डी.पी.आर. के अनुसार आरंभिक आकलित लागत (वर्ष)	संशोधित लागत (वर्ष)	31.03.2007 तक की संचित प्रगति			समापन की अनुसूचित तिथि	समापन की संशोधित तिथि
					भौतिक (प्रतशत में)	वित्तीय			
					असैनिक कार्य एवं ई./डब्ल्यू. कार्य	संशोधित लागत के मामले में प्रतिशत			
						व्यय	प्रतिशत		
1	चांडिल	8.00	12.95(1987)	40.49(1998)	85	30.67	75.75	मार्च 1994	जुलाई 2001
2	तेनूबोकारो	1.00	2.25(1984)	3.86(1999)	90	3.20	83.00	जनवरी 1993	दिसम्बर 2001
3	सदानी	1.00	4.11(1994)	6.00(1999)	55	3.06	81.00	जुलाई 1999	जुलाई 2002
4	लोअर घघरी	0.40	2.59(1994)	4.00 (1999)	50	2.08	52.00	जुलाई 1999	सितम्बर 2002
5	नेतरहाट	0.05	0.24(1994)	0.60 (1999)	20	0.05	8.30	जनवरी 2000	जुलाई 2001
6	निंदीघाघ	0.20	1.11(1997)	1.50(1999)	20	0.09	6.20	मई 2001	मार्च 2002
7	जालिमघाघ	0.20	1.31(1997)	2.00 (1999)	30	4.11	20.60	मई 2001	मार्च 2002
8	मंडल	24.00	21.94(1984)	47.34(1996)	75	35.83	75.70	दिसम्बर 1992	अनुपलब्ध
	कुल	34.85	46.50	105.79		79.09			

स्त्रोत : प्रगति प्रतिवेदन

परिशिष्ट–14

डी.पी.आर. निविदाओं व नाबार्ड परियोजनाओं के अनुबंधों के ब्योरा दर्शाती विवरणी

(कंडिका संख्या 2.1.14 में संदर्भित)

क्रम सं.	परियोजना का नाम	डी.पी.आर. तैयार करने की तिथि	नबार्ड को प्रस्ताव भेजने की तिथि	नबार्ड द्वारा स्वीकृति की तिथि	एन.आई.टी. की तिथि	निविदा अंतिमीकरण की तिथि	अनुबन्ध की तिथि	विलम्ब माह में	
								निविदा आमंत्रण में (च–ड़)	अनुबन्ध हस्ताक्षर करने में (ज–च)
(क)	(ख)	(ग)	(घ)	(ड़)	(च)	(छ)	(ज)	(झ)	
1	अमेठी	अप्रैल 1999	मार्च 2001	मई 2003	11.11.2003	21.07.2004	18.09.2004(सी) 12.07.2006(इ/एम)	5 5	9 31
2	अरवल	अप्रैल 2000	मार्च 2001	मई 2003	11.11.2003	12.06.2004	28.08.2004(सी) 12.07.2006(इ/एम)	5 5	8 31
3	बेलसर	अगस्त 1999	मार्च 2001	मई 2003	11.03.2004	31.10.2005	03.04.2006(इ/एम)	9	24
4	देहरा	अप्रैल 2000	मार्च 2001	मई 2003	18.04.2001	16.05.2006	एल.ओ.आई. रद्द किया गया; मार्च 2007 में नया निविदा आमंत्रित किया गया।	-	-
5	धेलाबाग	अप्रैल 2000	मार्च 2001	मई 2003	03.01.2001	25.02.2002	19.04.2002	-	14
6	जयनगर	मार्च 1999	मार्च 2001	मई 2003	03.01.2001	25.02.2002	13.04.2002	-	14
7	नसरीगंज	मार्च 2000	मार्च 2001	मई 2003	03.01.2001	25.02.2002	13.04.2002	-	14
8	नटवर	मई 1999	मार्च 2001	मई 2003	11.11.2003	29.06.2004	11.08.2006(सी)	5	32
9	पहरमा	मार्च 2000	मार्च 2001	मई 2003	18.04.2001	26.10.2006(सी) 22.11.2006(इ/एम)	31.01.2007(सी) 29.12.2006(इ/एम)	-	68 67
10	राजापुर	अगस्त 1999	मार्च 2001	मई 2003	24.01.2006	16.05.2006	13.10.2006(सी)	31	8
11	रामपुर	मई 1999	मार्च 2001	मई 2003	11.11.2003	21.07.2004	07.10.2004(सी) 29.06.2006(इ/एम)	5 5	10 30
12	सेवारी	मार्च 2000	मार्च 2001	मई 2003	18.04.2001	16.06.2004	06.09.2004(सी) 08.10.2004(इ/एम)	- -	40 41
13	सरखिंडा	अप्रैल 1999	मार्च 2001	मई 2003	18.04.2001	18.06.2004	27.06.2005(सी) 06.06.2005(इ/एम)	- -	49 49
14	सिपहा	सितम्बर 1999	मार्च 2001	मई 2003	18.04.2001	16.05.2006	एल.ओ.आई. रद्द किया गया; मार्च 2007 में नया निविदा आमंत्रित किया गया।	-	-
15	तेजपुरा	मार्च 2000	मार्च 2001	मई 2003	14.11.2003	18.06.2004	09.10.2004(सी) 06.06.2005(इ/एम)	5 5	10 18
16	त्रिवेणी	जून 1986	मार्च 2001	मई 2003	24.09.1999	28.04.2001	27.06.2001	-	20
17	बैलिडैड	अक्टूबर 1999	मार्च 2001	मई 2003	11.11.2003	12.06.2004	24.08.2004	5	8

स्त्रोत : नाबार्ड से संबंधित प्रतिवेदन व संचिकाएँ

परिशिष्ट–15

प्राक्कलन, वास्तविक निर्माण लागत, कमिशनिंग की अनुसूचित/वास्तविक तिथि तथा प्रक्षेपित/वास्तविक विद्युत उत्पादन दर्शाती विवरणी

(कंडिका संख्या 2.1.32 में संदर्भित)

परियोजना (क्षमता के.डब्ल्यू. में)	अगनूर (2X500)	वरूण (2X1650)	देहरी (4X1650)	धेलाबाग (2X500)	कटैया• (4 X 4800)	वाल्मीकिनगर (3X5000)
प्राक्कलित (आरंभिक) लागत (लाख में)	245 (6/86)	626	1300	687.5	-	1740
वास्तविक लागत (लाख रू. में)	1080.7+	1605	3474	788.51+	-	6327
प्रति के डब्ल्यू. क्षमता की लागत (लाख रू. में)	1.08	0.49	0.53	0.79	-	0.42
लागत अधिव्यय (लाख रू. में)	835.7	979	2174	101.01	-	4587
कमिशनिंग की अनुसूचित तिथि	5/2000	6/1988	3/1988	6/2004	-	9/1988
कमिशनिंग की वास्तविक तिथि	1/2006	3-7/1996	1 to 6/1993	8/2006	-	9/95 to 11/97
समय अधिव्यय (माह में)	67	97	63	25	-	109
विद्युत उत्पादन की वास्तविक अवधि	1 वर्ष	11 वर्ष	14 वर्ष	8माह	-	11.5 वर्ष
परिचालन की अवधि में विद्युत उत्पादन						
प्राक्कलित						(दस लाख की इकाईयों में)
2002-03	--	19.447	43.106	--	-	98.700
2003-04	--	19.447	43.106	--	-	98.700
2004-05	--	19.447	43.106	--	99.720	98.700
2005-06	--	19.447	43.106	--	99.720	98.700
2006-07	4.485	19.447	43.106	5.297♠	99.720	98.700
वास्तविक						(दस लाख की इकाईयों में)
2002-03	-	8.552	15.095	-	-	22.485
2003-04	-	10.732	15.887	-	-	18.272
2004-05	-	11.637	15.316	-	3.472	24.962
2005-06	-	10.134	17.973	-	15.467	27.846
2006-07	0.759	8.888	16.707	0.558	16.861	25.330

• बिहार राज्य विद्युत बोर्ड से जून 2003 में हस्तान्तरित

+ अंतिम विपत्र का अंतिमिकरण होना है

♠ आठ माह का आनुपातिक प्राक्कलित उत्पादन

परियोजना (क्षमता के.डब्ल्यू. में)	अगनूर (2X500)	वरूण (2X1650)	देहरी (4X1650)	धेलाबाग (2X500)	कटैया (4 X 4800)	वाल्मीकिनगर (3X5000)
उत्पादन श्रेणी	0.759	8.552 to 11.637	15.095 to 17.973	0.558	3.472 to 16.861	18.272 to 27.846
वास्तविक उत्पादन का प्राक्कलित उत्पादन से प्रतिशत						
2002-03	-	43.97	35.02	-	-	22.78
2003-04	-	55.18	36.85	-	-	18.51
2004-05	-	59.84	35.53	-	3.48	25.29
2005-06	-	52.11	41.69	-	15.51	28.21
2006-07	16.92	45.70	38.75	10.53	16.91	25.66

स्त्रोत : एस.एच.पी.पी. के डी.पी.आर. तथा संबंधित उत्पादन प्रतिवेदन

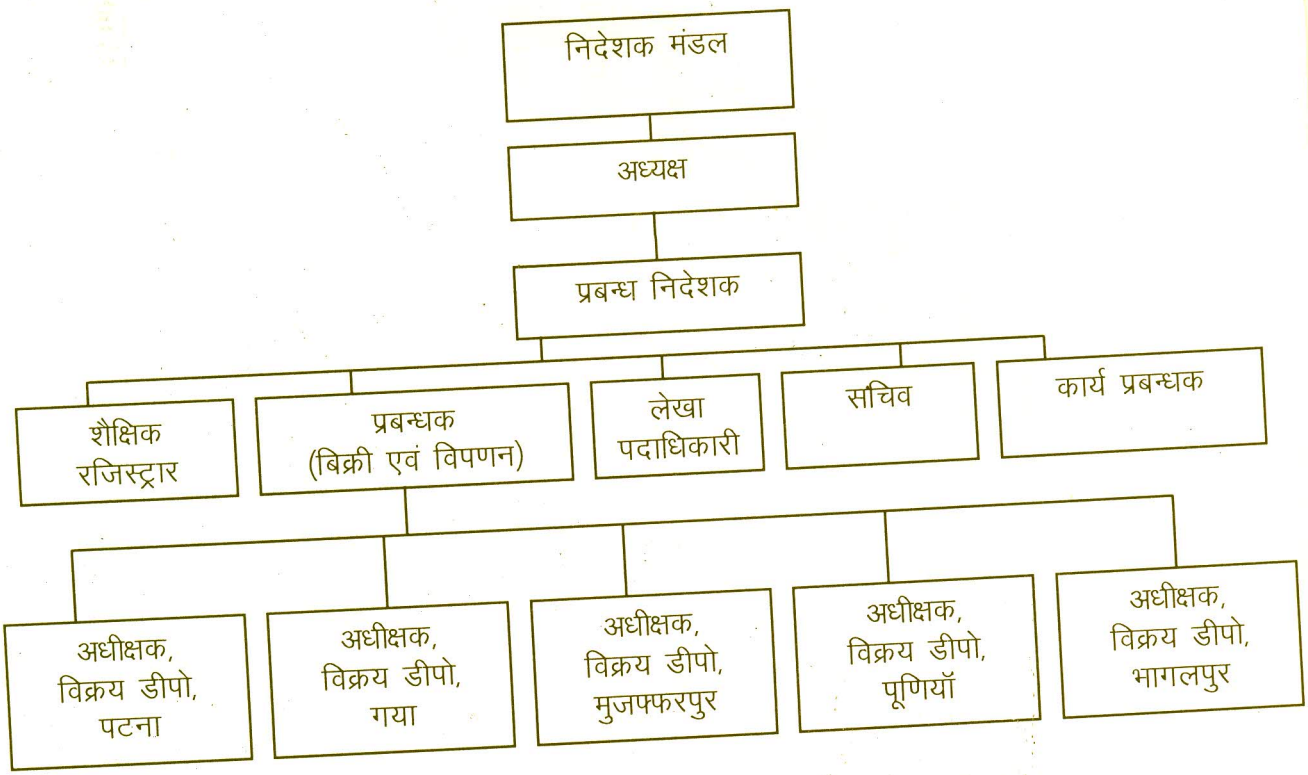
परिशिष्ट–16
परिचालिन इकाइयों के आउटेज दर्शाती विवरणी
(कंडिका संख्या 2.1.33 में संदर्भित)

वर्ष	प्रक्षेपित/स्थापित क्षमता	उपलब्ध घंटे	परिचालन घंटे	आउटेज	आउटेज का उपलब्ध घंटे से प्रतिशत	आउटेज की प्रकृति								
						अपरिहार्य								
						पानी का निकलना नहीं	ब्रेक डाउन/शट डाउन	पानी का कम निकलना	पावर ट्रिपिंग/असफलता	कैनल का बंद होना/कोई सिंचाई मांग नहीं	ट्रैश रैक की सफाई	वृहत ब्रेक डाउन	कुल परिहार्य आउटेज	परिहार्य आउटेज का उपलब्ध घंटे से प्रतिशत
2002-03	वरूण/2X1.65 एम.डब्ल्यू.	17,520	6,481.33	11,038.27	63.00	2,592.00	-	3,520.43	459-04	4,464.00	2.40	-	8,446.27	48.21
	देहरी/4X1.65 एम.डब्ल्यू.	35,040	12,686.20	22,353.40	63.79	5,088.00	20.45	10,784.42	1,019.15	5,280.00	160.58	-	17,244.55	49.21
	वालमीकिनगर /3X5 एम. डब्ल्यू.	26,280	5,899.25	20,380.35	77.55	5,346.00	40.40	9,155.00	425.20	7,207.45	5.50	-	16,793.55	63.90
2003-04	वरूण/2X1.65 एम.डब्ल्यू.	17,568	7,878.09	9,689.51	55.15	1,440.00	-	2,777.14	1,293.17	4,176.00	3.20	-	8,249.51	46.95
	देहरी/4X1.65 एम.डब्ल्यू.	35,136	13,136.06	21,999.54	62.61	2,400.00	3. 39	11,023.06	375.45	7,968.00	229.24	-	19,596.15	55.77
	वाल्मीकिनगर /3X5 एम.डब्ल्यू.	36,352	5,496.40	20,855.20	57.37	1,073.30	6.20	8,651.35	748.05	10,371.30	4.20	-	19,775.30	54.40
2004-05	वरूण/2X1.65 एम.डब्ल्यू.	17,520	7,475.06	10,044.54	57.33	2,592.00	-	2,565.52	1,093.32	3,792.00	1.30	-	7,452.54	42.54
	देहरी/4X1.65 एम.डब्ल्यू.	35,040	13,807.14	21,232.46	60.59	960.00	16.04	14,949.45	292.31	4,896.00	118.26	-	20,256.42	57.81
	कटैया/4X4.8 एम.डब्ल्यू.	17,520	1,478.10	16,041.50	91.56	8,804.10	78.00	6,147.30	31.59	960.00	20.11	-	7,159.40	40.87
	वाल्मीकिनगर /3X5 एम.डब्ल्यू.	26,280	6,958.20	19,321.40	73.52	1,563.00	21.45	12,723.10	591.10	4,412.15	10.20	-	17,736.55	60.49

वर्ष	प्रक्षेपित/स्थापित क्षमता	उपलब्ध घंटे	परिचालन घंटे	आउटेज	आउटेज का उपलब्ध घंटे से प्रतिशत	आउटेज की प्रकृति								
						अपरिहार्य								
						पानी का निकलना नहीं	ब्रेक डाउन/शट डाउन	पानी का कम निकलना	पावर ट्रिपिंग/असफलता	कैनल का बंद होना/कोई सिंचाई मांग नहीं	ट्रैश रैक की सफाई	वृहत ब्रेक डाउन	कुल परिहार्य आउटेज	परिहार्य आउटेज का उपलब्ध घंटे से प्रतिशत
2005-06	वरूण/2X1.65एम.डब्ल्यू.	17,520	7,933.06	9,586.54	54.71	3,504.00	-	3,791.44	849.55	1,440.00	1.15	-	6,082.54	34.72
	देहरी/4X1.65 एम.डब्ल्यू.	35,040	13,611.02	21,428.58	61.15	3,360.00	3.37	12,684.50	223.09	4,992.00	165.22	-	18,065.21	51.56
	कटैया/4X4.8 एम.डब्ल्यू.	17,520	4,777.09	12,742.51	72.73	5,199.31	54.10	5,074.05	188.46	2,208.00	18.19	-	7,489.10	42.75
	वाल्मीकिनगर/3X5 एम.डब्ल्यू.	26,280	7,087.40	19,192.20	73.03	116.30	67.20	14,332.25	308.05	4,355.30	12.30	-	19,008.30	72.33
2006-07	अगनूर/2X500 के.डब्ल्यू.	14,592	2,511.01	12,080.59	82.79	4,848.00	3.18	882.28	4,852.09	1,488.00	7.04	-	7,229.41	49.55
	वरूण/2X1.65 एम.डब्ल्यू.	17,520	6,479.22	11,040.38	63.01	3,888.00	1.30	2,865.20	1,351.50	2,928.00	5.58	-	7,151.08	40.82
	देहरी/4X1.65 एम.डब्ल्यू.	35,040	13,972.03	21,067.57	60.12	-	63.45	10,888.34	356.15	9,408.00	351.23	-	21,004.12	59.54
	धेलाबाग/2X500 के.डब्ल्यू.	10,272	1,850.20	8,421.40	81.98	768.00	46.53	559.27	5,271.20	1,776.00	-	-	7,606.47	74.05
	कटैया/4X4.8 एम.डब्ल्यू.	17,520	5,675.27	11,844.33	67.60	1,232.19	199.30	4,438.15	64.11	5,760.00	150.18	-	10,412.44	59.43
	वाल्मीकिनगर/3X5 एम.डब्ल्यू.	26,280	6,761.20	19,518.40	74.27	166.15	9.10	14,805.10	319.00	4,209.30	9.35	-	19,343.15	73.61

स्त्रोत : उत्पादन/आउटेज प्रतिवेदन

परिशिष्ट–17
संगठनात्मक ढ़ांचा
(कंडिका संख्या 2.2.1 में संदर्भित)



परिशिष्ट–18

पुस्तकों के कम विपत्रीकरण के कारण कम प्राप्त राशि को दर्शाती विवरणी

(कंडिका संख्या 2.2.15 में संदर्भित)

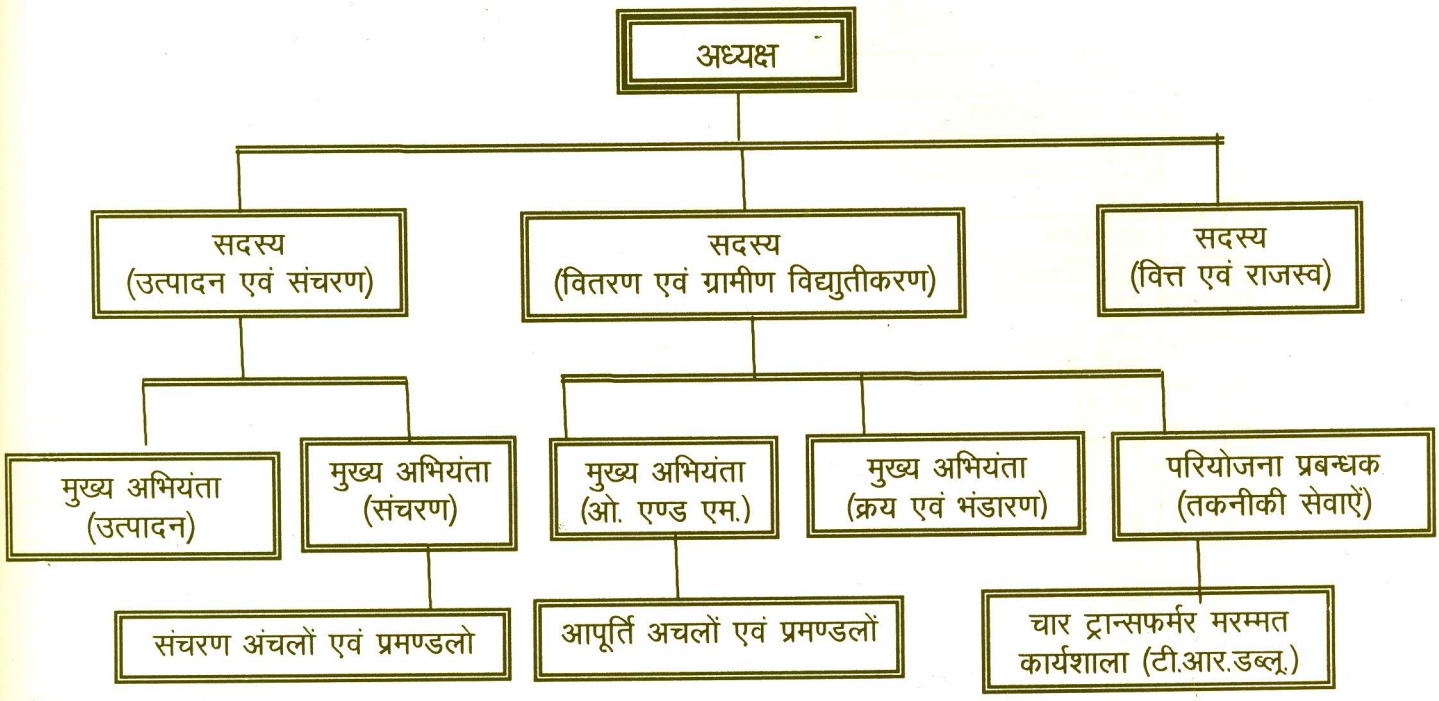
(राशि : रूपये में)

पुस्तकों के नाम	वर्ग	वर्ष	आपूर्तित पुस्तकों की कुल संख्या	प्रभार्य दर	प्रभार्य राशि	आरोपित दर	आरोपित राशि	दरों का अंतर	राशि की हानि
सर्व शिक्षा अभियान									
आओ हिसाब सीखें	5 (उर्दू)	2002	14,885	30.50	4,53,992.50	21.20	3,15,562.00	9.30	1,38,430.50
आओ हिसाब सीखें	5 (उर्दू)	2003	21,466	30.50	6,54,713.00	21.20	4,55,079.20	9.30	1,99,633.80
आओ हिसाब सीखें	5 (उर्दू)	2004	15,854	30.50	4,83,547.00	21.20	3,36,104.80	9.30	1,47,442.20
आओ हिसाब सीखें	5 (उर्दू)	2005	12,021	30.50	3,66,640.50	21.20	2,54,845.20	9.30	1,11,795.30
जि.प्रा.शि.प.									
हिसाब–III	3 (उर्दू)	2002	45,180	23.10	10,43,658.00	18.80	8,49,384.00	4.30	1,94,274.00
हिसाब–IV	4 (उर्दू)	2002	41,900	40.70	17,05,330.00	28.20	11,81,580.00	12.50	5,23,750.00
आओ हिसाब सीखें	5 (उर्दू)	2002	46,140	30.50	14,07,270.00	21.20	9,78,168.00	9.30	4,29,102.00
आओ हिसाब सीखें	5 (उर्दू)	2004	13,994	30.50	4,26,817.00	21.20	2,96,672.80	9.30	1,30,144.20
	कुल		**2,11,440**		**65,41,968.00**		**46,67,396.00**		**18,74,572.00**

स्त्रोत : बिक्री–विवरण तथा कम्पनी की संचिकाएँ।

परिशिष्ट – 19

ट्रान्सफर्मरों की अधिप्राप्ति, कार्य, रख–रखाव और मरम्मत के लिए बिहार राज्य विद्युत बोर्ड (बोर्ड) का संगठनात्मक ढ़ाँचा
(कंडिका संख्या 3.1 से संदर्भित)



परिशिष्ट–20
विभागवार बाकी निरीक्षण प्रतिवेदनों की दर्शाती विवरणी
(कंडिका 4.13 में संदर्भित)

क्र. सं.	विभाग का नाम	सा.क्षे.उ. की संख्या	बाकी निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	बाकी कंडिकाओं की संख्या	वर्ष जहॉ से कंडिकाए बाकी हैं
1.	उद्योग	28	127	641	1990–91
2.	वन एवं पर्यावरण	3	53	332	1990–91
3.	कृषि	3	43	242	1990–91
4.	उर्जा	3	1,136	3,459	शून्य
5.	पशुपालन	2	14	46	1990–91
6.	जल संसाधन	2	10	59	1990–91
7.	गन्ना	1	28	198	1990–91
8.	खाद्य आपूर्ति एवं वाणिज्य	2	94	537	1990–91
9.	पर्यटन	1	17	55	1990–91
10.	मानव संसाधन	1	6	18	1990–91
11.	पथ निर्माण	1	37	197	1990–91
12.	गृह	1	13	48	1990–91
13.	कल्याण	2	7	58	1990–91
14.	पंचायती राज	1	4	7	1990–91
15.	खान एवं भू–विज्ञान	1	28	135	1990–91
16.	लघु सिंचाई	1	6	33	1990–91
17.	परिवहन	1	61	382	1990–91
18.	सहकारिता	1	24	91	1990–91
	कुल	55	1,708	6,538	

स्त्रोत : प्रधान महालेखाकार कार्यालय को उपलब्ध सूचना।

परिशिष्ट–21
विभागवार प्रारूप कंडिकाएँ/समीक्षाएँ जिनके उत्तर अप्राप्त हैं को दर्शाती विवरणी
(कंडिका 4.13 में संदर्भित)

क्र.सं.	विभाग का नाम	प्रारूप कंडिकाओं की संख्या	समीक्षाओं की संख्या	जारी किए जाने की अवधि
1.	उर्जा	8	2	मई 2007 – अक्टूबर 2007
2.	उद्योग	2	–	जून 2007
3.	कल्याण	2	–	जून 2007
4.	शिक्षा	–	1	जुलाई 2007

स्त्रोत : प्रधान महालेखाकार कार्यालय को उपलब्ध सूचना।